राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] ग्यारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

बुधवार,

22 सितम्बर, 1999

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री जनार्दन गहलोत।

जिला कलेक्टर कार्यालय करौली का भवन

16. **श्री जनार्दन गहलोत** (करौली) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नवगठित जिला करौली को बने हुए करीब तीन वर्ष हो जाने के बावजूद भी उक्त जिले में कलक्टर कार्यालय के भवन का निर्माण अभी तक नहीं कराया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त कार्यालय के लिये भूमि भी आवंटित हो चुकी है? यदि हां, तो कहां पर व कब?

(3) अब उक्त जिला कलक्टर कार्यालय का निर्माण कब तक करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री बुलाकीदास कल्ला (सामान्य प्रशासन मंत्री) : (1) जी, हां। करौली जिला दिनांक 19-7-97 को सृजित हुआ। अभी तक करौली में कलक्टर कार्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ है। जिले के गठन के पश्चात् जिला कलक्टर कार्यालय के भवन हेतु भूमि के चयन पर विवाद के कारण विलम्ब हुआ।

(2) जिला कलक्टर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु करौली में कृषि उपज मण्डी समिति हिण्डौन की गौण मण्डी यार्ड करौली की 20 बीघा 14 बिस्वा भूमि को माह जनवरी, 99 में आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।

(3) कृषि उपज मण्डी समिति, हिण्डौन की गौण मण्डी यार्ड, करौली की 20 बीघा 14 बिस्वा भूमि पर जिला कलक्टर कार्यालय भवन के निर्माण हेतु कुल प्रोजेक्ट लागत 547.00 लाख रुपये एवं भूमि लागत 24.53 लाख रुपये की स्वीकृति दिनांक 5-6-99 को जारी कर दी गयी है। भूमि की कीमत चुकाने की कार्यवाही जारी है। कृषि विभाग द्वारा इस अवाप्त भूमि की अवार्ड सहित कुल राशि हेतु भी वांछित कार्यवाही जारी है। भूमि का कब्जा प्राप्त होने पर निर्माण कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, अपने जवाब में कहा कि विवाद के कारण विलम्ब हुआ। विवाद तो पहले ही समाप्त हो चुका है। 5-6-99 को राजस्थान की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी जिसमें इस साल के अन्दर 60 लाख रुपये के प्रावधान खर्चे का भी कर दिया गया है फिर विवाद कहां बच गया? माननीय, आपकी कमेटी की मीटिंग हुई 20-1-99 को जिसमें मिस्टर भसीन, भरत लाल मीणा, प्रशासक, कृषि, एम. के. खन्ना, वित्त शासन सचिव और कलक्टर मौजूद थीं, उस मीटिंग के अन्दर भी निर्णय हो चुका। उसके बाद आपने अवार्ड भी घोषित कर दिया। प्रश्न इस बात का है कृषि मंडी की जमीन के लिए पूर्व में ही अवार्ड की घोषणा हो चुकी थी, सारा अवार्ड हो चुका था, मुआवजा 80 परसेंट लोग ले चुके, कोर्ट में जो लोग जाने वाले थे, कोर्ट में भी वह खारिज हो चुकी है, हार चुके, उसके बाद विवाद बच कहां गया? मुझे मालूम है, माननीय मंत्री महोदय, 28-6-99 को राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्रीजी या राजस्व मंत्रीजी या कौनसे मंत्री महोदय से मिले हैं गिर्राज प्रसाद कल्ला जो व्यापार संघ के अध्यक्ष हैं, उनके साथ कौन लोग आए हैं...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पर लम्बी चर्चा नहीं करें आप। आप स्पेसिफिक सप्लीमेंटरी पूछिये।

श्री जनार्दन गहलोत : मैं, अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं विवाद कहां है?

श्री अध्यक्ष : आप तो बिलकुल ही जो इसका बैक ग्राउंड बनाने जा रहे हैं...

श्री जनार्दन गहलोत : मैं, अध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं विवाद की जो बात हो रही है, विवाद कहां है?

श्री अध्यक्ष : वह फैक्ट्स तो हैं, मंत्रीजी के पास होंगे।

श्री जनार्दन गहलोत : जब प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति हो चुकी, फिर क्यों विवाद रह गया?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल है तो स्पेसिफिक पूछिये आप प्रश्न।

श्री जनार्दन गहलोत : हां, मैं स्पेसिफिक ही पूछ रहा हूं। आप यह कह रहे हैं कि विवाद के कारण विलम्ब हुआ। विवाद कहां अटक रहा है मेरी यह समझ में नहीं आ रहा है, यह बता दीजिये फिर मैं आगे की बात कर लूंगा।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में 124 बीघा 9 बिस्वा भूमि कलेक्ट्रेट एवं सिविल लाइंस हेतु रीको से समर्पित करवाने का प्रस्ताव था, जो प्रस्ताव पूरा नहीं हुआ। फिर यह गौण यार्ड जो कृषि उपज मंडी का था वहां पर बनाने की बात कही। वहां पर भी कुछ लोगों ने ऐतराज किया था। अब उस एतराज को समाप्त किया जा रहा है। काफी कुछ अवार्ड दिये जा चुके हैं और जो शेष अवार्ड हैं उनको देकर बहुत शीघ्र कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण करा दिया जाएगा।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

श्री जनार्दन गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिला लेबल के ऊपर ए.डी.एम. की अध्यक्षता में सारे जन-प्रतिनिधियों की एक मीटिंग हुई जिसमें गल्ला व्यापार संघ के लोग भी थे, कृषि उपज मंडी के भी थे, व्यापारी लोग भी थे। सारे लोगों की, जन-प्रतिनिधियों की मीटिंग के अन्दर यह जगह तय इसलिए की क्योंकि इस जमीन के लिए आलरेडी अवार्ड हो चुका था। जिला कलेक्ट्रेट भवन जल्दी बन सके यह मंशा थी जन-प्रतिनिधियों की। उसके बाद, माननीय मंत्री महोदय, 10 जून को प्रभारी मंत्री श्री हरिसिंहजी कुम्हेर, जो कि हमारे जिले के प्रभारी हैं, मौके पर गये। अखबारों में मैंने पढ़ा कि मंत्रीजी इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं, इस विवाद को सुलटाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। शायद हो सकता है मुख्य मंत्रीजी ने उन्हें निर्देश दिया हो कि इस विवाद को निपटाओ। मेरा मानना है कि शायद हरिसिंहजी इसी उद्देश्य के लिये गये हों। मुझे यह भी अखबारों से मालूम पड़ा कि वहां के डिवीजनल कमिश्नर हैं उनको भेजा गया कोटा से, वह भी उस जमीन की चयन प्रक्रिया देखने के लिये गये। फिर हम चारों एम.एल.ए. कल्लाजी, भरोसीजी, रामस्वरूपजी और मैंने हरिसिंहजी के साथ सारे करौली जिले की जमीनों का मौका मुआयना किया। उसके बाद कमिश्नर की उपस्थिति में हम सब लोगों ने एकमत होकर निर्णय लिया कि इसके अलावा कोई उपयुक्त स्थान नहीं है। फिर विवाद कहां बच गया, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है? उसके बाद कोई एक व्यक्ति आकर आपको शिकायत कर दे, जो कि उस कांस्टीट्यूएंसी के ही नहीं हों, वहां के भू-माफियाओं से जुड़े हुए लोग जिनकी जमीनें खरीदी हुई हैं, नवलखा का बाग जो करौली हिज हाईनेस से कुछ लोगों ने खरीद रखा है, गल्ला व्यापार संघ का प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला वह यह चाहता है कि कलेक्ट्रेट उनके पाल में यहां पहुंच जाए ताकि उन भू-माफियाओं को फायदा हो, सोचता हूं, भू-माफियाओं को फायदा देने की नीयत सरकार की नहीं हो सकती है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एम.एल.ए. जिस बात पर एक राय हों, प्रभारी मंत्री ने मौका मुआयना किया हो तो उसके अन्दर विवाद कहां बच गया?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पहले विवाद था जिसके कारण से देरी हुई। अब कोई विवाद नहीं है। जहां पर भूमि अधिगृहीत की गयी है उसकी शेष राशि का मुआवजा चुकाने के बाद अतिशीघ्र वहां पर निर्माण कार्य शुरु कर दिया जाएगा।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पाइंट है मेरा। मैं करौली जिले का जिलाध्यक्ष हूं कांग्रेस का, मेरा यह निवेदन है मंत्रीजी से कि हमारे यहां कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं है, जहां सरकार चाहती है उसके लिये हमने सारे विधायकों ने देख लिया सारा, वहीं पर सब लोग चाहते हैं उसके बावजूद भी अगर कोई विवाद हो तो आप टोडाभीम में

(श्री रामस्वरूप)

खोल दो इसको और वहां बना दो इनका भवन। सबसे बढ़िया तरीका यही है इसका।

श्री जनार्दन गहलोत : नहीं-नहीं, ऐसा है कोई करौली जिले को अगर बदलना चाहें, टोडाभीम में ले जाओ हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन बनाओ तो सही।

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं समझता हूं इसका जवाब आ गया है। जहां किसी भू-माफिया को प्रश्रय देने का प्रश्न नहीं है, जहां भूमि अधिगृहीत की गयी है, इनका जिला कलेक्ट्रेट भवन बना दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी ने जिला कलेक्ट्रेट के भवन बनाने की घोषणा की है, 60 लाख की राशि इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है, आप यह भवन निर्माण की सारी अड़चने दूर करके भवन निर्माण का कार्य कब प्रारम्भ कर देंगे?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके मार्फत यह बताया है कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही जिस दिन पूरी हो जाएगी उसी दिन मुआवजे की पूरी राशि चुकने के बाद कार्य शुरु कर दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि भूमि अधिग्रहण की सारी कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है, झगड़ा इस बात का है कि जो भूमि अवाप्त की गयी है उस भूमि का मुआवजा कुछ लोगों को वितरित हुआ, कुछ लोगों को वितरित नहीं हुआ। झगड़ा इतना सा है। आप यह कह दें कि अवाप्त भूमि वालों को जिसको पैसा नहीं मिला उनको पैसा दे देंगे और समय बता दें कब चालू कर देंगे। यह अधिग्रहण का मामला है नहीं।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वही मैं कह रहा हूं कि 20 परसेंट मुआवजा बाकी रह गया है जिसका अभी मूल प्रश्नकर्ता ने उल्लेख किया था, उनको मुआवजा देने के तुरन्त पश्चात् निर्माण कार्य शुरु कर दिया जाएगा।

श्री जनार्दन गहलोत : नहीं, वह तो जो नहीं लेने आ रहे हैं इसका मतलब यह थोड़े कि उसकी वजह से विवाद पड़ा रहेगा। आप कम से कम यह तो हमको स्पेसिफिक जवाब दें कि कब शुरु करा देंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग को आपकी सरकार की चिट्ठी पहुंच चुकी है, वह निर्माण कार्य जब शुरु करें जबकि आपकी सरकार का क्लियरेंस हो। आपका क्लियरेंस आप दे देंगे तो शुरु जो जायेगा कल ही। हम नहीं चाहेंगे श्राद्ध पक्ष में हो। कम से कम नवरात्रा में तो शुरु हो जाए।

श्री बुलाकीदास कल्ला : हमारी क्लियरेंस दी जा चुकी है। मुआवजा चुकाने के बारे में जिलाधीश को निर्देश दे दिये गये हैं

श्री रामस्वरूप : हम तो चाहते हैं आपके कर-कमलों से उद्घाटन हो इसका। हम तो इंतजार कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या 17

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर)।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री राधेश्याम गंगानगर।

गंगनहर प्रणाली का आधुनिकीकरण

18. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि गंगनहर प्रणाली श्री गंगानगर जिले की सबसे पुरानी सिंचाई प्रणाली है? क्या अब इस नहर की हालत जीर्ण-शीर्ण है? क्या सरकार इसे ठीक कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या यह भी सही है कि पंजाब राज्य में बीकानेर कैनाल (गंगनहर) की लाइनिंग चूने पत्थर से करवाई गई थी? क्या अब उक्त नहर जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है? क्या सरकार उक्त नहर को अब दुरुस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार ने उक्त नहर के पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण के लिये प्रशासनिक स्वीकृति राशि 87.40 करोड़ की प्रदान की थी? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि वर्ष 1998 को बी.एस.आर. के आधार पर गंगनहर आधुनिकीकरण की योजना का विस्तृत तखमीना 450.04 करोड़ रुपये का बनाकर केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत किया गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

(5) क्या गंगनहर आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत नहरों की कुल लम्बाई 115.3 किलोमीटर में लाइनिंग का कार्य प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब से?

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : (1) जी हां। यह नहर वर्ष 1922-1927 में बनाई गई थी। लगभग 72 वर्ष पुरानी होने के कारण पंजाब प्रान्त में जीर्ण-शीर्ण है। राजस्थान भाग में गंगनहर अपेक्षाकृत अच्छी हालत में है। राज्य सरकार द्वारा इस नहर की मरम्मत के लिये विस्तृत आधुनिकीकरण का प्रस्ताव केन्द्रीय जल आयोग को राशि रुपये 450.04 करोड़ की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है। इस कार्य को विश्व बैंक घोषित राजस्थान जल संसाधन संघनन परियोजना में सम्मिलित किया गया है। इसकी स्वीकृति के पश्चात् 4 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जावेगा।

(2) जी हां।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति वर्ष 1979 के मूल्यों पर आधारित राशि रुपये 87.50 करोड़ की दिनांक 28-9-83 को प्रदान की गयी। प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) जी हां। यह प्रकरण केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली के विचाराधीन है।

(श्रीमती कमला)

शीघ्र स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रयास जारी हैं।

(5) नहरों की कुल लम्बाई 1153 किलोमीटर है। यह कार्य वर्ष 1991 से चालू है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा। आपने एक तो यह बताया है कि राजस्थान की साइड में जो हमारी नहर है उसकी हालत ठीक है। बड़े दुःख की बात है कि आये दिने यह रिपोर्ट आती है कि फलां जगह की नहर टूट गयी है और मेरे खयाल से वह नहर बीस दफा टूट चुकी है। पिछले चार सालों से किसानों की यह हालत है कि कहीं उनका बच्चा बीमार हो जाये तो 50 रुपये भी नहीं मिलते ताकि वह कहीं जाकर दवाई ले ले। नरमे कपास की फसल इस पानी के कारण फेल हो गयी। मेरी प्रार्थना है कि जिन लोगों ने आपको यह रिपोर्ट दी है, आप कृपया पुनः उसकी जांच करवाइये। राजस्थान में स्थिति बिलकुल खराब है और पंजाब में तो नहर नाम की चीज ही नहीं है। वह तो सांस ले-लेकर चल रही है। ना जाने किस प्रकार से वह चल रही है, 50 साल की उसकी उम्र थी।

आपने अभी फरमाया कि 83 करोड़ रुपया दिया। क्या वह 83 में आपने दे दिया और अभी तक उसका कार्य शुरु नहीं हुआ उसके बाद आपने कोई कार्यवाही की? आपके डिपार्टमेंट ने या किसी ने भी कोई कार्यवाही उसमें नहीं की। एक तो यह बताने का कष्ट करें।

दूसरा यह है कि ग्यारह सौ कितने किलोमीटर की जो लम्बाई आपने कही है, यह सारी नहरें कम से कम बीसों बार टूट चुकी हैं, क्या आपके पास इस तरह की कोई भी रिपोर्ट नहीं है कि यह नहर कभी नहीं टूटी? जिस नहर की क्षमता 2740 क्यूसेक पानी की है उसमें 18 सौ और 2 हजार से ज्यादा कभी पानी नहीं चला और फिर 4 सौ और कितने लॉसेज हो जाते हैं और उस लॉसेज से हमारी दो कैनाल और चल सकती हैं। अगर इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो जिला गंगानगर के अंदर नीचे का जो पानी है, वह खारा है, पीने के पानी के लिए लोग तरसेंगे। नीचे पानी नहीं है और आपकी जब भी कोई नहर बंद हो गयी तो मेरे ख़याल से वहां गदर मच जायेगा। मैं निरन्तर, 1980 से लेकर हर वक्त, हर विधान सभा में यह कहता रहा हूं, पिछली बार आपने यह आदेश दिये थे कि अबकी बार आपकी स्कीम मंजूर कर ली गयी है और यह अगली दफा लागू हो जायेगी। तो कृपया आप इस तरफ पूरा ध्यान दीजिये। वहां के जो किसान हैं, 30

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

लाख एकड़ भूमि उनकी सिंचित होती है, उसके हालात क्या हैं, वहां की पूरी समस्या से आप वाकिफ हैं। इर्रिगेशन मामले में आपकी पूरी मास्टरी है और फिर इस तरह की रिपोर्ट आपके सामने आ जाये कि नहर राजस्थान में कभी टूटी ही नहीं तो मेरी यह प्रार्थना है कि आप पुनः इसकी जांच करवायें और जो अधिकारी इस तरह की रिपोर्ट देते हैं उनको लेफ्ट-राइट करवायें ताकि उनको आगे के लिये यह भय रहे कि मंत्रीजी के सामने गलत रिपोर्ट नहीं जानी चाहिए। हाउस के अंदर इस तरह से बोल देना यह कोई उचित बात नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह नहर कभी भी बंद हो सकती है और इसकी हालत यह है कि आने वाले समय में यह मामला आपसे संभलेगा नहीं। अभी समय है, कृपया आप जल्दी से जल्दी इस कार्य को करवायें। धन्यवाद।

श्रीमती कमला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है वह यह नहीं कहा है कि नहर कभी टूटी नहीं या नहर की हालत खराब नहीं है। मैंने सिर्फ यह कहा है कि अपेक्षाकृत, पंजाब में तो जैसे यह कह रहे हैं, माननीय सदस्य, कि नहर जैसी चीज ही नहीं रही, उसकी तो हालत बहुत खराब है, लेकिन राजस्थान में फिर भी थोड़ी ठीक है। मैंने अपेक्षाकृत शब्द यूज किया है। मैं इस बात से पूरी तरह से वाकिफ हूं कि राजस्थान के क्षेत्र में भी स्थिति बहुत खराब है और इसलिए 1983 में जो 87.50 करोड़ की स्वीकृति दी गयी थी वह इस नहर के तमाम हिस्सों पर काम कराने के लिए जारी की गयी थी और उसको पूरी तरह से अभी तक इतने वर्षों में भी यूटिलाइज नहीं किया गया है इसलिए अभी यह स्थिति हमें दिख रही है। वह जो पैसा मंजूर किया गया था उसमें बीकानेर नहर का पंजाब एरिया में पुनः लाइनिंग कराना, राजस्थान क्षेत्र की बीकानेर नहर का जीर्णोद्धार करने, इंदिरा गांधी नहर फीडर और कैनाल को लिंक करने और जो गंगनहर की लाइनिंग है उसका निर्माण करने और उप-नहरों और उनकी शाखाओं की लाइनिंग और इंदिरा गांधी नहर को समेजा लिंक से जोड़ना, इन सारे कामों के लिए पैसा मंजूर किया गया था। इसमें मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि काम बहुत धीमे चला 1983 के बाद से लेकर अब तक, जिसके कारण से पैसा अभी बाकी है। लेकिन काम भी अभी काफी बाकी पड़ा हुआ है। जैसे बीकानेर नहर का जो लाइनिंग का है, वह नहीं हुआ। इसी तरह से जो सैकण्ड आइटम है जीर्णोद्धार का, वह भी नहीं हुआ। यह 76 किलोमीटर जो लिंक चैनल बनाने का था, वह काम 1993 में पूरा हो गया और उसका काम चल रहा है। इसके अलावा जो उप-नहरों और शाखाओं की लाइनिंग का 1153 किलोमीटर का काम होना चाहिए था, उसकी बजाय अभी 244 किलोमीटर ही पूरा हुआ है और बाकी यह जो समेजा लिंक है यह भी अभी बाकी है। पैसा भी

(श्रीमती कमला)

बाकी है, काम भी बाकी है। यह काम अगर तत्परता से पिछले वर्षों में होता रहता तो मैं समझती हूं कि बहुत कुछ रिलीफ हमें मिल गयी होती। लेकिन फिर भी अब इसको तत्परता के साथ में और अधिकारियों की जो ड्यूटीज हैं उनको पूरी तरह से वह संपादित करें पूरे वर्कफुटिंग के ऊपर, इसके लिये हम कोशिश कर रहे हैं और साथ में जो 450 करोड़ रुपये का नया प्रोजेक्ट हमने सी.डब्ल्यू.सी. को दिया हुआ है वह काफी समय तक सी.डब्ल्यू.सी. में रखा रहा, पंजाब सरकार से जो कमेंट्स आने थे जो इतने महीनों से दे नहीं रहे थे अभी पिछले दिनों में अधिकारियों को भेजकर उनको परसुएट करके, मोटिवेट करके उनके कमेंट्स सी.डब्ल्यू.सी. को दे दिये हैं और अब सी.डब्ल्यू.सी. में अपने लेवल पर उसको एक्जामिन कर रहा है। सी.डब्ल्यू.सी. के 10 डायरेक्ट्रेट हैं उनमें से 5 डायरेक्ट्रेट में यह क्लियर हो चुकी है। 5 डायरेक्ट्रेट के लिये भी हम पीछे लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम इनको क्लियर करा लेंगे। यह बचा हुआ पैसा जो पुराना है और यह जो नया प्रोजेक्ट है इसको ले करके हम जल्दी से जल्दी इस बहुत ही महत्वपूर्ण नहर को वापिस कंसोलिडेट करने का काम पूरा कर सकेंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मेरी बात का जवाब तो आया नहीं। मैंने निवेदन किया था कि जो पैसा हमने 83 में दिया, उस पैसे का यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ और उसकी कीमत अब डबल हो गयी। वह आपसे 100 करोड़ मांग रहे हैं वह कौन देगा? यह जो बात मैं पूछना चाहता हूं वह कृपया आप बतायें और उसके अलावा मेरे खयाल से आपको याद होगा...(व्यवधान)

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, पहले उसी का जवाब दिया था।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको भी पूरी तरह से ध्यान में होगा कि 1981 में एक मीटिंग आपने गंगानगर में ली थी, आपने सारी नहरों का खुद मौका देखा था, उसी वक्त आपने यह पैसा मंजूर किया था। कहां तो 81 और 83 में हमने पैसा दे दिया और अब वह कहते हैं कि 100 करोड़ रुपये और होंगे तब काम चलेगा। तो यह पैसा आयेगा फिर कैसे? हम तो वह पैसा दे नहीं पायेंगे और काम वहीं का वहीं पड़ा है।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, मैंने उसका ब्यौरा भी दे दिया और यह भी कह चुकी हूं कि काम तत्परता से होना चाहिए था लेकिन इन बिटविन जो इयर्स निकल गये उसमें नहीं हो पाया। उसको कम तकाजे से करा रहे हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : काम नहीं हुए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? 100 करोड़ रुपये वह और मांग रहे हैं वह कौन देगा? 85 करोड़ रुपये में काम होना था।

श्रीमती कमला : अभी हमारे पास में...(व्यवधान) सुनिये, आप अपनी बात कहे जा रहे हैं, मेरी तो सुनिये। विभाग के सामने 100 करोड़ रुपये की इस संदर्भ में

(श्रीमती कमला)

कोई मांग नहीं है, विभाग ने 450 करोड़ रुपये का जो नया प्रस्ताव दिया है, उसकी स्वीकृति का तकाजा कर रहे हैं। पहले का जो 78 करोड़ रुपए का है उसको हम तकाजे से लगा रहे हैं, इस बीच में हमारा 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर होकर आने वाला है, उसमें डिले होने वाली नहीं है। इसलिए यह जो आप 100 करोड़ रुपए की बात कह रहे हैं, मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है, हो सकता है कि मेरे कहने में फर्क हो, मैं अर्ज कर रहा हूं जब 450 करोड़ रुपए का आपका प्रोजेक्ट है, जब यह मंजूर हो जाएगा तो पंजाब वाले उसका काम शुरु कर देंगे और आपके 87 करोड़ रुपए का पता ही नहीं लगेगा, वह डकार जाएंगे। तो क्या उसकी कोई जांच, कोई इन्क्वायरी कराएंगे कि वह पैसा हमारा कहां लगा, क्या हुआ। नया प्रोजेक्ट आपका शुरु हो जाएगा, मान लो, जैसा आपने फरमाया, चार साल के अंदर शुरु हो जाएगा। उस पैसे का क्या हुआ, मैं तो यह पूछना चाहता हूं?

श्रीमती कमला : मैंने आपको ब्यौरा दिया है, उसमें बताया है कि यह-यह काम हो गया और यह काम नहीं हुए, उनको हम तकाजे से करवाएंगे। हमारा पैसा हमारे क्षेत्र में हमको लगाना है, पंजाब कहां से डकार जाएगा, कहां से पता नहीं आपको आशंका हुई है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : पैसे आपने पंजाब में जमा करवाए हैं। पंजाब में नहर बननी है। कमाल की बात कर रही हैं? (व्यवधान)

श्रीमती कमला : मैंने आपको ब्यौरा दिया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : ब्यौरा आपको गलत दिया है डिपार्टमेंट ने।

श्रीमती कमला : नहीं, मैं आपको बता रही हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप इसकी पुनः जांच करवाइए।

श्रीमती कमला : मैं आपको बता रही हूं, पंजाब के हिस्से का काम अलग है और राजस्थान में जो काम होना है, वह काम अलग है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : मंत्री महोदया, आप जांच कराइए, वह ब्यौरा गलत है।

श्रीमती कमला : आप अपनी बात कहे जाएंगे और मेरी मानेंगे नहीं तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : 1983 की बात है, अब 2000 आ गया, रो-रोकर हम थक गए, यह बात हम आपको नहीं कहें तो किसको कहेंगे?

श्रीमती कमला : काम शुरु करने में हम लग रहे हैं। अभी सरकार बनी है, उसके तीन महीने बाद बजट आया है, उसके बाद में यह काम शुरु हुआ है, बीच में चुनाव आ गए, कहीं जा नहीं पाए, इसलिए मैं आपको बराबर कह रही हूं कि हम वार फुटिंग पर इस काम को तकाजे से

(श्रीमती कमला)

करवाएंगे और राजस्थान के क्षेत्र में यह काम होगा। हमारा पैसा पंजाब में उतना ही लग सकता है जो कि पंजाब के एरिये में 112 किलोमीटर का क्षेत्र है, उसका पैसा देंगे। बाकी हमारे क्षेत्र में जो काम होना है और जो नहीं हुआ उसका पैसा तो हम यहीं लगाएंगे, वहां थोड़े देंग सारा ही।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने जो जवाब दिया है उसके बारे में मेरा निवेदन है कि आपने जैसा फरमाया, सी.डब्ल्यू.सी. को स्कीम भेज दी और स्वीकृति के बाद चार साल इसको बनाने में लगेंगे। आप इसको जरा ध्यान से सुनना स्वीकृति के बाद में चार साल लगेंगे, आज की तारीख में आई.जी.एन.पी. का जो सी.सी.ए. क्रियेट हो रहा है, जिस स्पीड़ से, 800-900-1000 क्यूसेक्स आए साल डिमाण्ड क्रियेट होती है, आपने जो लिंक चैनल बनायी है उसका मुख्य उद्देश्य इतना ही है कि जब आप पंजाब पोर्शन में इस नहर को बनाएंगे तो आई.जी.एन.पी. के थ्रू आप लिंक से पानी गंग कैनाल को फीड करेंगे लेकिन मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जब आई.जी.एन.पी. का खुद का सी.सी.ए. इतना क्रियेट हो जाएगा और सिद्धमुख कैनाल जब तैयार हो जाएगी तो उसका सिस्टम जो आज की तारीख में है, सी.सी.ए. है या दूसरी कैनाल से चल रहा है वह आपके आई.जी.एन.पी. से पानी लेंगे तो जब उनकी खुद की डिमाण्ड पूरी हो जाएगी तो लिंक जो आपने सैंकड़ों करोड़ रुपए लगाकर बनाई है, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं रहेगी, फिर आपको डाइवर्शन चैनल बनाकर पंजाब के पोर्शन में इस नहर को बनाना पड़ेगा। That is very costlier. मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो स्वीकृति आएगी, उसके बाद चार साल का समय लगेगा, अध्यक्ष महोदय, आज की तारीख में स्थिति यह है कि आई.जी.एन.पी. की इतनी डिमाण्ड बढ़ी हुई है, पिछले दिनों लिंक के माध्यम से पानी किसानों को मिला नहीं, फसल बरबाद हो गई और आगे के चार साल में क्या स्थिति बनेगी तो आपका जो लिंक बनेगा उसको कोई यूज नहीं रहेगा। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वह चार साल का जो पीरियड है उसमें आप सैकड़ों करोड़ रुपए लगा रहे हैं लिंक के वह आपके बेकार चले जाएंगे, इसलिए आप इसको एक्सपीडाइट करिए।

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछिए, लम्बा भाषण कर रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं कि गंग कैनाल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है, इसकी जो मूल दक्षता है, वह कितनी है और वर्तमान में हम कितना पानी चला पा रहे हैं, उसकी भरपाई करने के लिए किसानों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, यह बताएं?

श्री अध्यक्ष : वह तो आप जानते हैं, उसमें पूरा पानी नहीं आ रहा है, उसकी कैपेसिटी से। जगह-जगह टूटी हुई है। आप भी मंत्री रहे हैं, आपको जानकारी है इसकी।

श्रीमती कमला : जब यह काम आप लोगों के पास था, उस वक्त अगर आप अपना आठ वर्ष का समय यूं ही बरबाद नहीं करते, काफी तकाजे से इस काम को कर लेते तो आज से कई वर्ष पहले यह प्रोजेक्ट भी मंजूर हो जाता और यह योजना का पैसा जो बचा पड़ा है वह भी लग जाता तो बहुत कुछ हो सकता था।

श्री देवीसिंह भाटी : यह आपने खुद ने बताया है कि 1983 में किया था, उसके बाद (व्यवधान)

श्रीमती कमला : हम लोग मंजूर करके गए थे 1983 में। (व्यवधान) आपने तो कुछ भी नहीं किया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : मंत्री महोदया, राधेश्यामजी अरोड़ाजी तो 1981 से + + + 1983, 1984, 1985 जब तो कांग्रेस का शासन था, बी.जे.पी. का शासन नहीं था (व्यवधान)।

श्री देवीसिंह भाटी : आपने 1983 से लेकर 1990 तक क्या किया? हमने इसको सी.डब्ल्यू.सी. में तैयार करके भेजा। आप तो लेकर बैठ गए। इस बात को राजनैतिक बहस का रंग मत दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतनी जानकारी करना चाह रहा हूं कि इसकी मूल क्षमता क्या है और वर्तमान में इसमें कितना पानी मिल रहा है, उस कमी की भरपाई के लिए सरकार क्या कर रही है?

श्रीमती कमला : यह तो माननीय सदस्य ने आपको बता दिया, अभी बोल रहे थे, राधेश्यामजी, आपने सुना नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं आपसे पूछ रहा हूं, राधेश्यामजी को क्या हक है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर प्रश्न गया, सदन की सम्पत्ति बन गया और माननीय सदस्य पूछ रहे हैं। मंत्री महोदया तैयार होकर आई नहीं है, वह बात को टाल रही हैं। माननीय सदस्य पूछना चाहते हैं कि क्षमता क्या है और आज की तारीख में कितना पानी ड्रा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने आठ साल में क्या किया? हमने आठ साल में काम ठीक नहीं किया, इसीलिए इधर बैठे हैं और आप भी आ जाएंगे इधर।

श्रीमती कमला : आते ही रहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर आप बताइए, जवाब तो दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइए। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : जवाब तो अध्यक्ष महोदय ने दे दिया है,

---

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरिसिंह महुवा)

आप नहर मंत्री थे। मंत्रीजी को मौका ही कब मिला है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसको राजनैतिक रूप देना ठीक नहीं है। गंगानगर के किसानों को यह ज्ञात होता चाहिए कि उसकी मूल क्षमता क्या है और कितना पानी चल रहा है और उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या कर रही है।

श्री राधेश्याम गंगानगर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय देवीसिंहजी जब मंत्री थे तो लिंक चैनल के लिए आपने यहां घोषणा की थी। माननीय देवीसिंहजी पूर्व में जब मंत्री थे..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप अपनी बात कहिए, तब की बात क्यों कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइए आप।

श्री राधेश्याम गंगानगर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, आपने सदन में घोषणा की थी, लिंक नहर कभी भी बंद नहीं हुई।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तब कांग्रेस का शासन था राजस्थान में, 1981-1982, 1990 में।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : प्रश्न संख्या-19 (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सिर्फ एक लाइन का जवाब मांगा था।

श्री अध्यक्ष : आपको जानकारी है और आप क्या जानकारी चाहते हैं।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) अब आप जवाब तो सुनना नहीं चाह रहे हैं, जवाब तो सुनिए। जवाब सुनना ही नहीं चाह रहे हैं आप।

श्री देवीसिंह भाटी : इस प्रश्न का इस तरीके से राजनीतिक रूप देकर जवाब देना चाहते हैं।

श्रीमती कमला : जब आपका यह सुनने का तरीका ही नहीं, मैं जवाब दे रही हूं।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, आप मंत्रीजी को सुनना ही नहीं चाहते हैं। गलती आप लोगों की है, मंत्रीजी की नहीं है। जवाब दे रही है मंत्रीजी। मंत्री महोदया जवाब दे रही हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदया, जवाब दीजिए, पूरी तैयारी करके आइए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ऐसा मत करिए, आप पूरी तैयारी कीजिए।

श्रीमती कमला : वह नाचने का हुनर आपको ही है, यह मुझे पता है। नहर की डिजाइन क्षमता 2740 क्यूसेक्स है जो कि क्षतिपूर्ति होने के कारण से इसमें 2400 क्यूसेक्स पानी ही आ रहा है। इसके कारण, जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, काफी कुछ परेशानी काश्तकारों को उस क्षेत्र में हो रही है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना जानकारी चाहता हूं कि जो यह 400 क्यूसेक्स पानी की कमी पड़ रही है, वह किसान जो टेल एण्ड पर बैठा है, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या व्यवस्था सरकार करने जा रही है? कम से कम यह बता दें जिससे किसानों को सूचना तो मिले।

श्री अध्यक्ष : पूरा प्रश्न ही इस सम्बन्ध में था।

श्री देवीसिंह भाटी : वह नहीं बताया गया।

श्री अध्यक्ष : उत्तर में उन्होंने यह बात कही है, इसको बहुत स्पष्ट कर दिया है, जो लिंक है, उस सम्बन्ध में भी उन्होंने जिस अभिप्राय से बनाई गई थी उसका भी उल्लेख कर दिया था, फिर आप चाहते क्या हैं?

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जब सिस्टम चलता है तो टेल एण्ड वाले काश्तकार को पूरा पानी मिले इसके लिए 400 क्यूसेक्स की जो कमी है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए क्या व्यवस्था सरकार कर रही है, इतना ही तो पूछा है।

श्री अध्यक्ष : उसकी पूरी रिपेयर हो जाएगी।

श्री देवीसिंह भाटी : कब रिपेयर हो जाएगी, इसकी व्यवस्था की जा सकती है?

श्री अध्यक्ष : यह कहा है न उन्होंने।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, उसमें पानी की व्यवस्था स्थायी होनी चाहिए। सात दिन की पारी है तो कम से कम सात दिन तक पूरा पानी किसानों को मिलना चाहिए, चाहे वह आई.जी.एन.पी. से लें, चाहे किसी भी प्रकार से सप्लीमेंट करें। अध्यक्ष महोदय, यह तो हम आपसे प्रोटेक्शन चाहेंगे।

श्रीमती कमला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य यह अच्छी तरह से जानते हैं कि जब सिस्टम कुछ खराब रहता है, सिल्टिंग होती है, टूट-फूट होती है, मरम्मत की आज के दिन जितनी भारी रकम की जरूरत है, उसकी कमी है। बहुत जगहों पर टेल एण्ड पर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। सिस्टम की कमी के कारण से, पानी का बहाव तो कम होता ही है और उपलब्ध भी कम होती है उसके कारण दिक्कत भी होती है। उसको पूरा करने के लिए, सही करने के लिए, यह पैसा मंजूर किया गया था। यह पैसा पूरा उपयोग नहीं हुआ समय रहते इसलिए बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। इस पैसे को भी हम लगाएंगे और पैसा भी जरूरत पड़ी तो लगाएंगे लेकिन इस सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, यह हम आपसे कह रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : इसके लिए मेरा सुझाव है कि जो करणीजी सिस्टम है उसका सूरतगढ़ ब्रांच से आलरेडी लिंक बना हुआ है। इसको राजनैतिक रूप दें तो

(श्री देवीसिंह भाटी)

आपकी इच्छा है, लेकिन अगर किसानों का हित सोचते हैं तो इसको सप्लीमेंट किया जा सकता है। सूरतगढ़ ब्रांच से जो करणीजी ब्रांच का लिंक बना हुआ है उससे इसको आप सप्लीमेंट कर सकते हैं जिससे ऊपर वाले सिस्टम को अलग से पानी मिल जाएगा, नीचे वाले को अलग पानी मिल जाएगा। राधेश्याम जी, सिर्फ एक प्रश्न पूछकर छोड़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, + + +

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपको तो ठीक से काम करने नहीं दिया और अब प्रश्न पूछ रहे हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्सट, श्री हरजीराम बुरड़क।

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त राशि में कटौती

19. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद भारत सरकार ने राज्य को दी जाने वाली राशि में कटौती करके कमी कर दी है? यदि हां, तो किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि दी जानी चाहिए थी और कितनी-कितनी दी गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि कम देने के कारण राज्य सरकार के समक्ष क्या-क्या कठिनाइयां आई और उनसे निपटने के लिए क्या-क्या उपाय किये गये ?

श्री चन्दन मल बैद (वित्त मंत्री) : (1) मौजूदा सरकार के गठन के बाद भारत सरकार ने राज्य सरकार को दी जाने वाली राशि में कोई कमी नहीं की, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद की दिनांक 19 फरवरी, 1999 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार जो उप-समिति बनाई गई थी उसकी सिफारिशों के अन्तर्गत दी गई अन्तरिम सहायता में से कटौती की गई है।

इन्हीं सिफारिशों के अनुसरण में राज्य सरकार को केन्द्र सरकार ने 1010 करोड़ रुपये की अग्रिम सहायता की राशि उपलब्ध कराई थी। इस सहायता राशि को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से एक समझौता पत्र भी हस्ताक्षरित किया था। इस समझौता पत्र में यह भी उल्लिखित किया गया था कि इस सहायता राशि को एक मध्यावधि ऋण के रूप में परिवर्तन किया जायेगा, लेकिन ऐसा करने के पूर्व ही केन्द्र ने माह मई व जून में राज्यों को केन्द्र से मिलने वाली हिस्सा राशि में से 436 करोड़ रुपये की कटौती कर ली।

माह मई व जून में किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि दी जानी चाहिए और कितनी दी गई है उसका विवरण इस प्रकार है : —

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री चन्दन मल बैद)

(राशि करोड़ रुपयों में)

मद	राशि जो दी जानी चाहिए थी	राशि जो दी गई	कटौती की गई राशि
केन्द्रीय करों में हिस्सा राशि	324.36	162.18	162.18
अल्प बचत के संग्रहण के पेटे ऋण			
मई, 1999 तक	144.66	0.00	144.66
जून, 1999	314.15	208.81	105.34
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के पेटे सहायता	63.04	39.21	23.83
कुल	846.21	410.20	436.01

(2) उक्त राशि काटे जाने के कारण एक बार फिर राज्य गम्भीर वित्तीय संकट में आ गया और उससे निपटने के लिए राज्य को मजबूर होकर अपने खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ा।

श्री देवीसिंह भाटी : ऐसे + + + वित्त मंत्री से तुरन्त इस्तीफा ले लेना चाहिए जो अपने प्रदेश का हिस्सा भी नहीं ला सकता केन्द्र से। ऐसे मंत्री को रखना ही नहीं चाहिए।

श्री रामस्वरूप : जनता आपको बता देगी, लोक सभा के चुनाव में राजस्थान की जनता जवाब देगी आपको। देखना, रिजल्ट आ रहे हैं।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : आप अपने आपको राजस्थान का कहते हो, + + + आनी चाहिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जिनकी गुडविल होती है उधार उनको ही मिलता है, जिनकी क्रेडिट नहीं होती उनको उधार नहीं मिलता। इस लायक नहीं हैं। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : राजस्थान को बहुत नुकसान हुआ है।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : गुडविल तो है, राजस्थान को बिगाड़कर चले गए आप। (व्यवधान) दिवालिया राजस्थान संभलाकर चले गए।

डा. के. सी. चौधरी : यह राजस्थान की जनता का नुकसान हुआ है सारा।

श्री रामस्वरूप : आप लोगों ने राजस्थान का दिवाला निकाल दिया और दिवाला निकालकर हमको संभला कर गए। केन्द्र सरकार को भी अब आपने बहका दिया। अब जल्दी ही आपके बुरे दिन आ रहे हैं, चिन्ता मत करो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता, ऑर्डर।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

उसमें पहला आपने यह बताया है कि 1010 करोड़ रुपये की राशि देनी चाहिए थी लेकिन जो विवरण दिया है उसमें केवल 846 करोड़ का ही उल्लेख किया गया है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह था कि केन्द्रीय करों में हिस्सा राशि 324 करोड़ रुपए देनी थी और 162 करोड़ ही दी गई है, तो यह अंतरिम सहायता कैसे हुई, यह तो राजस्व का हिस्सा था। इसको अन्तरिम राहत में कैसे दिखाया, यह मेरी समझ में नहीं आया? तीसरा सवाल यह है कि...

श्री चन्दन मल बैद : मैं एक-एक का जवाब देता रहूं। अन्तरिम सहायता इस वास्ते कि जो पैसा हमें आगे मिलने वाला था वह उन्होंने हमें पहले दे दिया। (व्यवधान) यह फाइनेंसल मैटर्स हैं, इनको समझने से ही समझ में आएगा। इसको आपने पहले ही दे दिया। अब आपने कहा कि 1010 करोड़ रुपये कैसे दिए। अग्रिम राशि जो दी गई वह इस प्रकार है—केन्द्र सरकार का केन्द्रीय करों में हिस्सा 500 करोड़ रुपये और उसमें से आयकर 251.63 करोड़, उत्पाद शुल्क 244.74 करोड़, यात्री किराये पर कर के बदले अनुदान 3.63 करोड़, अल्प बचत ऋण, जो अग्रिम राशि दी गई, 250 करोड़ रुपये, बाह्य सहायता ऋण 30 करोड़ रुपए, आयोजना सहायता 30 करोड़ रुपये, मार्गोपाय अग्रिम 200 करोड़ रुपये। इस तरीके से 1010 करोड़ उन्होंने दिये। उनका वायदा यह था, जो हमने समझौता-पत्र किया है उसके अनुसार यह था कि आठ सप्ताह के अंदर सब कमेटी जो रिपोर्ट देगी उस रिपोर्ट के अनुसार आठ सप्ताह के अंदर एक कमेटी बैठकर यह फैसला करेगी कि इस अन्तरिम सहायता को मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और जो हमको रिफार्म्स करने हैं उनका भी रि-शिड्यूल किया जाएगा। आठ सप्ताह में कमेटी फैसला दे, यह तय किया गया था, लेकिन कमेटी आठ सप्ताह में फैसला देने के बजाय 15 सप्ताह के बाद, 5 जुलाई को बनी। उसकी आज तक कोई मीटिंग नहीं हुई। इस वास्ते जब तक उसकी मीटिंग न हो जाए उसके पहले ही यह राशि काटना उचित नहीं था। उन्होंने यह राशि 15-16 अप्रेल को दी और पहली मई को काट दी और पहली जून को काट ली। और किसी स्टेट की नहीं काटी, केवल राजस्थान की काटी। क्यों काटी? क्यों काटी, इसको स्पष्ट करना उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : वित्त मंत्री जी, उन्होंने चुनावों को देखते हुए ऐसा किया।

श्री बाबूलाल नागर : क्या राजस्थान की जनता के साथ ऐसा करके भला किया आपने?

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, यह जो राशि मई और जून में काटी इस राशि के काटने के संकेत आपको पूर्व में मिले या नहीं मिले? मिले तो कब मिले?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि अल्प बचत के पेटे जो ऋण है वो भी राज्य का हिस्सा

(श्री हरजीराम बुरड़क)

है और एक निश्चित फार्मूला है, इसको भी आपने अंतरिम राहत में कैसे लिया, यह भी समझने की बात है?

श्री चन्दन मल बैद : मैं यह निवेदन कर रहा था कि स्माल सेविंग्स के पेटे पैसे मिलने वाले थे उनको उन्होंने हमें एडवांस दे दिया इस वास्ते अंतरिम सहायता कह रहा हूं और हमने अंतरिम इस वास्ते भी कहा है कि उन्होंने देने के बाद यह कहा कि आठ सप्ताह के अंदर वो कमेटी, जो सब कमेटी के अनुसार बनेगी, यह तय करेगी इस अंतरिम सहायता को आपकी मीडियम टर्म लोन में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसलिए हमने इसको स्वीकार किया।

आप जो पैसा काटने की बात कह रहे हैं उसकी हमको कोई सूचना नहीं मिली। मई आते ही, पहली मई को यह पैसा काट दिया गया। पहली जून को जब काटा गया तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, मैं और हमारे फाइनेंस सैक्रेटरी तीनों केन्द्रीय वित्त मंत्रीजी के पास गए और उनसे कहा कि कमेटी ही नहीं बनी तो आपने यह पैसा कैसे काटा। तो उन्होंने हमारे सामने प्लानिंग कमीशन को फोन करके कहा कि कमेटी बनाओ। तो उन्होंने प्लानिंग कमीशन की बात सुनकर हमसे यह कहा कि सात दिन के अंदर कमेटी बन जाएगी। यह बात 7 जून की है, लेकिन कमेटी 5 जुलाई को बनी, जिसकी आज तक कोई बैठक नही हुई।

श्री हरजीराम बुरड़क : इसका मतलब है वाकई यह पैसे चुनाव को ध्यान में रखकर ही काटे गए थे। इसका कोई आधार नहीं था, राजनैतिक लाभ लेने के लिए राज्य सरकार के सामने संकट खड़ा करने के लिए ये पैसे काटे गए, इससे यह स्पष्ट है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने 16-4-99 को जो करार, एम.ओ.यू. किया गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से, उसमें आपने टाइम बाउण्ड एक्शन प्रोग्राम फोर फिस्कल रिफार्स को आपने सिद्धान्तः मंजूर किया था, और इसी रिफार्म्स में, येह मैं साथ लेकर आया हूं, आपने यह कहा था कि 15-5-99 तक आप 370 करोड़ रुपये बिजली के दाम बढ़ाकर किसानों से वसूल करेंगे और 3391 का राजस्व घाटा है, इसको आप चार साल में पूरा करेंगे। यह लिखित डाकूमेंट है, मजाक की बात नहीं है। आपने यह भी कहा था कि 31-3-99 को जो पद रिक्त हुए हैं उन पदों को आप समाप्त करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें आपने यह भी कहा था कि 15-5-99 को आप दुगुना हुआ सिंचाई शुल्क वसूल करना प्रारम्भ कर देंगे। जो एम.ओ.यू. आप दस्तखत करके आये हैं, उस करार पर आप कायम नहीं रहे। आपको जो अंतरिम राहत दी गई थी, आज आप कह रहे हैं यह मिड टर्म लोन था, यह बिलकुल गलत कह रहे हैं। इस एम.ओ.यू. में कहीं भी मिड टर्म लोन की बात नहीं है। आप यह 1000...(व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : आप जवाब सुनते जाये, सारी बात पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जवाब देना, साहब। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : आज भाषण देने के मूड में नहीं हैं क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अभी वित्त मंत्रीजी ने जिस भाषा में, जिस तरह से इंगित करते हुए सारी बात सदन में रखी है, मेरा दायित्व है, कम से कम सदन को ऐसे मामलों में बताऊं जो राजस्थान के हितों के साथ जुड़े हुए मामले हैं, राजस्थान की अर्थ व्यवस्था का जर्जर करने का काम इन्होंने किया है। आज हमारे ऊपर दोषारोपण करते हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सदन के पटल पर वो एम.ओ.यू. रखना चाहता हूं जिसमें इन्होंने कहा, 15.5 तक यह 370 का भार राजस्थान के किसानों पर लाद देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : भाषण मत दीजिये। (व्यवधान) स्पेसिफिक प्रश्न पूछिये। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह सदन को गुमराह कर रहे हैं, कुछ तो करें सदन के अंदर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पढ़कर सुना दूं। अध्यक्ष महोदय, इसमें इन्होंने खुद ने माना है, "These releases and permissions will be allowed on the condition that the State would undertake time bound actions on their fiscal reform programme. While the interim package of assistance and reforms are discussed here, further discussion will take place to repackage the assistance and reform measures with a view of scheduling as per...." अब यह शिड्यूल्ड क्या करके आते हैं, सारा इसमें लिखा है कि इन्हें क्या-क्या करना था। अध्यक्ष महोदय, इसमें छठे नम्बर पर आपने लिखा है, "Zero base budget is exercised to control establishment and expenditure departments...."

श्री चन्दन मल बैद : एक-एक का जवाब पूछेंगे तो कैसे याद रखूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो मिड टर्म लोन नहीं था, अल्पकालीन लोन था, जिस एम.ओ.यू. की पालना नहीं की गई तब भारत सरकार ने इस पर कटौती की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री चन्दनमल बैद : आप सुनना चाहते हैं तो सुनिये, खाली शोर ही मचाना चाहें तो आपकी मर्जी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री देवीसिंह भाटी : पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सदन को धोखा मत दीजिये, राजस्थान की जनता को धोखा मत दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जवाब सुनना नहीं चाहते, यह सदन को गुमराह करना चाहते हैं। किसानों

(श्री रामस्वरूप)

के दुश्मनों आपने किसानों का पैसा काटा है, ऐसा किसान आपको क्या मानेगा, आप तो सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान) आप सदन में मंत्री जी की बात को सुनना नहीं चाहते।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : धोखा मत दीजिये, फिक्र रखिये तो एग्रीमेंट करके आये हैं केन्द्र सरकार से। पेंशनरों के साथ धोखा, विश्वासघात, कर्मचारियों के साथ धोखा (व्यवधान) अन एम्पलायड के साथ (व्यवधान) यह एग्रीमेंट करके आये हैं, राजस्थान सरकार को चाहिये कि (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात किया है पैसा इन्होंने कटवाया है (व्यवधान) दिलावर जी, आप बैठिये। किसानों के दुश्मनों, बैठो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, आप हर वक्त खड़े होते हैं, सदन का डेकोरम भी रखिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मंत्री जी कह रहे हैं शोर मचा रहे हैं, शोर मचाने वाली बात क्या है, इनको ढ़ंग से जवाब देना चाहिये, शोर मचाने वाली बात क्या है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये कृपलानी जी, वित्त मंत्रीजी जवाब देने को तैयार है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : वित्त मंत्रीजी कह रहे हैं शोर मचा रहे हो, यह तो सच्ची बात सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिये, आपने सब डिटेल बता दी है, आप प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री देवीसिंह भाटी : यह वित्त मंत्रीजी का कौनसा जवाब है कि आप शोर क्यों मचा रहे हो, जब फैक्ट्स सामने आ रहे हैं। वह सदन को गुमराह कर रहे हैं। फैक्ट्स सामने हैं और जवाब यह देते हैं कि आप शोर मचाते हो (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : मैं तैयार हूं, आप सुनिये तो सही, मैं जवाब देने को तैयार हूं, आप सुनें तो। एक-एक बात का जवाब दूंगा एम.ओ.यू. के बारे में। मैं जवाब दूंगा, आपने सुनें तो (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, यह सुनना नहीं चाहते। आपने किसानों के साथ गद्दारी की है। केन्द्र सरकार ने पैसा काटा राजस्थान सरकार का। किसानों के दुश्मन हैं। (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आपको गलतफहमी है। (व्यवधान) मैं हर चीज का जवाब दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : धोखा मत दीजिये, विश्वासघात मत करिये, अपने करार पर खड़े रहिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की सरकार हमारी होगी अब (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आपने घोषणा की थी एक दिन में 8-10 प्रश्न तो आयेंगे। प्रश्नकाल के अंदर इस तरह की डिबेट चलेगी? जो दूसरे प्रश्न लगेंगे, स्कूल खोलने के अंदर भेदभाव

(मोहम्मद माहिर आजाद)

हुआ है और विपक्षी विधायकों के क्षेत्र में एक भी स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया गया है.(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : एक मुख्य मंत्री के लिये इससे ज्यादा + + + की बात नहीं हो सकती (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सवाल लगता है, सवाल छपता है, कितनी एनर्जी और धनराशि आपकी खर्च होती है और जो सवाल आया है.(व्यवधान) प्रश्नकाल को मखौल बना रखा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने भी एक भी स्कूल नहीं खोला था। माननीय मंत्रीजी, आप भी कतई मत खोलना। आप हमें स्कूल दीजिये। इन्होंने 9 साल तक हमको एक भी स्कूल नहीं दिया। इन + + + (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रश्नकाल के अंदर कम से कम इस तरह की बहस नहीं होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भाई रामस्वरूप, आपकी तो + + + आपकी तो कुछ समझ में आता ही नहीं है (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने कुछ नहीं किया, आपको कोई स्कूल नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक भी स्कूल नहीं खोला। (व्यवधान)

डा. रामप्रताप : बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मोहम्मद माहिर आजाद जी का। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : विपक्ष के 40-47 एम.एल.एज. बैठे हैं, एक भी स्कूल नहीं खोला, 200 गांव जिस क्षेत्र के अंदर आते हैं, सारी चीज दी हुई है, राजनैतिक आधार पर जवाबदेही सरकार है, पारदर्शी सरकार है, संवेदनशील सरकार है, अध्यक्ष महोदय, जहां पर पढ़ाई की आवश्यकता है वहां पर स्कूल क्रमोन्नत करने चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सदन के माननीय सदस्यों को सहयोग करना पड़ेगा। रूल–31 में मैंने व्यवस्था दी थी, इसमें इस बात का उल्लेख है कम से कम 12 प्रश्न लिये जाये। लेकिन बात यह है कि माननीय सदस्य सहयोग नहीं करते है, आसन के लिये असम्भव है कि नियम की अनुपालना करा सकूं। सदन के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है.(व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : सौतेला व्यवहार होता है। (व्यवधान) दो सवाल आये हैं हमारा महत्वपूर्ण सवाल है किसी भी विपक्ष वाले के एक भी स्कूल नहीं खोला, हमारा सदन में आने का औचित्य क्या है? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : इन्होंने भी इसी तरह से हमारे नहीं खोले थे।

श्री जगत सिंह दायमा : सौतेला व्यवहार होता है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह परम्परा इन लोगों ने डाली है। (व्यवधान)

श्री रिछपाल मिर्धा : हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। (व्यवधान)

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने भेदभाव किया है, आरोप लगाया है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भेदभाव किया है, धोखा किया है जनता के साथ, इन्होंने विश्वासघात किया है, विपक्षी विधायकों के साथ धोखा किया है, यह नहीं चलेगा। विपक्षी विधायक आपको जवाब देंगे। आप जनता में बदनाम होंगे। लोक सभा में एक भी सीट नहीं मिलेगी, यह आपका रिजल्ट आयेगा। जनता के साथ आपने धोखा किया है। (व्यवधान) जनता के साथ विश्वासघात करने वालो, आप टिक नहीं पाओगे, जनता आपको जवाब देगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, एक भी स्कूल नहीं खोला विपक्षी विधायकों के। (व्यवधान) छह तारीख को + + + (व्यवधान) इसलिए आपने डर के मारे विधान सभा पहले बुला ली। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने डर के मारे विधान सभा पहले बुला ली। 6, 7, 8 तारीख को + + + (व्यवधान)।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो सवाल करना चाहता हूं। इन दो सवालों से वित्त मंत्रीजी के मन में जो है स्पष्ट हो जाएगा। क्या वित्त मंत्रीजी, आपने इस लोन को प्राप्त करने में...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उप नेता महोदय, अध्यक्ष महोदय ने मुझे...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 16.4 को कोई अनुबन्ध किया था? क्या आपकी कैबिनेट ने उस अनुबंध पर चार मई के दिन ठप्पा लगाया था? क्या राज्य सरकार ने 12 मई को इसकी पालना का आदेश निकाला था? जो काम आपको तारीखवाइज करने थे वे काम क्या सारे के सारे आपने किये और करने के आधार पर जिन शर्तों के आधार पर आपको यह जो एडवांस लोन दिया, क्या उन शर्तों की पालना आपने की थी? यदि शर्तों की पालना नहीं की...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आपकी बिना इजाजत के बोल रहे हैं। आपकी बिना इजाजत के बोल रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उप नेता बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते बीच में? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो निश्चित रूप से आप बतायें कि इन शर्तों की पालना...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप लम्बा मत कीजिये, आप क्वेश्चन पूछ लीजिये। आप स्पेसिफिक कवेश्चन पूछिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इजाजत तो आपने मुझे दी थी।

श्री अध्यक्ष : पर पहले वे खड़े थे।

डा. जसवंत सिंह यादव : वित्त मंत्रीजी, सही बताओ कि आपने सदन को गुमराह किया या नहीं किया और आप असत्य बोले या नहीं बोले?

श्री अध्यक्ष : इनके बाद आप

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री चन्दन मल बैद : फिर आप जवाब कैसे सुनेंगे। प्रगति है आपकी वह मुझे मालूम है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यह कह रहा हूं कि आपने 16.4 को समझौता किया और उसके आधार पर आपको ऋण दिया गया। 4 मई के दिन आपने अपनी कैबिनेट में उसको अप्रूव करा लिया था और 12 मई के दिन आपने आदेश जारी कर दिये थे सभी विभागों को कि यह-यह अनुबन्ध हम करके आये हैं, इस अनुबन्ध की आपको पालना करनी है। आपने क्या-क्या पालना कर ली है, यह बता दें?

श्री चन्दन मल बैद : सुनेंगे तो बताऊंगा न।

डा. जसवंत सिंह यादव : पालना तो यह कर दी कि बेरोजगार नौजवानों का भविष्य खतम कर दिया इन्होंने। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : अध्यक्ष महोदय, यह जो एम.ओ.यू. हमने साइन किया, समझौता पत्र, वह कांफिडेन्शियल है। मैं उसको यहां रेफर नहीं करता। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता ने इसको प्रेस में वितरण किया वह कापी मैंने ही मंगवाई थी। उसके अनुसार जो बात है वह यह लिखी हुई है—

"further discussion will take place to repackage the assistance and reform measures..."

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इस पर क्या हुआ, पहले वह बताइये।

श्री चन्दन मल बैद : बता रहा हूं। आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा। फर्दर डिस्कशन किस बात के होंगे? नेशनल डवलपमेंट कौन्सिल की मीटिंग ने जो सब कमेटी बनायी थी वह सब कमेटी जो कमेटी बनायेगी वह कमेटी 8 सप्ताह में फैसला करेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सवाल फैसले का नहीं है। तारीखवाइज आपका अनुबन्ध है। इसमें आपने जो लिखा उसका क्या किया यह बताओ न आप? (व्यवधान) जो आदेश आपने जारी किये, उन आदेश की पालना में आपने क्या किया? तब 8 सप्ताह पर आइये आप। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : आप नहीं सुनना चाहते तो मत सुनिये।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह किया था या नहीं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : (व्यवधान) यह किया था क्या कि 15-5-99 तक बिजली की दर बढ़ा देंगे आप? आपने करार किया या नहीं किया, 15-5-99 तक बिजली की दर बढ़ा देंगे आप और 31-3-99 को जितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं वे सारे पद समाप्त कर देंगे आप? 151-99 को मंहगाई भत्ता जो कर्मचारियों को देय है वह नहीं देंगे आप? यह आपके अनुबन्ध में है। आपने किया या नहीं किया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंह भाटी।

श्री सांवर लाल : माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता ने कहा उसका जवाब तो दे दीजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दुबारा याद करके बता दीजिये, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बड़ी उम्र है, हम आपको बुजुर्ग की तरह मानते हैं। आप अगर कुछ अनुबन्ध भूल गये हैं तो फिर से याद करके, स्मरण करके बता दीजिये, आपका मान लेंगे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, जवाब तो आ जाए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, सवाल का जवाब नहीं आयेगा तो स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। इन सवालों का जवाब आयेगा तो 8 सप्ताह भी इसमें आप निकलकर आ जाएगा। जो काम आपको 12 मई तक करना था, क्या आपने अपने 12 मई के आदेश की पालना करा दी? इसलिए 8 सप्ताह की बात उसके बाद में कही है। जो काम आपको पहले करना था और 12 मई के आपके जो आदेश थे उनकी पालना आपने की या नहीं की? (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : 12 मई का इंतजार किये बिना ही एक मई को पैसा कैसे काट लिया गया? 12 मई की बात कर रहे हैं लेकिन एक मई को पैसा क्यों काट लिया?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : श्रीमान्, यह एक आपका आदेश था कि हम पांच साल की...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : 36 करोड़ रुपये...(व्यवधान) राजस्थान के क्यों कटवा दिये हैं? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...680 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से हम वसूल करेंगे,यह आपने एग्रीमेंट किया। 371 करोड़ रुपये बिजली से हम प्राप्त करेंगे, तीन प्रतिशत हम राज्य कर्मचारियों के पद हर साल समाप्त करेंगे, आपने स्वयं यह एग्रीमेंट में लिखकर दिया है। (व्यवधान) सवाल यह है कि इसकी पालना क्या हुई? (व्यवधान) आपको जब पालना करनी थी...(व्यवधान) आपको किसने सौगन्ध दिलायी कि आप 9 तारीख के दिन यह एग्रीमेंट करके पधारना। (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : ... तो आपने 9800...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर यह 9 मार्च को पसंद नहीं था तो यह एग्रीमेंट करके आप 16.4 को क्यों पधारे? (व्यवधान)

श्री चन्दन मल बैद : ...अबॉलिश की है, यह मेरे पास आंकड़े पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने 16.4 को यह एग्रीमेंट क्यों किया? किसने सौगन्ध दिलवायी थी? (व्यवधान)

डा. जसवंत सिंह यादव : नौजवानों के भविष्य की हत्या की है वित्त मंत्री जी ने। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ...आपने राजस्थान के भविष्य को अंधकार में डालकर पैसे लेने के लालच में 16.4 को जो एग्रीमेंट किया न, उस एग्रीमेंट से राजस्थान का भट्टा बिठा दिया। इसका अगर कोई दोषी है तो...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : 23 हजार करोड़ रुपये का...(व्यवधान) 22 करोड़ रुपये

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सालाना ब्याज देना पड़ रहा है। (व्यवधान) भट्टा तो आप बिठा रहे हो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : और 12 तारीख को सारे विभागों को...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : दिवालिया राजस्थान सौंपकर गये थे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उसकी पालना क्या हुई? (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आपने दिवालिया राजस्थान सौंपा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : किन बातों के आधार पर आपने लोन लिया? किन शर्तों पर लिया? (व्यवधान) उसकी पालना करवायी या नहीं?

श्री रामस्वरूप : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान को दिवालिया बना करके...(व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आपने लोन नहीं चुकाया। (व्यवधान) 23 हजार करोड़ रुपये का दिवालिया राजस्थान सौंपकर गये। 22 हजार करोड़ का ब्याज भूल गये क्या? (व्यवधान) आप राजस्थान को डुबोकर गये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इन बातों का जवाब देना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : उसको संभालने में टाइम लगेगा। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब आपके पैसे कट रहे हैं तो + + + जो एग्रीमेंट आपने किया, पैसों की जरूरत नहीं थी तो एग्रीमेंट क्यों किया? किसने सौगन्ध दिलायी थी एग्रीमेंट करने की? (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : आपने समय पर कर्जा नहीं चुकाया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : वह एग्रीमेंट करने क्यों गये थे? किसने सौगन्ध दिलायी थी? राजस्थान की जनता को पूछा क्या? (व्यवधान)

श्री रतन लाल : आपने एग्रीमेंट के अनुसार कर्जा कभी नहीं चुकाया। दिवालिया राजस्थान सौंपकर गये थे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। यह जिम्मेदारी आपकी है। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : 23 हजार करोड़ रुपये का छोड़कर गये। (व्यवधान) दिवालिया राजस्थान छोड़कर गये। (व्यवधान) चार गुना कर्जा देकर गये। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : 23 हजार करोड़ का कर्जा छोड़कर गये थे। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : चार गुना कर्जा छोड़कर गये। (व्यवधान) दिवालिया राजस्थान करके गये। चार गुना कर्जा हमारे ऊपर छोड़कर गये। (व्यवधान) आप अब बात कर रहे हो। घोटाले कर दिये 400 करोड़ रुपये के। भूल गये क्या आप, अजमेर जिले में कितना अकाल में घोटाला कर लिया आपने? (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के हित को (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि 16.4 को जो केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार में समझौता हुआ है वह समझौता दोनों सरकारों को राजस्थान की जनता को लूटने का था। मंत्रीजी यह जवाब दें कि 16.4 का जो समझौता था केन्द्र सरकार की बी.जे.पी. की और राजस्थान की कांग्रेस सरकार का समझौता था, जो राजस्थान की जनता को लूटने का समझौता था।

श्री रामस्वरूप : वित्त मंत्रीजी को सुनो।

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंह भाटी।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जैसा कि आपको जानकारी है, यह अधिवेशन बुलाने को लेकर भी एक विवाद पैदा हुआ था कि जल्दी बुला लिया गया जबकि देश के अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। उस वक्त भी मैंने यह कहा था कि जल्दी बुला लिया गया जबकि देश के अन्य राज्यों में चुनाव चल रहे हैं। उस वक्त भी मैंने यह कहा था कि जो हालात इस प्रदेश में बने हैं आर्थिक रूप से संकट के रूप में, अकाल की स्थिति पूरे प्रदेश में पैदा होती जा रही है, पीने के पानी का बहुत बड़ा संकट पैदा हुआ, इन सब हालात को देखते हुए जब चुनाव चल रहे थे तब ही राजस्थान में आपसे सलाह करके अधिवेशन बुलाने की इच्छा प्रकट की और उसकी घोषणा की थी। उसके बाद हमारे विपक्ष के नेता, अभी सदन में मौजूद नहीं हैं, भी एक ज्ञापन गवर्नर साहब को दिया। उसमें भी ये मुद्दे उठाये गये। उसमें यह मुद्दे भी शामिल थे। बिजली की बात हो, पानी की बात हो, अकाल की बात हो या आर्थिक रूप से जो संकट है उसकी बात हो। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि यह कोई संवैधानिक जो प्रोविजन है उसको पूरा कराने के लिए अधिवेशन की तारीख नहीं रखी गयी बल्कि यह सोचकर रखी गयी कि जितना जल्दी हम बैठकर सदन को विश्वास में लेंगे, तमाम पालिटिकल पार्टी के लोग बैठकर बात करेंगे और लेखा जोखा करेंगे कि किसकी कहां गलती है। उसमें कोई दिक्कत नही है, मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के हित में होगा। क्योंकि यह कोई मामूली बात नहीं है। पर मैं यह कहते हुए क्षमा चाहूंगा कि क्वेश्चन अवर में मंत्री को बोलने की इजाजत नहीं दी जाए और हम इसलिए बोलते रहें खाली कि उससे टाइम पूरा हो जाए, 12 बज जाएं और यह क्वेश्चन ही खतम हो रहा है और हम रिकार्ड पर आ जाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप डिबेट करवा लें। (व्यवधान)

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो विषय चल रहा था, अगर उस पर जवाब दे देते तो बात समझ में आती। यह समय अधिवेशन की वैधता बताने का नहीं है। यह तो जीरो आवर में ही बताया जा सकता था कि यह अधिवेशन हमने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्यों बुलाया। यह तो मुख्य मंत्रीजी जीरो आवर में ही कह सकते थे, इस समय तो इस प्रश्न के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो- (व्यवधान) बात सुनिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री तो क्या, मुख्यमंत्रीजी भी पक्षपातपूर्ण बात करेंगे, यह दुःख की बात है। मुख्य मंत्रीजी को तो निष्पक्ष बात करनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : बीच में नहीं बोलें, नहीं हम आपको एक को भी नहीं बोलने देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : आप बिलकुल शांति से बैठ जाइये, शांति से बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : मुख्य मंत्री महोदय, हमारी स्कूलों का और बतायें आप, स्कूल भी खोलेंगे कि नहीं?

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बड़े अदब के साथ कहना चाहूंगा, मेरी कोई दुर्भावना किसी के प्रति नहीं है। इतना मैं कह सकता हूं कि यह राजस्थान के भविष्य का सवाल है। जिस प्रकार के एम.ओ.यू. साइन हुए, कोई दिक्कत नहीं, सुनिये आप, हो सकता है किसी को इस बात को लेकर एतराज हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि आज आर्थिक संकट को जब सरकार स्वीकार कर चुकी है, हम संकट के दौर से गुजर रहे हैं, उसमें किसकी कहां गलती रही, इसका पोस्टमार्टम हाउस में खुले रूप में होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए जिससे कि हम बैठकर तय कर सकें और राजस्थान की जनता को विश्वास में लिया जा सके कि हम किस मुकाम पर खड़े हैं। इसलिए क्या गलती हुई है, आपको सजा मिल चुकी है। आगे क्या करना है, उसमें आपका सहयोग चाहिए। उसमें आगे क्या कहना है, अब उसमें आपका सहयोग चाहेंगे, समर्थन चाहेंगे। हम चाहेंगे कि तमाम विपक्ष के जो हमारे भाई लोग हैं, चाहे कोई पोलिटिकल पार्टी के हों, सब मिलकर इसमें गम्भीरता से विचार करें, हमें आगे क्या कदम उठाने हैं, किस प्रकार से हम इसकी स्थिति को सुधार सकते हैं। आपने एम.ओ.यू. को पढ़ा, जैसाकि हमारे माननीय सदस्यों ने इसके कुछ पैराज़ पढ़कर सुनाये भी हैं, मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इसकी एक-एक लाइन पढेंगे तो इस एम.ओ.यू. के पीछे मंशा क्या थी नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की, प्राइम मिनिस्टर साहब से अध्यक्षता की, राजस्थान के ही मुख्य मंत्री नहीं, बल्कि कई मुख्य मंत्रियों ने अपनी राय प्रकट की, उसके आधार पर प्रधान मंत्रीजी ने यह आवश्वासन दिया कि हम खुद जानते हैं कि हर राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और हम चाहेंगे कि इसको कैसे दूर करें। इसके लिए उनसे हमने कुछ बातें कहीं। (व्यवधान) नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की बैठक में फैसला हुआ कि जल्दी ही इसमें फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में कमेटी बने। उसमें फार्चुनेटली, आप लोगों की दुआओं से राजस्थान के

(श्री अशोक गहलोत)

मुख्य मंत्री को भी मैम्बर बनाया गया। हमने बैठकर फैसला किया, उसके आधार पर ये एम.ओ.यू. साइन हुए। खाली राजस्थान ने ही नहीं किया बल्कि सब स्टेट्स ने किये। जैसा मैंने कहा भी था कि ये एम.ओ.यू. साइन हुए, हमारी केन्द्र की जो सरकार है, कल हमारी सरकार थी, परसों और किसी की थी, आप आपकी सरकार है, हमने भारत सरकार से किया जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की सरकार है। हमने कोई पाकिस्तान की सरकार से नहीं किया। यह मैंने पहले भी कहा है। इसलिए किसी को एतराज नहीं होना चाहिए (व्यवधान) हमारी सरकार है और केन्द्र सरकार जो है, उसकी जिम्मेदारी होती है। हम जानते हैं कि केन्द्र सरकार की खुद की फाइनेंशल स्थिति कोई अच्छी नहीं है। देश के अन्दर हर राज्य की स्थिति एक जैसी है। हम बहुत ही आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। केन्द्र में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वह राज्यों को संकट से कैसे निकालें? आप इस बात से सहमत होंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जब हमारी सरकार को बने हुए चार महीने ही नहीं हुए...

डा. जसवन्त सिंह यादव : माननीय मुख्य मंत्रीजी...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, इन्हें बन्द कराइये। इन्हें कोई प्रीमियम या बोनस नहीं मिला है। ये इस तरह से अलग परम्पराएं रहीं तो डेमोक्रेटिक कण्ट्री के लिए अच्छा नहीं होगा। इस तरह की अनहेल्दी ट्रेडिशंस नहीं होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये असंसदीय परम्पराएं हैं, आप इनको बैठाइये। इस तरह से हाउस को आर्डर में कर रखा है। ये बीच-बीच में बोल लेते हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैंने कहा कि आज केन्द्र में किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसकी जिम्मेदारी है, वह कैसे हर राज्य को आर्थिक संकट के दौर से निकाले। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह बात सामने रहती है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है किस प्रकार स्टेट्स को पैकेज दे। हमें आये हुए चार महीने ही हुए थे, मेरे ख्याल से हमारे वित्त मंत्रीजी ने, हमारे मंत्रिमण्डल ने और हमारी सरकार ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया होगा कि चार महीने में हमें नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की बैठक में यह कहना पड़े कि आज हमारी फाइनेंशल स्थिति है, वह क्राइसिस वाली स्थिति है और ओवर-ड्राफ्ट में होंगे राज्यों के अन्दर, हम 31 मार्च को उसको ओवर-लुक कर देंगे। यह बात उन्होंने हमसे कही। इस बात को देखकर कही है कि उनको सब जानकारी में है, हर राज्य की फाइनेंशल स्थिति कितनी क्राइसिस में है। तो चार महीनों में तो हमने ऐसा कोई खर्च नहीं कर दिया, कोई ऐसा फैसला नहीं कर लिया जिसके कारण से यह राज्य संकट में हो। इसके मायने यह हुआ कि 31 मार्च को हम ओवर-ड्राफ्ट में जा रहे थे। उसके पहले अगर देश के प्रधान

(श्री अशोक गहलोत)

मंत्रीजी यह कहें कि हम आपके ओवर-ड्राफ्ट को ओवर-लुक करेंगे, इसके मायने क्या हुआ? उसके बाद में पैकेज होगा। पैकेज को लेकर जो चर्चा चल रही है, मैं इस मौके पर नहीं कहना चाहूंगा लेकिन मैं तो, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह इतना गम्भीर सवाल है, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, अकाल की बात है, यह है, सब मामले हैं, यह प्रश्न जब आया है...

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्रीजी, इस प्रश्न पर जो है...

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, आप कृपा करके इस सवाल को लेकर आधा घंटे की चर्चा अगर रख सकें तो मैं समझता हूं यह ज्यादा बैटर रहेगा। इसमें हम खुलकर बात कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : हां तो ठीक है।

श्री अशोक गहलोत : यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न पर...

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, जब आप प्रश्नकाल को समाप्त ही कर सकते हैं आप प्रश्नकाल को थोड़ा बढ़ा दीजिये। ये बहुत इम्पार्टेन्ट सवाल है। यह सबके हित से जुड़ा हुआ है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आधा घंटे की चर्चा इस प्रश्न पर हुई है। आधा घंटे की चर्चा हुई है। आधा घंटे की चर्चा की तो...

मोहम्मद माहिर आजाद : इसमें सारे सदस्यों की भावना है, इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है। यह आधा घंटे की चर्चा करानी थी तो आधा घंटा तो इस प्रश्नकाल का इस पर ही समाप्त हो गया। हमारे क्षेत्र के अन्दर (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी राजस्थान के हर विधान सभा क्षेत्र को एक नजर से नहीं देख सकते और उम्मीद करते हैं केन्द्र सरकार से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

पूर्व सरपंच करणसर (चूरू) द्वारा की गई अनियमितताएं

17. **श्री भंवरलाल शर्मा** (सरदारशहर): क्या भ्रष्टाचार निरोधक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1996 में पंचायत समिति, सरदारशहर में भ्रष्टाचार से संबंधित कितने मुकदमें दर्ज हुए, जिनमें किस-किस के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम करणसर के पूर्व सरपंच द्वारा अपने पुत्र के नाम से फर्जी भुगतान उठा लिया गया, जबकि उसका पुत्र विदेश गया हुआ था? क्या

(श्री भंवरलाल शर्मा)

इस प्रकरण में चालान का आदेश दे दिया गया? यदि हां, तो अभी तक चालान पेश नहीं करने के क्या कारण हैं और अब तक तक चालान पेश करने की कार्यवाही कर दी जायेगी?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण में गबन की गई राशि जमा करवा दी गई? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कितनी राशि जमा करवाई गई? रसीद संख्या और तारीख का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1996 में पं.स. सरदार शहर में भ्रष्टाचार से संबंध में निरोधक ब्यूरो में मुकदमा सं. 230/96 दिनांक 2.1. धारा 13(1)(डी) (2) पीसी एक्ट सपठित धारा 12 468 भादस विरुद्ध सर्व श्री सुखराम पूर्व सरपंच, ग्राम. हनुमानहुड़ा तत्कालीन पटवारी, रिछपाल हुड़ा, ग्राम रगाईसर, सुरेश चन्द्र गौड, प्रगति प्रसार अधिकारी, प्रसार अधिकारी व कार्यवाहक विकास अधिकारी, पंचायत सरदार शहर, रामदेव पुत्र श्री सुखराम जाट, श्रीमति सुखराम, निवासी–करणसर, मोजूदा सरपंच ग्रा. पं.–सोनी, कनि. अभि. पं.स.—सरदारशहर व दौलत सिंह ग्रा. पं. रंगाईसर, पंचायत समिति–सरदार शहर के लिये गया है।

इस मुकदमे में सर्व श्री पूर्णाराम पुत्र श्री सुखराम पत्नी की सुखराम, सरपंच, श्री सुखराम पुत्र श्री पुरखाराम सोनी, क. अभि. व श्री दौलतसिंह, ग्राम सेवक एवं श्री कैशियर के विरुद्ध आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये वर्णित धाराओं के तहत संबंधित न्यायालय में चालान पेश करने का निर्णय लिया गया है।

दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग, जयपुर को प्रेषित किये गये हैं। अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने पर न्यायालय में चालान पेश किया जावेगा।

(2) जी हां।

जी हां। चालान पेशन करने का निर्णय विभाग स्तर पर ले लिया है। बिन्दू सं. 1 में वर्णित अपराध सं. 230/96 में प्रथम दृष्टया आरोप प्रमाणित पाये जाने पर दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति सक्षम विभागाध्यक्ष से प्राप्त न होने के कारण चालान न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने पर चालान संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) जी नहीं। उक्त राशि के गबन के आरोपितों के विरुद्ध संबंधित न्यायालय में चालान पेश करने का निर्णय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा लिया गया है। अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने पर चालान पेश किया जावेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

पेंशन प्राप्त मृत राज्यकर्मी के निराश्रित नेत्रहीन पुत्र को पेंशन लाभ

23. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(श्री हीरासिंह चौहान)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान, राज्य के पेंशन नियमों में पेंशन प्राप्तकर्ता की स्वयं की मृत्यु होने पर उसके परिवार को एवं उसकी विधवा पत्नी की मृत्यु होने पर, जन्म से नेत्रहीन निराश्रित संतान को पेंशन लेने का प्रावधान है? यदि हां, तो पेंशन अधिनियम या नियम की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान पुलिस विभाग को सी.आई.डी. जोन (वि. सं.) उदयपुर से सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल चतरसिंह नं. 584 ने दिनांक 1-3-71 से उसकी मृत्यु दिनांक 27-6-1976 तक पेंशन प्राप्त की और बाद में उसकी विधवा पत्नी श्रीमती छीती देवी जिसकी मृत्यु दिनांक 28-5-1981 को हुई ने पेंशन प्राप्त की है? क्या उसके बाद में उक्त जोन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयपुर ने पत्रांक संख्या 4510-11 दिनांक 8/9 अक्टूबर, 1998 के द्वारा पत्र लिखकर निदेशक पेंशन निदेशालय राजस्थान, जयपुर को निवेदन किया कि कांस्टेबल चतरसिंह के एक मात्र नेत्रहीन/निराश्रित पुत्र श्री हीरासिंह निवासी सीरमा, तहसील रायपुर, जिला पाली को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जावे?

(3) क्या उक्त नेत्रहीन/निराश्रित वयस्क पुत्र को पेंशन अधिनियमों के अन्तर्गत पेंशन देने का प्रावधान है? यदि हां, तो उक्त नेत्रहीन पुत्र को पेंशन कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) पेंशनर की मृत्यु होने पर उसकी विधवा/विधुर को पारिवारिक पेंशन देय है। किन्तु पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु पर वयस्क संतान को मात्र नेत्रहीनता/निराश्रयता के आधार पर पेंशन देने का प्रावधान नियमों में नहीं है।

(2) जी हां, श्रीमती छीति देवी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ने पारिवारिक पेंशन प्राप्त की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उदयपुर के संदर्भित पत्र के साथ नियमानुसार पेंशन प्रकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) प्रश्नगत प्रकरण में सम्बन्धित विभाग से प्रकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

राज्य कर्मचारियों की भवन निर्माण ऋण राशि में वृद्धि

24. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि जयपुर जिले में कर्मचारियों को दिये जाने वाले भवन निर्माण अग्रिम की राशि वर्ष 1999-2000 में मांग की अपेक्षा कम उपलब्ध करवाई गई है? क्या और बजट उपलब्ध करवाये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कितना कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां, राजस्थान अनुदानित भवन अग्रिम 1996 के अन्तर्गत वर्ष के प्रारम्भ में राशि मांग के अनुपात में कम होने के

(वित्त मंत्री)

कारण भवन निर्माण हेतु सभी जिलों को बजट कम आवंटित किया गया था। जयपुर जिले के सम्बन्ध में अब शेष रु. 50.00 लाख की मांग विचाराधीन है। भवन निर्माण हेतु ऋण देने के लिए हाउसिंग डवलपमेन्ट फाईनेन्स कारपोरेशन (एच.डी.एफ.सी.) से राशि प्राप्त हो चुकी है। अतः अब उसकी मांग के अनुसार बजट आबंटन की प्रक्रिया चालू है।

मैसर्स गुलशन एन्टरप्राइजेज (जयपुर) द्वारा कर चोरी

25. **श्री रतन लाल ताम्बी** (जहाजपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा दुकानों पर बिक्री से वसूली गई कर की जांच हेतु कर अधिकारी नियुक्त किये हुये हैं? यद हां, तो जयपुर शहर की टोंक रोड़ पर मार्च, 1998 से सितम्बर, 1999 तक उक्त कार्य हेतु किस-किस अधिकारी को कब-कब लगाया गया?

(2) क्या यह भी सही है कि टोंक रोड़ स्थिम फर्म गुंलशन एन्टरप्राइजेज, एफ.सी.आई. गोदाम के सामने, टोंक रोड़, जयपुर के विरुद्ध कर चोरी के सम्बन्ध में माह अप्रेल, मई, 1999 में कोई शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त फर्म द्वारा ग्राहकों को माल खरीदने पर पक्का बिल नहीं दिया जाता है, जिससे सरकार को प्रतिमाह हजारों रुपये की कर राशि का नुकसान हो रहा है? क्या सरकार ऐसे प्रकरण की जांच कर उक्त फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। टोंक रोड़ एफ.सी.आई. गोदाम के सामने का क्षेत्र, वृत्त-बी, घट चतुर्थ हिस्सा का जिसका गठन जून, 98 में हुआ। इसमें निम्नलिखित अधिकारी पदस्थापित रहे—

(1) श्री विनोद शर्मा, वर्तमान में वाणिज्य कर अधिकारी, जून–98 से अगस्त-98

(2) श्री रमेश शर्मा, सितम्बर, 98 से मार्च, 99

(3) श्री एन. एस. यादव, अप्रेल, 99 से लगातार

(2) जी नहीं। वाणिज्य कर विभाग को कोई शिकायत अप्रेल-मई, 99 से 16-9-99 तक प्राप्त नहीं हुई है।

(3) राजस्थान बिक्री पर अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार पूर्णरूप से कर चुके माल की बिक्री करने वाले व्यवहारियों का टर्न ओवर रुपये 15 लाख या इससे अधिक होने पर ही पंजीयन का दायित्व बनता है। दिनांक 18-9-99 को जांच करने पर यह पाया कि उक्त फर्म अपंजीकृत है तथा राज्य से पंजीकृत व्यापारियों से कर चुका माल खरीद कर

(वित्त मंत्री)

बिक्री करती है। इस फर्म की अनुमानित वार्षिक बिक्री 3-4 लाख रुपये मात्र है, ऐसी स्थिति में पंजीयन का दायित्व नहीं होने से व्यवहारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

सेवानिवृत्त उप सचिव स्तर के अधिकारियों की पेंशन वृद्धि

26. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सिविल सर्विसेज (रिवाइज्ड पे स्केल्स) रूल्स 1998 के अन्तर्गत शासन सचिवालय एवं सक्षम सचिवालयों में उप सचिव स्तर के अधिकारियों की वेतन श्रृंखला दिनांक 1 सितम्बर, 1996 से 11300–16200 एवं 1 सितम्बर, 1998 से 12000-16500 रखी गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि इससे जो उप सचिव 1 सितम्बर, 1998 से पूर्व सेवा निवृत्त हो गए उनको 1 सितम्बर, 1998 की वेतन श्रृंखला की न्यूनतम पेन्शन का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है?

(3) यदि हां, तो क्या सरकार इस विसंगति को दूर कर 1 सितम्बर, 1998 से पूर्व सेवानिवृत्त उप सचिवों को भी न्यूनतम पेन्शन रुपये 6000/– देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी, नहीं। न्यूनतम पेंशन सभी मामलों में रु. 1275/– है एवं इसका वेतनमान के न्यूनतम से कोई संबंध नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकार द्वारा मितव्ययता के लिए किये गये प्रयास

27. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार के गठन से लेकर अब तक मितव्ययता के लिए प्रयास किये हैं? यदि हां, तो क्या-क्या प्रयास किए और परिणाम क्या रहा?

(2) क्या उक्त प्रयासों से सरकार के खर्चे में कमी हुई है? यदि हां, तो 1 जनवरी, 1999 से लेकर अब तक प्रत्येक माह के खर्चे में कितनी-कितनी कमी हुई?

उत्तर

(1) जी हां, वर्तमान सरकार ने गठन के साथ ही मितव्ययता बरतने के निर्देश जारी किये हैं जिससे कि विरासत में मिली दयनीय आर्थिक स्थिति के चलते अपने दायित्वों का निर्वाहन कर सके। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 11 दिसम्बर, 1998 को एक परिपत्र जारी किया जिसमें मुख्यतः राजकीय विभागों व उपक्रमों में नये वाहन, फोटोकापियर्स, कम्प्यूटर्स व एयरकन्डीशनरों के क्रय, राजकीय भोज व विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया। इसी प्रकार कार्यक्षेत्र से बाहर राजकीय वाहनों के उपयोग पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया था।

(वित्त मंत्री)

(2) वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिये लगभग इन्हीं निर्देशों को आदेश दिनांक 10 जून, 1999 द्वारा पुनः स्थापित करते हुये सरकारी मोबाइल फोन के उपयोग पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमण्डल सचिवालय की आज्ञा संख्या प4(1)मंमं/99 दिनांक 27 मार्च, 1999 के द्वारा एक मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया। इस समिति से यह अपेक्षा की गई है कि वह 31 मार्च, 1999 को सेवा निवृत्त हुये कर्मचारियों/अधिकारियों के रिक्त पदों के विरुद्ध कितने पदों की आवश्यकता है, इस बिन्दु पर अपनी सिफारिश देगी और विभिन्न विभागों में कर्मचारियों व अधिकारियों की संख्या को युक्तिसंगत करने के सम्बन्ध में भी विभागों के प्रस्ताव पर विचार करेगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18-12-98 को प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता व सादगी बरतने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिये राजकीय व्यय की समीक्षा हेतु एक मितव्ययता समिति का गठन किया।

अतारांकित प्रश्न संख्या–28

(स्थगित)

जिला प्रशासन नागौर द्वारा जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों का उत्तर

29. श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा यह स्थिर आदेश जारी किया हुआ है कि किसी भी माननीय सदस्य/माननीय सांसद द्वारा किसी भी अधिकारी को किसी सूचना के बारे में पत्र लिखा जाता है तो उसका सही समय पर जनप्रतिनिधि को उत्तर दिया जायेगा? यदि हां, तो एक जनवरी, 1999 से 30 अगस्त, 1999 तक जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) व उप जिला कलक्टर नागौर व पुलिस अधीक्षक नागौर को किन-किन माननीय सदस्यों व माननीय सांसदों के पत्र प्राप्त हुए तथा किस-किस तारीख को उनका उत्तर दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां, राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 10(2)प्र. सु/अनु. 1/सम/96 दिनांक 21-1-1999 जारी कर सभी अधिकारियों को माननीय सांसदों/विधायकों के पत्रों के उत्तर समय पर देने एवं पत्रों की पावती से उन्हें अवगत कराने के निर्देश जारी किये हैं। जारी परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। दिनांक 1-1-1999 से 30-8-1999 की अवधि में कलक्टर, अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) व उप जिला कलक्टर, नागौर को माननीय विधायकों एवं सांसदों के कुल 37 पत्र प्राप्त हुये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट–2 पर संलग्न है। पुलिस अधीक्षक, नागौर को 1-1-1999 से 30-8-1999 की अवधि में माननीय विधायक/सांसदों के कुल 6 पत्र प्राप्त हुये हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या–30

(स्थगित)

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आशुलिपिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन

31. श्री हबीबुर्रहमान (मूंडवा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आशुलिपिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन किया गया है? यदि हां, तो नए पाठ्यक्रम एवं अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पाठ्यक्रम को अव्यावहारिक मानते हुए इस पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने हेतु विभिन्न छात्र संगठनों/कर्मचारी यूनियनों व जन-प्रतिनिधियों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई? संबंधित अभ्यावेदनों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पाठ्यक्रम में शामिल किये गये अनावश्यक विषयों को हटाने व आशुलिपिक परीक्षा में अनुवाद की समय सीमा को बढ़ाने एवं पाठ्यक्रम को व्यावहारिक बनाने हेतु एक कमेटी गठित कर उसमें छात्र संगठनों के प्रतिनिधि एवं विषय विशेषज्ञों को शामिल करने का सरकार विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, पूर्व नियमों यथा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय नियम, 1957 को निरसित कर नये नियम यथा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 अधिसूचना दिनांक 31-5-99 द्वारा प्रसारित किये गये हैं। नियमों की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। कतिपय संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनकी प्रति संलग्न है। प्राप्त अभ्यावेदनों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग से टिप्पण प्राप्त की गई है।

(3) जी नहीं। समिति गठित करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग के सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्न संख्या—32

(स्थगित)

घाटे में चल रहे स्टेट एन्टरप्राइजेज का अवसायन

33. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में स्टेट एन्टरप्राइजेज की स्थापना कब एवं किस उद्देश्य से की गई थी, वर्तमान में इसकी शाखाएं/उपशाखाएं कहां-कहां पर हैं तथा प्रत्येक का क्या-क्या कार्य है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एन्टरप्राइजेज में वर्तमान में कितने-कितने पद किस-किस श्रेणी के कहां-कहां स्वीकृत हैं तथा प्रत्येक पद पर कौन-कौन व्यक्ति कब-कब से कार्यरत है? नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री श्रीचन्द कृपलानी)

(3) उक्त विभाग की लाभ हानि की क्या स्थिति है? यदि हानि में चल रहा है तो क्यों? इसको चालू रखने के कारण सहित गत एक वर्ष के अन्तिम खाते एवं आडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त घाटे में चल रहे विभाग को बन्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर:

(1) राज्य में स्टेट एन्टरप्राईजेज विभाग की स्थापना फरवरी, 1964 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में प्राप्त कच्चे माल पर आधारित उद्योग लगाकर चलाना था। वाणिज्यिक गतिविधियों से राज्य सरकार को आमदनी के साथ-साथ समाज के विभिन्न तबकों को रोजगार मुहैया कराया जाना था। वर्तमान में इसकी शाखाएं डीडवाना में नमक उद्योग, सोडियम सल्फेट संयंत्र, सोडियम सल्फाइड फैक्ट्री क्रूड सोडियम सल्फेट इकाई, तथा आयोडाइजेशन प्लांट, बीकानेर में ऊनी मिल, जोधपुर में आइस फैक्ट्री लगी हुई है। राजकीय लवण स्रोत, डीडवाना के अलावा अन्य इकाईयां वर्तमान में बन्द पड़ी हैं।

(2) उपरोक्त राजकीय उपक्रमों में कार्यरत स्टाफ का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) हानि वाली इकाईयों को बन्द कर दिया गया है। परन्तु राजकीय लवण स्रोत डीडवाना सदैव से ही लाभ में रहा है। डीडवाना के पिछले 5 वर्षों की आडिट रिपोर्ट एवं लाभ-हानि के खातों की प्रतियाँ संलग्न हैं। (परिशिष्ट–"ब")

(4) हालांकि लवणस्रोत, डीडवाना एक लाभदायक इकाई है जिसमें अब तक वार्षिक औसत लाभ लगभग 60 लाख रुपये रहा है। वर्ष 1996 में हुई अतिवृष्टि के समय नमक झील में पानी भर जाने के कारण 2 वर्ष तक नमक उत्पादन नहीं किया जा सका। स्थानीय नमक उत्पादकों की लगातार मांग तथा उत्पादित नमक के निस्तारण आदि की समस्या के कारण डीडवाना नमक उद्योग का निजीकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है। हाल ही में तीन मंत्रियों की एक समिति गठित की गई है जिसकी रिपोर्ट पर मंत्री मण्डल द्वारा निर्णय के पश्चात् ही इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण एवं प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम राजास/बलाल (चूरू) हेतु शुद्ध पेयजल व्यवस्था

34. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि तहसील सरदारशहर के ग्राम राजास और बलाल की जल प्रदाय योजना विभाग द्वारा जोड़ दी गई है? यदि नहीं, तो उक्त ग्रामों में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामों में स्थानीय कुआ बन्द पड़ा है? यदि हां, तो कब से और इसको कब तक चालू करा दिया जायेगा?

(3) क्या उक्त ग्रामों में स्थानीय कुए का पानी पीने योग्य है? यदि नहीं, तो वहां पेयजल की क्या व्यवस्था की जा रही है? उक्त ग्रामों में पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा कितनी है?

उत्तर

(1) दोनों गांव क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना सरदारशहर आसपालसर के अन्तिम छोर के गांव हैं तथा योजना से जुड़े हुए हैं।

(2) ग्राम बलाल में स्थानीय कुआ चालू है व ग्राम राजास में स्थानीय कुआ सूखा होने के कारण बंद है।

(3) जी नहीं। गर्मियों में टैंकरों द्वारा पानी परिवहन कर उपलब्ध कराया जाता है। इन गांवों में सरदारशहर स्रोत लेकर क्षेत्रीय योजना से जल पहुंचाने हेतु संवर्धन योजना बनाना प्रस्तावित है। उक्त ग्रामों में उपलब्ध पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा निम्न प्रकार है : —

1. राजास — स्थानीय कुए में जल उपलब्ध नहीं है।

2. बलाल — 1.0 पी.पी.एम.

ग्राम अमरसर (सरदारशहर) के कुओं से पेयजल आपूर्ति

35. श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम अमरसर, तहसील सरदारशहर के दो कुओं में बोरिंग का कार्य कराया गया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों कुओं के बिजली कनेक्शन हेतु मांग पत्र की राशि ज़मा करा दी गई है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(3) वर्तमान में क्या उक्त दोनों कुए चालू हैं? यदि नहीं, तो अब उक्त दोनों कुओं को कब तक चालू करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त दो कुओं के बोरिंग का कार्य वर्ष 97-98 में करवाया गया।

(2) जी नहीं। विद्युतीकरण कार्य हेतु प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने के बाद अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

(3) जी नहीं। स्वीकृति मिलने तथा विद्युत सम्बन्ध होने के पश्चात् चालू करना सम्भव हो सकेगा।

ग्राम जसरूप सागर एवं जैसलमेर को पेयजल आपूर्ति

36. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर से ग्राम जसरूप सागर एवं जैसलमेर को पीने के पानी सप्लाई किए जाने की योजना बनाई गई थी? यदि हां, तो कब? योजना के नक्शों एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(2) उक्त योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब होने के क्या कारण रहे हैं?

(3) अब उक्त योजना से जसरूप सागर और जैसलमेर को कब तक पेयजल पहुंचा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। गजरूपसागर पेयजल योजना की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति वर्ष 87-88 में जारी की गई थी संशोधित स्वीकृति दिनांक 21-1-91 द्वारा जारी की गई थी। संवर्द्धन शहरी पेयजल योजना जैसलमेर की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 1995 में जारी की गई योजना का इंडेक्स प्लान एवं लागत का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) प्रारम्भ में नहर से अपर्याप्त पानी एवं ग्रामीण विद्युत फीडर से अपर्याप्त समय के लिये विद्युत आपूर्ति होने से पाइप लाइन टैस्टिंग कार्य में विलम्ब हुआ। संवर्द्धन योजना की तकनीकी स्वीकृतियां जारी करने के दौरान ही योजना का पुनर्मूल्यांकन कर योजना का डिजाइन वर्ष 2005 के बजाय 2015 तक करने हेतु पुनः संशोधित करने के पश्चात् प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां जारी करवाने की प्रक्रियां में समय लगा। वर्तमान में कार्य की प्रगति संतोषजनक है।

(3) फरवरी, 93 से आंशिक तौर पर जल वितरण शुरू कर दिया गया था। वर्तमान में 13 लाख लीटर्स औसतन पानी दिया जा रहा है। मार्च 2000 तक संवर्द्धन योजना पूर्ण होना प्रस्तावित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र डेगाना के ग्राम/ढाणियों की पेयजल व्यवस्था का क्रियान्वयन

37. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 में अब तक विभिन्न पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के किन-किन गांवों/ढाणियों को लाभान्वित करने हेतु नये ट्यूबवैल, जी.एल.आर., नई पाइप लाइनें स्वीकृत की गई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नई स्वीकृतियां जारी कर दिये जाने के बावजूद भी अब तक कई ग्रामों में कार्य शुरू नहीं किये जाने से पेयजल की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि नई पाइप लाइन की स्वीकृति वाले ग्रामों को पाइप की अनुपलब्धता के कारण अब तक जोड़ा नहीं जा सका है? यदि हां, तो उक्त ग्रामों को पाइप कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अन्तर्गत 12 ढाणियां लाभान्वित करने एवं 4 ग्रामों में पेयजल सुधार हेतु कुल 16 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। सूची परिशिष्ट (क) में संलग्न है।

(2) जी नहीं। स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत 12 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

जा चुके हैं। शेष 4 योजनाओं के कार्य प्रगति में है।

(3) जी नहीं। योजनाएं इसी वर्ष में अप्रेल से जून के मध्य स्वीकृत हुई है तथा कार्य प्रगति पर है। पाइपों की व्यवस्था कर इसी वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

पुलिस थाना जायल (नागौर) में दर्ज प्रकरण

38. **श्री रामचन्द्र सराधना** (जमवारामगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

पुलिस थाना, जायल, जिला नागौर में एक जनवरी, 1999 से 31 अगस्त, 1999 तक कुल कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट किन-किन व्यक्तियों द्वारा कब-कब, किस-किस के विरुद्ध दर्ज करवाई गई? उक्त में से किन-किन में चालान व किस-किस में अन्तिम रिपोर्ट दी गई? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

पुलिस थाना जायल, जिला नागौर में एक जनवरी, 1999 से 31 अगस्त, 1999 तक कुल 104 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें 28 प्रकरणों में एफ. आर. दी गई, 71 प्रकरणों में चालान किया गया एवं 5 प्रकरण अनुसंधानाधीन है। विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" मे अंकित हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला गंगानगर में आपराधिक प्रकरणों की रोकथाम

39. **श्री राधेश्याम गंगानगर** (गंगानगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1996-97 से 1998-99 तक जिला श्री गंगानगर में कितने कत्ल, महिला उत्पीडन, दहेज प्रकरण, बलात्कार, चोरी, डकैती के मामले दर्ज हुए हैं? थानेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मामलों में कितनों में चालान किया गया तथा कितनों में चोरी का माल बरामद किया गया है और कितने प्रकरण शेष हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस विभाग ने साईकिल गश्त शुरू की थी? यदि हां, तो क्या पुलिस साइकिलों पर गश्त करती है?

उत्तर

(1) 1 अप्रेल, 1996 से 31 मार्च, 1997, 1 अप्रेल, 97 से 31 मार्च, 98 एवं 1 अप्रेल, 98 से 31 मार्च, 99 तक जिला गंगानगर में हत्या, महिला उत्पीड़न, दहेज प्रकरण, बलात्कार, चोरी, डकैती के दर्ज अभियोगों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट (क) में संलग्न है।

(2) सूचना परिशिष्ट (क) में अंकित है।

(3) अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस गंगानगर द्वारा शहर के पुरानी आबादी क्षेत्र में साईकिल गश्त शुरू की गई थी जो अब भी की जा रही है।

(विवरण एवं सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

मण्डी विकास समिति हनुमानगढ़ हेतु अवाप्त भूमि पर अतिक्रमण

40. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1956 में हनुमानगढ़ जंक्शन के सेक्टर नम्बर 9 में बच्चनसिंह एवं भागसिंह की भूमि अवाप्त की गई थी? यदि हां, तो कितनी?

(2) क्या भूमि अवाप्ति के एवज में काश्तकारों को अन्यत्र भूमि दे दी है? यदि हां, तो किस जगह व कितनी-कितनी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जमीन मण्डी विकास समिति के लिए अवाप्त की गई थी? यदि हां, तो उक्त भूमि पर मण्डी विकास समिति ने कितने प्लाट बेचे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा कब्जा कर प्लांट बेच दिये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति ने कब्जे कर रखे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि भू-माफियाओं के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज हुई हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक की गई कार्यवाही एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1956 में हनुमानगढ़ जं. के सेक्टर नं. 9 एल में बचनसिंह, भागसिंह के पिता के नाम की 8 बीघा 19 बिस्वा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हुई थी। परन्तु बार-बार उच्च न्यायालय ने आदेशों से अवाप्ति की कार्यवाही खारिज की गई।

(2) बचनसिंह, भागसिंह के पिता प्रेमसिंह की 8 बीघा 19 बिस्वा भूमि के बदले दो बार नगदी में अवार्ड जारी किया गया परन्तु दोनों बार माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दर्ज हुई एवं अवार्ड आदेश निरस्त किया गया जिससे मुआवजा व तबादला नहीं दिया जा सका।

(3) हालांकि भूमि की मण्डी विकास समिति, हनुमानगढ़ जं. के लिये अवाप्ति की कार्यवाही की गई थी परन्तु यह कार्यवाही बार-बार माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा खारिज (Quash) की गई एवं अवाप्ति की कार्यवाही आज तक पूर्ण नहीं हुई है। राजस्व रेकार्ड में भूमि मण्डी विभाग के नाम दर्ज होने से उक्त भूमि में से 18 भूखण्ड बेचे गये जिनकी सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(4) हां, यह सही है कि प्रेमसिंह की विवादित 8 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर बचनसिंह, भागसिंह आदि द्वारा प्लाट बेचान किये गये हैं जिनकी संख्या 48 है। सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(5) उपरोक्त भूमि 8 बीघा 19 बिस्वा के संबंध में मण्डी विकास समिति द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट—4 देखें)

मन्दिर श्री सीतारामजी ग्राम कानरपुरा की वार्षिक वृत्ति का भुगतान

41. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(श्री रमेश खींची)

(1) क्या यह सही है कि मन्दिर श्री सीतारामजी ग्राम कानरपुरा की वार्षिक वृत्ति के भुगतान का मामला तहसील चौमूं, जिला जयपुर में लम्बे समय से विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

(2) क्या सरकार अब उक्त वार्षिक वृत्ति का शीघ्र भुगतान कराने हेतु उक्त तहसील को अतिरिक्त धन राशि का आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि मंदिर श्री सीतारामजी ग्राम कानरपुरा तहसील चौमूं जिला जयपुर की वार्षिक वृत्ति के भुगतान का मामला तहसील चौमूं में दिनांक 1-1-89 से विचाराधीन चला आ रहा है।

(2) जी हां। पुजारी के द्वारा मंदिर की संपत्ति को खुर्द-बुर्द न करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

ग्राम खींवास (जमुवारामगढ़) की गैरमुमकिन तलाई भूमि पर अतिक्रमण

42. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम खींवास, तहसील जमुवारामगढ़ (जयपुर) की गैर मुमकिन तलाई भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में कोई प्रकरण नायब तहसीलदार, जमुवारामगढ़ (जयपुर) के समक्ष पुनः सुनवाई के लिये विचाराधीन है? यदि हां, तो कब से और क्यों?

(2) क्या उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में दिनांक 26-7-95 को न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम), जयपुर द्वारा कोई निर्णय किया गया है? यदि हां, तो दिनांक 26-7-95 के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार को उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में गत एक वर्ष मे कोई जन प्रतिवेदन प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो किन-किन के द्वारा और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि नायब तहसीलदार द्वारा सुनवाई में अनावश्यक विलम्ब किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो अब तक पुनः सुनवाई हेतु कब-कब तिथि निर्धारित की गई तथा विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं?

(5) अब उक्त प्रकरण के शीघ्र निपटारे हेतु नायब तहसीलदार कब तक अग्रिम कार्यवाही करने का विचार रखता है?

(6) क्या सरकार उक्त अतिक्रमण की बेदखली के आदेश शीघ्र जारी हो इस सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(7) अब उक्त अतिक्रमण कब तक हटवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम खींवास तह. जमवारामगढ़ (जयपुर) की गै. मु. तलाई की भूमि ख. नं. 71 के कुल रकबा 3 बीघा 07 बिस्वा में से 05 बिस्वा

(राजस्व मंत्री)

पर अतिक्रमण करने के संबंध में एक प्रकरण न्यायालय नायब तहसीलदार जमवारामगढ़ के समक्ष दिनांक 16-8-95 से पुनः सुनवाई कर निर्णय हेतु विचाराधीन है।

(2) जी हां। उक्त अतिक्रमण के संबंध में दिनांक 26-7-95 को न्यायालय अति. कलक्टर (प्रथम) जयपुर द्वारा निर्णय पारित किया गया है। निर्णय की छाया प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। उक्त प्रकरण के संबंध में गत वर्ष के एक प्रार्थना पत्र ग्राम खींवास के प्रार्थियान द्वारा माननीय सरकारी उप मुख्य सचेतक राजस्थान विधान सभा द्वारा प्रकरण की जांच कर अतिक्रमण हटाने हेतु तहसीलदार जमवारामगढ़ को भिजवाया है। उक्त पत्र के संबंध में पूर्व से ही कार्यवाही न्यायालय नायब तहसीलदार जमवारामगढ़ में विचाराधीन होकर वर्तमान में निर्णय हेतु विचाराधीन है। आगामी तिथि 11-10-99 नियत है।

(4) जी नहीं। इस प्रकरण में पुनः सुनवाई दिनांक 16-8-95 से चालू की जाने के दौरान दिनांक 12-8-96 को उक्त प्रकरण में न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) जयपुर जिला जयपुर द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त होने पर न्यायालय नायब तहसीलदार जमवारामगढ़ की पत्रावली पर उक्त न्यायालय के निर्णय तक कार्यवाही स्थगित रखी गई। इसके पश्चात दिनांक 27-2-99 को सिविल कोर्ट का स्थगन समाप्त होने पर नायब तहसीलदार जमवारामगढ़ ने न्यायालय की पत्रावली में पुनः सुनवाई की कार्यवाही की गई है। अब वर्तमान में न्यायालय नायब तहसीलदार, जमवारामगढ़ में प्रत्रावली में दिनांक 11-10-99 निर्णय हेतु नियत है।

(5) प्रश्न के भाग (4) के उत्तर अनुसार।

(6) न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करने पर शीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(7) उपरोक्तानुसार।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

ग्राम छबर का बास (तहसील आमेर) का खातेदारी परिवर्तन प्रकरण

43. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत ग्राम छबर का बास पंचायत नांगल पुरोहित, तहसील आमेर, जिला जयपुर में कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई है? यदि हां, तो संवत् 2010 से 2023 तक खसरा नं. 34, 35, 36, 58, 76, 112 के खातेदार कौन थे व संवत् 2055 में उक्त खसरा नम्बर की भूमि किन के खाते में दर्ज हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खसरों के खातेदारों में परिवर्तन किस नियम के तहत किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां ग्राम छबर का बास पंचायत नांगल पुरोहित तहसील आमेर

(राजस्व मंत्री)

जिला जयपुर में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत कोई भूमि अवाप्त नहीं की गई। संवत् 2010 से 2023 तक ख. नं. 34, 35, 36, 58, 76, 112 के खातेदार एवं संवत् 2055 में उक्त ख. नं. की भूमि के खातेदारों का विवरण संलग्न सूची (परिशिष्ट–क) में अंकित है।

(2) उक्त खसरों के खातेदारों में परिवर्तन बिचोती एवं विरासत के आधार पर किया गया है। जिनका विवरण "परिशिष्ट–क" में संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–6 देखें)

ग्राम धिनोई (जयपुर) में आवंटित भूमि का कब्जा

44. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम धिनोई तहसील चौमूं जिला जयपुर में जमाबन्दी सम्वत् 2037 से 2040 में पुराना खसरा नं. 378/1 जिसका नया खसरा नम्बर 775/1950 खारडा बारानी (बारानी तृतीय) भूमि अनुसूचित जाति के परिवार को आवंटित की गई थी? यदि हां, तो कब और किसे? जमाबंदी की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि का नामान्तरण संख्या 259 भी खोला गया था? क्या उक्त भूमि का नया पर्चा वर्ष 1991 में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा मिसल नम्बर 155/91 के आदेशानुसार तैयार कर जारी किया गया था? यदि हां, तो उक्त मिसल तथा नामान्तरण एवं पर्चा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अनुसूचित जाति की विधवा जो ग्राम कानरपुरा में निवास कर रही है को काफी कार्यवाही करने के बाद भी उक्त भूमि की पत्थर गढ़ी करके अभी तक कब्जा नहीं सम्भलाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार अब उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी कराकर उक्त अनुसूचित जाति की विधवा को उक्त भूमि का कब्जा सम्भलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि ग्राम धिनोई तहसील चौमूं जिला जयपुर में जमाबन्दी संवत् 2037 से 2040 में पुराना ख. नं. 378/1 जिसका नया नं. 775/1950 बारानी तृतीय हीरालाल पुत्र पूरा जाति रैगर सा. कानरपुरा को दिनांक 19-8-78 को आवंटित की गई थी। जमाबन्दी संवत् 2037 से 2040 तथा जमाबन्दी आधार वर्ष 2053 की जमाबन्दी की छायाप्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। यह भी सही है कि उक्त भूमि का नामान्तरकरण संख्या 259 खोला गया था। उक्त नामान्तरकरण की छायाप्रति एवं भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त भूमि का नया पर्चा मिसल नम्बर 155/91 के आदेशानुसार ही तैयार किया गया है। जिसकी भी छाया प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(राजस्व मंत्री)

(3) यह कि गैर खातेदार की विधवा द्वारा सीमांकन व पत्थरगढ़ी कराने के संबंध में कोई आवेदन नहीं किया गया है। नियमानुसार ना. सं. 259 को दिनांक 23-10-79 को तस्दीक हुआ जो कब्जा सम्भालने पर ही हुआ है। उक्त ग्राम कानरपुरा में पूर्व में निवास नहीं कर रही है बल्कि दो-तीन माह से ही निवास करने लगी है।

(4) उक्त विधवा आवेदक द्वारा यदि नियमानुसार पत्थरगढ़ी कराने का आवेदन किया जाता है तो शीघ्र ही वांछित कार्यवाही कराई जा सकती है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम हरध्यानपुरा (जयपुर) के मन्दिर का म्हातमी प्रकरण

45. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मंदिर ठाकुर जी श्री रघुनाथ जी ग्राम हरध्यानपुरा (बगरू) तहसील सांगानेर जिला जयपुर की मंदिर माफी की भूमि पर कतिपय व्यक्तियों ने कब्जा कर लिया है? क्या उनकी बेदखली के लिए अब तक कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों और उन्हें अब कब तक बेदखल कर दिया जायेगा? मंदिर के नाम दर्ज भूमि का रकबा एवं खसरा नम्बरों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त मंदिर के व्यवस्थापक (पुजारी) का नाम, जिसके नाम म्हातमी हुई है, के स्थान पर अन्य का नाम दर्ज कर दिया गया है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? वर्तमान में इस मन्दिर के व्यवस्थापक के रूप में किसका नाम दर्ज है? क्या इस नाम को दुरुस्त कर, जिसके नाम म्हातमी हुई उसका नाम दर्ज करने की कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

उत्तर

(1) ग्राम हरध्यानपुरा, तहसील सांगानेर में माफी मंदिर ठाकुरजी श्री रघुनाथजी के नाम पर कोई भूमि दर्ज नहीं है। इसलिए बेदखली की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(2) ग्राम हरध्यानपुरा की माफी में उक्त मंदिर का नाम ही दर्ज नहीं है। इसलिए व्यवस्थापक का नाम होने का प्रश्न नहीं होता, तथा न ही व्यवस्थापक का नाम दर्ज करने की कोई कार्यवाही ही विचाराधीन है।

राज्य के लघु व सीमान्त कृषक

46. श्री अमराराम (धोद) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कृषि जोत का क्षेत्रफल कितना है?

(2) लघु एवं सीमान्त काश्तकारों की संख्या और उनकी जमीन का क्षेत्रफल कितना है?

उत्तर

(1) कृषि गणना 1995-96 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कुल कृषि जोत (कृषि योग्य) का क्षेत्रफल 212.50 लाख हेक्टेयर है।

(2) कृषि गणना 1995-96 के आंकड़ों के अनुसार लघु काश्तकारों की संख्या 10.85 लाख एवं जोत का क्षेत्रफल 15.66 लाख हैक्टेयर है। इसी प्रकार सीमान्त काश्तकारों की संख्या 16.11 लाख व जोत का क्षेत्रफल 7.80 लाख हैक्टेयर है।

पिंजरापोल गौशाला सांगानेर (जयपुर) की अचल सम्पत्ति

47. श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या पिंजरापोल गौशाला, सांगानेर, जयपुर पंजीकृत प्रन्यास है? यदि हां, तो पंजीयन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रन्यास की कितनी अचल सम्पत्ति है? विवरण सहित नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रन्यास की दौसा स्थित भूमि के विक्रय की स्वीकृति हेतु लिखे गए पत्र दिनांक 21-1-1985 की प्रति सदन की मेज़ पर रखें।

(4) उक्त पत्र पर कमेटी ने भूमि विक्रय की क्या राय दी है? राय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त भूमि के विक्रय हेतु सहायक आयुक्त/उपायुक्त/आयुक्त ने क्या आदेश दिये? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त भूमि के विक्रय की कार्यवाही को स्थगित करने के सम्बन्ध में लिखे गए पत्र दिनांक 25-3-89 की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पंजीयन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट–1)

(2) अचल संपत्ति का विवरण व नक्शा भूमि सदन की मेज पर रख दिये गये हैं। (परिशिष्ट–2)

(3) पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–3)

(4) कमेटी ने भूमि विक्रय नहीं किये जाने का निर्णय लिया था। (परिशिष्ट—4)

(5) सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग जयपुर द्वारा भूमि के विक्रय नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया था। पृथक् से कोई आदेश जारी नहीं किये गये।

(6) प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट—5)

(प्रतियां, विवरण एवं नक्शा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर की उचित मूल्य की दुकानों को आवंटित सामग्री

48. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में गेहूं, लेवी चीनी व कैरोसिन का कितना कोटा वर्ष 1997 से अगस्त, 1999 तक

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

आवंटित किया गया और उसमें किस-किस उचित मूल्य की दुकान को कितना-कितना वितरित किया गया है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य के अन्य जिलों में कितना कितना कोटा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार तय कर रखा है और श्रीगंगानगर में कितना कोटा निर्धारित कर रखा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला श्रीगंगानगर में प्रति ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में प्रति यूनिट वितरण मात्रा की दर व आधार क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र श्रीगंगानगर में गेहूं, लेवी चीनी व केरोसीन का जितना कोटा वर्ष 1997 से अगस्त, 1999 तक आवंटित किया गया उसमें से 139 उचित मूल्य की दुकानों द्वारा निम्नानुसार वितरित किया गया है :—

नाम वस्तु	आवंटित मात्रा	वितरण मात्रा
1. गेहूं		
ए.पी.एल.	95552 क्वि.	88795.61 क्वि.
बी.पी.एल.	8189 क्वि.	7385.30 क्वि.
2. लेवी चीनी	51520 क्वि.	42248 क्वि.
3. केरोसीन	16767 के.एल.	16767 के.एल.

(2) राज्य सरकार द्वारा गेहूं, चीनी व केरोसीन का जिलेवार निर्धारित कोटे का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(3) श्रीगंगानगर जिले में ए.पी.एल. गेहूं का वितरण सामान्य व चयनित क्षेत्रों में क्रमशः अधिकतम 10 व 15 किग्रा. प्रति यूनिट तक 7.40 रुपये, बी.पी.एल. परिवारों को 10 किग्रा. प्रति परिवार प्रति माह 3.00 रुपये की दर से वितरित कराया जाता है। लेवी चीनी का वितरण 425 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह 12.00 रुपये प्रति किग्रा. की दर से 1991 की जनसंख्या के आधार पर वितरित कराया जाता है किन्तु राज्य सरकार सभी जिला कलक्टर्स को यह निर्देश जारी किये हैं कि उक्त मात्रा में से कमी-बेशी करते हुए सभी उपभोक्ताओं को वितरण करावे। इसी प्रकार श्रीगंगानगर में भी वितरण हो रहा है। श्रीगंगानगर जिले में केरोसीन तेल 5 लीटर प्रति राशनकार्ड प्रति पखवाड़ा किन्तु 10 लीटर प्रतिमाह से अधिक नहीं व 2.98 से 3.13 रुपये प्रति लीटर वितरण कराया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि प्रकरण

49. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सरकार ने राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि की है? यदि हां, तो कब से और कितनी? इस संबंध में जारी अधिसूचना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? क्या इस संबंध में कोई कानून/नियम बने

(श्री हरजीराम बुरड़क)

हुए हैं ? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान सरकार से न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि नहीं की है।

(2) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा-5 के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अभिवृद्धि प्रस्ताव राजकीय राजपत्र में प्रकाशित कर उस पर आपत्तियां एवं सुझाव प्राप्त करके तथा न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मण्डल की राय प्राप्त कर प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस संबंध में न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 3 व 5 में प्रावधान दिए हुए हैं। प्रति संलग्न है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–7 देखें)

प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय डाबरा (करौली) दण्ड प्रकरण

50. श्री जर्नादन गहलोत (करौली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डाबरा, जिला करौली को फौजदारी वाद संख्या 5/68 में 100/– रुपये हर्जा तथा प्रताड़ना के दण्ड से अपर मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, करौली द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 1993 को दण्डित किया गया ? यदि हां, तो किस प्रधानाध्यापक को ?

(2) क्या यह सही है कि दण्डित अधिकारी/कर्मचारी को दिये गये उक्त दण्ड का उसकी सेवा पुस्तिका में उल्लेख किये जाने का नियमों में प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या विभाग द्वारा उक्त प्रधानाध्यापक की सेवा पुस्तिका में कोई उल्लेख किया गया है ? यदि हां, तो क्या तथा कब और नहीं तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री शिवलाल मीना, तत्कालीन प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डाबरा जिला करौली के विरुद्ध फौजदारी वाद संख्या–5/88 में माननीय न्यायालय द्वारा आई.पी.सी. 323 का जुर्म साबित होने पर परीवीक्षा अधिनियम की धारा 3 का फायदा देते हुवे प्रताड़ना देकर तथा अभियोजना व्यय की राशि 100/– रुपये जमा करवाने का निर्णय दिया गया। संबंधित द्वारा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश करौली में अपील दायर की गई, मा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, करौली ने अपने आदेश दिनांक 5-1-95 के द्वारा अपर मु. एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग करौली के निर्णय को निरस्त कर दिया।

(2) सेवा पुस्तिका में दण्ड आज्ञा का इन्द्राज नहीं किया गया, क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा विभाग को अपने निर्णय की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई तथा न ही संबंधित ने विभाग को जानकारी उपलब्ध करवाई तथा मा. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय ने दण्ड आज्ञा को निरस्त कर दिया गया। अतः सेवा-पुस्तिका में इन्द्राज किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

उपप्रधानाचार्य/प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर पदोन्नति

51. श्री बाबूलाल नागर (दूद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शिक्षा विभाग में 01 अप्रेल, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक प्रतिमाह किस-किस माह में कौन-कौन व्यक्ति उप प्रधानाचार्य व प्रधानाचार्य के पदों से सेवानिवृत्त हुए? सूची माहवार मय नाम के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए उप प्रधानाचार्य व प्रधानाचार्य के पदों पर किस-किस माह में किस-किस को पदोन्नति प्रदान की गई? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इस एक वर्ष की अवधि में माह अप्रेल, 1997 से माह अक्टूबर, 1997 तक रिक्त हुए पदों पर कोई पदोन्नति नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग में 01 अप्रेल, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक प्रतिमाह सेवा-निवृत्त हुए उप-प्रधानाचार्य व प्रधानाचार्यों का विवरण माहवार व नामवार परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) उक्त अवधि में सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति प्रधानाचार्य एवं उप प्रधानाचार्य का पदस्थापन किया गया है, का विवरण परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी. नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

व्याख्याता स्कूल शिक्षा की पदोन्नति

52. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि व्याख्याता स्कूल शिक्षा को 9, 18, 27 वर्ष की सेवा अवधि पर चयनित वेतन वृद्धियां नहीं दिये जाने के कारण व्याख्याताओं का वेतन शिक्षक ग्रेड-द्वितीय से भी कम हो गया है? यदि हां, तो ऐसे कितने मामले राज्य सरकार के ध्यान में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वेतन विसंगति के सम्बन्ध में यतीन्द्र सिंह समिति के समक्ष भी ज्ञापन प्रस्तुत किये गये हैं? यदि हां, तो शिक्षा विभाग के स्तर पर ऐसे मामलों में क्या निर्णय लिया गया है।

(3) राज्य में व्याख्याता स्कूल शिक्षा की अग्रेत्तर पदोन्नति साधारणतया कितने वर्ष की सेवा पर हो जाती है?

(4) क्या सरकार व्याख्याता स्कूल शिक्षा को पर्याप्त पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो, इस संबन्ध में विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) को 9, 18, 27 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतनमान देय नहीं था। वर्तमान में व्याख्याताओं को

(शिक्षा मंत्री)

केन्द्र के समान 10 व 18 वर्ष की सेवा पर चयनित वेतन का लाभ दिया जाता है। कम सेवा अवधि वाले व्याख्याताओं (स्कूल शिक्षा) का शिक्षक ग्रेड-द्वितीय जिनका सेवाकाल अधिक है से वेतन कम हो सकता है।

(2) वेतनमान विसंगति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित यतीन्द्र सिंह कमेटी में शिक्षक संघों के द्वारा सीधे ही ज्ञापन प्रस्तुत किये गये हैं। इस समिति ने रिपोर्ट अभी राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

(3) व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) की अग्रेत्तर पदोन्नति वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर होती है।

(4) विभाग द्वारा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) की पदोन्नति हेतु वर्ष 98-99 तक की डी.पी.सी. की जा चुकी है। आगामी वर्षों की डी.पी.सी. की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विधान सभा क्षेत्र धोद के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

53. श्री अमराराम (धोद) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद के विद्यालयों में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों के पद कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धोद में संचालित विद्यालयों में 01 प्रधानाचार्य, 07 प्रधानाध्यापकों, 07 व्याख्याताओं 09 वरिष्ठ-अध्यापकों तथा 04 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट–"क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक तथा व्याख्याताओं के रिक्त पद विभागीय चयन समिति तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही भरा जाना संभव हो सकेगा। द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को नई नियुक्तियों एवं विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से आशार्थी उपलब्ध होते ही इन पदों को यथाशीघ्र भर दिया जावेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें)

सौनार किले (जैसलमेर) की मरम्मत

54. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या पुरातत्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर में अगस्त, 1999 में हुई व्यापक वर्षा के कारण सौनार किले की प्राचीन बुर्ज और परकोटे की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है?

(2) पुरातत्व विभाग एवं जैसलमेर किले के प्रशासन ने दुर्ग की मरम्मत के

(राज्य मंत्री, पुरातत्व)

लिये अब तक क्या व्यवस्था की अथवा की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जैसलमेर दुर्ग भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भारत सरकार के अधीन है। इसके रख-रखाव व मरम्मत की सम्पूर्ण जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की है। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग वृत्त जयपुर ने दुर्ग के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु अलग-अलग तखमीने क्रमशः रुपये 35.13 लाख, रुपये 13.92 लाख एवं रुपये 4.35 लाख तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवा दिये हैं। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राशि स्वीकृत होने के उपरान्त मरम्मत कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।

इंदिरा गांधी नहर के पानी का पूर्ण उपयोग

55. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इंदिरा गांधी नहर की कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? वर्ष 1995-96 से 1998-99 में कितने-कितने क्षेत्र में नहर के पानी से सिंचाई हुई है? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत पानी का उपयोग हुआ और कितना प्रतिशत पानी बेकार हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पानी बेकार होने के मुख्य कारण क्या हैं तथा बेकार हुए पानी से कितने क्षेत्र में सिंचाई सम्भव थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता 15.17 लाख हैक्टेयर प्रस्तावित है। जिसके विरुद्ध मार्च, 1999 तक 10.96 लाख हैक्टयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता अर्जित की जा चुकी है। परियोजना में वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक हुई सिंचाई के आंकड़े वर्षवार हैक्टेयर में निम्नांकित हैं :—

वर्ष	खरीफ	रबी	कुल
1995-96	3,45,219	4,56,318	8,01,537
1996-97	3,70,823	4,70,603	8,41,426
1997-98	3,80,611	4,96,100	8,76,711
1998-99	3,94,497	5,26,412	9,20,909

(2) उपरोक्त वर्षों में इंदिरा गांधी नहर में छोड़े गये पानी का शत-प्रतिशत उपयोग सिंचाई हेतु कर लिया गया था। नहर में छोड़े गये पानी को नहर संचालन एवं नहर की सुरक्षा की दृष्टि से कभी-कभी एस्केप द्वारा नहर के निकट डिप्रेशंस में छोड़ना आवश्यक हो जाता है। अधिकांश डिप्रेशंस को उनके पास से निकलने वाली नहरों से जोड़ा जा चुका है, जिसके फलस्वरूप डिप्रेशंस में खड़े पानी को नहर द्वारा सिंचाई हेतु उपयोग में ले लिया जा रहा है। इस तरह से डिप्रेशंस में कुछ समय के लिए छोड़ गये पानी का उपयोग भी कर

(सिंचाई मंत्री)

लिया जाता है। नहरों की संचालन व्यवस्था में पानी को किसी भी तरह से बेकार नहीं होने दिया जाता है।

(3) उपरोक्तानुसार सूचना शून्य समझी जावे।

राज्य में पशु चिकित्सालयों की दवा व्यवस्था

56. श्री अमराराम (धोद) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में एक पशु चिकित्सालय के लिए दवाइयों का वार्षिक बजट कितना होता है?

(2) उक्त चिकित्सालयों में दवाइयों की खरीद की क्या प्रक्रिया है और औषधालयों तक दवा पहुंचाने का क्या तरीका अपनाया जाता है?

उत्तर

(1) राज्य में एक पशु चिकित्सालय के लिये दवाइयां क्रय करने हेतु बजट आबंटित नहीं होता है। इस वर्ष विभाग में दवाइयां क्रय करने हेतु 221 लाख रुपये का बजट प्रावधान है।

(2) विभागीय चिकित्सालयों द्वारा दवाइयां क्रय करने की प्रक्रिया नहीं है। दवाइयों का क्रय सामान्य एवं वित्त लेखा नियमों के अन्तर्गत गठित क्रय समिति द्वारा निविदाएं आमन्त्रित करने की प्रक्रिया है। इस प्रयोजनार्थ गठित क्रय समिति द्वारा अनुमोदित निविदादाता फर्मों को आवश्यकता अनुसार आबंटित बजट सीमा में दवाइयों की आपूर्ति क्षेत्रीय कार्यालयों में करने के आदेश विभागाध्यक्ष द्वारा जारी किये जाने की प्रक्रिया है, जहां से चिकित्सालयों / औषधालयों को आवश्यकतानुसार दवाइयों की आपूर्ति का तरीका अपनाया जा रहा है।

जिला करौली में महिला पर्यवेक्षकों के रिक्त पद

57. श्री जनार्दन गहलोत (करौली): क्या महिला एवं बाल कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पद पर पुरुष पर्यवेक्षक को प्रतिनियुक्ति अथवा स्थानान्तरण नहीं किये जाने का नियमों में प्रावधान है? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1995 से जुलाई, 1999 तक पुरुष पर्यवेक्षकों को महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किये गये हैं? यदि हां, तो किस-किसके, कब-कब व कहां-कहां व किन नियमों के तहत्।

(3) क्या सरकार को करौली जिले में महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर पुरुष पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण हेतु भी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर अब तक विचार नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? क्या अब सरकार उक्त प्रार्थना पत्रों पर विचार करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(श्री जनार्दन गहलोत)

(4) क्या यह सही है कि सी.डी.पी.ओ. कार्यालय करौली के अधीन महिला पर्यवेक्षकों के पद सृजित हैं? यदि हां, तो कितने?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी, हां। श्री आशुतोष दाधीच, पुरुष पर्यवेक्षक को आदेश क्र. 39040 दिनांक 20-6-96 के द्वारा परियोजना, बालोतरा (बाड़मेर) से परियोजना आबूरोड (सिरोही) स्थानान्तरण किया गया उसके पश्चात् परियोजना, आबूरोड से परियोजना किशनगढ़ (अजमेर) में आदेश क्रमांक 30210 दिनांक 31-5-97 द्वारा प्रतिनियुक्ति पर महिला पर्यवेक्षक के रिक्त पद के विरुद्ध लगाया गया। तत्पश्चात् आदेश क्र. 80721 दिनांक 11.12.97 के द्वारा प्रतिनियुक्ति समाप्त कर, इन्हें परियोजना, बाड़मेर में पुरुष पर्यवेक्षक के रिक्त पद पर लगाया गया।

(3) जी नहीं।

(4) जी, हां। कार्यालय बाल विकास/परियोजना अधिकारी, करौली में महिला पर्यवेक्षक के 10 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 5 पद भरे हुए हैं तथा 5 पद वर्ष 1997 से रिक्त हैं।

सरकारी कार्यालयों में खादी भण्डार से खरीद

58. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग राज्य के विभिन्न जिलों में खादी भंडार एवं ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए कितना वित्तीय सहयोग दे रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) खादी एवं ग्रामोद्योग से राज्य के विभिन्न जिलों में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलता है? गत पांच वर्ष के आंकड़े जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार उक्त उद्योग को अनुदान देकर सफल करने में बड़ी सहायक है।

(4) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने उक्त उद्योग को पनपाने और सफलीभूत करने के लिये समय-समय पर सभी विभागों को ये निर्देश भेजे हैं कि वे खादी की खरीद खादी भंडार से ही करें? यदि हां, तो निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने गत 10 वर्षों में कितनी खादी राज्य के खादी भंडारों से खरीदी है? विभागवार, जिलेवार एवं वर्ष वार आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के अधिकारियों ने उक्त निर्देशों की परिपालना करने में उदासीनता की नीति अपनाई है? यदि हां, तो उक्त निर्देशों के परिपालना के लिए राज्य सरकार क्या ठोस कदम उठाने जा रही है?

उत्तर

(1) नवीन खादी भण्डार स्थापना हेतु खादी ग्रामोद्योग आयोग, मुम्बई द्वारा खादी

(खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री)

क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को 10.00 लाख रुपये तक के ऋण आयोग द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर उनके प्रोजेक्ट के परीक्षण उपरान्त स्वीकृत किये जाते हैं।

ग्रामोद्योग स्थापना हेतु खादी ग्रामोद्योग मुम्बई द्वारा व्यक्तिगत इकाई हेतु 10.00 लाख रुपये तक तथा संस्था/समिति को 25.00 लाख रुपये तक के ऋण आयोग द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर स्वीकृत किये जाते हैं।

स्वीकृत ऋण राशि का 25% अनुदान सामान्य श्रेणी तथा 30% अनुदान-एस.सी., एस.टी., पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, विकलांग तथा भूतपूर्व सैनिकों को आयोग द्वारा योजना में देय है।

ग्रामोद्योग स्थापना हेतु बैंक वित्त मार्जिन मनी योजनान्तर्गत ऋण सुविधा भी ग्रामोद्योग स्थापना हेतु बैंकों द्वारा दिया जाता है। इसके अन्तर्गत अनुदान राशि आयोग द्वारा स्वीकृत की जाती है एवं ऋण बैंकों द्वारा प्रचलित ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है।

(2) गत पांच वर्षों में वर्ष 1994-95 से वर्ष 1998-99 की अवधि में खादी एवं ग्रामोद्योग से राज्य के विभिन्न ज़िलों में व्यक्तियों को उपलब्ध कराये गये रोजगार के आंकड़े परिशिष्ट "1" में संलग्न है।

(3) जी हां।

(4) राज्य में खादी केवल खादी भण्डारों में ही उपलब्ध होती है। अतः इस सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी किया जाना अपेक्षित नहीं है जहां तक राजकीय विभागों में खादी निर्मित वस्त्रों की खरीद को प्राथमिकता देने का प्रश्न है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम-30 के आइटम संख्या XI एवं XIII के अनुसार बिना निविदाएं आमंत्रित किये खादी आइटम खरीदने का प्रावधान किया हुआ है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम की प्रति संलग्न है (परिशिष्ट "2")

(5) राजकीय विभागों के लिए खादी वस्त्रों की खरीद किये जाने संबंधी कोई सूचना विभागवार संकलित नहीं की जाती है।

(6) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम-30 के आइटम XI व XIII के अनुसार खरीद की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित किये हुये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला नागौर में प्रस्तावित आयुर्वेद/यूनानी अस्पताल

59. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 में सरकार ने राज्य में कुल कितने आयुर्वेद एवं यूनानी औषधालय खोलने की स्वीकृति दी है? विवरण जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि डेगाना (नागौर) में गत तीन वर्षों में किसी भी प्रकार का आयुर्वेद/यूनानी औषधालय नहीं खोला गया है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री रिछपाल सिंह मिर्धा)

(3) वर्ष 1999-2000 के दौरान जिला नागौर में कहां-कहां नये आयुर्वेद/यूनानी अस्पताल खोलने का प्रावधान रखा गया है? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में राज्य में 100 आयुर्वेदिक एवं 50 यूनानी औषधालय खोलने की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है, किन्तु अभी तक 41 आयुर्वेदिक एवं 14 यूनानी औषधालय खोलने हेतु स्थानों का चयन कर स्वीकृति जारी की गई है। इन चयनित स्थानों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" में रख दी गई है।

(2) डेगाना में विभागीय आयुर्वेद औषधालय पूर्व से ही संचालित हैं।

(3) वर्ष 1999-2000 में नागौर जिले में दो यूनानी एवं एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोला जा रहा है। जिसका बजट प्रावधान भी उपलब्ध है। सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" में रख दी गई है।

(सूचियों के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

जिला श्रीगंगानगर के उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

60. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला श्रीगंगानगर में कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं? पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या समस्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारी कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो कितने पद रिक्त हैं और रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जिला श्रीगंगानगर में 351 उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं, पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, 60 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों के पद रिक्त हैं। उप स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त पदों को प्रशिक्षित अभ्यार्थी उपलब्ध होने के उपरान्त ही भरा जाना संभव हो सकेगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह ज्यादती है हम सब लोगों के साथ। अगर आप हम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आपकी नजरें इनायत बीच के जो हम थर्ड और फोर्थ के लोग बैठे हैं, उनकी तरफ कुछ कम रहती है। आपका पक्ष और विपक्ष के बीच में ही काम चल जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमको तो शिक्षा मंत्रीजी से इतना आश्वासन मिल जाये कि हमारे क्षेत्र में भी खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। कम से कम यह तो पता पड़े (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था। (व्यवधान)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, दो मिनट का आप समय दें।

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, हम सबकी पीड़ा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। हमारी आर्थिक स्थिति के हालात कैसे हैं, क्या हैं, मुख्य मंत्रीजी ने सदन को बताया, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के सभी विधायकों के स्कूल क्रमोन्नत किये उसमें भी आप समानता रखें जिन विधायकों के स्कूल छोड़ दिये, हमारी यह पीड़ा है कि हमारे इन सदस्यों को आपने कुछ नहीं दिया। स्कूल क्रमोन्नत (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : देख नहीं सकते। जब मुख्य मंत्रीजी राजस्थान को एक नजर (व्यवधान) आपके लिए तो राजस्थान एक होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री रतन लाल तम्बी : आपने जो बैकलांग रखा है, उसको पूरा किया है। आपने नौ साल में जहाजपुर विधान सभा में एक भी सैकण्डरी या हायर सैकण्डरी स्कूल खोला क्या? ये कटारियाजी बैठे हैं, नौ साल में जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में एक भी सैकण्डरी या हायर सैकण्डरी खोला हो तो नाम बता दें। आज आप बात कर रहे हैं। आपने कभी सुना है क्या इस बात को? वहां बच्चे नहीं थे, वहां जनता नहीं थी क्या? एक भी स्कूल नहीं खोला नौ साल में। (व्यवधान) एक सैकण्डरी या हायर सैकण्डरी स्कूल आपने नहीं खोला। (व्यवधान) आप यह नाटक करते ही रहना हमेशा। एक भी स्कूल नहीं खोला आपने नौ साल में। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के कूप में आकर नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

(12.10 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण करिये। मैं व्यवस्था देता हूं, आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल खुल रहे थे, इसी बीच चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी। अभी बहुत स्कूल खुलने बाकी हैं। जो स्कूल खोले जायेंगे उन पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर लिया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये। मैं व्यवस्था देता हूं न। (व्यवधान) आप बैठें, ऐसे कैसे देऊं। आप बैठो। आप बैठें न, मैं व्यवस्था (व्यवधान) आप बैठें, मैं आपका इंतजाम करता हूं। आप बैठें न, मैं आपकी व्यवस्था करता हूं। (व्यवधान) आप बैठें तो व्यवस्था करूं न, कैसे करूं। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य, अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आप बैठें तो व्यवस्था दूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य, आर्डर, माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप नहीं चाहते स्कूल खुलवाना। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××

श्री खेतसिंह राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : इनको बैठाओ, यही तो कह रहा हूं, आप बैठे तब कहेंगे आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ×××

श्रीमती कमला : ×××

श्री खेतसिंह राठौड़ : ×××

श्री के. सी. चौधरी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 295 के तहत चर्चा। श्री संयम लोढ़ा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ×××

एक माननीय सदस्य : ×××

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : ×××

श्री भंवरलाल शर्मा : (हवामहल) ×××

श्री जर्नादन गहलोत : ×××

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बैठें आप अपनी जगह, अपनी जगह बैठें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है : —

(1) श्री गुलाब चन्द कटारिया एवं 21 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य सरकार द्वारा विद्युत् की दरें बढ़ाने की सम्भावना से उत्पन्न स्थिति पर विचार।

(2) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं 17 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के अकालग्रस्त क्षेत्रों में अकाल राहत कार्य नहीं खोले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

विद्युत् के संबंध में दिनांक 25-9-99 को राजस्थान पावर सैक्टर सुधार विधेयक पर सदन में विचार होगा एवं दिनांक 24-9-99 को अकाल की स्थिति पर विस्तृत चर्चा रखी गई है, अतः इन स्थगन प्रस्तावों पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(3) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य की ओर से नगर परिषद, बीकानेर क्षेत्र की खसरा नं. 248 नया खसरा नं. 569 सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण कर लिये जाने के संबंध में।

(4) श्री ज्ञानदेव आहूजा एवं 5 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में सेवानिवृत्ति की आयु घटाने के उपरान्त भी बेरोजगारों को नियुक्तियां नहीं प्रदान करने से उनमें व्याप्त आक्रोश के संबंध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा। (व्यवधान) आप वहां बैठ जायें तो बुला दूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ×××

श्री खेतसिंह राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा (अनुपस्थित)।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन – (व्यवधान) श्री हरिशचन्द कुमावत — (अनुपस्थित) श्री अमराराम चौधरी — (अनुपस्थित), श्री प्रतापसिंह सिंघवी — (अनुपस्थित), श्री रतनलाल ताम्बी — (अनुपस्थित), श्री अमीन खान, आपका 295 है।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बाड़मेर की तहसील रामसर के गांवों में पानी का संकट

श्री अमीन खान (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत आपसे निवेदन है कि जिला बाड़मेर की तहसील रामसर के रेगिस्तानी गांवों में इस वक्त पीने के पानी का भयंकर संकट खड़ा हो गया है। पिछले चार माह से गिराब खडीन योजना, साउथ गिराब सालारिया योजनाओं के ग्राम बनवा, मांजोली-बबगुलेरिया, खारची, सवाड़ा, आचभर, भानपुरा, डबेकापार, बालुकापार-चाडवा, झाडवा-सौढाई, मेकरनवाला, सजगक्रापार, लधेकापार, हिण्डिया शेरे का तला, रामदेव मंदिर सेतराउ-गड़ालिया तला-धनोड़ा आदि गांवों में पीने के पानी का संकट बरकरार है क्योंकि सीमावर्ती तहसील चौहटन के अकाल पीड़ित पशुपालक उक्त एरिया में आ गए हैं, इससे दो लाख मवेशी ज्यादा हो गए। सीमा पर 4-5 माह से फौज तैनात है जिसको भी पानी सप्लाई जरूरी है। रामसर व गडरा रोड सब डिविजनों में जेईएनों. के पद रिक्त ज्यादा होने से व लेबर की कमी आदि कारणों से पानी का संकट दिनों-दिन ज्यादा हो रहा है।

अतः मेरा इस सदन के व आपके मार्फत सरकार से पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि रामदेव मंदिर ग्राम में व भाचभर लसूवा माताजी के मंदिर के नीचे भाखर के पास खारिया राढोडान में परीक्षण के तौर पर नलकूप शीघ्र बनाने की स्वीकृति की जाकर इनसे वंचित ग्रामों को कमीशन किया जावे।

यह भी विशेष आग्रह है कि सीमावर्ती क्षेत्र में देश की सुरक्षा के मुरबत को देखते हुए विशेष योजना के तहत नलकूप अलग से तैयार रखनी चाहिए। ग्राम मखनकापार, लालासर-शहदाद का पार, खुंडानी-रतडेरी,

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अमीन खान)

अप्रासाडी सिंधीयान आदि गांवों में नलकूप तैयार करके फौज व जनता को सहूलियत दें अतः आपसे निवेदन है कि उक्त ग्रामों की समस्या के समाधान के लिए विशेष प्रयास कर जनता को संतोष प्रदान किया जावे।

श्रीमती कमला : ×××

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी, बैठिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री रिछपाल सिंह मिर्धा। श्री दिग्विजय सिंह।

रणथम्भौर बाघ परियोजना में निजी संस्था से किया गया अनुबंध

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय वित्त मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विश्व प्रसिद्ध रणथम्भौर बाघ परियोजना जिला सवाईमाधोपुर में स्थित है और केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के बाद भी राज्य सरकार के वन्य जीव प्रतिपालक विभाग के अधिकारियों द्वारा इस राष्ट्रीय धरोहर को किसी प्रकार से निजी संस्थाओं टाइगर वाच, से एक सौ रुपये के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा 8 जनवरी, 1999 का किया है, जिसमें उस संस्था को पांच वर्ष के लिए इस "बाघ परियोजना" में खुले रूप से घूमने की छूट होगी। और तो और इस इकरारनामे के माध्यम से "टाइगर वाच" संस्थान को एकाधिकार प्राप्त हो जायेगा, जो पांच वर्ष के लिए किया है, जिसका रजिस्ट्रेशन बाघ संस्था समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत हुआ है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय (फील्ड आफिस) फार्म रणथम्भौर रोड, सवाई-माधोपुर में होना बताया है, जबकि मुख्य कार्यालय 16-17, हंसराज दामोदर बिल्डिंग 12/14 गोवा स्ट्रीट बेलार्ट स्टेट मुम्बई में स्थित बताया है। इस संस्था के सदस्य वे व्यक्ति हैं जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इस बाघ परियोजना का (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या बोल रही हैं आप?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री दिग्विजय सिंह : मुझे पूरा कर लेने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे कैसे बोलेंगी?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले पूरा कर लूं फिर बोलिये।

श्री उपाध्यक्ष : वे 295 पढ़ रहे हैं उनको समाप्त कर लेने दीजिये। वे 295 पढ़ रहे हैं न, उसको समाप्त हो जाने दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : बीच में कैसे बोलेंगी आप ?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री उपाध्यक्ष : वे 295 पढ़ रहे हैं। मेहरबानी करके विराजिये उसके बाद आप बोलिये। बीच में कैसे बोलेंगी आप। आप तो इतनी सीनियर मैम्बर हैं। वे 295 पढ़ रहे हैं उनके बीच में आप कैसे बोलेंगी ? उनका समाप्त हो जाने दीजिये। वे ऑलरेडी काल्ड अपोन हैं, खतम हो जाने दीजिये। दो मिनट में क्या फर्क पड़ता है। आपको बोलने देंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ×××

श्री दिग्विजय सिंह : पूर्व में लाभ उठाते रहे हैं काफी धन पुस्तक लेखन, वीडियोग्राफी व अन्य स्रोतों से उठाते रहे हैं। इसके अध्यक्ष—जुलियो रिबेरियो, उपाध्यक्ष—फतेह सिंह राठौड़ (पूर्व निदेशक परियोजना रह चुके है) व अन्य हैं, और इनकी भूमि को लेकर अभी भी विवाद चल रहा है, जहां क्षेत्रीय कार्यालय होना बताया है। आश्चर्य की बात है कि इसके सलाहकार मण्डल में वर्तमान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव, पी.के. सैनी, मुख्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान हैं जिससे स्पष्ट है कि वह सारी कार्यवाही सुनियोजित ढंग से की गई है। स्थानीय फील्ड डायरेक्टर द्वारा ही अपने स्तर पर यह अनुबंध कर लिया जो वन्य जीव अधिनियम, 1972 (संशोधित, 1993 तक) की धारा 12 व धारा 28 के विपरीत ही नहीं बल्कि उल्लंघन है। साथ ही जिन शर्तों को मंजूर किया है, जैसे उच्च क्षमता की प्रकाश व्यवस्था, रात्रि में देखने वाले उपकरण, संचार माध्यम (साधन) वीडियो कैमरा इत्यादि हैं। जबकि परियोजना में सायंकाल बाद प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे में इस प्रकार का अनुबंध वह भी पांच वर्षों के लिए बिना राज्य सरकार के ध्यान में लाये सर्वथा कानून का उल्लंघन है। इस अनुबंध में यह कहीं नहीं है कि यह संस्था वन्य जीव विभाग को प्रतिवर्ष कितनी राशि चुकायेगी। साथ जो अन्य शर्त है वह इस प्रकार की है कि एक सयम आ जायेगा जब वह बहुमूल्य राष्ट्रीय धरोहर बाघ परियोजना राज्य के हाथों से निकल जायेगी और हमारे राज्य की प्रतिष्ठा को आघात लगेगा। कृपया इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करें और की गई कार्यवाही से अवगत करायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह। (व्यवधान)

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि सरपंच ग्राम पंचायत सेरेरा, पंचायत समिति बीकानेर ने राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला योजना में अपने खेत में पाठशाला भवन निर्माण कराकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। मूल गांव की आबादी के करीब 4 किमी. दूर निजी कृषि भूमि पर भवन बनाया गया है। आसपास कोई बारह मासी ढाणियां नहीं हैं जहां से बच्चे पढ़ने आ सकें।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री भीमसेन)

सार्वजनिक सम्पत्ति का घोर दुरुपयोग किया गया है, अतः इस पर मैं माननीय पंचायत राज मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में निरन्तर नारेबाजी)

सिरोही में अनावृष्टि के कारण लूट , चोरी एवं डकैती की घटनाओं की जांच

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। राज्य में इस बार सबसे कम वर्षा जिला सिरोही में हुई है। सिरोही जिले में औसत से भी कम 54 प्रतिशत वर्षा हुई है। इस वजह से वहां भुखमरी और चारे की कमी से भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई है। वर्षा न होने के कारण आदिवासी बहुल क्षेत्र में जहां एकमात्र मक्का ही कृषि उपज है, जो कि उनके जीविकोपार्जन का साधन है इस कारण आदिवासियों को खाने के भी लाले पड़ रहे हैं जिससे उस क्षेत्र में लूटखोरी, डकैती एवं चोरी आदि की घटना होना स्वाभाविक है। इसका एक नमूना, अभी हाल ही में घटित घटना ग्राम रोहिडा जिला सिरोही में देखने को मिला।

राज्य सरकार की ओर से आदिवासियों की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिये जाने से वहां समाजकंटकों ने भरपूर लाभ उठाया और अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने का प्रयास किया। आदिवासियों की अज्ञानता एवं इस अंधविश्वास को हवा दी कि एक समुदाय विशेष के साधु ने बरसात को बांध दिया है। दो माह पूर्व प्रशासन को सूचना होने के बावजूद भी प्रशासनिक लापरवाही से यह घटना घटित हुई और फायरिंग में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। इस घटना में कई निर्दोष लोगों को गोली का सामना करना पड़ा जो अपने कार्य के लिये खेत पर जाने के लिये निकले थे। इस घटना से एक समुदाय विशेष के लोगों की भावना भी आहत हुई जिससे क्षेत्रीय जनता में राज्य सरकार के प्रति नाराजगी हुई।

मैं राज्य सरकार से इस घटित घटना की न्यायिक जांच करवाने, घायल लोगों को मुआवजा देने एवं प्रशासनिक निष्क्रियता के लिये जिम्मेदार जिला कलेक्टर के खिलाफ कार्यवाही की मांग करता हूं। मैं राज्य सरकार से यह भी मांग करता हूं कि जिला सिरोही में शीघ्रतिशीघ्र चारा डिपो खोलें एवं अकाल राहत के कार्यों को प्रारम्भ किया जाय।

अतः मैं इस लोकहित के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में निरन्तर नारेबाजी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय राठौड़ साहब, काहे के लिये एडजोर्न कर दूं? आप चाहते क्या हो? स्टेटमेंट ही तो चाहते हो। हम दिला रहे हैं, स्टेटमेंट। आप बैठो, हम स्टेटमेंट दिला रहे हैं। कह रहा हूं न मैं, स्टेटमेंट दिला रहा हूं। (व्यवधान)

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : ×××

श्री रामस्वरूप : ×××

श्री मोहन लाल मोदी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। आपसे निवेदन है कि आपका न तो कोई मोशन है.. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह हाउस में न तो कोई मोशन था, न कोई इश्यू था। प्लीज, मेरी पूरी बात सुनिए। आप पहले पूरी बात सुनिए, उसके बाद बात करिए। (व्यवधान) उसके बाद भी चूंकि आप सबका यह..(व्यवधान) यह इतना महत्वपूर्ण इश्यू है..(व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से स्टेटमेंट दिला रहा हूं, कृपा करके आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शिक्षा मंत्रीजी, स्टेटमेंट दें।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपा करके स्थान ग्रहण करें, प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी (व्यवधान)

श्रीमती कमला : ×××

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्रीमती कमला, राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री, राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगी।

सदन पटल पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

राजस्व विभाग

श्रीमती कमला (राजस्व एवं उपनिवेशन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गए उल्लेख के अनुसार राजस्व एवं उपनिवेशन विभाग की 6-6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं —

1. अधिसूचना संख्या एफ. 7(202) राज/4/77 दिनांक 14-6-1999 जिसके द्वारा राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण नियम, 1973 में संशोधन किये गये हैं।

2. अधिसूचना संख्या पं. 6(9) राज-6/99/7 दिनांक 9-4-1999 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये कृषि भूमि का आवंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितीकरण) नियम, 1981 में संशोधन किये गये हैं।

3. अधिसूचना संख्या एफ 6(19) राज-6/92/14 दिनांक 17-5-1999 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 में संशोधन किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या पं. 10(6) राज-6/98/21 दिनांक 29-6-1999 जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (भूमि-अभिलेख) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या पं. 6(12) राज-6/99/22 दिनांक 6-7-1999 जिसके

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती कमला)

द्वारा अधिसूचना क्रमांक पं. 6(12) राज-4/76/39 दिनांक 2-8-1984 के पैरा (अ) को विलोपित किया गया है, एवं

6. अधिसूचना संख्या पं. 5(3) राज-6/86/26 दिनांक 7-8-1999 जिसके द्वारा राजस्थान अभिधृति (सरकार) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

उपनिवेशन विभाग

1. अधिसूचना संख्या पं. 4(10) उपनि/95 दिनांक 5-5-1999 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा परियोजना में सरकारी भूमि का आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या पं. 4(10) उपनि/95 दिनांक 5-5-1999 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (गंग नहर भूमि स्थाई आबंटन तथा विक्रय) नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या पं. 4(10) उपनि/95 दिनांक 5-5-1999 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (पैंतालीसा क्षेत्र में गैर दखलदार अभिधारियों को सरकारी भूमि का आबंटन) शर्तें, 1970 में संशोधन किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या पं. 4(10)उप/95 दिनांक 5-5-1999 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन और विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या एफ. 3(57) कोल/95/पार्ट-VI दिनांक 16-7-1999 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन और विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है, एवं

6. अधिसूचना संख्या पं. 4(11) उपनि/98 दिनांक 16-7-1999 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर उपनिवेशन क्षेत्र में सरकारी भूमि का आबंटन और विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ? रख दी? क्यों कर दें एडजोर्न? किसलिए? इश्यू क्या है जो एडजोर्न कर रहे हो आप? हम स्टेटमेंट दिला रहे हैं उनसे। आप इसका नोटिस लाओ, जवाब दिला देंगे। अब खेतसिंहजी पर नोटिस लाओ न आप, नोटिस दो आप। श्री शिवचरण माथुर।

समिति का प्रतिवेदन
प्राक्कलन समिति– "क"
1999-2000 का प्रथम से चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री शिवचरण माथुर (सभापति, प्राक्कलन समिति "क" 1999-2000) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति "क", 1999-2000 के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं : —

(1) वन विभाग विषयक प्राक्कलन समिति "क", 1996-97 के द्वितीय प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का प्रथम प्रतिवेदन;

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित समिति का द्वितीय प्रतिवेदन;

(श्री शिवचरण माथुर)

(3) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग विषयक प्राकल्लन समिति "क", 1996-97 के सातवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का तृतीय प्रतिवेदन; एवं

(4) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से सम्बन्धित समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : सही जगह बैठो न आप। नोटिस दो।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। बैठो न आप। मैं कहां रोक रहा हूं?

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : मंत्रीजी का स्टेटमेंट दिला रहे हैं। (व्यवधान) किसका? एजुकेशन मिनिस्टर का?

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नोटिस दो।

कार्य सलाहकार समिति का पांचवां प्रतिवेदन

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के पंचम प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के पंचम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन कार्य सलाहकार समिति के पंचम प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन की प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं?

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नोटिस दो न आप। अगर किसी मैम्बर ने मिसबिहेव किया है। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : तो आप चाहते क्या हो?

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यही तो कह रहे हैं कि नोटिस दो आप। नोटिस दो उसका जवाब देंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : यही तो कह रहे हैं नोटिस दो आप। नोटिस दो उसका जवाब देंगे। वह लम्बा जवाब देंगे, अपना स्पष्टीकरण देंगे।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : कैसे होगा? How do we know ? (व्यवधान) आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकता हूं?

श्रीमती कमला : ×××

श्री दिग्विजय सिंह : ×××

विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर, विधेयक, 1999

श्री उपाध्यक्ष : डा. जितेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 1999 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 1999 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री जगत सिंह दायमा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 1999 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी। प्रभारी मंत्री।

डा. जितेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर, विधेयक, 1999 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? (व्यवधान) किसलिए करें तो? किस काम के लिये करें? आपकी कोई डिमाण्ड नहीं, क्यों एडजोर्न करें? आप कह रहे हो तो हम करते जा रहे हैं फिर हाउस को एडजोर्न किसलिए करें? आप आर्डर में बैठ जाइये। किस बात के लिए करें? बताइये कि इस बात के लिए करें। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.45 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित हुई)

(12.55 बजे)

(पुनः समवेत होने पर)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री जगत सिंह दायमा : अब तो खुले दिमाग से होना चाहिए कम से कम। अब भी अगर न्याय नहीं करें तो आपकी मर्जी है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : अब तो तैयारी करके आ गये हैं, अब तो कह दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बिराजिए। अब तो बिराजिए।

श्री. हीरालाल विश्नोई : पहले तो पैसे ले-लेकर खोले थे। ये कटारियाजी बैठे हैं। (व्यवधान) कटारिया साहब ने 3 लाख रुपये लिये थे। (व्यवधान) हां, यह पूरा का पूरा भेदभाव करते थे आप लोग (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : विश्नोईजी, अगर मैंने कोई गलती की तो यह सदन

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सर्वोपरि है। मैं इसके सामने अपनी अपील रखूंगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हीरालाल विश्नोई : 5 साल में एक सैकण्डरी स्कूल नहीं, उपाध्यक्ष महोदय। और उस पर भी 3 लाख रुपये लेकर रविन्द्र गांव के अन्दर... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप प्रायश्चित करो, प्रायश्चित। कटारियाजी, आप प्रायश्चित करो। आपने जो +++ किये हैं उनका प्रायश्चित कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय विधि मंत्रीजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : एक स्कूल नहीं खोला, प्राइमरी स्कूल नहीं खोला। +++ (व्यवधान) क्या बात करते हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप खड़े होकर बोल दीजिए। (व्यवधान) आर्डर प्लीज।

श्री शैलेन्द्र जोशी : कटारियाजी, आप समानता की बात कर रहे हैं, आप समानता की दुहाई दे रहे हैं। +++ (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : रविन्द्र गांव के अन्दर सैकण्डरी स्कूल खोलने के 3 लाख रुपये लिये थे ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सारी शिक्षा का नैकरीकरण कर दिया आपने। भट्टा बैठा दिया। आपने शिक्षा का क्या प्रसार किया, आपने आर. एस. एस. की शाखा लगा दी। (व्यवधान) +++

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, कटारियाजी ने हमारे कहने से कोई स्कूल नहीं खोला।(व्यवधान).

श्री अरुण सिंह : शिक्षा मंत्रीजी, भेदभाव बी.जे.पी. के करें...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय खेतसिंहजी।

श्री ललित भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने पहले चप्पल दिखाई, आप इनसे माफी मंगवाएं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर, आर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाथ में एक अंगूठा और 4 अंगुलियां होती हैं। इस अंगुली पर भगवान कृष्ण ने गोरधन उठाया। यह अंगुली तिलक के लिये काम आती है कटारियाजी, इससे तिलक लगाया जाता है। यह सबसे बड़ी अंगुली है और यह अंगुली हुकम देने वाली अंगुली है और यह अंगुली हुकम देने वाली अंगुली है। और यह अंगूठा है, यह राजीपा करने का अंगूठा है। मैं तो आपसे राजीनामा कर रहा था और आप कूद-कूद कर मेरे ऊपर पड़ रहे थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह राजीपा वाली बात नहीं है। सवाल यह है कि आपने...(व्यवधान) एक सैकण्ड, माहिर आजादजी।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के क्षेत्रों में एक भी स्कूल नहीं खुलेगा...(व्यवधान) यह ठीक है? यह रिकार्ड पर है...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, अगर केवल इसमें ही आपकी महानता है कि इतने सीनियर मैम्बर होने के बाद भी इस तरह का व्यवहार, अगर आप उचित मानते हैं तो हमें कुछ भी नहीं कहना है। इस सदन के आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आपसे हमारी यह उम्मीद नहीं थी कि आप इस हल्केपन पर आएंगे। पहले तो आपने यह धौंस दी कि विपक्ष के एक भी स्कूल नहीं खुलेगा, फिर कहा यह खुलेगा। फिर उसके बाद में आपने जूता दिखाया। यह-यह मतलब, कोई नया सदस्य हो तो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनके राज में 5-5 लाख रुपये लेकर स्कूल खुलवाई गई थीं ...(व्यवधान).

डा. जसवन्त सिंह यादव : पैसे लिये थे सरकारी खजाने के लिये, आप भी ले लो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप जैसे वरिष्ठ सदस्य से यह अपेक्षा नहीं हो सकती है। हम तो आपसे सीखने का प्रयास करते हैं लेकिन हमें बहुत दुःख है इस बात का कि आप जितने सीनियर मेम्बर होते हुए इस तरह से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम भी सदन के सदस्य हैं + + + आपने नाम माननीय सुमित्रा सिंह जी का पुकारा और फिर आपने उनको बैठा दिया। यह बी.जे.पी. वालों की जागीर है, विरोध का जिम्मा इन्हीं का है और राज चलाने का जिम्मा तो इनका है लेकिन सदन इनका नहीं है। सदन में हमारा भी हक है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको भी मौका देंगे, बिराजिए। (व्यवधान) हां, देंगे।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी...(व्यवधान) कि आप हमारा ध्यान रखें। आपने सुमित्रा सिंहजी का नाम पुकारा पहले, मैं यह चाहूंगा, आपसे विनती करूंगा कि सुमित्रा सिंहजी का नाम पुकारा पहले, मैं यह चाहूंगा, आपसे विनती करूंगा कि सुमित्रा सिंहजी को पुकारें। यह कोई बी.जे.पी. की ठेकेदारी हो गयी विपक्ष की।

श्री उपाध्यक्ष : पुकार रहा हूं। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर, बिराजिए। माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में 267 सैकण्डरी स्कूल और 141 सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोली गयीं। इसी बीच में यह प्रोसेस चालू था, आचार संहिता लागू हो गयी। जहां तक विपक्ष के माननीय सदस्यों ने यह कहा कि एक भी स्कूल विपक्ष के माननीय सदस्यों के यहां नहीं खुली हैं, यह बिलकुल निराधार बात है। खानपुर कलां, मण्डावर...(व्यवधान) आप बिराजिए, आप बिराजिए, प्लीज।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

डा. जसवन्त सिंह यादव : मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। (व्यवधान) नहीं, क्या बात कह रहे हैं, मेरे क्षेत्र का मसला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव : मेरे क्षेत्र का मसला है, मेरे क्षेत्र का नाम है, साहब। (व्यवधान) + + + (व्यवधान) .. पर स्कूल खोला गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बिराजिए।

श्री हीरालाल विश्नोई : जब मन आये (व्यवधान) आप मंत्री का जवाब तो सुनिये (व्यवधान) यह क्या तरीका है, सदन की कार्यवाही में (व्यवधान) करते हैं (व्यवधान)

(13.00 बजे)

श्री बुलाकीदास कल्ला (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, इनके निर्वाचन क्षेत्र खान्नपुरकलां में सबसे पहले स्कूल खोली है, इनके निर्वाचन क्षेत्र में। (व्यवधान) आपने यह कहा था कि किसी के कहने से खोली गयी। आपने यह कहा था कि किसी के कहने से खोली। नहीं खोली गयी तो (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव : + + +

श्री बुलाकीदास कल्ला : + + +

श्री उपाध्यक्ष : इसको एक्सपंज कर दीजिए। अंकित मत कीजिए। एक्सपंज कर दो इसे। अंकित मत करो।

डा. जसवन्त सिंह यादव : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसी बात कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, देखिये, आर्डर प्लीज। यदि आप शिक्षा मंत्रीजी का स्टेटमेंट नहीं सुनना चाहें तो I have no option. आप माननीय सदस्यों से निवेदन कीजिए, आप अपने माननीय सदस्यों को कंट्रोल कीजिए। अबके कोई बोला तो कार्यवाही शुरू कर दूंगा।

एक माननीय सदस्य : ठीक बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपसे थोड़े ही कह रहा हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : सुनना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सुनना चाहते हैं तो सुनो फिर। This is not the way. यह तरीका नहीं है। प्लीज, आपको मौका देंगे न। आप इनको सुन लीजिए। फिर आपको मौका दे देंगे। सुनो तो सही इनको। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्यों की जानकारी में जो बात है वह उठायी तो जा सकती है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का था कि विपक्ष के माननीय सदस्य जहां से चुनकर आते हैं, वहां स्कूल नहीं खोले।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

इसके अलावा दूसरा उदाहरण है, बरसिंगसर में स्कूल खोला है। और मैं पूरी डिटेल लाकर बताऊं तो कांग्रेस के अनेक एम.एल.एज. ऐसे हैं, जिनके यहां अभी तक कोई स्कूल नहीं खुला है इसलिए यह कहना कि भेदभाव बरता गया है इसको मैं निराधार, तथ्यहीन व आधारहीन मानता हूं। अभी स्कूल जो और बाकी रहे हैं, उनको गुणावगुण के आधार पर खोला जाएगा। मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के समय में जो स्कूल खोले गये थे, पांच लाख रुपये का ड्राफ्ट जमा कराओ, तीन लाख रुपये का ड्राफ्ट जमा कराओ, कांग्रेस ने इस परम्परा को खतम किया है। इस परम्परा को खतम किया है। इसके अलावा बहुत से माननीय सदस्य जो इस सदन में पिछली विधान सभा में भी प्रतिपक्ष में बैठते थे, जो आज सत्तापक्ष में बैठे हैं, उनसे पूछा जाए कि पूर्व शिक्षा मंत्रीजी ने कहां-कहां स्कूल खोली? हम ऐसा भेदभाव नहीं बरतेंगे। हम यहां पर गुणावगुण के आधार पर जो भी निर्वाचन क्षेत्र (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : यह गुलाब चन्द जी कटारिया बैठे हैं, मैं दस साल तक +++ एक भी स्कूल नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हीरालाल विश्नोई : हमारे यहां भी नहीं दिया। (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : हमारे यहां नौ वर्ष में एक भी सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी नहीं खुला। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको चुप क्यों नहीं कराते, हमें चुप रहने के लिये कहते हो।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी चुप हो जाइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप पहले इनको मर्यादा में बांधिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीकानेर शहर से आता हूं, इनके विधायक नन्दलालजी व्यास चुने हुए थे, एक स्कूल बीकानेर शहर में नहीं खोला। मैं अनेक उदाहरण दे कर बता सकता हूं कि इन्होंने कोई स्कूल नहीं खोले। मैंने तो दो उदाहरण देकर बता दिया। यह जो विपक्ष के माननीय सदस्य आये हैं, इनके यहां स्कूल खोले हैं और स्कूल खोलने बाकी हैं अभी। अभी राजस्थान में राजीव गांधी पाठशालाएं हर पंचायत समिति के अन्तर्गत खुली हैं। गांव-गांव में खुली हैं। डगर-डगर में और शहर की कच्ची बस्तियों में खुलेगी। लेकिन जो भेदभाव करने वाले आज +++ बनकर जिस तरीके से बोल रहे थे, मुझे बड़ा अफसोस है जिन्होंने भेदभाव किया, जिन्होंने गलत बुनियादें डाली, आज वे यहां आकर किस मुंह से कह रहे हैं? आपने तो कोई स्कूल खोला नहीं और हमारे तो स्कूल खुलने बाकी हैं। आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। हम जहां-जहां उपयुक्त होगा और हमारे नार्म्स के अन्तर्गत

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

जो-जो निर्वाचन क्षेत्र आएंगे, चाहे वे पक्ष के हैं, चाहे विपक्ष के हैं, बिना किसी भेदभाव के हमारे नार्म्स में आएंगे, गुणावगुण के आधार पर स्कूल खोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुमित्रा सिंह जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक सैकण्ड। मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। आप ही तो कह रहे हैं कि इनको बोलने दें और फिर खड़े हो गये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लोकतंत्र के इतिहास में शायद पहली बार ही ऐसा हुआ है जब सत्ता में बैठी हुई पार्टी ने विपक्ष के किसी भी चुने हुए विधायक के कहने से स्कूल नहीं खोले हैं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर : पूछ लो कटारियाजी से। पूछ लो, कटारियाजी से पूछ लो आप।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : कटारियाजी से पूछ लो।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री हीरालाल विश्नोई : इसी तरीके से हम भी पिछले पांच साल से +++ और इन्होंने एक स्कूल भी हमारे कहने से नहीं खोली।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। कह लेने दो न इनको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह क्या कह रहे हैं, मैं बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : इनको बोलने दीजिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर : आप मेरी बात का तो जवाब दे दो। परम् सम्माननीयजी, मेरी बात का वायदा किया था तीन बार। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बोलने दो न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसा है कि इतनी क्षमता तो रखिये आप लोग। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यही कोशिश कर रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : चाहे गलत बात भी कोई बोले तो आप एक बार तो उसे सुन लें। इतनी क्षमता तो कम से कम सत्तापक्ष को रखनी चाहिए। मैं गलत नहीं कह रही हूं। मैं अब भी कह रही हूं यह बात। आप लोग फिर मुझे चुनौती दे रहे हैं और मैं चुनौती के रूप में आपसे कह रही हूं कि चाहे कटारियाजी जब शिक्षा मंत्री थे, एक क्राइटेरिया इन्होंने बना दिया और उस क्राइटेरिया में जो आया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शैलेन्द्र जोशी : (व्यवधान) इन्होंने स्कूल बेची, क्या बात करते हैं? व्यापारीकरण कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इनको सुन लो न, आप क्यों बीच में (व्यवधान).

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इन्होंने स्कूल बेच दी। +++ आपने हाइएस्ट बिडर को बोली लगा दी। पांच लाख, तीन लाख (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जोशीजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने व्यापारीकरण कर दिया स्कूल का।

श्री उपाध्यक्ष : सुन लो इनको।

श्री शैलेन्द्र जोशी : व्यापारीकरण किया इन्होंने स्कूलों का। पांच लाख में, तीन लाख में, बढ़े सो पावे। +++ (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह इल्जाम तो लगा सकती हूं विपक्ष पर, भारतीय जनता पार्टी पर, मैं यह इल्जाम तो लगा सकती हूं कि शिक्षा को व्यवसाय बना दिया था और पैसा लेकर के (व्यवधान) बात तो सुनिये, पूरी बात ही नहीं सुन रहे हैं आप। ताली बजाकर मुझे आप डिस्टर्ब मत करिये। आप न ताली बजाइये और न बोलिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि चाहे उन्होंने शिक्षा को व्यवसाय बना दिया हो, पैसे लेकर खोले हों लेकिन कुछ स्कूलें जो क्राइटेरिया में आती थीं वे भी बिना भेदभाव के खोली। मैं यह बात इसलिए कह सकती हूं (व्यवधान) सुनिये, आपको सुनना पड़ेगा, आपके ऐसे-ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला है। आपके ऐसे-ऐसे करने से कुछ नहीं होने वाला है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : +++ कहां वहां पर खोली है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : शिक्षा का +++ कर दिया। जहां शाखाएं थीं, वहां खोली। शाखाएं चलायी स्कूलों में और शिक्षा का +++ कर दिया। +++ कर दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनके जैसे नहीं खोली। +++ को दिया। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : सुनिये-सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहना चाहती हैं, वह कह दो न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं कहना चाहती हूं न, सुनिये तो सही आप।

श्री उपाध्यक्ष : कहो न।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं कहना चाह रही हूं, सुनिये तो सही आप। कोई कहने नहीं दे रहा है मुझे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको खोलना है जो खोल दिया। इन्होंने खोलना है जो खोल दिया, आप क्या चाहते हो जो कह दो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं बता रही हूं न तो, मैं आगे अपनी बात पर आ रही हूं। आसन का यदि यही (व्यवधान)...

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो कोई बात नहीं हुई। अगर चेयर से यह बात कही जाए कि इन्होंने खोल दिया सो खोल दिया और उन्होंने (व्यवधान)...

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : और क्या हो सकता है? वापस खुलते हैं क्या स्कूल ?

श्री देवीसिंह भाटी : फिर यहां काहे के लिए आयें हैं? हम अपनी बात कहने के लिए आये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप सुझाव दे दो। आप सुझाव दो कि क्या चाहते हो? उसमें क्या चेंज चाहते हो, यह सुझाव दो न आप। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं दे रही हूं न।

श्री देवीसिंह भाटी : वे बोल रही हैं और आप हाउस को कंट्रोल कीजिए चेयर से। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए।

श्री देवीसिंह भाटी : आप यह कहते हैं कि इन्होंने खोल दिया सो खोल दिया और इन्होंने खोल दिया सो खोल दिया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप कंट्रोल में हो जाओ। अब आप रुक जाओ, आप बिराजिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आसन से अपेक्षा तो यह की जाती है कि जो लोग विपक्ष में बैठे हो, जो तीसरे फोर्स में हैं उनको कम से कम आप इस तरीके से हतोत्साहित नहीं करें। बोलने दें।

श्री उपाध्यक्ष : बोलने के लिए तो मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपसे अपेक्षा की जाती है यह। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रही थी कि स्कूल के जो दो नाम दे दिये माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने, अब भी उन्होंने लगा दिया गुणावगुण। यह वर्ड लगाकर फिर कह दिया, गुणावगुण के आधार पर खोली जाएगी। (व्यवधान)

देखिए, हम लोगों को भी किसी ने मनोनीत नहीं किया है। हम भी उसी तरीके से चुनकर आए हैं जैसे आप चुनकर आये हों। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : फिर बुलवा लीजिए। बिलकुल बोलेंगे, आप लोगों ने तीन घंटे खराब किये हैं सदन के, बिलकुल नहीं बोलने देंगें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र पारीक : तीन घंटे बरबाद कर दिये। + + +

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : राजेन्द्रजी पारीक, आप बैठ जाइये। आप क्या चाहते हो? वरिष्ठ सदस्य बोल रही हैं और बोलने नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्रजी पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक : राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई, गाढ़ी पसीने की कमाई. तीन घंटे तक बरबाद की आप लोगों ने, + + +

मोहम्मद माहिर आजाद : बैठ जाइये आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : संस्कारित बनो, संस्कारित। + + + की भाषा मत बोलें।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मिस्टर माहिर आजाद, +++ की भाषा मत बोलो।

एक माननीय सदस्य : अगर इनको बोलने का शौक है तो शपथ दिला दो न। बीच में बोल रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप तो बैठो। बोलने दो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगी कि इस तरीके से जो लोग बीच में बोलते हैं, उन लोगों को कम से कम आप टोकें तो सही, रोकें तो सही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : न आप इनको टोकते हैं, न रोकते हैं। ऐसे सदन का काम नहीं चलेगा और सदन में इस तरीके से तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो मैं यह निवेदन कर रही थी कि केवल मात्र पूरे राजस्थान के अन्दर दो स्कूलों का एक्जाम्प्ल देकर, उदाहरण देकर माननीय शिक्षा मंत्री बरी नहीं हो सकते। हमें किसी ने मनोनीत नहीं किया है। केवल दो स्कूलें खोली हैं आपने। आपने खुद माना है, एक मण्डावर में खोली है और एक आपने...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, इन्होंने यह नहीं कहा एक मिनट। (व्यवधान) दो स्कूल तो अभी मुझे याद है इसलिए कहा है...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह लिस्ट है। इसको देख लें।

मोहम्मद माहिर आजाद : चूरू में, नगर में, कुशलगढ़ में, कि बांसवाड़ा में...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : वह बोल रहे हैं, अब आप क्यों बोल रहे हो ?

मोहम्मद माहिर आजाद : हमें भी मौका दीजिये, हम भी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने यह नहीं कहा, उन्होंने यह कहा है कि मुझे दो याद हैं जो बता रहा हूं, और भी हो सकती हैं, नहीं हैं तो अब और स्कूलें खुलने वाली हैं उसमें से खोलेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने लिस्ट देखी है। मैं लिस्ट देखने के बाद ही कह रही हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है और यह जो लिस्ट दी गयी है, मैं उसे पढ़कर आपसे उसी आधार पर निवेदन कर रही हूं। मैं आपसे कह रही थी कि मात्र दो स्कूलें खोलकर शिक्षा मंत्रीजी यह कहकर बरी नहीं हो सकते कि मैंने कोई भेदभाव नहीं बरता है। मैं आपसे यह निवेदन कर रही थी कि जब शुरू-शुरू में आप लोगों ने सत्ता संभाली तो तीन सेन्टेन्स जो मुख्य मंत्रीजी ने कहे हैं – यह संवेदनशील सरकार होगी, यह जवाबदेह सरकार होगी यह पारदर्शी सरकार होगी।

अनेक माननीय सदस्य : है-है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : और एक ट्रांसपेरेन्ट सरकार होगी। चूंकि आप

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

जवाबदेह की बात करते हैं, आपने जवाबदेह माना है अपने आपको, इसलिए मैं यह बात कह रही हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : जवाबदेह है, इसलिए हमने चूरू में कालेज खोला।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, उनको खतम करने दीजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चीफ व्हिप से निवेदन करना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको खतम करने दीजिये, माननीय जगमाल सिंहजी।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप किसी को नहीं बोलने देंगे तो हम भी आपको नहीं बोलने देंगे। आप उनको रोकिये न। यह कोई तरीका हुआ क्या। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : किसी का भी नम्बर नहीं आएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप इधर तो फौरन आर्डर कह देते हैं और सत्ता पक्ष के लोग जो बराबर बोल रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको भी कह रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उधर आप एक शब्द भी कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उनको भी कह रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं समझती हूं +++ दोनों तरफ आपके लिये तो समान हैं। आपके लिये तो हम सब एक हैं। आप इस आसन पर बैठे हो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो आप बोल रही हैं इसलिए आपकी तरफ देख रहा हूं। आप कहें तो मुंह इधर कर लूं, मुझे क्या दिक्कत है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अब माननीय शिक्षा मंत्रीजी और सी. पी. जोशी साहब, जो पंचायत राज मंत्रीजी हैं, वह भी घोषणा करें के वह सब इलाकों के अंदर, सारे क्षेत्रों के अंदर, सब विधान सभा क्षेत्रों के अंदर जनप्रतिनिधियों की राय के मुताबिक स्कूलें खोलेंगे। विधायकों की राय के मुताबिक...

एक माननीय सदस्य : नार्म्स के अंदर होंगे तो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नार्म्स में आएंगे तभी तो। आपके कौनसे नार्म्स थे जो खोल दी? वो कौनसे नार्म्स थे? बात कर रहे हो नार्म्स की। आपके बड़े नार्म्स आए...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह सब बोलते रहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे को बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आपसे यही निवेदन करते हुए, आसन से यही निवेदन करते हुए कि सी. पी. जोशी साहब, पंचायत राज मंत्रीजी भी इस बारे में अपना वक्तव्य दे दें। वह भी घोषणा कर दें और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी यह कह दें कि बाकी जो स्कूलें खोलनी हैं...(व्यवधान) जिसके

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लिये उन्होंने कहा था, उस समय इलेक्शन कमीशन की आचार संहिता लागू हो गयी थी इसलिए वह नहीं खुल पायी थीं। इसलिए वह अब तुरन्त जो घोषणा उस समय की गयी थी, उस घोषणा को पूरा करें और उसमें विपक्ष के सब विधायकों की राय लेकर उन स्कूलों को भी खोलने की स्वीकृति दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय के विवाद में नहीं जाना चाहता...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह किस बात की डिबेट है? नहीं, माननीय मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, किस बात की डिबेट है यह? राजस्थान की जनता की गाढ़ी पसीने की कमाई को क्यों घण्टे-डेढ़ घण्टे यहां बरबाद कर दिया।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से आपने बयान दिलवा दिया। अब इसमें बहस करने वाली कौनसी बात हो गयी? स्टेटमेंट हो गया मंत्री महोदय का। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : यह कार्यसूची में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आर्डर प्लीज। (व्यवधान) मंत्रीजी का स्टेटमेंट आ गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पर पूर्व शिक्षा मंत्री होने के नाते कुछ सवाल खड़े किये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। हां, मेरी बात सुनिये। आप मंत्रीजी का स्टेटमेंट चाहते थे, मंत्रीजी का स्टेटमेंट आ गया। (व्यवधान) मैंने अलाउ किया है, मना थोड़े ही कर रहा हूं। मना नहीं किया। मंत्रीजी का स्टेटमेंट आ गया उसके बाद एक माननीय सदस्या को बोलने दिया। अब माननीय कटारियाजी बोल रहे हैं। यह कोई डिबेट का इश्यू तो है नहीं कि सारा हाउस बोलेगा। It is not a question of debate.

मोहम्मद माहिर आजाद : स्टेटमेंट आने के बाद सवाल तो पूछ सकते हैं? स्टेटमेंट आने के बाद क्वेरी तो कर सकते हैं हम? कोई चीज समझ में नहीं आयी हो तो वह तो पूछ सकते हैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियमों के अन्तर्गत?

श्री उपाध्यक्ष : आप पाइंटेड क्वेश्चन पूछें। डिबेट मत कीजिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इधर के एक सदस्य को मौका दीजिये। उधर दिया था आपने मौका। (व्यवधान) एक इधर के सदस्य को भी मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : देंगे-देंगे। बैठो। प्लीज सिट डाउन। आपको सैटिस्फाई करेंगे पूरा। आप बैठिये प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : आपको सीख देना उचित नहीं है। आज तक यह परम्परा रही है कि स्टेटमेंट के बाद क्वेरी ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक इधर के सदस्य को भी मौका दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : सब नहीं बोलेंगे, केवल कटारियाजी बोलेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व शिक्षा मंत्री रहने के कारण मेरे पर कुछ सवाल खड़े किये, केवल उनका ही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैंने पिछले पांच वर्षा में जो स्कूल खोले, आज मेरे पास सूची नहीं है, मैं कल सारी सूची लाकर सदन के सामने रख दूंगा और आप सदन के कोई भी पांच लोग बैठकर इसके बारे में निर्णय कर लें कि मैंने कहां नियम तोड़ा, कहां पक्षपात किया और कहां मैंने बेईमानी की। इसके बाद अगर सदन के पांच लोग मुझे अपराधी मानेंगे तो जो सदन मुझे दण्ड देगा, वह मैं भुगतने के लिये तैयार हूं। मैं यह कह रहा हूं कि मेरी पार्टी का एक भी सदस्य उसमें नहीं रहे। (व्यवधान) मैं यह चाहता हूं कि जो पांच लोगों की कमेटी बने उसमें भी मेरे दल का कोई सदस्य नहीं रहे, आप अपनी इच्छानुसार पांच लोगों को रख दें और मैं कल विधायकवाइज सूची लाकर आपके सामने रख दूंगा। दूसरा यह है कि जो मैंने पैसे लेकर के विद्यालय खोले (व्यवधान)

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : आपको क्या दण्ड देंगे, आपकी पूरी पार्टी को दण्ड मिल गया। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : दूसरा मेरे बारे में यह कहा गया कि पैसे लेकर के स्कूल खोले गये। जो शिक्षा का अपना बजट था, जितने विद्यालय खोलने थे हर साल उतने खुले। उसके अतिरिक्त मांग होने के कारण कोई भी साल ऐसा नहीं रहा कि हमने जो अपना टार्गेट दिया था, उसको बिना खोले हुए पैसे वाले खोले हों। पहले टार्गेट के पूरे किये। पूरे करने के बाद भी लोगों की मांग थी और आप में से अधिकांश सदस्य ने सबसे ज्यादा अगर पैसे वाले स्कूल खुले तो आप लोगों ने जन सहयोग से इक्ट्ठा करके, जनता ने उस पैसे की पूर्ति की और मैंने उसी आधार पर राज्य के खजाने में पैसा जमा कराया। कोई गुलाब चन्द कटारिया अपने घर नहीं ले गया था। वह पैसा आपके पास है। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं। अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मुझे जरूर दण्ड मिलना चाहिये, मैं इस पक्ष का आदमी हूं। लेकिन यह सुनने के लिये मैं तैयार नहीं हूं कि हमने बिना (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : पूरे पांच साल सुनना पड़ेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : छह महीने में आपको यहां से उखाड़ फेंकेंगे। आपको घमण्ड हो तो केवल छह महीने में यहां से यहां से उखाड़ फेंकेंगे। इस घमण्ड में मत रहना। आपका 150 का बहुमत है न, समय से पहले आपको यहां से रवाना करने की ताकत भी रखते हैं। यह दिमाग में नहीं होगा। किसी की दया से नहीं आये हैं।

एक अन्तिम बात मैं और कहना चाहता हूं। यह पहली बार हुआ राजनैतिक दृष्टि

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से, जिस प्रकार भीखा भाई जैसे वरिष्ठ व्यक्ति ने एक पत्र लिखा कि मेरे बिना कहे बांसवाड़ा में एक भी विद्यालय नहीं खुले। चाहे तो मैं कल वह पत्र आपके सामने रख सकता हूं। क्योंकि वहां विपक्ष के एम.एल.ए. हैं? यह जिस प्रकार का व्यवहार किया न, यह बच्चे के साथ है, किसी आदमी के साथ नहीं है और मैं सोचता हूं (व्यवधान) मेरी गारण्टी है, आज मैं बहुत विनम्रता से आपसे कह रहा हूं कि मैंने जो कुछ किया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न आपने।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : आज विपक्ष में हो इसलिए विनम्रता सूझ रही है। जब पक्ष में थे तब कौनसी नम्रता थी? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ज्यादा + + + मत करो, मंत्री नहीं बनाएंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरे किसी काम में कोई पक्षपात बता दें तो मैं सदन की सदस्यता कल की तारीख में छोड़ सकता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : ललित किशोर चतुर्वेदी थे और आप उसमें सदस्य थे। तीनों मिलकर स्कूल खोलते थे। आपको पावर तो थी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगमाल सिंहजी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने + + + उसका फैसला हो गया। + + + ...(व्यवधान) + + + बैठे हुए हैं एक कोने में। (व्यवधान) फैसला कर दिया जनता ने।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आदर्श विद्या मंदिर के तहखाने में लिस्ट बनती थी और कांग्रेस के (व्यवधान) ट्रांसफर करवाया। काहे की स्कूलें खोलीं, अध्यापक बिठाये नहीं उनमें। अध्यापक विहीन स्कूलें खोलीं आपने। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 15 साल के विधायी काल में मैंने जैसा प्रदूषण हाउस में इस बार देखा है, शायद ही कभी रहा हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटक्शन चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही चलाने की जितनी जिम्मेदारी आपकी है, उतनी पक्ष और विपक्ष की भी है।

श्री उपाध्यक्ष : आप लोगों की भी है।

श्री जगमाल सिंह यादव : हां, हमारी भी है। जो स्टेटमेंट शिक्षा मंत्रीजी का आया, चाहे यह अनजाने में हुआ चाहे जानकर, लेकिन राजस्थान की जनता को इतना मैसेज तो गया कि पार्लियामेंट के चुनाव से पहले सत्तापक्ष की जो एम.एल.एज. की डिजायर थी उन पर स्कूल खोल दिये गये और विपक्ष के जो विधायक थे उनकी वाजिब बातें भी अनसुनी कर दीं। आज जो नजारा हुआ, मैं भी शर्म की वजह से शामिल हुआ। कोई बढिया और दूध के धोये यह भी नहीं हैं। इन्होंने तो इनसे हजार गुना ज्यादा अत्याचार

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

शिक्षा के साथ किया है। आज पूर्व शिक्षा मंत्रीजी कह रहे हैं कि हमने नजरिया समान रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं दावे से कहता हूं कि अलवर जिले में जितने स्कूल खुले (व्यवधान) हां, लालू प्रसाद और लालटेन वाला। मैं फख्र के साथ कहता हूं लालू यादव (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप इनकी सुनो, (व्यवधान) क्यों पैदा करते हो?

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, अभी चर्चा हो रही थी कि राज्य की आर्थिक दशा बढ़िया नहीं है (व्यवधान)

डा. जसवंत सिंह यादव : जगमाल सिंहजी, ने इतनी +++ पूरे सैशन में फिर भी +++ को स्कूल नहीं मिला।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, यह कांग्रेस वाले भी अगर ऐसे भ्रष्ट आचरण अपनाते (व्यवधान) और अगर शिक्षा का इतना ही स्तर गिराते तो आज मुख्य मंत्रीजी को भी कह देना चाहिए था कि मैं स्कूल पैसे लेकर खोल दूंगा। आपकी कुछ स्थिति सुधर जाती। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस की गवर्नमेंट को जन कल्याण के काम में पैसे का व्यवसाय नहीं किया जिस तरह का बी.जे.पी. के लोगों ने किया। अभी भाटीजी कह रहे थे, भाटीजी, यही हमारे साथ हुआ था। (व्यवधान)

डा. जसवंत सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, जगमाल सिंहजी मंत्री तो नहीं बनेंगे, यह तो मैं लिख कर दे सकता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

डा. जसवंत सिंह यादव : एक स्कूल नहीं मिलेगा, +++ पर मंत्री नहीं बनायेंगे आपको। +++। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : जगमाल सिंहजी दल बदलू तो नहीं हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ कितनी ही करो, एक स्कूल नहीं मिलेगी। (व्यवधान) +++ जो है न उसका लालटेन बुझ गया, अब कितनी ही +++ करो एक स्कूल नहीं मिलेगी और यह जो +++ न (व्यवधान) यह मंत्री नहीं बनेंगे चाहे जितनी +++ कर लें।

डा. जसवंत सिंह यादव : जगमाल सिंहजी, आपको जनता ने विधायक बना कर भेजा है (व्यवधान) कोई कांग्रेस की +++ थोड़े ही भेजा है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चारा घोटाला हो गया, लालटेन बुझ गया। (व्यवधान) कितनी +++ कर लो, एक स्कूल खुलने वाली नहीं है, जगमाल सिंहजी।

श्री उपाध्यक्ष :माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

डा. जसवंत सिंह यादव : जनता की बात कहने के लिए भेजा है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके चरित्र के बारे में अलवर जिले के लोग जानते हैं कि आपका चरित्र क्या है। (व्यवधान) कितनी घटनाएं आप कर चुके, यह अलवर जिले

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

के लोग जानते हैं, यहां +++ कर रहे हो। +++ कर के स्कूल नहीं मिलेगा।

श्री जगत सिंह दायमा : जगमाल सिंहजी मंत्री तो नहीं बनेंगे परन्तु मंत्री से कम भी नहीं रहेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जगत सिंहजी। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को कंट्रोल में तो लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगत सिंहजी, बिराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ क्या करते हो, हमें पता है न। (व्यवधान) मैं भी अलवर जिले का हूं। (व्यवधान)

श्री जगत सिंह दायमा : यह कैसे कह सकते हैं कि जगमाल सिंहजी मंत्री नहीं बन सकते? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कितने बलात्कार हुए, हमें पता है। क्या बातें करते हो आप। (व्यवधान) +++ करते हो, खुशामद करते हो, +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। सुनना ही नहीं चाहते आप कोई। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस कंट्रोल में तो हो।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट हमें दीजिये।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात जारी रख रहा हूं। (व्यवधान)

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 1999
(1999 का विधेयक संख्या-17)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या-17)। श्री सी. पी. जोशी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाये।

श्री सी. पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या-17) को विचारार्थ लिया जाय। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : अगर यही परम्परा है तो बी. जे. पी. या कांग्रेस के लोग बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, एक ही मिनट कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं आप बिराजिये। आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट में बात कह रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष मोहदय, मैं आपकी इजाजत चाहूंगा।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके आदेश को फालो कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. जसवंत सिंह यादव : आपको जनता के हितों की रक्षा के लिए भेजा था, आपको कांग्रेस की +++ थोड़े ही भेजा था। 24 घंटे +++

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सत्तारुढ़ पार्टी से यह बात चाहता हूं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो गयी। कोई सुनना ही नहीं चाहता। चर्चा समाप्त।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जन सहयोग को आप व्यवसाय कैसे कह रहे हो? व्यवसाय कैसे हो गया, यह तो समझाओ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंहजी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, इनको काबू में तो कीजिये पहले। पहले हाउस को आर्डर में तो लीजिये आप।

श्री जगमाल सिंह यादव : आप उनको रोकिये न। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सांवर लाल : भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने (व्यवधान) इसके अलावा स्कूलें खोली हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंहजी। आर्डर प्लीज।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : व्यवसाय तो ट्रांसफर का हुआ है। (व्यवधान)

डा. जसवंत सिंह यादव : आपने अपना सारा समय तो +++ जाया किया है, अब आपकी चर्चा क्या होगी? बैठिये आप। (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, चाहे बी. जे. पी. हो, चाहे कांग्रेस हो (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव : अन्त में मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : और निवेदन करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

श्री जगमाल सिंह यादव : मेंडेट मिला है उसी के अनुसार लोगों की कद्र करते हुए भविष्य में काम करेगी। जो +++ की हैं इन्होंने ऐसे कोई काम कांग्रेस ना करे जिससे ऐसी हालत इनकी पांच साल बाद हो जाय। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह : बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। चर्चा समाप्त हो गयी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट बोलेंगे। सिर्फ एक-एक सवाल। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो गयी। अब बिराजिये आप। कोई सुनना ही नहीं चाहता। प्लीज। माननीय शिवनाथ सिंहजी। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक मिनट बोलेंगे, उपाध्यक्ष महोदय। एक-एक सवाल।

श्री उपाध्यक्ष : बिल पेश हो गया। (व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा हाउस कंट्रोल में हो तो मेरी बात सुनने को मिल जायेगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हो गयी। प्लीज, आप बिराजिये। माननीय शिवनाथ सिंहजी, बोलिये। बिल पेश हो गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, जिद नहीं करें, एक-एक मिनट दे दें। यह तो कोई बात नहीं हुई। फतेह सिंहजी तो अभी बोले ही नहीं।

श्री जीतमल खांट : माननीय फतेह सिंहजी को बोलने का मौका दिया जाय। जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनना ही नहीं चाहते। आर्डर, आर्डर प्लीज।

श्री जीतमल खांट : फतेह सिंहजी को बोलने का मौका दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो। माननीय शिवनाथ सिंहजी।

श्री जीतमल खांट : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री फतेह सिंह : ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन पेश करने का मकसद (व्यवधान) माननीय सदस्य, बिराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिल इंट्रोड्यूज हो गया, बहस शुरू हो गयी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अब नहीं। माननीय शिवनाथ सिंहजी, चालू करो, बोलो आप।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं यह विधेयक पेश किया गया है, पंचायत राज कानून में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

मोहम्मद माहिर आजाद : ×××

श्री शिवनाथ सिंह : बहुत लम्बे समय से पंचायत राज की संस्थाओं में, खास तौर से पंचायत समिति ओर जिला परिषद में (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री फतेह सिंह : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : डिबेट थोड़े ही है तो।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे क्या आदेश हैं ?

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री शिवनाथ सिंह : हाउस डिस आर्डर हो रहा है, इसमें अपनी बात कहने में असमर्थ हूं। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार का डिस आर्डर हाउस में रहे। इतना महत्वपूर्ण बिल है, इस पर चर्चा हो। मेरा आपसे निवेदन है कि हाउस को आर्डर में लाइये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री उपाध्यक्ष : शिवनाथ सिंहजी बोल रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : हाउस को आर्डर में लाये बिना कोई भी चर्चा माननीय सदस्य सुन नहीं सकते। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : ×××

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप इतने सीनियर मैम्बर हो। (व्यवधान) कह दिया ना उन्होंने।

श्री शिवनाथ सिंह : जो भी ताकत आपके हाथ में है उसका उपयोग करते हुए हाउस को आर्डर में लाने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री शिवनाथ सिंह : बिना हाउस को आर्डर में लाये मुझे अपनी बात कहने में असमर्थता है।

श्री उपाध्यक्ष : रिजल्ट आने दो फिर बात करेंगे।

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सदस्य, बैठ जाओ न। हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री बुलाकीदास कल्ला : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि पंचायत राज कानून में एक महत्वपूर्ण संशोधन माननीय मंत्रीजी लाये हैं, हम इसका स्वागत करते हैं। लम्बे समय से एक प्रकार की मांग चली आ रही थी (व्यवधान)

श्री श्रीचन्द कृपलानी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री शिवनाथ सिंह : एक लम्बे समय से इस बात की मांग चली आ रही थी हमारी।

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपने प्रान्त में थ्री टायर सिस्टम पंचायत राज को अपनाया है। (व्यवधान)

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शिवनाथ सिंह : देखिये, फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगा।

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : आवाज मेरी भी है, मैं भी नहीं बोलने दूंगा। यह क्या लगा रखा है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री जीतमल खांट : ×××

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय सदस्य, आपका भी बोलने का समय आयेगा, मैं भी नहीं बोलने दूंगा। यह क्या हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : शिवनाथ सिंहजी, बोलिये।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमने प्रांत में, राजस्थान में थ्री टायर सिस्टम अपना रखा है और जिला परिषद, पंचायत समिति और पंचायत उसके तीन प्रमुख अंग हैं। पिछली सरकार के समय में पंचायत राज कानून में परिवर्तन होकर नया कानून बना और पंचायत राज की जो भावनाएं थीं, जिस भावना से पंचायत राज की स्थापना पूरे देश में और हमारे प्रान्त में की गयी थी उसका सत्यानाश कर दिया गया। हम यह चाहते हैं, जनता यह चाहती है कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इस पंचायत राज के कार्यकलापों में भागीदारी दें। हमारा सरपंच, ग्राम पंचायत का मुखिया जो व्यक्ति है, उस स्थान पर बैठता है तो गांव के विकास की बात सोचता है, करता है, उसकी जिम्मेदारी है करने की। लेकिन उस कानून में सरपंच को कहीं भी कोई स्थान नहीं दिया गया और पंचायत समिति में, जहां विकास कार्यों का निर्णय होता है, सरपंच को कोई भागीदारी नहीं दी।

इसी तरह से पंचायत समिति के प्रधान की जिला परिषद के कार्यकलापों में कोई भागीदारी नहीं थी। लम्बे समय से इस बात की मांग उठ रही है और आज मैं स्वागत करता हूं माननीय मंत्री महोदय के इस कदम का कि इन्होंने यह संशोधन लाकर हमारी रीढ की जो हड्डी है पंचायत, उसको ताकत देने की चेष्टा की है, पंचायत समिति के प्रधान को ताकत देने की चेष्टा की है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत राज कानून में इस प्रकार के छुटपुट संशोधन से इसकी भावना जिस तरह से पूरी होनी चाहिए वह नहीं हो पायेगी। आज पंचायतों की स्थिति क्या है इसको हमें देखना पड़ेगा। पंचायत समिति के सदस्य अलग-अलग वार्डों से चुनकर जाते हैं। उनका खास काम सिर्फ प्रधान बनाना और प्रधान को हटाना है। इसके अलावा कोई काम नहीं है। विकास में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। इसी तरह से जिला परिषद के सदस्य जो चुनकर जाते हैं वे प्रमुख बना सकते हैं। प्रमुख को हटा

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री शिवनाथ सिंह)

सकते हैं। इसके अलावा कोई भी भागीदारी इनकी विकास कार्यों में नहीं है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से सरपंचों को पंचायत समितियों में विकास कार्यों में भागीदारी दी गयी है, उन वार्डों के पंचायत समिति के सदस्यों की भी भागीदारी बनायी जाए। किस रूप में बने, वह माननीय मंत्रीजी सोचें। हमसे राय लेंगे तो हम भी देंगे। लेकिन उनको एक बार चुनकर पांच साल के लिए वैठा दिया गया, आज उनकी स्थिति दयनीय है। आज उनके टी.ए., डी.ए. भी उस पंचायत समिति के फोर्थ क्लास से कम हैं। इतना ह्युमिलियेशन उनके साथ हो रहा है। आज जो पंचायत समिति की स्टेंडिंग कमेटीज हैं उनमें वे सब मैम्बर चुनकर आते हैं लेकिन पंचायत समिति की स्टैंडिंग कमेटीज का कोई अस्तित्व, कोई अधिकार नहीं है।

माननीय उपाध्यक्षजी, एक समय हुआ करता था जब विकास अधिकारी पंचायत समिति का और सम्पूर्ण स्टाफ प्रधान की देखरेख में काम करता था। प्रधान की इजाजत ली जाती थी। राज्य सरकार यदि उसमें कोई विकास अधिकारी बदलेगी, विकास अधिकारी हटायेगी या नया लगायेगी तो फार्मल तरीके से राज्य सरकार प्रधान की कंसेन्ट लिया करती थी। कोई भी एक्सटेंशन ऑफिसर होगा वह बदला जायेगा तो प्रधान की कंसेन्ट ली जाती थी। स्टेंडिंग कमेटी, जो प्रशासनिक कमेटी होती थी, का बहुत बड़ा महत्व था। सर्विसेज पर उसका नियंत्रण था, देखभाल थी। उनके खिलाफ कार्यवाही इनीसिएट करना ट्रांसफर करना इस प्रकार के प्रावधान पंचायत एक्ट में थे और उसका असर यह था कि सर्विसेज पंचायत समिति के सदस्यों की इच्छा के अनुरूप जन भावनाओं को देखते हुए जनहित में कार्य किया करती थीं। आज स्टाफ के ऊपर, विकास अधिकारी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। समय था जब विकास अधिकारी की सी.आर. वहां का प्रधान लिखा करता था। आज प्रधान के पास कोई ताकत नहीं है। प्रधान किसी अध्यापक के खिलाफ कार्यवाही करवाना चाहे तो विकास अधिकारी को लिखकर दे तो भी विकास अधिकारी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं करता है। नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, आपने एक कदम अच्छा उठाया है, दूसरी जो खामियां हैं उनको भी दूर करने की चेष्टा कीजिए क्योंकि हम उसके बिना जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं बढ़ पायेंगें।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज जो कुछ पंचायत समितियों में हो रहा है, कल यहां एक चर्चा चली कि आर. ए. एस. अधिकारियों को पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों के पदों पर लगाया जाए। यह अनुभव बहुत पहले हम कर चुके हैं। आई. ए. एस. अधिकारी भी पंचायत समिति के विकास अधिकारी के पद पर लगाये गये और उनके कार्यकलापों का, उस वक्त की कार्य विधि का आंकलन किया गया और हमारे राजस्थान के निर्माण में बहुत बड़ी

(श्री शिवनाथ सिंह)

भागीदारी निभाने वाले श्री मोहन लालजी सुखाड़िया, जिनका हम स्मरण करते हैं, सब चीजों को सोच समझकर, देखकर उस प्रावधान को उन्होंने हटाया और पंचायत समितियों में विकास अधिकारी के पद पर विभिन्न सेवाओं से लोग लिये गये। आज विकास अधिकारी के पद पर उस व्यक्ति का आसीन होना जरूरी है जो ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को समझता हो, पंचायत समिति के जो कार्यकलाप हैं उनमें रुचि रखता हो। वहां इर्रिगेशन की बात है, डवलपमेंट की बात हैं और खास तौर से शिक्षा की बात है, आज हमारी जो स्कूल्स हैं उनकी देखभाल अच्छी हो इसलिए विभिन्न सर्विसेज से जो यह विकास अधिकारी को लाने के लिए कार्यक्रम रखा गया था, मैं कहता हूं, उस व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए। सुदृढ़ करने के बाद यदि कोई रिजल्ट नहीं आता है तो आपके पास कार्यवाही करने का अधिकार है। लेकिन सिर्फ जैसा कि कल माननीय मंत्री महोदय ने कहा, हम सम्पूर्ण रूप से आर.ए.एस. अधिकारी लगाने की ओर बढ़ रहे हैं, वह दिन बहुत खतरनाक होगा, पंचायत राज के लिए बहुत भयंकर, खतरनाक होगा, इस प्रकार की स्थिति यदि आपने ला दी। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ बैठकर बात करने वाला विकास अधिकारी वहां होना चाहिए।

मैं संक्षेप में आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा। हमारे यहां भी एक आर.ए.एस. ट्रेनी को लगा दिया गया विकास अधिकारी। सामने चिट लगा दी, सामने पर्चियां टांग दीं और मिलने का समय निर्धारित कर दिया। सरपंच आये, मिलने का समय नहीं है, पंचायत समिति का सदस्य आये, मिलने का समय नहीं है। एक कुर्सी पर खुद बैठ गया, सामने वाली सारी कुर्सियां हटा दी गयीं। क्या हम इस प्रकार का व्यवहार बर्दाश्त कर सकते हैं ? हमारे सरपंच को दस दफा पंचायत समिति में आना पड़ता है, पंचायत समिति के सदस्य को आना पड़ता है, विधायक को आना पड़ता है और अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आना पड़ता है, उसके सामने हम हाथ जोड़कर खड़े रहें और वह कुर्सी पर बैठा रहे। इसका बदला एक बार हमारे एक सरपंच ने लिया। जब विकास अधिकारी गांव में गया तो सरपंच ने बुलाया। सरपंच खेत में जाकर खेजड़ी के नीचे बैठ गया और कहा कि यहां भेज दो विकास अधिकारीजी को। वहां भरूँट उगे हुए थे। उन्होंने कहा बैठ जाइये श्रीमानजी।

इस प्रकार की यह व्यवस्था जो हो रही है या होने जा रही है उस तरफ मैं संकेत कर रहा हूं। इस व्यवस्था पर आप फिर से विचार कीजिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा पिछले कुछ समय में इस प्रकार के कदम उठाये गये जिनसे पंचायत राज संस्थाओं की अवमानना हुई है। हमने राजीव पाठशालाएं खोलीं, मैं सरकार को साधुवाद देता हूं। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं थी वहां स्कूल्स खोले। बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिली और ग्राम पंचायतों के माध्यम से स्कूलें खुलीं। बहुत अच्छा कदम था।

(श्री शिवनाथ सिंह)

लेकिन उसके बाद हुआ क्या? आदेश हो गया कि 31 जुलाई तक मकान बनकर तैयार हो जाने चाहिए। अध्यापक एक, कक्षाएं दो और उसमें कमरे तीन। दो लाख चौदह हजार कहीं ज्यादा कमीवेशी का प्रावधान हुआ और हड़बड़ाहट में भवन निर्माण के ठेके दे दिये गये। कोई कच्चा कोई पक्का बना क्योंकि एक जुलाई को उसमें बच्चों को बैठाना है।

माननीय उपाध्यक्षजी, हम बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ाने की। आदेश निकला, एक दिन में सब जगह ग्राम सभाओं की मीटिंग कर दो, प्लान बना दो। और वह प्लान ऐसा बना कि करोड़ों रुपये पंचायत में खर्च होने लागू हो गये। रुपया एक था नहीं। उस प्लान में परिवर्तन न पंचायत समिति कर सकती है, न डी.आर.डी.ए. कर सकती है, न जिला परिषद कर सकती है। आज इन पंचायत समिति के सदस्यों का महत्व क्या है? क्यों इनको वहां बैठाया जाता है? जिला परिषद के सदस्यों को क्यों बैठा रखा है? डी.आर.डी.ए. की गवर्निंग कौन्सिल किस काम के लिए है वहां?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आज 6 बिल समाप्त करने हैं और बहुत से माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, थोड़ा समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं इसीलिए निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने समय बहुत कम रखा। बिल इतने इम्पार्टेंट रखे गये हैं कि उन पर बहुत विस्तार से विचार होना चाहिए था लेकिन सरकार ने समय कम रखा। मैं समय सीमा में रहते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि आज और बहुत से सुधार ऐसे हैं जो पंचायत राज कानून में हमें लाने चाहिए। उनके लाये बिना आज जो प्राणहीन पंचायत राज संस्थाएं हो गयी हैं उनमें प्राण नहीं आ सकते।

मैं, उपाध्यक्ष जी, आपके आदेश का पालन करता हुआ इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ न कुछ काम समय से किये जाएं। टैंथ फाइनेंस कमीशन का रुपया था, वह रुपया जनसंख्या के आधार पर गांवों में जाना चाहिए था। मेरी पंचायत समिति में तीस स्कूलें बनीं, मुझे 60-70 लाख रुपया मिल गया। एक पंचायत समिति में 60 स्कूलें बनीं, हमको 14 लाख रुपया मिला। वह क्राइटेरिया कहां गया जिसमें जनसंख्या के आधार पर यह रुपया गांवों में जाना चाहिए था? नहीं गया। लेकिन यह सब काम हड़बड़ाहट में हुआ। हो सकता है सरकार के सामने कठिनाई हो, कोई भी कठिनाई हो सकती है। तो इस प्रकार के आदेश प्रसारित करना, रात को आदेश जाता है, कल सुबह पंचायतों की मीटिंग बुलाकर, ग्राम सभा की मीटिंग बुलाकर स्कूलों का निर्णय करना है, कल सुबह ग्राम सभा की मीटिंग बुलाकर प्लान बनाना है, इस प्रकार के हड़बड़ाहट के काम किसी भी रूप में ग्रामीण क्षेत्र की बहबूदी में काम नहीं आ सकते।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस पंचायत राज कानून में बहुत गुंजाइश है संशोधन लाने की और इकजाई संशोधन लाये जाएं। इसीलिए मैंने रखा है कि इसको जनमत जानने के लिए

(श्री शिवनाथ सिंह)

परिचालित कर दीजिए ताकि दूसरे भी जो संशोधन आने चाहिए वह राय हमारे सामने आ जाए और फिर पंचायत राज को सुदृढ़ करने के लिए हम इकजाई अमेंडमेंट ला सकें।

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम पंचायत राज की कल्पना और प्रोग्राम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आजादी से पहले का है। उन्होंने गांवों की व्यवस्था के लिए ग्राम स्वराज्य का प्रोग्राम दिया था। गांधीजी के प्रोग्राम को पूरा करने के लिए भारत का संविधान जब बन रहा था और बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान के बिल को पायलट कर रहे थे और करीब करीब पास हो गया था तब गांधीजी की यह फिलासफी, पंचायती राज की, डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी के ध्यान में आयी और उन्होंने ध्यान आकर्षित किया तो लास्ट में यह पैरा ग्राम राज का, पंचायती राज का, सैल्फ गवर्नमेंट का संविधान के अन्दर जोड़ा गया था। हमारा राजस्थान इसमें अग्रणी रहा है। लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए राजस्थान ने ही सबसे पहले 1959 के अन्दर शुरूआत की थी और आप भी उसमें भागीदार थे। लेकिन उस वक्त जितनी राजस्थान को ख्याति और कीर्ति अर्जित हुई थी पूरे देश के अन्दर, इस पंचायती राज ने उसकी पूर्ति नहीं की, उसको आगे नहीं बढ़ाया। 1959 में आप भी प्रधान रहे हैं, पंचायती राज को नजदीक से देखा है, जो जागृति, जो उत्साह उस वक्त लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के नाम पर राजस्थान में हुआ था वह अबकी बार नहीं हो सका। पंचायती राज की जो फिलासफी है, हमारे पंचायत राज मंत्री महोदय स्वयं विद्वान हैं, फिलोसफर हैं और गांधीवादी उनका चिन्तन है और अपने चिन्तन के हिसाब से पंचायती राज को वह चला रहे हैं, दिशा-निर्देश दे रहे हैं। लेकिन मेरा इस सम्बन्ध में बुनियादी निवेदन, मान्यवर, इस प्रकार से है कि यह जो पंचायती राज की रूपरेखा आज पूरे देश में चल रही है, यह पहले भिन्न-भिन्न नामों से, भिन्न-भिन्न तरीकों से सब प्रदेशों में थीं। इसमें एकरूपता लाने वाले युगदृष्टा राजीवजी गांधी थे। पंचायत राज के बारे में उनकी एक कल्पना थी और एक प्रोग्राम था। यह किसी एक दिन की और एक आदमी की उपजी हुई चीज नहीं है। उन्होंने प्रधान मंत्री होते हुए पूरे देश के अन्दर हर प्रदेश में, हर इलाके में साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में और नोर्थ में सब जगह कांफ्रेंसेज आयोजित की थीं। आपको, मान्यवर, याद हो तो हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उन्होंने प्रोग्राम भेजा था, जिला कांग्रेस कमेटीज की राय ली थी कि ढांचा किस प्रकार का होना चाहिए। उसके बाद में उन्होंने एक प्रोग्राम दिया और वह पंचायत एक्ट उन्होंने बनाकर सारे देश के सामने दिया और संवैधानिक गारंटी उसके अन्दर दी। संविधान में उसको जोड़ा गया। वह जब पास हो रहा था पार्लियामेंट के अन्दर, मान्यवर, लोक सभा के अन्दर टू थर्ड वोट से वह पास हुआ लेकिन राज्य सभा में आकर के एक मत से वह गिर गया। नतीजा यह हुआ कि राजीव गांधी अपने जमाने के अन्दर

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रधान मंत्री रहते हुए भी उस बिल को पास नहीं करवा सके और वह बिल धराशायी होकर वहीं रह गया और वह ड्राप हो गया।

1990 के अन्दर जब जनता दल की संयुक्त सरकार देश के अन्दर आयी, उसने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन चूंकि राजीवजी का प्रोग्राम था, 1991 के अन्दर कांग्रेस की सरकार आयी, नरसिम्हारावजी उसके प्रधान मंत्री बने, उन्होंने इस काम को टेकअप किया, हो सकता है कुछ लोगों ने राजीवजी के प्रोग्राम के नाम पर उनको कहा हो तो उन्होंने इसको टेक अप किया, मान्यवर, यहां सबसे बड़ी गलती हुई। यह जो एक्ट बना, यह समझौते से बना क्योंकि एक मत से गिराने वाला प्रतिपक्ष दूसरा था जो इधर आज बैठे हैं। इन्होंने उसको गिराया था। इन्होंने इसके अन्दर परिवर्तन करवाया। परिवर्तन बुनियादी हुआ। राजीव गांधी की फिलासफी थी कि सरपंच से लेकर प्रमुख तक का चुनाव आम जनता से हो, नगरपालिका के वार्ड मैम्बर से लेकर चेयरमैन तक का चुनाव आम जनता से हो। सरपंच का आम जनता से रह गया, प्रधान का इन्डायरेक्ट कर दिया, प्रमुख का इन्डायरेक्ट कर दिया, चैयरमैन और म्यूनिसिपल कौन्सिल के प्रेसीडेंट का चुनाव भी इन्डायरेक्ट कर दिया जबकि राजीव गांधी का जो प्रोग्राम था उसमें आम जनता को इंवाल्व करते हुए अलग-अलग यूनिट्स का प्रोग्राम आम जनता से था। समझौते के रूप में पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव यह जो एक इलेक्ट्रोरल कालेज है। 15-20 आदमियों की, उसके द्वारा होने लगा। यह पहले भी होता था। मंत्री महोदय, आपको ध्यान होगा कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह संशोधन है या...

श्री रामनारायण चौधरी : संशोधन है। संशोधन है पंचायती राज फिलासफी के ऊपर। इस संशोधन के द्वारा मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। आप जिस किसी को अच्छी नहीं लगे वह अपने कानों में अंगुली दे सकता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन मुझे इस संशोधन के द्वारा पूरे पंचायती राज के ऊपर विश्लेषण करने का अधिकार है और माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे अनुमति दी है।

तो आज यह पंचायत समितियां, जिला परिषदें और पंचायतें बनीं यह अलग-अलग हैं। इनके लिंकेज का कोई प्रश्न नहीं था। आपसे पहले जब पूर्व सरकार थी तब मैंने हमारे मुख्य मंत्रीजी को कहा था कि आपके इस पंचायती राज, जिसका श्रीगणेश मोहन लाल सुखाड़ियाजी ने किया था, का आपके हाथों से आपके राज में खात्मा हो रहा है। तो उन्होंने एक बात कही कि इसमें एक बुनियादी गलती हुई। मैंने कहा, वो क्या गलती हुई? बोले, गलती यह हुई कि हमने सरपंचों का पंचायत समिति में और प्रधान का जिला परिषद में लिंकेज नहीं रखा। मैंने कहा, यह लिंकेज तो आप रख ही नहीं सकते क्योंकि यह तो सैण्ट्रल एक्ट है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ एक्ट है उस व्यवस्था को आप बदल नहीं सकते। इसमें

(श्री रामनारायण चौधरी)

पूर्ति नहीं हुई। अब वह पूर्ति हमारे मंत्रीजी कर रहे हैं। मैं, मान्यवर, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इससे कुछ फायदा नहीं होगा। आज सरपंच को पंचायत समिति, प्रधान को जिला परिषद में बैठा करके पंचायती राज को कोई ताकत नहीं दे सकते। एक दृष्टिकोण था कि ग्राम पंचायत ग्राम लेवल में ऊपर योजनाएं बनाएगी और वह उसको इम्प्लीमेंट करेगी, एक्जीक्यूट करेगी, पंचायत समिति में वह पास होगा और जिले की प्लानिंग कमेटी उसको एप्रूव करेगी। आज स्थिति यह हो गयी, उपाध्यक्ष महोदय, कि पंचायत समिति जो इलेक्टेड बाडी है, जिसका प्रधान है उसके पास में कुछ भी काम नहीं है। आप सरपंचों को उसमें जोड़कर क्या करोगे? आज पंचायत समिति का मतलब है विकास अधिकारी। आज ग्राम पंचायत का मतलब है सरपंच और जिला परिषद का मतलब है जिला परिषद का सी. ओ.। पिपुल रिप्रजेन्टेटिव की कोई कद्र इस व्यवस्था के अन्दर नहीं है। होना यह चाहिए था, जो सोचा गया था कि ग्राम पंचायत की योजना बना कर ग्राम पंचायत पंचायत समिति से अप्रूव करवायेगी और पंचायत समिति का जो काम है उसको इम्प्लीमेंट करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आपने कोई पंचायत समिति की मीटिंग देखी हो, अगर जिला परिषद में आप गये हों, मैं आपको कहता हूं मेरे अनुभव के आधार पर कि पंचायत समिति की मीटिंग में, पंचायत समिति एक्ट देख लें, एक भी काम, एक भी प्रस्ताव उसके अनुरूप वहां डिसकस नहीं होता। जिला परिषद के अन्दर जो एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन के सवाल हैं वह उठायेंगे लेकिन जो अधिकार जिला परिषद को दिये हुए हैं, जो प्रोग्राम दिया हुआ है उसके ऊपर एक भी चर्चा नहीं होगी। पंचायत समिति का मतलब विकास अधिकारी है। प्रधान का तात्पर्य सिर्फ अपना अलाउन्स लेना और माननीय सदस्यों के बिलों पर काउंटर साइन कर देना और 5 हजार से ऊंचा चैक है उस पर काउंटर साइन कर देना। पंचायत समिति एज ए बाडी जिनको आपने काम सौंपे हैं उन कामों का विश्लेषण वहां होता ही नहीं है। उसका कोई निर्णय नहीं होता, कोई करवाना नहीं चाहता। क्यों नहीं करवाना चाहता? इसलिए कि सिर्फ कर्ता-धर्ता विकास अधिकारी है। मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि हबड़-दबड़ में इतना काम हुआ। आज भी हो रहा है। आप ग्राम पंचायत को एक यूनिट रखिये। काहे का लिंकेज, किस बात का लिंकेज है? आपने सरपंच को पंचायत समिति में बैठा दिया, क्या लिंकेज हो जाएगा? क्या कर देगा वह? जो ग्राम पंचायत को एक प्रोग्राम दिया है उस प्रोग्राम को पंचायत समिति अप्रूव करे, उसकी निगरानी करे। वह सरपंच और प्रधान जिनको दायित्व दिया गया है, उसको तो हम करने नहीं दे रहे। क्योंकि उसमें आज पंचायत का मतलब है सरपंच और सरपंच इतना कमजोर बना दिया है आपने, मान्यवर, कि आज सरपंच एक मायने में इन्डायरेक्ट रूप से अनआफिशियली राज का ठेकेदार है। तमाम कामों का इम्प्लीमेंटेशन एक्जीक्यूशन सारा सरपंच ठेकेदारी से करवाते हैं और

(श्री रामनारायण चौधरी)

बी. डी. ओ. का मातहत है, जे. ईएन. का मातहत है। मुझे संकोच होता है, मैं जिम्मेदारी को समझते हुए यह नहीं कहूं कि वहां किस तरह से क्या-क्या हो रहा है, आज मेरी पंचायत समिति अलसीसर में एक एक बी. डी. ओ. गया, वह था इर्रिगेशन डिपार्टमेंट का, जाने के 72 घंटों के भीतर तमाम पंचायतों में घूमकर पूछ लिया कि बी. डी. ओ. का कितना हिस्सा है। सरपंच ने कहा कि बी. डी. ओ. का तो कोई हिस्सा नहीं है। तो बोला कि कैसे काम चलाते हो? तो बोले, साहब, यूं ही दे देते हैं हजार-पांच सौ रुपये। बोले, ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरा तो तय करना पड़ेगा। तो बोले, तय तो हम क्या करें। मैं आपको कहता हूं कि हर बी. डी. ओ., हर जे. ईएन., हर ए. ईएन. का, सबका हिस्सा बंधा हुआ है, जो 10 परसेन्ट पी. डब्ल्यू. डी., इर्रिगेशन के अन्दर है वह आज पंचायत समिति के अन्दर हर काम के अन्दर है। यह हमारी शक्ल हमने बना दी। क्यों बना दी? ए. ईएन. से, जे. ईएन. से अप्रूव करवाओ। एक्जीक्यूशन का काम सारा बी. डी. ओ. के हाथ में है और पंचायत को जो काम सौंपा था वह पंचायत न करके सरपंच कर रहा है। एक भी सरपंच, राजस्थान की जितनी ग्राम पंचायतें हैं, मैं चैलेंज करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आप हर क्षेत्र को ले लीजिए, एक भी सरपंच ने पंचायत समिति से पैसे लाने के बाद अगर कभी अपनी ग्राम पंचायत की बैठक बुला कर कभी यह रखा हो कि इतने पैसे हैं, इनको किस तरह से खर्च करें। एक भी सरपंच, जितनी पंचायतें हैं मेरी चुनौती है, आप भी चलिए और मैं भी चलूंगा, चैलेंज है, एक भी सरपंच गांव में जा करके नहीं बताता है कि इतने रुपये आये हैं भाई। काहे की पंचायतें हैं? कैसी पंचायत समितियां हैं? जो मैं इनको बंद नहीं करें, इनको मजबूत बनाओ। बन्द करने की बात नहीं कहता, इनको असली रूप में पंचायती राज दो, इसको आप नकली मत बनाओ। लिंकेज से कोई फायदा नहीं होगा...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं समाप्त कर रहा हूं। लिंकेज से कोई फायदा नहीं होगा। सरपंच क्या करेगा? वहां जाकर बैठ जाएगा। आज 15 आदमियों की है, आप उसको 55 आदमियों की कर दोगे। कुछ भी इसमें आने वाला नहीं है। प्रधान और सरपंच पंचायत समिति और जिला परिषद के मैम्बर थे तब इस बात का सवाल उठता था कि किस तरह से एक-दूसरे के अन्दर इंटरफियरेंस होता है। इनका लिंकेज उचित नहीं है। जो देश के युगदृष्टा थे उन लोगों ने सोच-समझ करके यह रखा था कि इनको अलग अलग, इंडिपेंडेंट रखो।

श्री उपाध्यक्ष : आपका जे. ईएन., ए. ईएन. के सम्बन्ध में सुझाव क्या है? इनको हटा दें क्या?

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा सुझाव यह है कि इस लिंकेज से कोई लाभ नहीं होगा। मंत्री महोदय पास करवाएंगें, हम पास करने को वोट देंगे लेकिन इससे कुछ

(श्री रामनारायण चौधरी)

नहीं होगा क्योंकि सरपंच क्या करेगा वहां, उनको कोई अधिकार नहीं है। बैठे रहेंगे वह भी, दस्तखत करके आ जायेंगे और बात वहां कह देंगे। सरपंच काम है, वह अपना काम कर रहा है वही नही कर रहा। सरपंच का काम है ग्राम पंचायत की योजना बनाना उनको पास करनवाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, एक्जीक्यूट करवाना पंचायत का की मार्फत।, एक पंच को जानकारी नहीं देते। मेरा मतलब यह है कहने का कि आपने 1/3 रिप्रजन्टेशन दिया महिलाओं को, आपने एस. सी., एस. टी. को रिप्रजेन्टेशन दिया, आपने ओ. बी. सी. को दिया, देना चाहिए था लेकिन आपने प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं की पंचायतों में। पंचायत समिति और जिला परिषद में आपने कोई प्रशिक्षण नहीं दिया। अनपढ़ महिलाये आ गईं। जिनका एक्जीक्यूशन का काम है, आपने प्रशिक्षण नहीं दिया, आपने उनको सम्भाला नहीं सिर्फ बनाकर टेक्निकल दृष्टि से वहां ऊपर सी. ओ. नीचे बी. डी. ओ. और नीचे सरपंच इन तीनों को मिला कर एक लाइन बना दी आपने। पंचायती राज का नाम नाम है और काम सारा ब्यूरोक्रेसी से है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जिला परिषद के पास क्या है? डी. आर. डी. ए. सब कुछ है। प्लान बना करके ग्राम सेवक भेजता है, ग्राम सभा उसको डिटो कर देती है, पंचायत समिति उसको आगे भेज देती है। मंत्री महोदय, आप क्या करेंगे, मुझे नहीं पता, अब तक यह था कि ग्राम सेवक ने प्लान बनाया, पंचायत समिति को दे दिया उसने फारवर्ड जिला परिषद को कर दिया और वह डी. आर. डी. ए. में चला गया, और वहां पास हो गया। प्लान बने, 5 गुना पैसे आयेंगे। प्लान बना दिया 10 लाख का। उस काम को पिकअप और चूज कौन करेगा? डी. आर. डी. ए. का पी. डी.। डी. आर. डी. ए. प्रमुख जिला परिषद का प्रमुख नहीं, प्रधान नहीं, एम. एल. ए. नहीं, एम. पी. नहीं लेकिन उसको पिकअप करेगा पी. डी., प्रोजेक्ट डायरेक्टर। अप्रूव कौन करेगा? जिला कलेक्टर। वह कौन, चेयरमैन डी. आर. डी. ए.। राज किसका हुआ? पी. डी. कलेक्टर और नीचे ग्राम सेवक। काहे का, कैसा पंचायती राज है? इसको ही पंचायती राज कहेंगे? इसके वर्स्ट व्यवस्था कोई हो नहीं सकती, वास्तव में कागजों में लिखा है कि हमारा पंचायती राज है। ऐसी कल्पना, उपाध्यक्ष महोदय, न तो महात्मा गांधी ने की थी, न राजीव गांधी ने की थी। यह पंचायती राज, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं इसका सारा फार्मूला राजीव गांधी ने तैयार किया था और राजीव गांधी अकेले नहीं थे, पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी थी, पूरे देश की पोलिटिकल लीडरशिप थी और पूरी कांग्रेस की लीडरशिप थी। हर प्रदेश के अन्दर वहां वह डिस्कस होने के बाद में यह रूप आया था। विकृत रूप आया 1991 में। पंचायती राज के मार्फत लिंकेज दीजिए हम इसका समर्थन करेंगे लेकिन इस लिंकेज से पंचायती राज की जो फिलीसफी है, आप फिलासफर हैं, आप विद्वान हैं,

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी के, पंचायती राज के प्रोग्राम को राजस्थान के अन्दर आप पायलट कर रहे हैं, इस दर्शन को समझ करके वास्तविक रूप ग्राम पंचायत का हो, किस तरह से असली रूप हो उसका प्रोग्राम आप बनाइये ताकि राजस्थान आगे बढ़े। 1959 के अन्दर जब राजस्थान को याद करते थे, दूसरे प्रदेशों से लोग देखने के लिए आते थे, कैसा चल रहा है। आज हम देखने के लिए जाते हैं। आज हमारी स्थिति क्या हो गई सारे देश के अन्दर?

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस प्रस्ताव के द्वारा कि आप जल्दबाजी में इसको क्यों पास करवा रहे हैं? कौनसे लिंकेज से आप सरपंच को पंचायत समिति में बैठा दोगे और प्रधानजी को जिला परिषद में बैठा दोगे, क्या क्रान्ति हो जायेगी? कोई क्रान्ति नहीं होगी। मेरा सुझाव है कि आप इसको जनमत के लिए रखिये, मंत्री महोदय और सबको सुनिये। सब लोगों से कांफ्रेंस कीजिए, सबके विचार जानिये। ताकि आपको पता चले कि वास्तविकता क्या है और किस प्रकार पंचायती राज को मजबूत किया जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि इसको जनमत हेतु परिचालित करवायें, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के एक-दो सुझाव मंत्री महोदय को देना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि मंत्री महोदय पंचायती राज संस्थाओं को, प्रमुखों को पावर देकर के मजबूत बनाना चाहते हैं और सरपंच को मजबूत करने के लिए, प्रधानों को मजबूत करने के लिए अमेंडमेंट लाये हैं। लेकिन जहां तक पंचायती राज विभाग के कार्यकलापों का सवाल है उनमें प्रमुखों को, प्रधानों को मजबूत करने की बात व्यवहार में नहीं आ रही है। कानून का जहां आप संशोधन करने जा रहे हैं, मौजूदा जो कानून है, उसकी कहां पालना हो रही है? अभी आपने ग्राम सेवकों की भर्ती की। पंचायत एक्ट में यह काम डीईसी. का है और डीईसी. का अध्यक्ष प्रमुख है। उसमें दो मैम्बर और हैं लेकिन जो अधिकार डीईसी. को था, प्रमुख को था उसको आपने नजदीक नहीं आने दिया और,

(14.00 बजे)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

कलेक्टर्स के जरिये यह सारी आपने परीक्षाएं आयोजित करके डी. ई. सी. और प्रमुख और जिला परिषद् को सारी जो शक्ति कानूनन उनको थी, उनको अलग करके उनकी खुले रूप में आपने उपेक्षा की। उन परीक्षाओं के लिये फार्म डी. ई. सी. के नाम से लिये गये और जो फीस जमा हुई वह जिला परिषद् में हुई। वह कानूनन जिला परिषद् की निजी आय थी। उसमें लाखों रुपया आपके कलेक्टर्स ने सीधे खर्च कर दिया, जिला परिषद् में पूछा तक नहीं है। परीक्षा आयोजित करने में लाखों रुपये खर्च किये। एक-एक जिले में कई-कई लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

निजी आय को खर्च करने के लिये कानून में प्रोविजन है, एक्ट में प्रोविजन है, नियमों में प्रोविजन है। तो आप इस छोटी सी बात के लिये तो कानून में अमेंडमेंट ला रहे हैं लेकिन कानून मानता कौन है, आपके विभाग में। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि कानून एक तरफ है और व्यवहार में आपका विभाग एक तरफ है।

अभी 1996 में नियम बने थे। उन नियमों में पुराने जो नियम थे उन सारे नियमों को आपने रद्द कर दिया और जैसे तैसे ठेका दे करके ठेकेदार से नियम बनवाये। नियमों में और एक्ट में कोई तालमेल नहीं है। एक्ट में जो प्रोविजन हैं उनके लिये तो नियम बने नहीं और एक्ट में जो प्रोविजन नहीं हैं उनके लिये नियम बना दिये गये। मैंने एक बात आपको बार-बार पूछी, स्थायी समितियों के चुनाव नियम आपने निरस्त कर दिये, नये नियम बनाये लेकिन उनमें चुनावों का कोई प्रोविजन नहीं है और बार-बार आप जिद करके यही उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, नियमों में प्रोविजन है। मैंने अभी एक सवाल पूछा था पिछले सैशन में, जिसका उत्तर आज अभी दो दिन पहले आपके विभाग ने भिजवाया, मैंने उसमें यह पूछा कि आप जब नियमों में व्यवस्था बता रहे हैं तो आप यह बताइये कि स्टेंडिंग कमेटी में मत कैसे दें? हाथ उठाकर दिया जाएगा, मत पत्रों से दिया जाएगा, या नामीनेशन भरा जायेगा, प्रस्ताव रखा जाए, क्या होगा? उसमें आप चुप हो गये। कह दिया नियमों के अनुसार होगा। तो नियमों में है नहीं। आपने उसको देखा नहीं। बार-बार कहने के बावजूद भी आपका विभाग या तो आपको सही बताता नहीं है, या आप कोई मेहनत करना नहीं चाहते। फिर आप अमेंडमेंट करा कर क्या करोगे? अमेंडमेंट से पहले ही राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करके सरपंचों को पंचायत समिति की मीटिंग में बुलाने का आदेश दे रखा था। अब इसमें अलग से और क्या फर्क पड़ेगा?

दूसरा, कानूनन तो यह जो आप कानून बना रहे हैं, त्रिस्तरीय व्यवस्था जो संविधान में कर रखी है, अभी पूर्व वक्ता ने कहा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मान लो एक पंचायत समिति में चुने हुए सदस्य हैं 20 और ग्राम पंचायतों की संख्या है 40 और वहां सरपंच को सदस्य की जगह वोट देने का अधिकार है तो उस पंचायत समिति में, जो आरिजिनल चुनी हुई है, उसकी क्या दशा होगी? वह 40 जो कहेंगे वह प्रस्ताव पास होगा कि जो 20 कहेंगे वह होगा? अगर 40वां वाला होगा तो आपके इस संविधान में त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है, उसका क्या होगा? आपने इस पहलू को नहीं देखा। व्यवहारिक रूप से आपने जो यह प्रोविजन किये हैं वह तो ठीक है, सरपंच का और पंचायत समिति का प्रमुख, प्रधान और जिला परिषद् का तालमेल हो जाएगा लेकिन कानूनन मेरे हिसाब से यह गलत हो रहा है। जहां तक पहले सरकार ने एक

(श्री हरज़ीराम बुरड़क)

आदेश दे करके उनकी मीटिंग में भाग लेने का, विचार प्रकट करने का अधिकार दे रखा था, वहां तक तो ठीक था लेकिन अब वोट देने का जो अधिकार आप दे रहे हैं तो फिर वह तीसरी जो संस्था है उसका हुआ क्या? वह तो बिलकुल गायब ही हो गयी। जब तब आप संविधान में यह संशोधन नहीं करेंगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। पंचायत समिति में सिवाय उनको वोट प्रधान के चुनाव में और अविश्वास में देने का नहीं है, बाकी सबमें है। तो जो भी प्रस्ताव होगा वह 40 करेंगे वह होगा, 20 चाहे कहीं बैठे रहो।

अभी दो तीन बार आपने ग्राम संभाएं करवायीं। सारे राज्यों में ग्राम सभाएं एक ही दिन में आयोजित करवायीं। 3-3, 4-4 पंचायतों में एक-एक ग्राम सेवक हैं और एक ही दिन में आयोजित की थी तो कहां तो वह ग्राम सेवक भाग लेगा, क्या ग्राम सभाएं हुई? पहले जो व्यवस्था चल रही थी ग्राम सभा की कि साल में दो ग्राम सभा होती थी और उसमें पंचायत समिति का अधिकारी भाग लेता तब तो उसमें कुछ कार्यवाही होती। उसमें कहां दिक्कत आ रही थी? एक पंचायत समिति में मान लो दस दिन में, बीस दिन में ग्राम सभाएं सारी हो जाएं, पंचायत समिति के अधिकारी उसमें भाग लें तो उसमें कुछ तो कार्यवाही होती। लेकिन अभी आपने जो ग्राम सभाएं करवायीं हैं, उसमें क्या हुआ? चार-चार दिन बाद तो ग्राम सेवक ने कार्यवाही लिखी। ग्राम सेवक एक है और पंचायत हैं उसके पास चार। इसका लाभ नहीं हुआ। अगर वह उस हिसाब से होती तो पंचायत समिति का अधिकारी जाता और उसमें थोड़ा-बहुत कुछ तो होता।

आपने पंचायतों के पुनर्गठन की एक ऐसी हवा चला दी, सारी जनता में फ़ैला दिया कि पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है। आपने प्रस्ताव लिये और अब आप कह रहे हैं कि पुनर्गठन नहीं कर रहे हैं। अगर पहले से आपको यह मालूम था कि हमारे पास आर्थिक व्यवस्था नहीं है तो इस बात को चलाना ही नहीं चाहिये था। अगर उसको चलाया है तो अब उसको पूरा करना चाहिये। आम जनता तक इस बात को पहुंचा करके अब अगर इसमें आप नहीं करेंगे तो उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिये यह सारी बातें पहले सोचनी चाहिये थीं। अब जिस स्टेज पर आप पहुंच गये हैं, इसको बीच में बंद नहीं करना चाहिये।

इन्हीं बातों के साथ मेरा यह प्रस्ताव है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए। सारा का सारा काम अपन यहां बैठ करके करें इसके बजाय जनता को पूछ लें तो उसमें कौनसा घाटे में रहेंगे। तो जनता की राय भी इसमें जाननी चाहिये। ऐसी इसमें कोई इमरजेंसी भी नहीं है कि आज ही अगर पास नहीं हुआ तो इसमें कोई बहुत बड़ा लोस हो जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, यह जो राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक मंत्री महोदय लेकर आये हैं, मैं समझता हूं कि जिस दिन . . .

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय सभापति महोदय, मेरा भी जनमत जानने हेतु संशोधन दिया हुआ है, उसका क्या हुआ? आपने पहले ही राजेन्द्र राठौड़ पुकार लिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा नाम पहले है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपका नहीं है। आपने तो सलेक्ट कमेटी के लिये दिया है। मेरा है। मेरा जनमत जानने हेतु था इसीलिये मैंने कहा।

श्री सभापति : हां-हां ठीक है। यह जो लिस्ट दी है इसमें नहीं था। यह उसमें है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं दो मिनट में बात खतम करता हूं। मेरी लम्बी बात नहीं है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जिस तरीके से राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक मंत्री महोदय लेकर आये हैं, मैं समझता हूं, इन्होंने अपनी पुरानी आदत का परिचय दिया है। इस सदन के अन्दर आज तक पंचायती राज मंत्री महोदय ने जो भी घोषणा की है वह बिना सोचे समझे और उसके परिणाम क्या निकलेंगे उन पर बिना ध्यान दिये की है। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को घोषणा करके अखबार में नाम छपाने का एक चस्का लगा हुआ है।

इसी सदन में इन्होंने घोषणा की थी कि हम पूरे राजस्थान में ग्राम पंचायतों की पुनर्सीमांकन करेंगे। सभापति महोदय, कितनी बड़ी धनराशि राजस्थान की गरीब जनता की खर्च हुई। पुनर्सीमांकन की पूरी प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी, सुनवाई प्रारम्भ हो गयी और उसका नतीजा यह निकला कि मंत्री महोदय बिना वित्त मंत्री महोदय की सलाह के जो काम यह करना चाहते थे, वित्त विभाग के एक आदेश से वह सारी चीज धराशायी हो गयी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो सरकार अपने को जबावदेह सरकार कहती है, सरकार को फैसला करने से पहले सोचना चाहिये। किसने कहा था कि आप इस सदन में घोषणा करें कि हरेक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक होगा? 1600 से अधिक पदों का आपने विज्ञापन जारी कर दिया। सौ रुपये हरेक बेरोजगार नौजवान से आपने शुल्क ले लिया लिखित परीक्षा ले ली और परीक्षा के बाद आपने यह कह दिया कि हम तो यह दूसरे विभागों में, स्थानीय निकायों में जो कर्मचारी अधिशेष हैं उनका समायोजन करेंगे।

इसी तरह, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन यह लेकर के आये हैं, हमारे संविधान में 73वें और 74वें संशोधन हुए थे, उस वक्त यह परिकल्पना की गयी थी कि इस देश के अंदर पंचायती राज त्रिस्तरीय होंना चाहिये, इस परिकल्पना को पूरा करने के लिये हमारे राजस्थान के पंचायती राज विधेयक में भी अलग-अलग संशोधन हुए, सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिला परिषद के अन्दर प्रधान को सदस्य बनाने के लिये सैक्शन 13 के अंदर और पंचायत समिति में सरपंच को सदस्य बनाने के लिये सैक्शन 14 के अन्दर संशोधन तो आप ले आये परन्तु आपने यह नहीं सोचा कि इनको अधिकार आप क्या दे रहे हैं? सभापति महोदय, इनको मात्र उन पंचायत समिति और जिला परिषदों की बैठकों में बैठने का अधिकार है। तो इस संशोधन की आवश्यकता नहीं थी। राज्य सरकार ने पहले से ही इस तरह के आदेश जारी कर रखे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय पंचायत राज कानून बना हुआ है, जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के मुताबिक बना हुआ है, उसमें यह पहले से प्रावधान है कि एक तिहाई सरपंच रोटेशन से पंचायत समिति के सदस्य होंगे और एक तिहाई पंचायत समिति के सदस्य जिला परिषद के सदस्य होंगे। मेरी समझ में नहीं आया कि किस तरह की वाहवाही लूटने के लिए आप यह लेकर आये हैं? हालांकि मुझे यह लगता है . . . ।

श्री सी. पी. जोशी : यह किस कानून में है यह बता दें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं बता दूंगा।

श्री सी. पी. जोशी : बता दें, किस कानून में है? दो मिनट लगेंगे। जो कानून आप रेफर कर रहे हैं, किस कानून से आप रेफर कर रहे हैं जिसमें यह प्रोविजन है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं है तो मुझको पढ़कर बता देना आप।

श्री सभापति : कृपया, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं . . .

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आज वह एक्ट लेकर के नहीं आया हूं परन्तु, पंचायत राज मंत्री जी, आपको एक अजीर्ण है। मैं कई दिनों से देख रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी : मुझे तो अजीर्ण नहीं है। आज मुझे तकलीफ यह है कि जिस पार्टी के आप मंत्री रहे हैं, जिस पार्टी का मेनीफेस्टो है, मंत्रिमंडल में कैसे काम होते हैं, उसकी जानकारी रखने के बाद इतने कांफिडेंस से आप लोगों को गुमराह करने की बात कर सकते हैं, इसके लिये धन्यवाद। जो बातें आप कर रहे हैं 73वें अमेंडमेंट की, कहीं पर भी वह तिहाई का लिखा हुआ नहीं है। आज राजस्थान के जो रूल्स आपके जमाने में बने हुए हैं वहां भी एक तिहाई नहीं लिखा हुआ है। मैं आपकी जानकारी के लिये, यह फोटो छपा हुआ है माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत का, जिस घोषणा-पत्र पर आप एम. एल. ए. बनकर आये हैं उसकी दो लाइन पढ़ देता हूं जिससे आप और क्लियर हो जायेंगे। खाली एक सिस्टम बना रखा है कि जनता को अपनी बात कह देनी है। अपनी बात को सुन लें। मैं दो मिनट लूंगा, मैं अपने आपको करेक्ट कर लूंगा। लेकिन आप एक जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं, कम से कम सदन में वे बातें कहें जो सदन के लिये और आपके लिये उपयोगी हों।

आपने कहा कि यह मंत्री हैं, छपवाने का शौक है। मुझे शौक है या नहीं है, अच्छे शौक हैं जो कि आपको नहीं हैं,

(श्री सी. पी. जोशी)

लेकिन जो शौक हैं, वह बताता हूं मैं आपको। इसको समझने की आवश्यकता है। यह कि हम जो बातें कहते हैं वह गंभीरता से कहें। आप एक पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आप इस तरह की बातें कहना चाहते हैं जिन बातों से पापुलिरिटी हो जाये। अपना ध्यान भी रह जाये। मैं समझता हूं, मैं आपसे यह आशा करता हूं कि आप उस मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, आप उनके खासमखास मंत्री रहे हुए हैं। राजस्थान की सरकार ने पांच साल तक आपने नेतृत्व में सब कुछ भुगता, जो भुगतना चाहिए, उसके बाद भी आप जनता के सामने वह बातें कहना चाहते हैं जिसकी यहां कानूनन जगह नहीं है। जो आपकी पार्टी का मेनीफेस्टो है, जिस पर आप वोट लेकर के आये हैं . . .

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री सी. पी. जोशी : वह जनता के बीच में देना नहीं चाहते हैं, खाली पापुलिस्टिक मेजर लेने के लिये ऐसी बातें कहना चाहते हैं जिसका कोई कानूनन वजूद नहीं है, इससे मुझे तकलीफ होती है। आप जैसी संजीदगी रखने वाला आदमी जो भैरोंसिंह शेखावत बनाना चाहता है अपने आपको, कम से कम अपने क्रियाकलापों में भैरोंसिंह शेखावत बनने की पहले क्षमता तो पैदा करे। खाली एक वातावरण बनाने के लिए कि हम ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, यह वातावरण बना दिया, यह 40 साल पुरानी टेक्निक हो गयी है। अब नयी टैक्निक में पढ़ करके आयें। समय निकालें, अध्ययन करें और फिर आकर के बात करें तो ठीक रहता है।...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : राठौड़ जी, आप इतने बढ़िया मंत्रीजी हैं उनके बारे में ऐसी घटिया बातें करें। हमारे मंत्रिमंडल में सबसे चमकते हुए सूर्य हैं, ईमानदार हैं, आनेस्ट हैं, सबसे कर्मठ हैं। सबसे अच्छे मंत्री हैं। उनके बारे में आप यह कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बिराजिये ना. . .

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इसी सदन में ग्राम पंचायतों के आकार को पुनर्सीमांकन करने की बात नहीं की थी? क्या आपने इसी सदन में ग्राम. . . ।

श्री सी. पी. जोशी : मैंने कही है। आप अपने मन से कह रहे हैं। मैंने अभी तक मना ही नहीं किया। मैंने कहां मना किया? मैंने अभी तक कहां कहा कि नहीं होगा? आप खुद ही अपने आप कह रहे हैं कि यह होगा कि नहीं होगा? आप खुद समझदार आदमी हैं। चुनाव हुए हैं आपकी पार्टी लोक सभा में विश्वास मत नहीं ले सकी, हार गयी। हम पर चुनाव थोप दिये। चुनाव की आचार संहिता लागू हो गयी...।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आया।

श्री सी. पी. जोशी : फिर आप हमसे पूछ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं? मैंने तो अभी तक इस क्षण तक पुनर्सीमांकन के बारे में कोई शब्द नहीं बोला है। आप ही कह रहे हैं कि अखबार में छपवाने का शौक है,

(श्री सी. पी. जोशी)

अखबार में छपवा दिया, यह कर दिया, इनको जानकारी नहीं है। मेरे को जो जानकारी है, जो बातें मैंने कहीं हैं उन सब बातों पर मैं कायम हूं और मैं आपको अगले चुनाव के पहले हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक की व्यवस्था करके बता दूंगा। फिर आप कहना कि बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है। खाली पापुलिस्टिक मेजर लेने के लिए, अखबार में आ जाये कि ग्राम सेवक हड़ताल कर रहे हैं, राजेन्द्र राठौड़ ने समर्थन किया है। ग्राम सेवक की व्यवस्था की आपको जानकारी होनी चाहिए कि 4100 पोस्टें खाली हैं। हम उन आदमियों को अकमोडेट भी कर रहे हैं जो आप पैदा कर-करके चले गये आक्ट्रॉय विदड्रा करने के कारण, उनको भी हम ग्राम सेवक बना रहे हैं। पंचायतों के आदमियों को बना रहे हैं और जिन ग्राम सेवकों को सलेक्शन किया है उनके सम्बन्ध में भी हम कार्यवाही कर रहे हैं। आपको कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। खाली अपनी बात कहना चाहते हैं। पापुलिस्टिक मेजर लेने की बात करते हो।

श्री रामस्वरूप : लोक सभा में पता लग जायेगा, डब्बा बैठ रहा है आपका।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आया कि पंचायत राज मंत्रीजी को कोई बात हम इस सदन में कहें और उस पर इनके मन में इतनी पीड़ा होती है। अगर इतनी ही पीड़ा होती है तो मैं समझता हूं कि इसका इलाज मेरे पास तो है नहीं। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस चीज का अनुभव मुझ सहित सारे सदस्यों को है कि आप कहते कुछ हैं और नतीजा दूसरा निकलता है। आपने अभी कह दिया कि ग्राम पंचायतों के पुनर्सीमांकन की बात हमने बंद नहीं की है। सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि मंत्रीजी से कि जब 3-4 दिन पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उस बैठक के अंदर क्या यह फैसला नहीं हुआ था कि अब पंचायतों का आकार छोटा नहीं किया जायेगा? आपकी मंत्रिमंडल की बैठक में आपके वित्त मंत्रीजी ने. . .।

श्री सी. पी.जोशी : यह पुरानी टेक्निक हो गयी है भैरोंसिंह जी की। मेरे मंत्रिमंडल की बैठक में क्या हुआ जो जान गये? यह पुरानी टेक्निक हो गयी। हमारे मंत्रिमंडल में क्या हुआ, इसकी जानकारी जिस दिन आपको लग जायेगी ना, तब तक आप और जगह एक्जिस्ट करेंगे। हमारे मंत्रिमंडल में क्या हुआ? हमारे मंत्रिमंडल का सदस्य हूं... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मंत्रीजी सुनिये. . . (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप वे ही बातें करें जिनके कुछ हाथ-पैर हों. . . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह राजस्थान की जनता का मंत्रिमंडल है।

श्री सी. पी. जोशी : यह राजस्थान की जनता का मंत्रिमंडल ही है इसके निर्णय का आपके जमाने में लोगों को मालूम पड़ता होगा। हमने मंत्रिमंडल में शपथ ली है कि क्या चीज जनता को मालूम होनी चाहिए, वह मालूम है। इस तरह का काम हम नहीं करते हैं कि मंत्रिमंडल में बैठकर क्या करते

(श्री सी. पी. जोशी)

हैं और बाहर जाकर क्या करते हैं। यह आप मंत्री रहे होंगे। हमारे मंत्रिमंडल की जो गोपनीयता है उसको बनाये रखकर के क्या करना है, उसकी जिम्मेदारी पूर्ण करते हैं हम।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अच्छी बात है।

श्री सी. पी. जोशी : हमारे मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है, यह जानकारी आपको लग जायेगी तब तो हो जायेगा काम पूरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो बातें कहीं. . . (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह चोखी ढाणी का मंत्रिमंडल नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप चुप रहिये। यह क्या तरीका है?. . . (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : यह है ईमानदार मंत्रिमंडल, काम करने वाला मंत्रिमंडल। यह चोखी ढाणी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं यह मानूं कि माननीय पंचायत मंत्री महोदय, ने जब मैं अपनी बात कह रहा था तब इंटरफियरेंस करते हुए कहा कि राजस्थान के अंदर आगामी समय में जब ग्राम पंचायतों के चुनाव होंगे उससे पहले इनका परिसीमांकन आप कर देंगे, नम्बर एक बात? आपने यह भी कहा है कि ग्राम सेवकों के लिए आपने जो भर्ती की प्रक्रिया चालू कि है उस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ायेंगे, नम्बर दो बात? आप यह बात कह दीजिये, मैं स्वागत करूंगा। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि आपके यहां फैसले कुछ होते हैं और आपकी सरकार के अंदर कहां आप खड़े हैं, यह आप कई बार भूल जाते हैं। मंत्रिमंडल के अंदर सामूहिक जिम्मेदारी से, सामूहिक दायित्व से काम होता है। बिना वित्तीय स्वीकृति के आपने 1600 से ज्यादा पदों को विज्ञापित करके राजस्थान के उन बेरोजगारों से, जिनको आपने वादा किया था कि आप रोजगार देंगे, 100-100 रुपये फीस लेकर उनके साथ अन्याय किया है। आज वह बेरोजगार सड़क पर हैं। इसलिए फिर मैं निवेदन करना चाहूंगा . . . (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : राजेन्द्र सिंहजी, जिम्मेदार आदमी हो, बिना केबिनेट के पोस्ट के लिये कोई एडवरटाइजमेंट हो सकता है क्या? कैसी बातें करते हो? आप इस तरह के मंत्री रहे हैं क्या? बिना वित्तीय स्वीकृति के कुछ निकलता है क्या?. . . (व्यवधान) आपने ही ऐसा काम किया होगा। बिना वित्तीय स्वीकृति के कोई भी सरकार पोस्ट एडवरटाइजमेंट नहीं कर सकती है। आपके राज में ऐसा होता होगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप थोड़ा धैर्य रखें, मंत्री महोदय, बाद में जवाब दे देना। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप इनको स्पीच तो पूरी करने दीजिये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस तरह से कोई चर्चा आगे नहीं बढ़ेगी। अगर हर समय सवाल जवाब होते रहेंगे तो शायद यह. . . (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, परंपरा यह है कि. . .(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय, मंत्री महोदय, को जवाब देना है तो बाद में दे देना। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्लीज-प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : मंत्रिमंडल नहीं, पिछली सरकार के सम्माननीय मंत्री राजेन्द्र सिंह जी, प्रो. सांवरमलजी और गुलाब चन्द जी कटारिया साहब, मैं तो यह खाली जानकारी चाहता हूं कि क्या कोई मंत्रिमंडल का मंत्री बिना वित्तीय स्वीकृति के पोस्टें एडवरटाइजमेंट कर सकते हैं? आपके राज में ऐसा रहा हो तो मुझे कुछ कहना नहीं है। आपने ऐसा मंत्रिमंडल चलाया हो तो मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह . . . (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : बाकी यह जो बातें कह रहे हैं कि बिना वित्तीय स्वीकृति के कर रहे हैं. . . (व्यवधान)

श्री सभापति : मेरा निवेदन यह है कि परम्परा के अनुसार, संसदीय नियमों के अनुसार माननीय सदस्य अपनी बात कहते हैं और सत्ता पक्ष के सदस्य उनको सुनते हैं। जब सत्ता पक्ष का नम्बर आए जवाब देने का उस समय उन सब प्रश्नों का जवाब दे दें। जब मैंने एक माननीय सदस्य को पुकार लिया, वह अपनी बात कह रहे हैं, अत्यन्त आवश्यक न हो तब तक उसके अंदर इन्टरवीन नहीं किया जाना चाहिए। माननीय सदस्य, जारी रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सी. पी. जोशी : मैं आपसे एक प्रोटेक्शन चाहता हूं। सदन को सही जानकारी देने का भूतपूर्व मंत्री का कर्तव्य है। एक मंत्रिमंडल का सदस्य रहने के बाद, सदन में इस तरह की बात करें कि मंत्रिमंडल बिना फाइनेंस के पोस्टों को क्रियेट किए हुए एडवरटाइजमेंट कर देगा, ऐसा मंत्रिमंडल जिन्होंने चलाया हो तो मुझे तकलीफ होती है। एक जिम्मेदार मंत्री को वह बात कहनी चाहिए कि क्या कोई भी मंत्री बिना पोस्टें क्रियेट किए हुए एडवरटाइजमेंट निकाल सकता है? सभापति महोदय, मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहूंगा। यह उनका अधिकार है अपनी बात कहने का, कम से कम मंत्री रहा हुआ आदमी . . . (व्यवधान) इंटरवीन न करें तो क्या करें?

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय सदस्य को बात पूरी करने दीजिए।

श्री सभापति : आसन का सबके लिए संरक्षण है लेकिन अपनी बात उसी वक्त कहनी चाहिए जब उनको पुकारा जाए। माननीय सदस्य इस समय मंत्री की हैसियत से नहीं हैं, वह तो जमाना गया, अब तो वह विधान सभा के एक सदस्य की हैसियत से बात कह रहे हैं। अब आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्य, कि आप

(श्री सभापति)

भी अपनी स्पीच को मधुर बनाने की कोशिश करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आपकी गम्भीर प्रताड़ना के बाद, मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को संसदीय व्यवहार के बारे में ज्ञान हो जाएगा।

श्री सभापति : मेरी कोई प्रताड़ना नहीं है, मेरा तो अनुरोध है, आपसे भी है और सरकारी पक्ष से भी है कि माननीय सदस्य इधर से, उधर से अपनी-अपनी बात कहेंगे, सरकारी पक्ष अपनी बात को मौका आएगा और उनको बुलाया जाएगा तब अपनी बात कहेंगे। जो बात वे नापसंद करते हैं, जो स्थिति सत्ता पक्ष की है, वह स्पष्ट कर देंगे तब तक बीच में हस्तक्षेप न हो, इन्टरवीन न हो, यही मेरा निवेदन है। वरना बहस लम्बी चली जाएगी और आज बड़ा बिजनेस है, वह खतम नहीं हो सकेगा। आप भी कृपा करके अपने प्रस्ताव तक ही सीमित रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने जो बात कही, मैं समाचार पत्र में छपे हुए वित्त मंत्रीजी के बयान की सिर्फ दो लाइन पढ़ूंगा और कुछ बात नहीं पढ़ूंगा।

श्री सभापति : वित्त मंत्रीजी का बयान क्यों पढ़ रहे हैं, आप अपने प्रस्ताव को जनमत जानने के लिये क्यों भेजना चाहते हैं, वह बात बताएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वित्त मंत्रीजी, चन्दनमलजी बैद का कहना है कि खराब माली हालत के इस दौर में सरकार को अपनी प्राथमिकताएं बदलनी पड़ेगी इसलिए हाल-फिलहाल ग्राम सेवकों को किसी भी पद पर नई नियुक्तियां देना संभव नहीं है। यह वित्त मंत्रीजी का बयान है। मैं समझता हूं कि जिस जोश से घोषणा की थी बेरोजगारों को रोजगार देने की आपने, उनके हितों के साथ कुठाराघात किया है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सैक्शन 13 और 14 में संशोधन करके सरपंच और प्रधान को जिला परिषद का सदस्य तो बना दिया, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है, मंत्रीजी, मैं बड़ी गम्भीरता से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम यह तो विचार करें कि जिनको आप यह संशोधन लाकर सदस्य बना रहे हैं उनकी हैसियत क्या रहेगी? क्या उनको मत देने का अधिकार होगा? अगर मत देने का अधिकार होगा तो आप किसी भी पंचायत समिति में चले जाएं, उसमें ज्यादा नहीं कहीं 15, कहीं 20 से ज्यादा सदस्य नहीं होते, सरपंच ग्रामीण पृष्ठभूमि से आये हुए व्यक्ति हैं। सभापति महोदय, किसी भी पंचायत समिति में 30 और 50 के बीच में ग्राम पंचायतें हैं, वे सारे सदस्य बन जायेंगे, सारों को मत देने का अधिकार हो जाएगा तो स्टेंडिंग कमेटी के चुनाव हों, चाहे दूसरी समितियों के चुनाव हों, उन सारी समितियों के अंदर, अगर उनको मत देने का और निर्वाचित होने का अधिकार हो जाएगा तो पंचायत समिति का कोई सदस्य उसमें निर्वाचित नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम इस पर आप विचार करें कि इस संशोधन के पश्चात्

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पंचायत समिति का सदस्य, जो कम से कम चार-पांच ग्राम पंचायतों के क्षेत्र से चुनकर आता है उसकी हैसियत क्या रह जाएगी? इसके पश्चात् जिला परिषद् के सदस्य की क्या हैसियत रह जाएगी? मंत्री महोदय, मैं कहूं तो आप नाराज हो जाते हैं। आपने बड़े जोर से जिला परिषद् को सशक्त करने की बात की। जिला परिषदों में आज भी वित्तीय अधिकार उसी नौकरशाह के पास हैं। आपने हम पर आरोप जड़ा कि हम इन सारी संस्थाओं को पंगु करना चाहते हैं परन्तु आपने कितनी मजबूती दे दी? जिला परिषद और जिला प्रमुख को कौन-कौन से अधिकार आपने दे दिए, जरा इस पर भी आप विचार कर लें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जब से सरकार आई है, आपने सिवाय ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों और इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ खिलवाड़ करने के अलावा कोई काम नहीं किया। आपने घोषणा कर दी कि एक दिन में ग्राम सभाएं होंगी। मैं बताना चाहता हूं, पंचायत राज मंत्री, भंवरलालजी मेरे गांव में गए थे, अचानक पहुंच गए और बोले कि आज ग्राम सभा है क्या? उन्होंने कहा कि हमें मालूम ही नहीं है। क्योंकि आज सात-सात, आठ-आठ ग्राम पंचायतों पर एक ग्राम सेवक है और ग्राम सेवकों को आप भर्ती नहीं करना चाहते। आपने राजीव गांधी विद्यालय खोल करके जिस तरह शिक्षा के साथ, ग्रामीण जन के साथ अन्याय किया है और आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करने के लिए 1200 रुपये मानदेय देने की बात की है, आने वाला समय आपसे जवाब मांगेगा और जवाब को ज्यादा समय नहीं लगेगा, पंचायत राज मंत्रीजी, 6 तारीख को मतगणना हो जाएगी और 7 तारीख को पूरा आपको मालूम पड़ जाएगा कि राजस्थान की जनता आपके इन कर्मों के लिए क्या जवाब देती है।

इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह तो पंचायती राज संशोधन विधेयक माननीय मंत्रीजी लेकर आएं हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है और इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए ताकि इस पर पूरा विचार-विमर्श करने के पश्चात् यह सारी बातें जनता के सामने आ सकें।

श्री सभापति : झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) : सभापति महोदय, यह जो राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 1999 को एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिए मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसके पीछे मंशा यही है, सभापति महोदय, जब आप बोल रहे थे और गांधीजी के ग्राम राज की चर्चा कर रहे थे तब मुझे याद आया कि पं. जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि गांव को स्वायत्त बनाने के लिए तीन चीजें होना बहुत आवश्यक हैं। पहली तो ग्राम में ग्राम पंचायत हो ताकि ग्रामीणजन अपने अधिकार और विकास के प्रति वहां बैठकर विचार कर सकें और आगे विकास के लिए अपनी आधारशिला रख सकें। दूसरा, वहां एक स्कूल का होना बहुत आवश्यक है क्योंकि तालीम के बिना

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता। तीसरा सहकारी सोसायटी गांव में होना आवश्यक है ताकि आर्थिक शोषण से गांव वालों को मुक्ति मिल सके। पंडित जवाहर लाल नेहरू की, जिन्होंने योजनाओं के जरिए इस देश को आगे बढ़ाया, यह कल्पना थी। इस विधेयक के जरिए आपने एक ही बात की है और वह यह है कि सरपंचों को तो बना दिया जाए पंचायत समिति का सदस्य और प्रधानों को बना दिया जाए जिला परिषद का सदस्य। केवल मात्र एक ही संशोधन आप इसमें लेकर आए हैं। इसलिए स्कोप तो आपने बहुत कम कर दिया है बोलने का, किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह बात सही है कि 73वें संविधान संशोधन के जरिए यह जो पंचायती राज का कानून बना है उसमें यह त्रिस्तरीय जो फैसला किया गया है चुनावों का, यहां तो पहले भी त्रिस्तरीय था, ग्राम पंचायतें थी ग्राम पंचायतों के बाद पंचायत समितियां थीं और उसके बाद जिला परिषदें थी लेकिन पता नहीं कैसे इन 73वें संविधान संशोधन के जरिये यह बीच में पंचायत समिति के सदस्य, डेलीगेट आ गए। उनका कोई काम नहीं है, न कोई अधिकार है। उनका केवल एक काम है प्रधान का चुनाव और जिला परिषद के मैम्बर का चुनाव करना, जिला प्रमुख का चुनाव हो जाने पर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना। केवल यह एक काम और अधिकार इनका है। अब आप जैसा कह रहे हैं, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य मैं झुन्झुनूं पंचायत समिति का ही आपको उदाहरण देकर कहूं, वहां 23 डेलीगेट हैं और 24वां प्रधान, कुल 24 मैम्बर हैं और 36 पंचायत हैं। अब 36 सरपंचों को जब उसका सदस्य बना देंगे और उनको राइट ऑफ वोट, मताधिकार भी दे देंगे तो कुल मिला करके वहां 60 मैम्बर हो जाते है। अब यह 60 सदस्य किस प्रकार से सारी की सारी समितियों का चुनाव करेंगे कैसे मिटिंग करें और 60 आदमी बैठकर किस तरह से, कैसी क्या चर्चा करेंगे? विकास तो आज भी सरपंचों के जिम्मे है। गांव में जिस प्रकार की ग्राम सभाएं हैं, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। आपने एक दिन में ग्राम सभा करने का जो आदेश दिया है, उससे तो बिलकुल पंगु बना दिया है इन ग्राम सभाओं को। सच पूछिए तो ग्राम सभा के बतौर कभी उसकी मीटिंग होती ही नहीं और जब एक बार नहीं होती है तो दुबारा होने पर केवल 10 प्रतिशत होना आवश्यक है, सरपंच केवल दस्तखत करवा लेते हैं अपने पंचों से और ग्राम सभा हो गई, यह दिखाकर फिर चाहे जो कुछ लिख लेते हैं।

मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी ग्राम पंचायत के डेलीगेट्स के पास तो अभी भी कोई अधिकार नहीं है, वह तो अननेसेसरी अभी भी हैं। लेकिन आपकी मजबूरी यह है कि चूंकि संविधान संशोधन के ज़रिये यह व्यवस्था की गई है इसलिए आप इसको समाप्त भी नहीं कर सकते। अब आप नया काम करने जा रहे हैं जैसा वैसा तो है ही, पंचायत समितियों के

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

सदस्यों को वहां मैम्बर बना करके, मतलब सरपंच को पंचायत समिति का मैम्बर बना करके आप इन डेलीगेट्स को पंगू और अधिकारविहीन बना देना चाहते हैं। हालांकि वैसे भी कोई अधिकार इनके पास नहीं है। लेकिन फिर तो यह प्रतिनिधि अप्रासंगिक हो जाएंगे। कौन चुनाव लड़ेगा? मेरी समझ में अगली बार जब आपके चुनाव होंगे तो पंचायत समिति के डेलीगेट्स के चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति मिलेंगे नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। क्यों लड़ेगा चुनाव? उसको कोई अधिकार नहीं, कोई काम नहीं, कोई पूछ नहीं, न डवलपमेंट में उसको पूछते हैं, न उसकी राय ली जाती है, न उसकी राय से कोई काम होता है, न पंचायत के अंदर उसको कुछ करने का अधिकार है, तो वह क्यों चुनाव लड़ेगा? आपको यह सोचना चाहिए कि सरपंचों को पंचायत समिति का सदस्य बनाने जा रहे हैं और प्रधानों को जिला परिषद का सदस्य बनाने जा रहे हैं तो इन जिला परिषद के डेलीगेट्स का, इन पंचायत समितियों के डेलीगेट्स का क्या महत्व रह जाएगा? इसलिए यह व्यवस्था जो आप करने जा रहे हैं इस व्यवस्था के पीछे आपकी मंशा क्या है, मुझे तो मंशा ही समझ में नहीं आई। आज भी सरपंच वही पावरफुल है, हालांकि 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत राज के साथ सबसे अधिक अन्याय किया वह भारतीय जनता पार्टी ने किया। 73वें संविधान संशोधन के जरिये तो बहुत अधिक अधिकार दिये गये थे जिला परिषदों को, पंचायत समितियों को, ग्राम पंचायतों को लेकिन बीजेपी सरकार ने कोई अधिकार दिये ही नहीं। पता नहीं उनको किस बात का खतरा था या उनकी वित्तीय स्थिति इस तरह की रही होगी या उनको कोई राजनैतिक खतरा रहा होगा। तो उन्होंने कोई अधिकार दिये ही नहीं। आपने एक अधिकार नाममात्र का जरूर दिया और वह यह दिया कि जिला प्रमुखों को आपने डी. आर. डी. ए. का चैयरमैन बना दिया। चेयरमैन कैसा? केवल मीटिंग करने का। मीटिंग का वह जरूर चेरयपर्सन हो जाएगा लेकिन बाकी अधिकार अभी भी कलक्टर के पास हैं। तो वह बात भी हमारी समझ में नहीं आई कि किस बात की आप वाहवाही लूटना चाहते हैं। क्योंकि कुछ दिया तो आपने भी नहीं दिया। यह जो विधेयक आप लाए हैं इस विधेयक के जरिये सरपंच को कौनसी और विशेष बात मिल जाएगी? अभी भी वह पंचायत समिति में जाता है, पंचायत समिति में जाकर अपनी बात कहता है। अभी भी सारा डिस्बर्सिंग और ड्राइंग अथोरिटी उसी के पास है। जो काम ग्राम सभा तय करती है, 10-10 काम उन्होंने तय किये, प्रायोरिटी के हिसाब से जिस कार्य की मंजूरी होती है उसका चैक भी वही लेकर आता है, काम भी वही कराता है, चाहे वह ठेके पर कराए, चाहे खुद मस्टर रोल भरकर कराए, जैसे भी करे, लेकिन काम वही कराता है। अब पंचायत समिति का मैम्बर बनाकर और प्रधान को जिला परिषद का मैम्बर बनाकर

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

आप क्या नयी बात करना चाहते हैं, क्या विशेष अधिकार देना चाहते हैं, यह आपने नहीं बताया। मैं चाहूंगी आप अपना जवाब दें तब यह भी बताएं कि आखिर कौनसी परिस्थितियां ऐसी हो गई जिन परिस्थितियों की वजह से आपको यह संशोधन इसमें लाना पड़ा है और आप यह विधेयक लाये हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं अधिक समय न लेते हुए यही निवेदन करते हुए कि इतनी तुरता-फुरती से इतनी जल्दबाजी के अंदर आप यह नया विधेयक पास करने जा रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि जनमत जानने के लिए आप इसको परिचालित कराएं और इसके बाद ही आप इसको पास कराएं तो ज्यादा उचित होगा।

श्री सभापति : फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : माननीय सभापतिजी, मैं इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि 73वें संविधान संशोधन के बाद में राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनने के बाद जो त्रिस्तरीय पंचायती राज कायम किया गया उसके बाद राजस्थान में पंचायती राज की व्यवस्था ठीक प्रकार से काम कर रही थी, परन्तु किन्हीं कारणवश, चाहे राजनैतिक लाभ उठाने के लिए उस वक्त जो लोग प्रतिपक्ष में थे उन्होंने एक कुप्रचार राजस्थान में करना शुरू किया कि पंचायती राज व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के राज में चौपट कर दी गई है और सबसे बड़ा नारा उस वक्त लगाया जा रहा था वह यह था कि पंचायत समिति के अंदर सदस्य चुनकर आए उन सदस्यों को कोई अधिकार नहीं है, उन सदस्यों के पास कोई काम नहीं है। इसी प्रकार से जिला परिषदों के सदस्यों के बारे में भी यह कहा जाता था कि इनको भी कोई अधिकार नहीं है और आइंदा ये चुनाव होंगे तो पंचायत समिति के सदस्यों के लिए और जिला परिषदों के सदस्यों के लिए खड़े होने वाले लोग मिलेंगे नहीं। कांग्रेस पार्टी ने यह प्रचार भी किया कि हम इस पंचायत राज संस्था को, जो अभी नये संशोधन के बाद बनी है, बहुत ही सुदृढ़ करेंगे। परन्तु बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी इस पंचायती राज संशोधन के ऊपर सत्ता पक्ष के तीन सदस्यों ने, सभापति महोदय भी उनके अंदर शामिल हैं, उन्होंने भी इस बात की आवश्यकता महसूस की है कि इस संशोधन को लाने से किसी भी प्रकार से, जो आप लोगों ने घोषणा की थी कि पंचायत राज, पंचायत समिति और जिला परिषद का जो गठन हुआ है उसको हम सुदृढ़ करेंगे। उसमें लाभ होने वाला नहीं है।

जैसा कि मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि वास्तव में एक-एक, दो-दो पंचायतों के ऊपर निर्वाचन क्षेत्र बनाकर पंचायत समिति के सदस्य बने थे और पंचायत समिति का गठन हुआ था, पंचायत समिति के सदस्यों ने प्रधान और उप प्रधान का चुनाव किया था, पंचायत समितियां बराबर काम कर रही थीं। पंचायत समितियों की व्यवस्था ठीक प्रकार

(श्री रामनारायण विश्नोई)

से चल रही थी या नहीं चल रही थी उसके लिए कोई सरकार के लोग दोषी नहीं हो सकते। हमारी पंचायती राज व्यवस्था शुरू से ही बिगड़नी शुरू हो गई थी। हमारे सभापति महोदय ने यह कहा कि राजस्थान में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, आज हमें यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि किसी भी ग्राम पंचायत के सरपंच की तारीफ हमें सुनने को नहीं मिल रही है। यदि ग्राम पंचायतों के सरपंच भी काम ठीक तरीके से नहीं करेंगे तो ये सरपंच पंचायत समितियों में जाकर कौनसी पंचायत समिति की व्यवस्था सुधार देंगे? उल्टा जाकर, जैसा कि आप यह भी महसूस कर रहे होंगे जहां पर 10-20 सदस्य पंचायत समिति में हैं वहां 30-40 सरपंच जाकर अपनी धींगामश्ती शुरू कर देंगे और पंचायत समिति का जो सुचारू रूप से काम चल रहा था उसको नहीं चलने देंगे।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि इस संशोधन से आपकी जो भावना थी, जो मंशा थी कि हम पंचायती राज के अंदर पंचायत समितियों को, जिला परिषदों को और शक्तिशाली बनाएंगे, सुदृढ़ करेंगे वह भावना पूर्ण होने वाली नहीं है। यह संशोधन आप जल्दी के अंदर बिना किसी उद्देश्य के, ऐसा मालूम होता है कि सत्ता पक्ष के विधायक दल के सदस्यों के राय लिये बिना लाये हैं। लाडनूं से आने वाले वरिष्ठ सदस्य ने, गुढ़ा से आने वाले वरिष्ठ सदस्य ने भी यही राय जाहिर की है कि इससे आपका पंचायत राज व्यवस्था को मजबूत करने का कोई मकसद हल होने वाला नहीं है। (व्यवधान) सभापति जी ने कह दिया था इस बारे में, इन्होंने मुझसे ज्यादा बढ़कर कह दिया था। आज पंचायत समिति और जिला परिषदों के सदस्य, बार-बार हम लोगों से भी यह पूछ रहे थे कि आपने पंचायत समिति के सदस्य बनाकर तो हमको भेज दिया, लेकिन हमारे पास कोई पावर नहीं है, हमारे पास कोई काम नहीं है, उनको आपको समझाना चाहिए था कि आपको क्या सत्ता और क्या पावर चाहिए, आपके पास पावर हैं। आप प्रधान का चुनाव करवाते हैं, उप प्रधान का चुनाव करवाते हैं, पंचायत समिति की उप समितियों के अंदर सदस्य बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, शिक्षा समितियों के प्रशासनिक समितियों के काम आप ही लोग, सदस्य कर रहे हैं। आपने व हमने इतना भ्रामक प्रचार पैदा कर दिया जिस प्रचार की वजह से इन सदस्यों ने यह कहना शुरू कर दिया कि पंचायती राज व्यवस्था ठीक नहीं है।

तो मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र और जिला परिषदों के निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर पंचायत समितियों का और जिला परिषदों का गठन हुआ है, जिसके अंदर हम किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते हैं वह व्यवस्था अभी कायम रहेगी, उस व्यवस्था को और

(श्री रामनारायण विश्नोई)

ज्यादा सुदृढ़ बना लें। जैसा कि झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि एक पंचायत का सरपंच वहां जाकर दूसरी बात कहेगा, पंचायत समिति के अंदर दो-दो, तीन-तीन पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों से चुना हुआ प्रतिनिधि जाकर दूसरी बात कहेगा, इस प्रकार का आपस में झगड़ा पैदा करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस संशोधन को आप वापस लीजिए और पंचायत राज संशोधन के अंदर आज अगर कोई दूसरी तरीके की सुविधाएं देना चाहते हैं पंचायत समितियों के सदस्यों को, जिला परिषदों के सदस्यों को तो उसके बारे में विचार करें ताकि वे लोग अपने कर्तव्य का अच्छी तरह से पालन कर सकें।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस संबंध में दिलाना चाहूंगा कि पंचायत समिति के अंदर जिस प्रकार से यह सरपंच लोग पहुंच जायेंगे पंचायत समिति की मीटिंग अटेण्ड करेंगे, पंचायत समिति की मीटिंग के अंदर अगर ऐसी-वैसी बात होकर के, पंचायत समिति कोई काम करना चाहेगी तो भी यह करने नहीं देंगे। और वैसे भी उप समितियों के अंदर पंचायत समिति के सदस्य वोट जरूर दे सकेंगे, खड़े नहीं हो सकेंगे क्योंकि सैक्शन 56(3) के मुताबिक इलेक्टेड मैम्बर ही उप समिति के सदस्य बन सकेंगे, वोट दे सकेंगे, खड़े हो नहीं सकेंगे तो इससे एक प्रकार की अव्यवस्था फैल जायेगी। मेरा निवेदन यही है कि इस संशोधन को आप वापिस लीजिये, प्रवर समिति को सौंपिये ताकि इसमें उचित राय आकर के काम किया जा सके।

श्री सभापति : रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सभापति महोदय, संशोधन के बारे में विद्वान् विधायकगण ने जो विचारधारा रखी है मैं भी उससे सहमत हूं। कुल मिलाकर जिस भावना के साथ संविधान संशोधन किया गया और उसी के अनुरूप राजस्थान पंचायत एक्ट, 1994 इस विधान सभा द्वारा पारित किया गया, मुझे ऐसा लग रहा है, माननीय सभापति महोदय, सरपंचों को पंचायत समिति का मैम्बर बनाकर निकट भविष्य में सरकार का ऐसा विचार चल रहा है कि उनको प्रधान के वोट में भी सम्मिलित किया जाए। क्योंकि जिस प्रकार पहले जब ये विधान सभा सत्र में नहीं थी तब राज्यपाल महोदय से इसका अध्यादेश लाया गया जून माह में और इसी प्रकार यह भय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर स्वच्छ परम्परा से इन पंचायत समितियों का संचालन करना है तो जैसा कि गुढ़ा से आने वाले सदस्य शिवनाथ जी ने और माननीय सभापति जी चेयर पर बैठे हैं, चौधरी साहब ने जो विचार व्यक्त किये उस पर गौर करें। बड़ा भय लग रहा है, पंचायत समिति में मैं चार साल तक, जस्ट इसके पहले प्रधान पद पर रहा हूं, जिस प्रकार आपके पंचायत राज विभाग से डायरेक्शंस जारी किये जाते हैं उनमें प्रधान और पंचायत समिति के सदस्यों को

(श्री हीरासिंह चौहान)

बिल्कुल अवोइड किया जाता है और डाइरेक्ट आर्डर विकास अधिकारी के नाम से दिये जाते हैं। मुझे बड़ी चिंता है कि क्यों तो इन संस्थाओं में इतना बड़ा चुनाव कराते हो और जिस प्रजातांत्रिक तरीके से प्रधान का चुनाव होता है चुनाव कराने के बाद उनका अगर विकास अधिकारी कहना नहीं माने, इवन, माननीय पंचायत राज मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों में जो ट्रान्सफर टीचर्स के हुए या ग्राम सेवक के हुए प्रधान और स्टेंडिंग कमेटी की-कोई वैल्यू नहीं रही और यह जो आपका पंचायत राज विभाग का डायरेक्टरेट वह भी आदेश देने में जिस भाषा का प्रयोग करता है, हालांकि उनकी मंशा में कोई गलती नहीं है लेकिन जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा में सीधा विकास अधिकारी को इम्पावर्ड किया जाता है। इस तरह से विकास अधिकारी अपने में पावर नहीं होते हुए भी पावरफुल हो जाता है। अब कौन तो उनके साथ झगड़ा करे और झगड़ा करने के बावजूद एक प्रकार का बड़ा भारी दूसरा स्वरूप हो जाता है। इसलिये मेरा एक निवेदन है, पंचायत राज मंत्री जी, आप यह जो संशोधन आप लाने जा रहे हैं, उससे आने वाले जो चुनाव हो रहे हैं पंचायत समिति और जिला परिषद का उसमें सदस्य तक खड़ा करने के लिये हमारे सामने मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि हमने उनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं दे रखा है। सरपंच लोगों के पास काफी अधिकार हैं और सारे अधिकारों का वे प्रयोग करते हैं लेकिन पंचायत समिति का सदस्य केवल प्रधान चुनने के लिये और जिला परिषद का सदस्य केवल प्रमुख का चुनाव करने के लिये प्रयोग में लिया जाता है। हालांकि एक्ट में बहुत सारे प्रोविजन्स कर रखे हैं।

माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, मैं बहुत गम्भीरता से निवेदन करना चाहता हूं, पंचायत समिति की बैठकों में पंचायत समिति स्तर के अधिकारी भाग नहीं लेते हैं। जब तक अधिकारी भाग नहीं लेंगे, डॉक्टर भाग नहीं लेंगे, आपका पुलिस इंस्पेक्टर भाग नहीं लेगा, वहां के स्वास्थ्य संबंधी लोग और भी हैं, वहां का एग्रीकल्चरल वाला भाग नहीं लेगा या वहां के उससे संबंधित डिप्टी डायरेक्टर हैं, भाग नहीं लेंगे तो वो लोग जो पंचायत समिति की बैठक में बैठते हैं वे किससे आशा करेंगे? कार्यों का इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा करेंगे? हालांकि आपने सारे डायरेक्शन दे रखे हैं उसके बावजूद भी बैठक में भाग नहीं लेते हैं। इसलिये, पंचायत राज मंत्री जी, स्पष्ट तौर से मेरा आपसे निवेदन है, आपके जो भी संबंधित अधिकारी हैं, पंचायत समिति और जिले की जिला परिषद उनके ऊपर कम्पलसरी, अनिवार्य रूप से पाबन्दी लगाएं। हालांकि व्यवस्था के बावजूद भी कई प्रकार की शिकायतें आती हैं लेकिन उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है इन पंचायतों को सशक्त बनाने के लिये जितने भी संबंधित अधिकारी हैं उनको अनिवार्य रूप से बैठकों में भाग लेने के लिये पाबन्द किया जाए।

(श्री हीरासिंह चौहान)

दूसरा, एक निवेदन मैं और करना चाहता हूं, जो आप संशोधन लेकर आये हैं, कि पंचायत समिति में बैठकों में सरपंच लोग भाग लेवें, माननीय मंत्री महोदय, जब आप पंचायत समिति की बैठकों में सरपंच को अधिकृत कर रहे हैं तब क्यों नहीं पंचायत समिति की बैठकों में जो संबंधित पंचायत समिति के जिला परिषदों के सदस्यगण हैं, जिनके पास किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, वे भी उसी क्षेत्र से चुने हुए होते हैं, उनको पंचायत समिति की बैठकों में बैठने के लिये क्यों नहीं अधिकृत करते हैं? क्योंकि जब पंचायत समिति की बैठकें होती हैं, उसकी क्षेत्र के विकास के लिये सारी बातें करते हैं, वो जिला परिषद में जाकर बैठते हैं, इस अमेंडमेंट के साथ इसका भी आप विचार कीजिये कि पंचायत समिति की बैठक में पंचायत, जिला परिषद के सदस्यों को भी अनिवार्य रूप से होना चाहिये। इसी प्रकार आपकी ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा का ग्राम पंचायत की बैठक में पंचायत समिति का सदस्य भाग नहीं लेता। नहीं लेने के कारण से कोई भी सरपंच है अपना मनमाना रूप धारण कर लेगा। अगर पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य अनिवार्य रूप से उन बैठकों में भाग लेगा, मैं आपको रचनात्मक सुझाव दे रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय, उनको भी इस प्रकार अधिकृत कीजिये ताकि (व्यवधान) मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। सभापति महोदय, यह संस्था रचनात्मक संगठन होने से इनके प्रति जो आपका दृष्टिकोण, हमारा दृष्टिकोण है क्योंकि यह संस्थाएं अनुपयोगी होती जा रही हैं इसमें उनका काफी उपयोग हो सकता है, इसलिये माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है इस अमेंडमेंट के साथ में बहुत जरूरी है कि पंचायत समिति के सदस्यों को, जिला परिषद के सदस्यों को भी पावर दिये जाएं, उनको किसी प्रकार के अधिकार दिये जाएं। अधिकार के साथ में जो-जो इस संस्था से जुड़ी हुई हैं उनको मजबूत किया जाए।

मेरा एक निवेदन और है ग्राम सभा का एक प्रोविजन रखा है। क्योंकि पंचायत राज पर ही यह व्यवस्था चल रही है तो आज जो ग्राम सभा यकायक हो जाती है उसमें पिछले छह महीने का अकाउन्ट पेश किया जाता है, ग्राम पंचायत के द्वारा छह महीने की अवधि में जो भी व्यय किया गया, जो भी आमदनी हुई उसका भी चार्ट सात दिन पहले दिया जाए ताकि उसका भी अध्ययन ठीक हो सके। जब हमने रख दिया कि पब्लिक आडिट होना चाहिए हर प्रकार के व्यय का तो वो आडिट भी बहुत सही हो सकता है। इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह सारी व्यवस्थाएं एकदम, यकायक नहीं की जा सकतीं। इस व्यवस्था में और भी बहुत सारी कमियां हैं, उसको सुदृढ़ करने के लिये जनमत जानने के लिये इसको परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : अटरू से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : सैकण्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज अधिनयम, 1994 को संशोधित करने के लिये जो विधेयक लाया गया है, उसे प्रवर समिति को सौंपा जाए, ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, यह जो संशोधन लाया जा रहा है, प्रधानों को जिला परिषद का सदस्य और सरपंचों को पंचायत समिति का सदस्य बनाने के लिये, मैं समझता हूं कि मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने इस पर पूरा प्रकाश डाला है। यदि सरपंच पंचायत समिति के सदस्य बनते हैं तो मैं कहता हूं कि कई पंचायत समितियों की स्थिति ऐसी हैं कि जहां बैठने के लिए भी स्थान उपलब्ध नहीं हो पायेगा।

इसके अलावा दूसरा पहलू भी सामने आयेगा कि यदि इनको हम विधिवत सदस्य बना देते हैं, तो क्या उनको हम मतदान करने की यूं छूट देंगे? और मतदान करने की छूट देते हैं तो फिर कई पंचायत समितियों में जैसे 17 से लेकर 30 के लगभग सदस्य होंगे तो उन सदस्यों की क्या उपयोगिता रह जाएगी क्योंकि जो निर्णय करेंगे उस निर्णय में यदि ये सरपंच, जो सदस्य बनकर वहां जाएंगे और मतदान करते हैं तो ये उस निर्णय को प्रभावित करेंगे। इसलिए जिस मंशा से पंचायत समितियां बनायी थीं वह मंशा ही लगभग खतम हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, पहले भी हमने ग्राम सभाएं करने का निर्णय लिया है। पिछली बार सरकार ने आदेश जारी किया कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को ग्राम सभाएं होंगी। 26 जनवरी के पहले सरकार के आदेश गये कि पूरे राजस्थान भर में एक ही दिन ग्राम सभाएं की जाएं और उस ग्राम-सभा में एक-एक गांव से 10-10 कामों के प्रस्ताव लिये जाएं। यदि किसी ग्राम पंचायत में आठ गांव हैं तो 80 कामों के प्रस्ताव लिये जाएं। अब 80 प्रस्तावों की लागत कितनी होगी, इसका आप अन्दाजा लगाइये तो मैं समझता हूं कि करोड़ों में, अरबों में इसकी लागत आयेगी। लेकिन उसके लिए धन की कोई व्यवस्था नहीं, धन का कुछ सोचा नहीं। बिना सोचे-समझे इस प्रकार को कोई भी कानून में, नियमों में संशोधन लाने से मैं समझता हूं कि कोई अर्थ नहीं होगा। फिर दुबारा इसी प्रकार से किया गया। जो प्रस्ताव 26 जनवरी को लिये थे उनको 15 अगस्त को दुबारा लिया। फिर दुबारा प्रस्ताव लिये गये। एक-एक गांव से 10 कामों की सूची बनायी गयी। यदि 8 गांव हैं तो 80 कामों की सूची बनायी गयी। इस प्रकार से सरकार के धन का वेस्टेज किया जा रहा है। कागजों में कितना पैसा बहाया जा रहा है और काम के लिए पैसा नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि किसी

(श्री मदन दिलावर)

उसके लिए मैं कहता हूं कि इसको प्रवर समिति को सौंपा जाए।

(समय समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, बाहर आवास विकास संस्थान के कर्मचारी आन्दोलन करने के लिये आये हैं और वे इसलिए आये हैं कि पिछले मार्च में आवास विकास संस्थान को समाप्त कर दिया है और उन लोगों को 11-11 माह से वेतन नहीं मिल रहा है जिससे उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। कई लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में कुछ दिन चली तो लोग आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार से जैसी घोषणा की थी कि विभिन्न संस्थाओं या सरकारी सेवा में उनको समायोजित किया जाएगा, वह करें। सरकार ने अभी तक उनका समायोजन नहीं किया जिससे उनकी स्थिति बहुत खराब हो गयी है। मैं आपके माध्यम से आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार को आप दिशा-निर्देश दें कि इतने सारे परिवारों को आखिर रोड पर भूखे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया है? उनकी रोजी-रोटी की व्यवस्था के लिए उनको नौकरियों में समायोजित करें। उनका दोष क्या है? सरकार गलती करे, हाउसिंग बोर्ड गलती करे और नुकसान इन छोटे-छोटे कर्मचारियों का हो। अतः मेरा निवेदन है कि उनकी रोजी-रोटी की पुख्ता व्यवस्था के लिए तुरन्त उनको सरकारी सेवा में समायोजित किया जाए।

श्री सभापति : आसींद से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : इस विधेयक के बारे में मैं तो मंत्री महोदय का इतना ही ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा और एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ एनामलीज रह गयी हैं उनको हटाने का आप प्रयत्न कर रहे हैं, अच्छा प्रयत्न कर रहे हैं, मेरा निवेदन करना यह है कि, मंत्री महोदय, आपने कभी इस पर विचार किया है कि जो भी अपन महिलाओं के लिए, एस.सी., एस.टी. के लिए, ओ.बी.सी. के लिए दे रहे हैं, अगर एक पंचायत का अगले टर्म के अन्दर चैन हो जाएगा तो क्या ऐसा नहीं लगेगा कि उस सरपंच को उस पंचायत का ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मैं आज आसीन्द से विधायक हूं और अगले टाइम में मैं सोचता हूं कि आरक्षण के अन्दर यह चेंज हो जाएगा और अगली बार मैं आसीन्द से विधायक के लिए खड़ा ही नहीं हो सकता तो मैं ध्यान नहीं दूंगा। वैसे ही पंचायत के अन्दर अगर सरपंच है या प्रधान है और वह जानता है कि अगली बार वह खड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि आरक्षण से वह चेंज आ जाएगा तो इस पर भी आपने कभी विचार किया है कि उसको क्या जरूरत है कि वह उसका विकास करेगा। इसके लिए भी आप कुछ बतायें और संशोधन भी लायें।

श्री सभापति : यह तो आपने ही लाया था, आपका ही लाया हुआ प्रस्ताव है। यह व्यवस्था पहले आपकी ही की हुई है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैंने पहले भी कहा था। किसी ने भी की हो, उससे मतलब नहीं है। मैं एनामलीज की बात कर रहा हूं। यह नहीं होता है कि कांग्रेस ने कर दिया या हमने कर दिया। सबने अच्छे कर दिये। बहुत बार कुछ कमियां रह जाती हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए संशोधन लाये जाते हैं।

श्री सभापति : तो फिर आप सुझाव दीजिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : तो मेरा सुझाव यह है कि आपने इस पर भी कभी विचार किया क्या कि कल नाथद्वारा से आप खड़े हों और अगली बार का आप जानते हैं कि आरक्षण में ओ.बी.सी. में चली जाएगी, महिला में चली जाएगी, एस.सी. में चली जाएगी, एस.टी. में चली जाएगी, यह चेंज होता रहता है तो आप सोंचेंगे कि मुझे क्या जरूरत है विकास की, अगली बार तो मैं विधायक बन ही नहीं सकता। यह सबसे बड़ी कमी है। क्योंकि सरपंच जानता है, प्रधान जानता है कि अभी तो मैं ओ.बी.सी. के आरक्षण से, महिला के आरक्षण से जीतकर आया हूं पर अगली बार तो वह खड़ा ही नहीं हो सकेगा तो उसका वह क्या ध्यान रखेगा। आपने इस पर भी विचार किया क्या? मुझे इतना ही निवेदन करना है। धन्यवाद।

श्री सभापति : बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य। हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य।

एक माननीय सदस्य : इनके तो पंचायत है ही नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पर आप बैठे तो हवामहल में ही हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह आप ठीक कह रहे हैं कि अब कुछ ज्यादा चर्चा के लिए बचा नहीं है क्योंकि इसी विषय पर जिन माननीय सदस्यों ने विचार रखे हैं, माननीय परसादी लाल जी, गांवों के बारे में उनको आप से ज्यादा अनुभव है, जिन्होंने अभी तक विचार रखे हैं, माननीय शिवनाथसिंह जी ठेठ गांव के इलाके से जुड़े हुए हैं और मैं जानता हूं कि सारा उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन वहीं से प्रारम्भ किया होगा और आज भी वे गांवों से जुड़े हुए हैं, उसके बाद माननीय सभापति महोदय, श्री रामनारायण चौधरी यहां विराजमान हैं, गांव के बारे में, पंचायतों के बारे में इन्होंने अपने विचार रखे, आदरणीय सुमित्रा सिंह जी ने भी अपने विचार रखे, हरजीराम जी ने अपने विचार रखे, इस प्रकार से ग्रामीण परिवेश के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और उन्होंने एक बात कही कि ग्राम पंचायतों की स्थिति ठीक नहीं है और उसमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। इन्होंने कई बातें कही हैं और अपने अनेक अमूल्य सुझाव दिये हैं। और कहा है कि इन पर पूरा विचार किये जाने के बाद ही इस एक्ट में संशोधन करना चाहिए। इसलिए मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि आप इन माननीय सदस्यों की बातों को मानें, यहां कोई पक्ष-विपक्ष या दल का सवाल नहीं है, इन माननीय सदस्यों का जो ज्ञान है, इनका जो अनुभव है उसका लाभ उठाना ही बुद्धिमानी होगी, समझदारी होगी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको

(श्री भंवरलाल शर्मा)

उठाना ही बुद्धिमानी होगी, समझदारी होगी। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जल्दबाजी में पास नहीं करें और जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, इनमें कई तो जिला प्रमुख रहे हैं, कई प्रधान रहे हैं जिन्होंने अपनी बात कही है, इनकी बात को मानकर आप इसको प्रवर समिति को भेज दीजिये। अभी जो संशोधन आप लाये हैं वह कोई ऐसा नहीं है जिसको आप पास नहीं करें तो कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा या कोई जनता का अहित होगा। इसको कुछ समय के लिए, आप समय निर्धारित कर सकते हैं और इसे प्रवर समिति को भेज दें तो मैं समझता हूं कि जो इसमें कमियां रह गयी हैं वह दूर होंगी। इसके अलावा पंचायत ही हमारे प्रजातंत्र का मूल आधार है। उसकी मजबूती हम सब लोग चाहते हैं तो उसकी मजबूती के लिए जो सुझाव आये हैं उनको मानकर आप आगे दुबारा लायें, यह मेरा सुझाव है।

एक बार जब आप बोलें तो स्पष्ट करें कि यह जो पंचायत समिति में सदस्य आयेंगे तो इनकी संख्या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जो चुने हुए लोग आयेंगे उनसे अधिक हो जाएगी? यह एक्स-आफिशियो जो मैम्बर्स आयेंगे इनकी संख्या जो चुने हुए माननीय सदस्य रहेंगे उनसे अगर ज्यादा हो गयी तो वह पंचायत समिति या जिला परिषद जो भी होगी, मैं समझता हूं कि वह अपने निर्णय करने के अधिकार में बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। एक तो यह बात आप समझा दीजिये।

दूसरा, यह कि एक सदस्य चुनाव लड़ने के लिए भी अधिकृत होगा क्या? विश्वास-अविश्वास में मत देने के लिए अधिकृत होगा क्या या स्वयं भी कोई केंडीडेट बन सकता है क्या? ये कुछ बातें हैं जिनका स्पष्टीकरण करिये और मेरा तो सुझाव यही है कि ऐसी कोई विसंगति या ऐसी कोई कमी नहीं रह जाए, मैं समझता हूं कि आप इसको प्रतिष्ठा का सवाल बनाते भी नहीं हैं, इन सब बुजुर्गों की, अनुभवी लोगों की राय मानकर कुछ दिनों के लिए विचार के लिए एक समिति बना दीजिये और वहां इसको भेज दीजिये। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसको प्रवर समिति को दे दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

(15.00 बजे)

श्री सभापति : बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें अभी इन्होंने जो कुछ बातें बताई हैं, आप कहो तो इसको रिपीट करूं क्या? आप इस चर्चा में थे कि नहीं? आप चर्चा में थे नहीं। इन्होंने कितनी जबरदस्त बातें कहीं हैं। जब इनकी ही बातें समझ में नहीं आई तो मेरी क्या समझ में आएंगी? इनको ही नहीं सुना तो मुझे क्या सुनोगे?

श्री सभापति : धन्यवाद। बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, जिस कारण से हम यह संशोधन ला रहे हैं और उसके लिए हमने अध्यादेश जारी करवाया राज्यपाल महोदय से, मैं समझता हूं, शायद इतना कोई आवश्यक काम नहीं था कि जिसके कारण

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

से राज्यपाल का सहारा लेकर इसको हमने लागू करने का प्रयास किया है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात हमने नहीं की। 13 और 14 में हमने उस कमेटी में सरपंच को मैम्बर के रूप में डालने का प्रयास किया और जिला परिषद में हमने प्रधान को उसका मैम्बर बनाने की बात की है। अगर यह मान लो तीन महीने बाद बन जाते या दो महीने बाद बन जाते तो कौनसा आसमान टूट पड़ता? अगर हम अध्यादेशों का इस प्रकार से मखौल करेंगे तो मैं सोचता हूं कि यह कोई हमारी मंशा ठीक नहीं है। यानी इसमें कोई ऐसी चीजें थीं कि अगर तुरन्त नहीं किया तो कोई आफत पड़ जायेगी, कोई महाप्रलय मच जायेगा या उसके कारण से कोई चीज हो जायेगी तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन हमने राज्यपाल के माध्यम से ऐसे छोटे-छोटे कामों को भी अध्यादेश के माध्यम से करने की प्रथा डाली तो हम कानून की हत्या कर देंगे और उसकी उपयोगिता को भी रद्दी की टोकरी में डालने का काम करेंगे। कानून को बनाने के लिए सदन है और सदन के माननीय सदस्यों का जो सबसे प्रमुख काम है, वह यही है कि ठीक प्रकार से कानून की संरचना हो। उस कानून की संरचना नहीं करके, केवल इस आधार पर कि हमारे पास बहुमत है और हम चाहे जो पास करा देंगे, पास करा सकते हैं, कोई हर्जा नहीं लेकिन इससे कानून की हत्या होगी और हमारी सारी प्रक्रिया को भी हम एक तरह से नजरअन्दाज करने का प्रयास कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज हम नहीं करने जा रहे हैं। इसको हम अपने रेगुलर तरीके से भी लाकर के अगर करते तो शायद इसकी गरिमा बढ़ती। इसलिए हमने इसकी गरिमा घटाने का काम किया है। अब हम मजबूर हैं जिस प्रकार से हमारे पंचायती राज के 73वें संशोधन विधेयक में जो कुछ भी हमारे सामने रखा है और जिस प्रक्रिया से हमको चलना है, हमने पंचायत समिति के मैम्बरों का एक वार्ड बना दिया, उनके चुनाव कर दिये, उनको हमने बना दिया, उनका काम कर दिया, हमारी सबकी पीड़ा तो यही थी कि इन लोगों को भी कोई अधिकार मिले जिससे ये चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में अच्छी प्रकार से जनता के इन सब कामों में अपनी भागीदारी निभा सकें। हमने वह काम तो किया नहीं जिसके कारण से उन लोगों को लगता है कि हमारा कोई उपयोग है। चुनाव के दिन आये और जब कभी भी अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो 10-15 दिन लोग हमारी खुशामद करें, इसके अलावा तो हमारा कोई काम नहीं है, न हमारा विकास में कोई योगदान है। वह तो विकास करना चाहता है, वहां सरपंच उसे गांठता नहीं। पहले वह दो-तीन सरपंचों के ऊपर चुना हुआ प्रतिनिधि है लेकिन न गांव की पंचायत में उसकी हैसियत है, न प्रधान के सामने उसकी कोई हैसियत है। हमने इस सिस्टम को इसलिए डाला है कि हम इन जन प्रतिनिधियों के माध्यम से पंचायती राज को सशक्त करेंगे। कमी हमारी जहां

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

थी, उस कमी को निकालने के लिए हमको चिंतन करना चाहिए था कि हम किस प्रकार से कर सकते हैं।

मैंने जो अपना प्रस्ताव दिया था, वह प्रवर समिति के लिए दिया है। यह सामान्य विषय नहीं है, इस पर बहुत गहन चिंतन करके देखें, कौनसे ऐसे रास्ते निकाले जायें कि जिस रास्ते से इन चुने हुए प्रतिनिधियों को ठीक प्रकार से अपनी ड्यूटी को अंजाम देने में मदद मिल सके। हमने वह नहीं किया। केवल बार-बार आपके सामने जाते थे और सरपंच से आग्रह करते थे कि हमको भी इसका मैम्बर बनाओ, हमारी क्या उपयोगिता है। अब आपने बना दिये। क्या अर्थ निकलेगा? आपने देखा है कभी? राज्य में कई ऐसी पंचायत समितियां हैं जिनमें 63-63 सरपंच हैं। अब उन 63-63 सरपंचों को लेकर, वह जो 23 और 24 का इलेक्टोरल कालेज है, जो जीतकर आये हैं, पंचायत समिति सदस्य, उनकी आप क्या दुर्गति बनाओगे? पहले तो वह सरपंच वैसे ही थे, क्षेत्र में कोई काम नहीं करता, उसकी कोई बात नहीं मानता तो पहले तो दुर्गति की और बचा-खुचा और थोड़ा बहुत भी करता है तो उसमें भी आपने इनको जोड़ करके, वह जो 100 की फौज आपने बना दी, उस 100 की फौज में वह 23 लोग अपने क्या तो कर पायेंगे। मैं सोचता हूं, हमने जल्दी में कोई समस्या का समाधान ढूंढ़ने का प्रयास किया, इसकी गहराई और तह में जाने का प्रयास नहीं किया कि इस समस्या का समाधान करने का तरीका कौनसा हो सकता है और उस तरीके से हम इसको ज्यादा सशक्त बना सकते हैं।

इसी प्रकार से जैसे रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, अब आपने पंचायत समिति के अन्दर सरपंच को तो डाल दिया लेकिन उस पंचायत समिति क्षेत्र से ही, जिला परिषद में 4 या 5 मैम्बर जीतकर गये, जिसके नीचे कम से कम 3-3, 4-4 पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिनके नीचे कम से कम 9-10-11-12 सरपंच हैं, इतने लोगों के इलेक्ट्रोरल कालेज में से जीतकर जो व्यक्ति जाता है, उस व्यक्ति की तो और भी दुर्गति है। मतलब आपने सरपंच को तो संतुष्ट करने का रास्ता निकाल दिया अमेंडमेंट के माध्यम से। अगर आपको यह करना ही था तो उस संशोधन में यह और जोड़ देते कम से कम ताकि उसके मन में यह पीड़ा तो नहीं हो कि मैं जिला परिषद का सदस्य होने के बाद में, मैं उस सरपंच से भी गया बीता हूं, कि मुझे उसमें भी जोड़ा गया। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में पहली बात तो मेरी यह है कि इसमें गहराई से विचार करना चाहिए, कोई आप बहुत जल्दबाजी नहीं करें और दूसरा, इस बारे में विचार करना चाहिए कि नहीं, हमको तो करना ही है, बहुमत बहुत भयंकर है तो आप चाहे जो करो, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन जनता इसको देखकर आपके बारे में अंगुली उठायेगी कि हमारे प्रतिनिधियों का इतना सोच है कि इस तरह की बातों के लिए भी अध्यादेश के माध्यम से कानून

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बनाने का प्रयास करते हैं। तो मैं सोचता हूं हम बहुत अच्छा दृष्टिकोण नहीं देंगे।

इसी प्रकार से आपने जिला परिषद में प्रधान को डाला। उनकी भी वैसी स्थिति बनने वाली है। अगर मान लो, सरपंच इस कमेटी का मैम्बर नहीं बना तो क्या आसमान पड़ने वाला है? कौनसी ऐसी चीज हो जाने वाली है? क्या दोनों अलग-अलग अपनी ड्यूटी को अंजाम नहीं दे सकते? क्या उसके लिए जो प्रस्ताव पास करते हैं, उसे लागू करते हैं? कोई भी नगरपालिका का चेयरमैन अपने यहां मैम्बर नहीं है तो क्या हम लोग जो वहां के प्रतिनिधि चुनकर आये हैं, जिनके नीचे 2-3 नगरपालिका होंगी, 2-4 प्रधान होंगे तो उनके हकों की रक्षा करने के लिए हम यहां कोई अकल नहीं रखते हैं या उनकी मौजूदगी होगी तो ही हम उनके लिए ठीक प्रकार से फैसले कर पायेंगे। मैं सोचता हूं इस सोच में हमारी कमी है। कमी हमारे इस सम्पूर्ण सिस्टम में है। इस सिस्टम से कमी को निकालने का हम प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हल होगा।

इस पंचायती राज में विशेषकर चूंकि मैं शिक्षा से प्रारम्भ से एक अध्यापक के रूप में जुड़ा हूं, मेरे मन में इस बात की बहुत पीड़ा है और जो मंत्री महोदय हैं, वह भी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आपने पंचायती राज में उच्च प्राथमिक विद्यालय तक तो जोड़ लिया लेकिन यह जोड़ने के बाद आपके पास सिस्टम क्या है कि जिसके कारण से आप इन विद्यालयों को ठीक प्रकार से चलाएं? आपके यहां पर जयपुर में तो आप कर लोगे कि डी.ई.ओ. आपके नीचे रह जायेगा लेकिन जो जिला परिषद आपकी हैं, वह जिला परिषद में चलने वाले अपर प्राइमरी स्कूल हैं या उस जिला परिषद में या पंचायत समिति में चलने वाले आपके जो मिडल स्कूल हैं, उनकी देखभाल के लिए आपके नीचे की इकाई क्या काम कर सकती है, उनके पास क्या अधिकार है? आपके पास पंचायत समिति में एक एस.डी.आई. है। उस एस.डी.आई. के नीचे जो डी.ई.ओ. का काम है, उनके कामों का वितरण कैसे होगा, कैसे उनका निरीक्षण होगा, कैसे उन विद्यालयों को ठीक प्रकार से चलाने के आपके पास साधन हैं? मतलब कोई भी, हमें तो यह करना है बस इसलिए, कर लीजिये। कर लीजिये, कोई हर्जा नहीं लेकिन यह प्रयोग हमने पहले भी किया है। हमें यह प्रयोग बहुत महंगा पड़ा। क्योंकि इसका ठीक प्रकार से सुपरवीजन के लिए जिला परिषद में शिक्षा का जो व्यक्ति है, वह केवल एक वाइस प्रिंसिपल ग्रेड का एक व्यक्ति है। अब एक वाइस प्रिंसिपल ग्रेड का व्यक्ति और उस जिले में 1000 प्राइमरी स्कूल को देखे क्या? पत्थर देखे? तो देखने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। केवल नाममात्र के लिए, खानापूर्ति करके हमने इस शिक्षा का भट्टा बैठा दिया। हमने उस बालक के बारे में चिंता नहीं की। हमारा सोच तो यह था कि हम इन संस्थाओं के द्वारा शिक्षा के स्तर का ठीक प्रकार से निरीक्षण कर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सकेंगे। बच्चों की शिक्षा ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, उसको देखने के लिए हमारे पास एक ग्राम स्तर तक की कोई एजेंसी होगी। सोच तो हमारा यह था लेकिन हमने सिस्टम ऐसा बनाया कि उसमें से कुछ निकलने वाला है ही नहीं।

किसी को इस बात की फुरसत ही नहीं है। पूरे के पूरे पंचायती राज में किसी को फुरसत नहीं है कि वह जाकर विद्यालय में पढ़ाई और विद्यालय के बारे में चिंता करे। मुझे कहते हुए बहुत दुःख है कि हम इतनी डींगे हांकते हैं, केवल पंचायती राज के माध्यम से। एक प्रश्न का कल ही जवाब आया है कि 9400 पद आज की तारीख में अध्यापकों के रिक्त हैं, केवल पंचायती राज में। जिलों के अनुसार प्रश्न के उत्तर में आया कि इन जिलों में हमारे कितने पद आज की तारीख में प्राइमरी स्कूलों में खाली हैं, यानी इतने पद हमारे पास खाली हैं। मिडल स्कूल की दशा तो इतनी शोचनीय है, आज मुझे भी इसकी पीड़ा थी, बहुत प्रयास करने के बाद भी मैं कोई बहुत कुछ उसमें कर पाया, ऐसा मेरा मन नहीं कहता है लेकिन आज भी मिडल स्कूल 2-2 अध्यापक चला रहे हैं। वह क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा और हमने केवल यह कहकर कि हमने हमारी शिक्षा को पंचायती राज को सुपुर्द कर दिया, पंचायती राज कोई चिराग है क्या जो चमत्कार दिखा देगा, जब तक उसका सिस्टम नहीं बनेगा। जब तक उसका निरीक्षण करने वाली कोई परिपाटी नहीं बनेगी।

आपने तो राजीव गांधी पाठशाला खोलकर वाहवाही ले ली। मैं आलोचना करूंगा तो आपको बहुत दर्द होगा। लेकिन यह चमत्कार मैंने पहली बार देखा कि केवल छह दिन में आपने 12000 राजीव गांधी पाठशालाएं खोलने का निर्णय करके उनको लागू कर दिया। यानी यह दुनिया का पहला चमत्कार होगा कि 24 तारीख में आपने अपने यहां से रिजल्ट निकाला और रिजल्ट निकालने के बादे में आपने 30 तारीख तक सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया। इतनी हड़बड़ाहट में, बहुत जल्दी में यह स्कूल खोल दिये। नाम की गिनती गिना दो लेकिन जो चीज हम चाहते हैं, जिस प्रकार से शिक्षा देने के लिए ढांचे को हम तैयार करना चाहते हैं उस ढांचे को आपने ध्यान नहीं रखा और फिर आपने बिल्डिंग ठोकने के लिए भी एक महीने का समय दे दिया। अल्टीमेटम दे दिया सरपंच को, अगर इस तीस तारीख, इकतीस तारीख तक नहीं बना तो तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही हो जायेगी। बाद में आपने दस दिन और बढ़ा दिये। उसने ठेकेदार को ठेका दिया यानि ठेकों के ठेके ठोक दिये और उसके कारण से बिल्डिंग खड़ी हो गई। मैं आज कह रहा हूं, मेरे वर्जन आज भी रिकार्ड पर चढ़ेंगे और पांच साल के बाद आपके इन विद्यालयों के भवनों की दुर्गति होगी और वो गिरेंगे, बच्चा उसमें मरेगा और उसके पाप की भागी हमारी यह जल्दबाजी होगी, जो हम स्वयं अपनी आंखों से अगर जिन्दे रहे तो देखेंगे क्योंकि दो-तीन घटनाएं तो हो चुकीं। राजीव गांधी पाठशालाओं के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिए आपने लम्बा-चौड़ा भवन बना दिया, उसमें बच्चे तो 25 बैठेंगे। अब 25 बच्चों के लिए आपने दो कमरे, ऑफिस, बरामदा सब तैयार कर दिये, इतना लखपति है न अपना राज्य, इतना पैसे वाला है? मैं सोचता हूं कि योजनाबद्ध तरीके से अगर हम स्टेप बाई स्पेट भी चलते, तो हमारे स्टेप बाई स्टेप से भी काम हो सकता था, पैसे का सदुपयोग हो सकता था। आलोचना करने के लिए कुछ भी आलोचना कर ली जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस प्रदेश के प्रति हमारी जिम्मेदारी और हमारा कर्तव्य भी है। अगर हमारी जेब में दस रुपये हैं तो दस रुपये के हिसाब से काम करें। हमारी जेब में तो दस रुपये हैं और सूट सिला करके पहन करके बाहर घूमें कि हम सूट पहन कर आ गये, यह कोई अक्लमंदी का काम नहीं है। जो हमारी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार हमको अपने हिसाब से चलना चाहिए था। वाहवाही लूटने के लिए हमने जो प्रयोग किया है, यह प्रयोग इतना मंहगा है कि आज की तारीख में आप अपना चुकारा नहीं कर सके हैं। आपको पता होगा कि पंचायत समितियों में करोड़ों रुपये के बिल इस नाम से पेमेन्ट होने बाकी पड़े हैं। हम वाहवाही लूट करके मन को संतोष कर लें कि हमने बहुत कीर्तिमान कर दिया लेकिन किया कुछ नहीं। मैं यह सोचता हूं कि जो अध्यापकों का सलेक्शन हुआ है, आपके पास सारा सिस्टम था, आपके पास लोक-जुम्बिश योजना के तहत पैसा था पंचायत के ग्रामीण स्कूल्स के लिए, शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट का पैसा था। आप उसको जिस ढंग से लगाना चाहते उस ढंग से लगाते, डी.पी.ई.पी. के माध्यम से आपका प्रोजेक्ट स्वीकृत था, उसके माध्यम से आपको एक-एक जिले में चालीस-चालीस करोड़ रुपये पांच साल के लिए मिले हुए थे, आप चाहे जितने प्राइमरी स्कूल स्ट्रेंथन करके उसको बनाते। आपने न शिक्षकों के चयन के बारे में चिन्ता की। अगर आप शिक्षक का चयन पहले करते और करने के बाद ट्रेनिंग में भेजते और उसमें यदि वह पास होने की कुछ योग्यता रखता, उसको कम से कम हिन्दी लिखना-पढ़ना तो आता है या नहीं आता है, कई बार लड़का ग्यारहवीं और बारहवीं पास हो सकता है लेकिन उसको हिन्दी ठीक प्रकार से लिखना भी नहीं आता, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्यारहवीं पास भी होंगे लेकिन भाग करना भी उसे नहीं आता होगा तो कम से कम पहली-दूसरी क्लास को पढ़ाने के लिए जो एक मिनिमम उस व्यक्ति की मानसिक पात्रता चाहिए, उस पात्रता को पुराना कोई आठवीं, नवीं पढ़ा लड़का शायद हो सकता है और किसी बारहवीं के लड़के से भी अच्छी प्रकार से पहली-दूसरी को पढ़ा सकता है, लेकिन हमें तो कुछ भी करना है, बस कुछ तो अभी करना है, करिये, कोई बात नहीं। जो कुछ भुगतना होगा इस प्रदेश को, वह यह भुगतेगा। अब हमने तीसरी से तो अंग्रेजी प्रारम्भ कर दी। हमारे यहां प्राइमरी में तीसरी से अंग्रेजी प्रारम्भ हो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गयी। अब हमारा पढ़ा हुआ अध्यापक है वह आठवीं पास है, उसको अंग्रेजी की ए, बी, सी, डी कुछ आती ही नहीं। मतलब क्या प्रयोग करना चाहते हैं? क्या कभी खुला दिमाग रखकर भी सोंचेंगे या राजनीति के घरौंदे में बंध करके सम्पूर्ण शिक्षा का बंटाधार करने का मानस अगर बना लिया है, अमर हो जाना, कोई बात नहीं है, आप बहुत बड़े प्रतिनिधि बने हैं लेकिन आने वाली पीढ़ी हमको धिक्कारेगी कि हमने गांव के उस बच्चे को तो सुपुर्द कर दिया उन लोगों के हाथ में ओर शहर का बच्चा एम.ए., बी.एड. वाला पढ़ायेगा और सारे के सारे पढ़े-लिखे नौजवान जिन्होंने एम.ए., बी.एड. कर रखी है वह झक मारेंगे अब पांच साल तक बैठकर के। अपने मां-बाप को, कितना कष्ट होगा, अपने बच्चे को जिन्होंने बी.एड. कराई होगी। उसके मां-बाप जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से उस बच्चे को बी.एड. में भेजकर डिग्री प्राप्त कराई है, उसके घर की जो हालत है और जो उसने गिरवी रख करके किया, उसके बाद भी हम उसके साथ मखौल करना चाहते हैं और हम यह सोचते हैं कि हम कोई जादू चला देंगे, एक दिन में। और आपने कभी यह एनालिसिस किया? नहीं किया। किसी को फुरसत ही नहीं है करने की। आपके राजीव गांधी पाठशाला खोलने के कारण से जो पास में आपका प्राइमरी स्कूल चलता था तीन फर्लांग पर, उसके बच्चों की संख्या कितनी है? यानी आप अपना कुछ हिसाब-किताब देखने की कोशिश तो करो भले आदमी, कि कम से कम हम जो कर रहे हैं उसका कोई नफा निकल रहा है या हमको तो बस एकदम कोई तुनक चढ़ गई है, इस तुनक को पूरा करना, यही हमारा लक्ष्य है, कर डाला। कोई बात नहीं, आपके पास सब अधिकार हैं, इस अधिकार का आप उपयोग करो। यह पहली बार हुआ है राजस्थान में। मुझे कहते हुए दुःख है इस बात का कि बच्चों को किताबें हमने हमेशा विद्यालय के खुलने की पहली तारीख, जिस दिन एक जुलाई को स्कूल खुलता था उसके पहले विद्यालय को पहुंचा कर बच्चे के हाथ में दी, अब की बार सितम्बर का महीना आ गया लेकिन यह किताबें उस बच्चे को गांव तक अभी तक नहीं पहुंचा सके। इनको क्या धन्यवाद दें। मतलब हम करना क्या चाहते हैं? हमारे मन में अगर यह लगता है कि नहीं, हमको तो बहुत जनता ने बहुमत दे दिया, इस घमण्ड में चूर मत होना, जनता जितना ऊपर उठाती है ना, उतना ही जोर से रगड़ती भी है। जनता किसी के भरोसे नहीं रहती है। इस प्रकार से हमने बर्ताव किया। मैं सोंचता हूं कि आप यह प्रयोग मत करिये।

और यह ग्राम सेवकों को लगाने के लिए यह एडवर्टाइजमेंट किसने निकाला? हमने निकाला था क्या? यह फरवरी के महीने में आपकी सरकार आने के बाद निकला। आपने 1638 पदों का यह विज्ञापन देकर के उन सारों की एप्लीकेशंस मांगी है और उसके आधार पर कम से कम साठ हजार बच्चों ने फार्म भरे और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सौ-सौ रुपये आपने अलग लिये। साठ लाख रुपये इकट्ठे किये। आपने उनकी परीक्षा की तारीख तय कर दी कि हम आठ और नौ तारीख को परीक्षा लेंगे मई में। बाद में उसको चेंज करके आपने 12 और 13 जून को कर दिया। परीक्षा हो गई, परीक्षा होने के बाद परीक्षा-परिणाम घोषित हो गया, परीक्षा-परिणाम घोषित हो जाने के बाद भरतपुर में और चित्तौड़ में अपाइंटमेंट लेटर मिल गये। अब यह अपाइंटमेंट लैटर मिलने के बाद आपको सनक चढ़ी और एक तुगलकी आदेश जारी कर दिया, भर्ती पर रोक। क्या बीती होगी उस बच्चे पर, उसके मानस पर और उसके मां-बाप के मानस पर क्या चोट पड़ी होगी, आपने इसका अहसास नहीं किया होगा। जिसके घर में यह चोट पड़ी है न, उसका अहसास आपको होगा। क्योंकि आपको इस समय नशा चढ़ा हुआ है। 153 का, आप बिलकुल जमीन छोड़ कर अभी आसमान में उड़ रहे हैं, यह उड़ने की कल्पना छोड़ दीजिये, यह तो कौन राज में रहेगा और कौन जीतेगा, नहीं जीतेगा, कोई हम अमर होकर नहीं आये हैं और कोई हम यहां अमर रहने वाले नहीं हैं लेकिन कम से कम नीति और नियम ऐसे बनाओ जिसके कारण से सर्व साधारण व्यक्ति के मन को कुछ शांति और सुख मिले। आपने तो हर चीज की मजाक समझ रखी है और आपने उन बच्चों को छोड़ दिया। अब वह बच्चा रोज घूमेगा, वह रिजल्ट लिये घूमेगा, मेरी आज नहीं, कल लगेगी, आज नहीं कल लगेगी। या तो साफ-साफ कह दो कि हमारे पास कोई नौकरी नहीं है क्योंकि वित्त मंत्री ने फरमान जारी कर दी दिया, कोई नौकरी नहीं लगेगी, मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं कुछ नहीं जानता हूं सो यह +++ का आदेश क्यों निकाला, क्यों विज्ञापन किया और उन बच्चों से साठ लाख रुपये क्यों लूटे? कम से कम और कुछ नहीं तो +++ करो और वह सौ-सौ रुपये बच्चों को लोटायें। हमारी गलती के कारण से दण्ड कोई भुगते, कहां से आकर के परीक्षा देता है, और आप मजाक के अलावा और कोई काम करने का काम नहीं करते हैं। हमने इस तरह से राज चलाने की अगर मन में ठान ली है, बहुत अच्छा है, चलाओ, कोई बात नहीं, यह तो समय आज है, साल भर निकला, यह चार साल भी कल निकल जायेंगे, इससे कोई अमर नहीं हो जायेंगे। लेकिन हम सिस्टम को बिगाड़ें नहीं, हम इस प्रकार की बात नहीं करें, इससे हम कुछ चीज निकालना नहीं चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री महोदय, आपके पीरियड में अध्यापकों की भर्ती हुई थी और चार साल तक उनको अपाइंटमेंट्स नहीं दिये गये थे, तब कहां गई थी आपकी यह संवेदनशीलता? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा है कि मैं कोई परफेक्ट आदमी हूं, ऐसा अभिमान मैंने कभी नहीं किया. . .

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

श्री राजेन्द्र पारीक : भाषण ठोके जा रहे हैं...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : आपके यहां तो शिक्षक-विहीन स्कूल खुले थे जिसमें सालों-साल एक भी शिक्षक नहीं था, केवल छात्र रहते थे। आप कहां बात कर रहे हैं? आज आपको दर्द सूझ रहा है, आठ महीने में दर्द सूझ रहा है, और पांच सालों तक आपने क्या किया था, आपने खात्मा कर दिया शिक्षा जगत का + + + आनी चाहिए। आपने स्कूलों में केवल आर.एस.एस. की शाखाएं चलवाई, बाकी कुछ नहीं किया। आपसे ज्यादा फेल्योर शिक्षा मंत्री कभी 52 से लेकर आज तक नहीं आया। आप बढ़-बढ़ कर बात कर रहे हैं, आज तकलीफ जागी दर्द की, दुख की। आपको दुख से क्या मतलब, दर्द से क्या लेना-देना, आम आदमी से आपका क्या सरोकार है। आप आम आदमी की बात करते तो...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री शैलेन्द्र जोशी : 33 की संख्या में नहीं आते। आज 33 की संख्या में लाकर आपकी साइज लिमिट कर दी है क्योंकि आपके मनसूबे सही नहीं थे। आप खुद प्रोग्रेसिव नहीं हैं, राइट रिएक्शनरी हैं। क्या बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। बिराजिए, बिराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं, माननीय सदस्य, आपका बहुत आभारी हूं कि मेरे पापों को आपने गिमाने का प्रयास किया और अगर मैंने पाप किए तो जरूर मुझे दण्ड मिलेगा, मैं इसको पूरा मान करके चलता हूं। मैं उन राजनीतिज्ञों में से नहीं हूं जो केवल राज से चिपकने वाले हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अभी कुछ नहीं मिला है, अभी तो मिलना बाकी है, अभी तो जबरदस्त दण्ड मिलेगा, देखते रहिये आप। आप तो कम से कम दो डिकेड तक देखते रहो, बीस साल तक।

श्री सभापति : आपस में चर्चा नहीं करें, माननीय सदस्य। आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इनको बोलने की छूट और मेरे पर पाबन्दी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं सोचता हूं कि मैं इस अभिमान में नहीं हूं कि मैंने कोई बहुत कीर्तिमान कर दिया। कोशिश की, कुछ कर पाया हूंगा, कुछ नहीं कर पाया हूंगा पर मन में कोई बेईमानी लेकर के काम नहीं किया, ईमानदारी से जो कुछ कर सकता था जितना किया। लेकिन इसके बाद भी अगर इतना ही गरूर है तो यही अधिवेशन छह के बाद बुला लेते न तो आधी हवा निकल जाती, इस डर के कारण से केवल इसलिए कि...

श्री शैलेन्द्र जोशी : जनता ने 33 पर ला दिया और 33 से तीन पर आना चाहते हैं क्या आप? हवा निकल जाती इतने हलके शब्दों का प्रयोग करते हैं। कभी कहते हैं भट्ठा बैठा दिया। भट्ठा आपने बैठा दिया। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपके अन्दर से ही लोग इसकी खिलाफत में खड़े हो गये हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ये क्या दिखा रहे हैं, आपके कारनामों ने तो आपको इधर से उधर पहुंचा दिया और उधर से कहीं और पहुंचवा देंगे।

श्री सभापति : समापन करें, माननीय, समाप्त करिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मेरी आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना है कि इस प्रकार की छोटी-छोटी बातों के लिए कम से कम राज्यपाल से अध्यादेश जारी करा करके कानून का मजाक मत उड़ाइये। अगर. आपको कुछ करना है तो शांति से बैठ करके इसमें कौन-कौनसी कमियों को निकालने से सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। उसके लिए कोई ठीक और जो जानकार व्यक्ति हैं उनके बीच में बैठ करके इस पर चर्चा की जाए, बनाया जाए। क्योंकि फरवरी में तो चुनाव आ ही रहे हैं। क्या फर्क पड़ेगा अगर इसको आज आपने बना भी दिया, दो बैठकों में सरपंच चला भी गया तो क्या हो जाएगा और क्या नहीं हो जाएगा? कम से कम अगला चुनाव आये उस समय हम एक फूलप्रूफ क्या हम सिस्टम चाहते हैं और किस तरह से सब लोगों की भागीदारी चाहते हैं इस बारे में, इसलिए मैंने इसको प्रवर समिति को भेजने के लिए अपना इसमें सुझाव दिया, यही आपसे और सदन से प्रार्थना करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। प्रभारी मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री सी. पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इस बिल के माध्यम से 11 सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये न केवल बिल के कंटेक्स्ट में या बिल के कंटेन्टस के संबंध में बल्कि सम्पूर्ण पंचायत राज की व्यवस्था के संबंध में अपनी चर्चा और विचार व्यक्त किये। उस सबके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं लेकिन मुझे तकलीफ है इस बात को कहते हुए, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य जो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और जिनकी पार्टी दिल्ली में सरकार चला रही है और टी.वी. पर बड़े-बड़े एडवरटाइजमेंट आ रहे हैं कि 1999-2000 का वर्ष ग्राम सभा का वर्ष है, यह फैसला मैंने नहीं किया यह फैसला करने वाले प्रधान मंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी हैं जो बड़े-बड़े एडवरटाइजमेंट निकाल करके लोगों को यह कह रहे हैं कि 1999-2000 का जो वर्ष है वह ग्राम सभा का वर्ष है, मुझे जानकारी नहीं है कि बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को इसकी जानकारी है या नहीं, एक तरफ तो भारत सरकार कहती है कि 1999-2000 का वर्ष ग्राम सभा का वर्ष है और दूसरी तरफ जिस पार्टी के ये अध्यक्ष हैं, मैं उनका घोषणा पत्र लेकर आया हूं और मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उनके घोषणा पत्र की तरफ ही, उन्होंने यह बात लिखी है कि पंचायत राज संस्थाओं की वर्तमान निर्वाचन पद्धति

(श्री सी. पी. जोशी)

में सरपंच का पंचायत समिति एवं प्रधान का जिला परिषद से कोई सम्बन्ध नहीं है, जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के सदस्यों के पास कोई काम न होने से व्र क्षेत्रीय विकास के कार्यों की स्वीकृति, क्रियान्वयन में उनका कोई सम्बन्ध नहीं रहने से सभी वर्गों में असंतोष है, भाजपा सरकार इनमें सामंजस्य बैठाने हेतु पंचायत राज अधिनियम में आवश्यक संशोधन करवाएगी। आज सरकार बने 8 महीने हो गये हम तो जल्दी में ला रहे हैं, हम तो गलती कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ यह करेगा, पांच साल में यह होगा, हमको भाषण दे दिया पर मैं समझता हूं कि मैं आपसे अपेक्षा कर रहा था कि आप पंचायत एक्ट को पढ़ कर आते और पंचायत एक्ट पढ़ने के बाद हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित करते तो आप यह नहीं कहते कि गवर्नर महोदय के माध्यम से ऐसा छोटा संशोधन करवा दिया। हमने पहले भी कहा और फिर रिपीट करना चाहते हैं कि हम बड़ी सोची-समझी रणनीति के आधार पर पंचायतीराज को मजबूत करना चाहते हैं क्योंकि पंचायती राज की कल्पना न श्री भैरोंसिंह शेखावत की है, न भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री अटलबिहारी वाजपेयी की है, इसकी कल्पना महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव गांधी की है इसलिए हमारे मन में दर्द है। यदि पंचायती राज मजबूत न होगा, पंचायती राज 73वें अमेंडमेंट के बाद मजबूत नहीं होगा तो लोगों की लोकतंत्र में आस्था कमजोर हो जाएगी, लोगों का विश्वास डगमगा जाएगा। इसलिए हम बड़ी सोची समझी रणनीति के आधार पर और पिछले 4-5 साल में 73वें अमेंडमेंट के बाद राजस्थान में जिस तरह की पंचायती राज की व्यवस्थाएं कर दी गई उन व्यवस्थाओं के अनुभवों का लाभ उठाकर हम धीरे-धीरे ये सब परिवर्तन करना चाहते हैं जिससे अगले चुनाव के पहले राजस्थान की जनता के सामने हम यह कह सकें कि पंचायती राज के अमेंडमेंट की हमारे नेता के मन में कल्पना थी उसको साकार करने के लिए हमारे मन में क्या कल्पना है।

माननीय सभापति महोदय, यह अमेंडमेंट छोटा अमेंडमेंट नहीं है। इन अमेंडमेंट के पीछे समझने की आवश्यकता है कि संविधान में जो 73वां अमेंडमेंट किया गया है उसके पीछे सोची-समझी रणनीति थी। आपने कह दिया कि समझौते के कारण हुआ लेकिन इसके पीछे जो मंशा है उसको समझने की आवश्यकता है। पालिसी बनाना और एक्जीक्यूट करना दो चीजों में पंचायती राज में 73वें अमेंडमेंट में अन्तर किया गया है। पहले की हमारी जो पंचायती राज की कल्पना है, राजस्थान के पंचायती राज की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र के पंचायती राज की हम बात करते हैं या और किसी पंचायती राज की हम बात करते हैं वहां पर एक्जीक्यूशन करना और पालिसी बनाने का काम एक ही संस्था के पास था चाहे वह पंचायत समिति का सरपंच हो, सरपंच के माध्यम से प्रधान बनता हो, या प्रधान के माध्यम से प्रमुख

(श्री सी. पी. जोशी)

बनता हो। लेकिन पहली बार यह व्यवस्था की गई है कि पालिसी बनाने की एजेंसी अलग होगी और एक्जीक्यूशन करने की एजेंसी अलग होगी। इसलिए यह निर्णय किया गया कि इस पंचायत के जितने गांव में रहने वाले नागरिक हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर भारत सरकार पैसा ट्रांसफर करेगी, पंचायत को डाइरेक्ट पैसा ट्रांसफर करेगी। 40-50 साल पहले जो पंचायत राज की व्यवस्था थी, जिसकी कल्पना के बारे में गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने बात की, हमारे लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने बात की, उस समय के पंचायती राज में पंचायत को पैसा देने की मर्जी प्रधान की थी। प्रधान निर्णय करता था कि किस पंचायत को कितना पैसा मिलेगा। प्रधान के व्हिम्स और फैन्सीज के आधार पर पंचायत को पैसा मिलता था और विकास होता था। अब प्रधान कोई भी आ जावे उसके व्हिम्स और फैन्सीज के आधार पर पैसा नहीं मिलेगा। उस पंचायत की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर पैसा मिलेगा। यह निर्णय हमारे नेता राजीव गांधी ने किया है कि इसलिए यह हमने सोच-समझ कर संशोधन किया है कि इसमें एक्जीक्यूट करने की जो एजेंसी है वह एजेंसी सरपंच होगी और पालिसी बनाने की जो एजेंसी है वह पंचायत समिति होगी, जिला परिषद होगी। इसलिए इसमें हमने एप्रोप्रियेट लेवल कहा है। तो पंचायत का लेवल क्या होगा, पंचायत समिति का लेवल क्या होगा, जिला परिषद का लेवल क्या होगा यह जो संशोधन हमने किया है, इस संशोधन में हमने क्या कहा? इस संशोधन में हमने यह कहा है कि सरपंच साहिबान जिनको एक्जीक्यूशन करने का काम सौंपा है 73वें अमेंडमेंट में और वह पंचायत समिति की पालिसी का मैम्बर नहीं है इसलिए पालिसी के मैम्बर का जो हाउस है, पंचायत समिति, उसमें वह सरपंच साहब को भी भाग लेने का कानूनी अधिकार होगा। यह अधिकार देने की व्यवस्था हम कर रहे हैं। लेकिन हमने साथ में पंचायत समिति की जो व्यवस्था है उसमें 53-57 अमेंड किये हैं, मैं समझता हूं कि मुझे खुशी होती कि सब पढ़कर आते अगर इस बारे में तो इसमें लिखा हुआ है—

"Every standing committee shall consist of 5 Members elected from amongst the elected Members of the Panchayat Samiti in the prescribed manner."

पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए पंचायत में रिजर्वेशन होने के बाद क्योंकि एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. के प्रधान और सरपंच साहब आएंगे, रोटेशन होगा आरक्षण के कारण, जैसा आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि वह आदमी क्यों काम करेगा, इस सबको ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि वह पंचायत का चुना हुआ प्रधान अपनी मनमर्जी से काम नहीं करे। हम सारे पावर स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन और प्रधान और उसकी कमेटी बना कर उसके अन्तर्गत करना चाहते हैं जिससे वह चुना हुआ प्रतिनिधि यदि काम

(श्री सी. पी. जोशी)

नहीं करे, रिजर्वेशन के कारण काम नहीं करे, स्टेंडिंग कमेटी के जो दो मैम्बर और हैं जो इलेक्ट होकर आएंगे उनके अंडर में काम करने के बाद वह अपनी मनमर्जी से यह अगली बार मैं जीतूंगा या नहीं, काम नहीं करेगा, उसके हाथ में नहीं रहेगा इसलिए पहले इस स्टेंडिंग कमेटी में वोट देने का अधिकार सरपंच साहिबान को नहीं है, इसलिए हमने सोच-समझ कर कहा है। आप कहेंगे कि इतनी संख्या बढ़ जाएगी। पंचायत के तो 125 मैम्बर हैं, पंचायत समिति के सरपंच और हो जाएंगे 50 इसलिए सारा स्वरूप बदल जाएगा। इस 57 (3) के अन्दर स्टेंडिंग कमेटी में केवल मात्र पंचायत समिति का जो चुना हुआ आदमी है वही चुनाव लड़ सकता है, वोट डालने का अधिकार सरपंच साहिबान को भी होगा। इसलिए हमने करेक्टर नहीं बदला। पंचायत समिति का जो इलेक्टेड मैम्बर है उसकी भूमिका का सार्थक करने के लिए, उसकी भूमिका को ताकत देने के लिए और सामंजस्य सरपंच से एक्जीक्यूशन करने के लिए हो वह उससे पूछ सके कि एक्जीक्यूशन का आप काम कर रहे हैं उसमें गड़बड़ी क्या है, अभी तो वह कुछ जवाब नहीं दे सकता है लेकिन जब वह मैम्बर बन जाएगा कानूनन तो हाउस का मैम्बर होने के बाद पंचायत समिति का सदस्य पूछेगा कि सरपंच साहब, आपकी पंचायत में गड़बड़ हो रही है इसका जवाब आप दीजिये इसलिए हम सरपंच साहब को सदस्य भी बना रहे हैं और स्टेंडिंग कमेटी में उसको मैम्बर नहीं बनाने का अधिकार भी इसमें लिखा हुआ है। अब मुझे आश्चर्य है कि इसको समझ नहीं पा रहे हैं और कह देते हैं कि साहब, हम हेसट में बना रहे हैं, हमारी कोई सोच नहीं है, हम इतना जल्दी करना चाहते हैं।

मैं हिस्ट्री से प्रारम्भ करना चाहता हूं और जो माननीय सदस्यों ने बात कही है उसको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं क्योंकि मैं बड़ा सम्मान करता हूं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और हमारे सदस्य का और हमारे सदस्य हैं, आज यह सौभाग्य है, पहले उन बातों का जवाब देना चाहता हूं जिन बातों के बारे में उन्होंने कहा है, राजीव गांधी पाठशाला में यह कर दिया, शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सोच नहीं है, एलीमेंटरी एजूकेशन में यह हो रहा है। मैं सब माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि ग्राम सभा के माध्यम से ग्राम सभा को एम्पावरमेंट करना, ग्राम सभा के चुनाव हमने नहीं कराये, चार साल पहले पंचायत के चुनाव हुए, सरपंच के चुनाव हुए, उस सरपंच के चुनाव में हमने यह नहीं पूछा कि वह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है कि कम्यूनिस्ट पार्टी का सदस्य है या कांग्रेस का सदस्य है, हमें मालूम था ग्राम सभा सशक्त करना जरूरी है क्योंकि पंचायत के एक्ट में परिवर्तन कर दिया गया है कि ग्राम सभा के माध्यम से अब यूटिलाइजेशन सर्टीफिकेट होगा, ग्राम सभा को यह अधिकार दिया गया है कि सुपरविजन करे इसलिए, हम दिसम्बर में सत्ता में आये और 26 जनवरी को ग्राम

(श्री सी. पी. जोशी)

सभा कराने के लिए हमने, माननीय सदस्य 18 हजार अध्यापकों को ट्रेनिंग दी है। ग्राम सभा को कंडक्ट करवाने के लिये हमने 18 हजार अध्यापकों को ट्रेनिंग करवा कर हमारे सारे अधिकारियों को इन्वाल्व करा कर डिविजन हैडक्वाटर पर हमने मीटिंगें की हैं। उसके बाद हमने ग्राम सभा करने का काम किया है। हमने एक दिन में यह काम नहीं किया है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप तो देते हो आरएसएस. की ट्रेनिंग और हमने बाकायदा ट्रेनिंग दी है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, हमने एक दिन में काम नहीं किया है। जो कानून संविधान के अन्तर्गत है, यह हमारी मनमर्जी पर नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की मनमर्जी पर नहीं है, कानून यह कहता है कि एक वर्ष में चार बार ग्राम सभा बुलानी है। यह फैसला हमने नहीं किया है। यह फैसला करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रधानमंत्री, अटलबिहारी वाजपेयी हैं। उन्होंने कानून बना कर स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि हर प्रदेश को चार अमुक दिन फिक्स किये, चार दिन में आपको ग्राम सभा करनी है। अब मुझे बता दें माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया साहब, कि चार दिन में ग्राम सभा करनी है, 9184 पंचायतें हैं, कैसे करवायें। हम एक साथ नहीं करवायें तो क्या करवायें। हमने उसकी तैयारी करने के लिए पूरी तैयार की, 18 हजार आदमियों को इन्वाल्व किया, ग्राम सभा कैसे कंडक्ट करायेंगे, ट्रेनिंग कैसे होगी? उसकी ट्रेनिंग कराने के बाद 26 जनवरी को हमने ग्राम सभा करवाई। ग्राम सभा कराने के बाद हमको मालूम था, अटरू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने ऐसा काम कर दिया, लाखों-हजारों रुपयों की बात कर दी। यह केवल मात्र उनको ट्रेनिंग करानी थी, एम्पावरमेंट करना था, उनको यह लग सके कि हम अपने गांव की समस्या के बारे में, हमारे कौन-कौन से गांव हैं इनका चयन करें, यह ट्रेनिंग देने का काम हमने करवाया था। पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा यह जानकारी हमें थी। (व्यवधान) आगे बोल रहा हूं। आप सुनिये। माननीय सभापति महोदय, 26 जनवरी के बाद हमें मालूम था कि 24 अप्रेल तक विधान सभा चल रही है हमारे सब माननीय सदस्य भी यह कह रहे थे कि 24 अप्रेल तक विधान सभा चल रही है, एक मई को ग्राम सभा होगी, भारत सरकार के कहने से ग्राम सभा होगी, या तो हम ग्राम सभा करें नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो हमें भाषण देने आ गये, ग्राम सभा होनी चाहिये। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री हैं, सबसे एबल प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या आपका धर्म नहीं बनता कि ग्राम सभा करवायें, क्या आपकी पार्टी का मेन्डेट नहीं था कि ग्राम सभा 5-7 दिन में होनी चाहिये? यदि एक मई को ग्राम सभा ठीक ढंग से नहीं हुई, गलत हुई, गलत चयन हुआ तो जो 33 सदस्य भारतीय जनता

(श्री सी. पी. जोशी)

पार्टी के हैं उनको सबसे पहले अपने नेता के प्रति अविश्वास व्यक्त करना चाहिये कि कैसे निर्णय लेते हैं, एक मई को ग्राम सभा होगी। भारत सरकार फैसला कर रही है और हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भाषण के चक्कर में रहते हैं, एक ग्राम सभा ठीक ढंग से नहीं हुई। हम तो ठीक ढंग से नहीं करावें तो हम पर दोष आता है, आपकी पार्टी की सरकार हो, आपकी पार्टी के नेता का मेंडेंट हो और फिर ग्राम सभाएं ठीक ढंग से नहीं हों, 33 माननीय सदस्यों में से एक भी माननीय सदस्य ने क्या शिकायत की कि ग्राम सभाएं ठीक ढंग से नहीं हुई, चयन ठीक ढंग से नहीं हुआ? एक भी शिकायत किसी माननीय सदस्य ने राइटिंग में लिखकर हमको नहीं दी। हमने विश्वास किया इस बात का...

श्री हीरासिंह चौहान : मैंने लिखित में आपको शिकायत दी। पंचायती राज के जितने भी हैं सबको शिकायत दी, माननीय मुख्य मंत्री जी को दी लेकिन आज दिन तक उसका कोई जवाब नहीं। मैंने शिकायत की कि यह स्कूलों का चयन गलत हुआ है, पाठकों का चयन गलत हुआ है। (व्यवधान) मैंने की है शिकायत।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : राजीव गांधी पाठशाला में चयन गलत हुआ है। हमने शिकायत की है। उनको बदला गया है बाद में। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप अब भी देख लीजिए।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : चित्तौड़गढ़ में ऐसी सैंकड़ों शिकायतें आई हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : पंचायत समिति रायपुर में 5-6 जगह ऐसी हैं जहां गलत स्कूलों का चयन हुआ, गलत टीचर्स चयन हुए।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, आप नहीं कहते इनको कि पहले मैं बोल लूं फिर बात कर लेना। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्री महोदय को आप बीच में टोका-टोकी नहीं करें। मंत्री महोदय के भाषण में हस्तक्षेप नहीं करें, बैठिए।

श्री हीरासिंह चौहान : He has challenged us whether we have put compaints or not.

श्री श्रीचन्द कृपलानी : (व्यवधान) राजनीतिक आधार पर टीचर्स लगाये गये हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : जब तक हाउस में सही बात नहीं कही जायेगी तब तक इनके बोलने से कुछ नहीं होगा।

श्री सभापति : सरकारी उत्तर के बाद, हाथों-हाथ सवाल-जवाब नहीं होता।

श्री सांवर लाल : राजस्थान की जनता को भ्रमित करने की आवश्यकता कहां पड़ रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : इनके भाषण के बाद कोई बात हो तो आप प्रश्न पूछ लेना।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य जो पंचायत समिति से जुड़े हुए हैं, जिला प्रमुख हैं, यदि

(श्री सी. पी. जोशी)

ग्राम सभाओं का निर्णय ठीक ढंग से नहीं हुआ तो पंचायत एक्ट में प्रोविजन है कि कलक्टर को शिकायत करें। कलक्टर दुबारा ग्राम सभा बुलाकर अनडू कर सकता है। आपने मुझे शिकायत कहां की? आपको अधिकार है पंचायत एक्ट में कि यदि ग्राम सभा ठीक ढंग से नहीं हो रही है, ग्राम सभा के नियम में गलती हुई है तो कलक्टर को यह अधिकार है आप शिकायत दें और दुबारा ग्राम सभा बुलाने का काम करें, यह उस एक्ट में प्रोविजन है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : मैं आपको वो ही तो कह रहा हूं कि हमने शिकायत की है कलक्टर को, सी. ई. ओ. को की है।

श्री सी. पी. जोशी : आपने शिकायत की तो फिर गुलाब चन्द जी कटारिया क्यों कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के आदमियों की भर्ती कर दी, 16 हजार आदमियों की भर्ती कर दी इसलिए राजस्थान सरकार का पैसा रोक लें। 426 करोड़ रुपये रुकवा दिये। यह काम भी आप करें। आपके नेता भैरोंसिह जी शेखावत वित्त मंत्री के पास जाकर कहें कि 16 हजार कांग्रेसियों की भर्ती कर दी इसलिए पैसा रोका जाए और हम कह रहे हैं कि हमने भारत सरकार के कहने से ग्राम सभाएं की और ग्राम सभा की रिकमंडेशन के आधार पर हमने शिक्षा सहयोगी बनाये, उसके लिये आप कहना ही नहीं चाहते। हमारी पार्टी की दोहरी स्थिति, एक तरफ तो कहें कि मंदिर नहीं बनना चाहिये, दूसरा मंदिर भी बनेगा। राजीव गांधी पाठशालाओं में कांग्रेसी की भर्ती हो गई और राजीव गांधी पाठशाला नहीं करें तो कांग्रेस पार्टी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही। यह जो दोहरी विचाराधारा है इस विचारधारा की ट्रेनिंग लेकर आप अपनी पार्टी को आगे चलाना चाहते हैं, वह लम्बे समय तक हिन्दुस्तान के लोगों को मूर्ख नहीं बना सकती। हमारे मन में कल्पना है कि जो हम करना चाहते हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं जो शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, राजीव गांधी पाठशाला की कल्पना यह मात्र कल्पना नहीं है, राजीव गांधी पाठशाला एक सोची-समझी रणनीति है। राजस्थान में हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि पांच साल में हम साक्षरता करना चाहते हैं। माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया, पांच साल आप भी शिक्षा मंत्री रहे हैं, किसी भी एक साल में 4 लाख 80 हजार एनरोलमेंट हुए हों तो खड़े होकर बता दीजिए आप। बड़े सफल शिक्षा मंत्री मानते हैं अपने आपको। एक साल में राजीव गांधी पाठशाला के माध्यम से हमने 4 लाख 80 हजार आदमियों को भर्ती किया है। बताइए आप, मैं बहुत प्रभावशाली मंत्री हूं, मैंने यह काम किया, शिक्षा में यह परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन करने के बाद आज हम कहना चाहते हैं हमने एक साल में 4 लाख 80 हजार पहली क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को भर्ती किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्री महोदय, एक सैकंड, आप मेरी भी कृपा करके सुन लें तो ज्यादा अच्छा है। इससे पहले के तीन साल के फिगर निकलवा लीजिए कि हर साल प्रवेशोत्सव के माध्यम से कितने एनरोलमेंट बढ़े हैं, उनको भी कम से कम इनके साथ रखकर बोल लो तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी, मैं समझता हूं कि आप पार्टी के कार्य में बहुत ज्यादा बिजी हैं। हमने जो यह फिगर दिया है वह प्राइमरी स्कूल का एनरोलमेंट है, उससे अलग है। यह उससे संबंधित नहीं है जो हमारी 47 हजार प्राथमिक शालाएं हैं. . .

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं आपको समझ में नहीं आयेगा। प्राइमरी एजूकेशन। प्रवेशोत्सव जो होता है वह पहली क्लास का ही होता है, पांचवी क्लास का प्रवेशोत्सव नहीं होता है। प्राइमरी स्कूल में ही प्रवेशोत्सव होता है, कोई कालेज में प्रवेशोत्सव नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : आंकड़े के मामले में न आप कम रहे हैं और न आप कम रहे हैं। आपके लिये तो पूरा राजस्थान पढ़ गया और साक्षर हो गया। आंकड़े बनते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। पढ़ाने का काम न कभी चालीस साल में आपने किया। अभी कह रहे हैं, पंचायती राज में किस का राज था? दिल्ली और राजस्थान में आपका राज था, उसी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का था। इसमें नहीं मिल रहा था। सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिन राजीव गांधी की कल्पना की बात करते हैं उन स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस देश में पंचायती राज की सबसे बढ़िया व्यवस्था के लिये किसी की सराहना की है तो वह है कर्नाटक और वेस्ट बंगाल। लेकिन जहां भी राजीव गांधी की पार्टी की सरकार थी एक भी जगह पंचायती राज व्यवस्था की सराहना क्यों नहीं की? क्या उसके लिये आप जिम्मेदार नहीं हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप तो उसमें भी कंजूसी कर रहे हैं, उनकी भी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हमने कर तो दी। राजीव जी की प्रशंसा तो करो।

श्री सभापति : मंत्री महोदय।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे मन में कल्पना है कि राजीव गांधी पाठशाला में काम करने वाला शिक्षा सहयोगी पंचायत का एम्प्लाई हो, सरकार का एम्प्लाई न हो। आज पूर्व शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं, बाड़मेर में, जैसलमेर में कितनी स्कूलें खाली थीं जब आप शिक्षा मंत्री थे? कितने अध्यापक पढ़ाने नहीं जाते थे? क्या आप यह बात कहना चाहते हैं कि हमने राजीव गांधी पाठशाला में काम कर दिया, आठवीं क्लास को पास कर दिया, आप शिक्षा कर्मी योजना में तीन हजार आदमी आठवीं पास करके काम करवाओ तो ठीक है और हमने कोई व्यवस्था ग्राम सभा को एम्पावर करने के लिये, पंचायती राज में काम करने के लिये

(श्री सी. पी. जोशी)

करवायी तो खराब है। आठवीं क्लास पास शिक्षाकर्मी आर.एस.एस. का प्रचार करें तब तो ठीक है और आठवीं क्लास पास शिक्षाकर्मी किसी गरीब आदमी का काम करे तो खराब है। यह दोहरी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि शिक्षाकर्मी को जीविका देना चाहते हैं हम। आज शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत वनवासी कल्याण परिषद् के आदमी को जोड़ दिया। शिक्षाकर्मी योजना के अन्दर आदिवासी इलाके में काम करने वाला आदमी आठवीं क्लास पास लोग हैं। आठवीं पास शिक्षाकर्मी लोगों को पढ़ा रहा है, वह तो खराब है। राजीव गांधी पाठशाला में 12 हजार में से केवल मात्र 1058 आदमी जो आदिवासी इलाके के हैं, डेजर्ट इलाके के हैं उनको हमने भर्ती कर लिया। 10 हजार आदमी जो बी.ए. पास हैं, एम.ए. पास हैं, उनकी बात नहीं करेंगे। केवल मात्र पोलिटिक्स करने के लिये एक हजार आदमियों को आठवीं पास कह रहे हैं। तीन हजार आदमियों से आर.एस.एस. की शाखा लगवायें वो काम ठीक हो सकता है। यह दोहरे मापदण्ड राजनीति में नहीं चल सकते। मापदण्ड एक ही रखना होगा जिस मापदण्ड के आधार पर हम काम करना चाहते हैं। इसलिए इनके मन में कल्पना है, हमारे मन में कल्पना नहीं हैं।

श्री मदन दिलावर : आर.एस.एस. की शाखा लगाना ईश्वरीय काम है। यह राष्ट्रभक्ति है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : नेकर पहनकर वहां शाखा में जाएं उनको तो यह कहते हैं बढ़िया और एक किसान का बेटा पाठशाला में लग गया उससे इनको दुःख हो गया। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, हमने यही काम नहीं किया, हमने एक काम और किया है क्योंकि हमारी फिलासफी गांव के गरीब आदमी के बारे में है, We believe in socialism, हमने 12 हजार आदमी जो शिक्षा सहयोगी भर्ती किये उन 12 हजार में से 10 हजार आदमी पहली जनरेशन का पढ़ने वाला लड़का है। वह आदमी ओ.बी.सी. का है, वह शिड्यूल्ड कास्ट का है, वह ट्राइब का है, उस भाकल में रहने वाला आदमी है जिसके घर में पहली बार दसवीं पढ़ने वाला नौकरी लगा है। आपके मन में कल्पना नहीं है। आपके मन में कल्पना है कि दस हजार आदमी शहर के लोग ही लगें, स्कूलें खाली रह जाएं। हम यह काम नहीं करेंगे, हम गांव के गरीब आदमी को इन्वाल्व करने के लिये शिक्षा का काम भी देंगे उनको, उनको एम्पावरमेंट भी करेंगे। इसलिए हमने वहां पर काम किया है। आज जो आदमी भर्ती हुआ है वह शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी है, ट्राइब का आदमी है, ओ.बी.सी. का आदमी है और पहली जनरेशन में पढ़ने वाला आदमी है। गांव के मां-बाप आज खुश होकर जा रहे हैं, आज मेरा बच्चा पढ़ा रहा है। उस आदमी को 1200 रुपये मिल रहे हैं।

श्री सांवर लाल : यह कोई फिलासफी का लेक्चर नहीं हैं यहां पर केवल संशोधन से संबंधित बात बताइए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, हमें केवल जानकारी चाहिये, ये जो संशोधन लेकर आये हैं उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। कहां चले गये राजीव गांधी और क्या बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक : सभापति महोदय, वह जवाब दे रहे हैं। आपकी कही हुई बातों का जवाब दे रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : आपके बाद आप ही मिले हैं।

श्री सी. पी. जोशी : आज के बाद आप बीच में बोलेंगे तो मैं भी बीच में बोलूंगा। आज के बाद आप भी बीच में बोलेंगे तो मैं भी बीच में बोलूंगा।

श्री रामस्वरूप : मेरी बात सुने जाओ आप तो। अभी तो देखे जाओ यह तो नई-नई सरकार है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : किसी टीचर की तनख्वाह नहीं दी जो उन्होंने लगा रखे हैं राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती योजना के अन्दर। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जो आपने शिक्षा सहयोगी 40 रुपये रोज में लगा रखे हैं, क्या जुलाई और अगस्त का उनको पेमेंट हो गया? इसकी जानकारी दे दें।

श्री सांवर लाल : यह बता दो आप और पेमेंट करेगा कौन? पंचायत के पास पैसा कहां से आयेगा?

श्री अमराराम (धोद) : 40 रुपये रोज में अशिक्षित मजदूर राजस्थान के किसी गांव में नहीं मिलता। उन पढ़े-लिखे बेरोजगारों का आपने शोषण किया है और दो महीने पढ़ाने के बाद भी केवल 40 रुपये रोज में रखा है जिसका भी पेमेंट आज तक राजस्थान में किसी शिक्षा सहयोगी को नहीं दिया। इससे बुरी बात हो नहीं सकती। केवल भाषण से काम नहीं चलता। 40 रुपये में अपना परिवार चला लेगा? आज 14 रुपये किलो में आलू जयपुर में मिल रहा है और 40 रुपये में वह पढ़ा देगा। आज दो सौ माननीय सदस्य हैं, किसी का भी बच्चा, सभापति महोदय, मुझे तो आप यही बता दो, . . . (व्यवधान) अगर एक भी बच्चा और बच्ची राजीव गांधी पाठशाला में पढ़ता है तो मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूं। एक भी बच्चा राजीव गांधी पाठशाला में नहीं पढ़ता। केवल उनके लिए ही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : केवल भाषण देने से काम नहीं होगा। उनका शोषण किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : वे ज्यादा बढ़िया पढ़ा रहे हैं, वहीं मैंने मेरे बच्चों को बैठाया है, पढ़ाई मिल रही है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अभी क्या हुआ है? पांच साल बाकी हैं क्या हाल होगा 6 महीने में ही बौखला गये आप लोग।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी बात कह दें। बीच में माननीय सदस्य खड़े होकर आपसे प्रश्न करते हैं उनका उत्तर नहीं दें। आप अपनी बात कहिये।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : पूछना हो वह बाद में पूछ लेना। (व्यवधान)

श्री सभापति : हां, मैंने उनको कह दिया। जो बात पूछनी हो वह बाद में पूछ लें, बीच में हस्तक्षेप नहीं करें।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस बात की जानकारी है कि एलीमेंटरी एजूकेशन का ट्रांसफ़र होने के बाद क्योंकि पहले हमारे मुख्य मंत्री माननीय शिवचरण जी माथुर थे उस समय ट्रांसफर हुई और उसके बाद सक्सैसफुल नहीं हुई, उसकी क्या-क्या प्राब्लम हैं हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हम पंचायत समिति में बीडी.ओ. और बीई.ओ. अलग-अलग करना चाहते हैं। बीडी.ओ. का काम अलग होगा और ब्लाक एजुकेशन आफिसर बनाना चाहते हैं और ब्लाक एजुकेशन के अन्दर हम उस पंचायत समिति के सारे जो स्कूल हैं उसका काम ब्लाक एजुकेशन आफिसर के अण्डर में करना चाहते हैं, न कि सरपंच के आधार पर रहेगा। ब्लाक एजूकेशन में प्रधान एजूकेशन कमेटी का चेयरमैन, जो स्टेंडिंग कमेटी का चेयरमैन है उसकी पूरी एकाउंटेबिलिटी ब्लाक एजूकेशन आफिसर के पास होगी और ब्लाक एजूकेशन कैसे होगी, आप एक महीने इंतजार कर लें, एक महीने के बाद यह जो एस. डी. आई. भर्ती कर लिये थे, जो एसडी.आई. हमने केवल पार्टी फिलासफी के नाम पर भर्ती कर लिये थे उन एस. डी. आई. को बाहर नहीं भेजेंगे,

(15.44 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

वह पढ़ाई करवायें और पंचायत राज में जो काम करने वाले आदमी हैं उनको हम एस. डी. आई. बनायेंगे जिसमें उसको स्वाभिमान लग सके कि 20 साल से पंचायत का काम कर रहा हूं, वह काम कर सके। इसलिए हम ब्लाक एजूकेशन आफिसर का काम भी करेंगे और एलीमेंटरी एजूकेशन को हमको पंचायत के साथ जोड़ना है। (व्यवधान) वह आर्डर निकाल दो।

श्री रामस्वरूप : आपकी पार्टी का ढप्पा आपने ही बैठाया है। करो आप तो यही।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जोशी जी, यह मैं आलरेडी करके छोड़कर आया था। यह सारी रिपोर्ट बनाकर आया हूं।

श्री सी. पी. जोशी : मुझे खुशी है, माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री जी, राजस्थान में 237 पंचायत समिति हैं, आप अपनी याददाश्त को ठीक कर लें, आप 237 लोगों को ही बीई.ओ. करके आये हैं क्या, बतायें? मुझे आप फिगर बतायें। आपके केवल मात्र बीई.ओ. जो हैं उनकी संख्या 134 है कि 65 है और 237 पंचायत समिति हैं। जो काम अच्छा कर रहे हैं वह तो मैं पहले ही करके आ गया हूं, शिक्षाकर्मी का काम मैं पहले करके आया हूं, राजीव गांधी पाठशाला का काम मैं

(श्री सी. पी. जोशी)

पहले करके आया हूं, ब्लाक एजूकेशन का काम मैं पहले करके आया हूं, इसका धन्यवाद दो कि हम आपका काम कर रहे हैं पर यह भी धन्यवाद नहीं देना चाहते। इसमें तो यह धन्यवाद देने का नाम आया तो यह यह काम भी है। आप वह चीज नहीं कर सके। या तो आपका अधूरा काम हम पूरा कर रहे हैं, उसका धन्यवाद दीजिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री सी. पी. जोशी : जो अच्छा काम हम कर रहे हैं...।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अभी पांच बिल और बाकी हैं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आधा घंटे तो बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य को सुना और मैंने 20 मिनट तक चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण सुना और यह जितने भी सदस्य बैठे हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सब मंत्री रहे हुए हैं, यह जिम्मेदार आदमी रहे हुए हैं, इन्होंने मुझे बताया कि आप मंत्री हैं आपको जानकारी नहीं है, वित्त मंत्री ने यह कह दिया, पोस्टें क्रिएट नहीं हुईं, आपने यह कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ईमानदारी से सदन के सामने यह कहना चाहता हूं, यह बात सही है कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, यह कहने की आवश्यकता नहीं है, 6 हजार करोड़ रुपये की जगह 22 हजार करोड़ का घाटा छोड़कर गये हैं, 22 सौ करोड़ ब्याज के चुकावें फिर हमसे पूछ रहे हैं, हम यह व्यवस्था करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, हम हर पंचायत समिति के ग्राम सेवक की व्यवस्था करेंगे।

श्री सांवर लाल : कब?

श्री सी. पी. जोशी : जब आप थक जाओगे, इसके पहले नहीं क्योंकि हमें भी इंतजार करना है जनवरी के चुनाव में, अभी चुनाव बाकी हैं। अभी तो हमने एक-एक काम किया है। 96-97, 97-98 का दो सौ करोड़ रुपया टी.एफ.सी. और एस.एफ.सी. का यह मनमर्जी से खर्चा करके धूल लगवाकर किन-किन पंचायत समितियों में क्या-क्या काम करवाया उसकी जांच करना बाकी है। हमने तो केवल अभी 98 के अन्दर 103 करोड़ रुपये की राजीव गांधी पाठशाला खड़ी करके लोगों के सामने बताया है कि पंचायत का काम करने वाला सरपंच किसी भी पार्टी का हो उसको हम सम्मान देना चाहते हैं, उसका एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। 31 मार्च को हमने 103 करोड़ रुपये ट्रांसफर किया और आज 8 हजार स्कूलों में पौने दो सौ करोड़ रुपये के भवन खड़े किये हैं। माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया, आप और हम जिन्दा रहेंगे, वह बिल्डिंग एक भी नहीं गिरेगी, आपने जो बिल्डिंग बनायी हैं उसका ध्यान रखना। हमारी बिल्डिंग एक भी नहीं गिरेगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह पैसा टेंथ फाइनेंस कमीशन का था। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : कल भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य नाराज हुए पर भिनाय के अन्दर और चूरू के अन्दर पंचायत समिति में क्या क्या काम हुआ, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) जब मैं यह बातें करूंगा तो कहोगे कि बातें कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने कह दिया, आप क्या कह रहे हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप जैसा मंत्री, आप यह पंचायत राज में अमेंडमेंट ला रहे हैं, आपका अधिकारी. . .

श्री सी. पी. जोशी : आप बी.डी.ओ. थे क्या?

श्री सांवर लाल : आपके अधिकारी इस कानून का अतिक्रमण कर रहे हैं, कानून के साथ बलात्कार कर रहे हैं और आप उनकी तारीफ कर रहे हो, + + + आपको।

श्री सी. पी. जोशी : क्या + + + काहे की + + +?

श्री रामस्वरूप : + + + तो आप लोगों के हैं ही नहीं, किसको आयेगी, आपके + + + रही ही नहीं जो आयेगी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : भिनाय की जनता जानती है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपने स्कूलों में शाखाएं लगवायी थीं। (व्यवधान) स्कूलों के अन्दर शाखाएं लगवायी थी आपने।

श्री सांवर लाल : सौ करोड़ रुपये खर्च किये हैं, सौ करोड़ रुपये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : शाखा लगवायी थीं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : इतने समय में ही 50 करोड़ रुपये लगा दिये। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह जनता का पैसा है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मदन दिलावर जी ने शाखा लगवायी थीं स्कूल में। (व्यवधान)

श्री के. सी. चौधरी : मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति भिनाय और पंचायत समिति जवाजा, दोनों के घोटालों की जांच करवायी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय भिनाय-भिनाय बार-बार कर रहे हैं, भिनाय में पैसा लगाया है, प्रोफेसर सांवर लाल और भैरोंसिंहजी की सरकार ने। आपमें दम हो तो जांच करा लें और राजस्थान में 8 महीने में कितना पैसा आपने लगाया, जनता का क्या काम किया, इसका रिज़ल्ट आपको 7 तारीख को मिल जायेगा, मिस्टर पंचायत राज मंत्री जी।

श्री रामस्वरूप : तो भैरोंसिंह जी की सरकार का ढप्पा क्यों बैठ गया जो यह 31 ही रह गये? अगर आपने काम किया था तो 31 ही क्यों रह गये इधर? यह अच्छे कर्मों के फल हैं जो यह बैठे हैं 31 बनकर?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सांवर लाल : वह माननीय मंत्री महोदय, जवाब देंगे, आपको गहलोत साहब ने शपथ नहीं दिलायी थी, बीच में उठ-उठ कर जवाब दे रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष : खतम करने दो उनको।

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कल भी निवेदन था, बार-बार बड़ा यह कोट कर रहे हैं और ऐसे विकास अधिकारी . . .

श्री उपाध्यक्ष : वहां ज्यादा काम हुआ है इसलिए कोट कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : मेरा निवेदन सुन लीजिये, जब मंत्री महोदय कहें तो सफाई मुझे भी देनीं पड़ेगी क्योंकि राजस्थान की जनता में यह मैसेज जायेगा ऊपर पत्रकार भी बैठे हैं। मैंने कल भी कहा था कि आपने ऐसे विकास अधिकारी को . . .

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रेस स्टेटमेंट दे दो न पत्रकार भी बैठे हैं, अभी तो इनको निपटने दो।

श्री सांवर लाल : यह हाउस में बात हुई, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी भी कम से कम सुन लीजिये आप। माननीय पंचायत राज मंत्री जी ने ऐसे विकास अधिकारी की तारीफ की है . . .

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप कल कह चुके। यह बात आप कल कह चुके।

श्री सांवर लाल : जिसने कानून का उल्लंघन करके काम किया है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप इन्होंने जवाब दिया है, जो मैंने सवाल किया है, मैंने कहा भाई, पंचायत राज में कोई विकास अधिकारी या किसी ने ऐसा कोई कार्य किया जो कानून में नहीं है तो इन्होंने कहा, राज्य सरकार की जानकारी में नहीं है। मेरे ख्याल से मैंने वकील से भी नोटिस सरकार को दिलवाया, मैंने खुद भी लिखित में दिया है उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया। बार-बार भिनाय में क्या कर लिया, जांच करके क्या कर लोगे जिसने जो गबन घोटाला किया है उसकी सजा दीजिये।

श्री शांति कुमार धारीवाल : वही रहेगा बी.डी.ओ.।

श्री सांवर लाल : आप छोड़िये न बीच-बीच में। The Minister is competent. आपसे ज्यादा काम्पीटेंट हैं वह जवाब देंगे अपने आप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि अगर कोई काम काज में गड़बड़ हुई है तो उसकी यह जांच करवा सकते हैं पर बार-बार इसको कोट कर रहे हैं। और भिनाय में क्या कर लोगे, आप यह धकमी किसको दे रहे हैं? राजा-महाराजाओं की धमकी भी हमने बरदाश्त नहीं की है, इस प्रजातंत्र में आप किसको धमकी देना चाहते हैं? (व्यवधान) और आप यह अमेंडमेंट ला क्यों रहे हो, किस कारण से ला रहे हैं?

श्री रतन लाल ताम्बी : आपने निर्वाचित पंचायतों के स्थान पर कमेटी बना बना कर काम दिये हैं अपने लोगों को।

श्री सांवर लाल : हां, किया। जो करना है वह कर लो।

श्री रतन लाल ताम्बी : और बहुत बड़े घोटाले हुए हैं।

श्री सांवर लाल : पर यह जो कानून बना हुआ है . . .

श्री रतन लाल ताम्बी : आपने जो लोकतंत्र की हत्या कर दी थी।

श्री सांवर लाल : उस कानून की पालना कर रहे हो?

श्री रतन लाल ताम्बी : उसके माध्यम से गलत काम किये हैं आपने।

श्री सांवर लाल : उसकी पालना नहीं करें उसको सजा नहीं दे सकते तो आपका . . . (व्यवधान)

श्री रतन लाल ताम्बी : सजा हो जायेगी घोटाले करने वालों की (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है?

श्री रतन लाल ताम्बी : उनकी जांचें हो रही हैं। . . . (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह चाहता हूं कि जो कानून का उल्लंघन करेगा, आपका जो अमेंडमेंट है उसका उल्लंघन करेगा उस अधिकारी, कर्मचारी की जानकारी आपके पास आने के बाद भी आप एक्शन पर आवोगे कि नहीं आवोगे? नहीं आवोगे तो बहुत बढ़िया बात है, कह दें मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : तकलीफ नहीं है तो फिर काहे को बोल रहे हैं?

श्री सांवर लाल : मैं इसलिये बोल रहा हूं कि ये गलत बात बोल रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वे उत्तेजित न हों। उनकी मंशा है तो मैं पूरी जांच करवाकर, एसीडी. को कहूंगा कि उसकी जांच करके और स्पष्ट कर दें। इसमें कहां तकलीफ है। आपको चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान) आपकी भावनाओं को मैं समझ गया।

श्री सांवर लाल : आप जांच करवाएं उसमें। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपकी भावना समझ गया। आप तो बीडीओ. हैं नहीं, आप तो एमएलए. हैं। हां, आपकी भावनाओं को समझ गया। पंचायत समिति भिनाय के जितने काम हुए, 5 साल में, उनकी जांच करा लूंगा जिससे आपको शिकायत भी नहीं रहेगी और आपके कहने की बात ही नहीं रहेगी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : नहीं-नहीं, मेरी बात सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना, जांच करेंगे, और क्या चाहिये आपको?

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जांच सारी करवा लें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जांच करवाने में इनके पास पावर है, सरकार के पास में। 8 महीने हो गये, परन्तु जो गलत आदेश जारी किये, कानून के साथ अतिक्रमण किया, उल्लंघन किया वह जानकारी देने के बाद भी आपने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे बता दीजिए, क्यों नहीं लिया और नहीं लेना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए, बिराजिए। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हम और भी करना जानते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि भिनाय से आने वाले माननीय एम.एल.ए. साहब हैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं लगे, आप इनकी जांच जरूर करवायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। पाइंट आफ आर्डर। काहे का पांइट आफ आर्डर?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है. . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्या व्यवस्था, किसके तहत? काहे की व्यवस्था?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कि अभी मंत्री महोदय ने अपनी बात कहते हुए यह बात की कि भिनाय और चूरू पंचायत समितियों में बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पाइंट आफ आर्डर किस बात के लिये उठा रहे हैं, यह बताएं पहले।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, आप भूल जाते हैं कि चूरू पंचायत समिति में प्रधान कांग्रेस पार्टी का ही है और आपने अभी भिनाय की जांच कराने की कही है। आप चूरू की भी साथ में ए.सी.डी. से जांच करवाएं।

श्री सी. पी. जोशी : मंजूर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मतलब, यह कोई भी बात हो. . . (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपकी भावनाओं का आदर करके, चूरू की भी कर देंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इतने वरिष्ठ सदस्य हो, आप कह रहे हैं पाइंट आफ आर्डर. . . (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरे राजस्थान की ही करा लें।

श्री सी. पी. जोशी : हां, बिलकुल।

श्री सांवर लाल : नहीं, पर आप किसकी जांच करवाएंगे?

श्री सी. पी. जोशी : आप चिन्ता नहीं करें, आपके आगे भी पूछ लें, आप। आप इतनी चिन्ता क्यों कर रहे हैं? जो चीज है सामने आ जाएगी।

श्री सांवर लाल : हमको कोई चिन्ता नहीं है, आप जाने वाले हो जल्दी, 7 तारीख को।

श्री रामस्वरूप : एक-एक की जांच होगी, आपकी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बार पुनः, मेरी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य शिवनाथसिंह जी, मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य रामनारायणजी, लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य हरजीरामजी, इन्होंने बहुत ही प्रेक्टिकल सुझाव दिये हैं, बाकी सदस्यों ने भी सुझाव दिये हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। लेकिन खास

(श्री सी. पी. जोशी)

तौर से लाडनूं से आने वाले माननीय सदस्य, गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य और मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने, जिनका लम्बे समय से पंचायती राज का अनुभव है, सुझाव दिये और खास तौर पर जैसा मैंने कहा है कि हमारी रणनीति है कि हम पंचायत समिति को एम्पावर्ड करने के लिये, सुधार करने के लिये इसमें अमेंडमेंट लाये हैं। मैं भी इसमें पाता हूं कि और अमेंडमेंट की आवश्यकता है। यह एक हमने शुरूआत की है, जो बाकी अमेंडमेंट हैं, जिससे हम पंचायत राज का सुदृढ़ीकरण करके हमारे नेता राजीव गांधी की आशा के अनुरूप इसको मजबूत कर सकें उन सबको करने के लिये भी हम समय-समय पर आपके बीच में आएंगे। आज तो मैं जो बिल लाया हूं, इसका एक लिमिटेड हमारा इंटरेस्ट है कि सरपंच साहब और पंचायत समिति के प्रधान साहब का इफेक्टिव इसके साथ आर्गेनिक लिंक हो जाए, इस दृष्टि से हम यह सदन में लाये हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो सदस्यों ने जनमत और प्रवर समिति के लिये प्रस्ताव रखा उसको रिजेक्ट किया जाए और इस विधेयक को पारित करने के लिये प्रस्ताव लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1999 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, उपाध्यक्षजी. . . (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1999 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संशोधन प्रस्ताव वापस लिये जाने का हमारा अधिकार है. . . (व्यवधान) ... माननीय उपाध्यक्षजी...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे खेद है। मैं पार्टी का सदस्य हूं, सरकारी पक्ष का सदस्य हूं, मैंने अपना अमेंडमेंट दिया था और मुझे माननीय मंत्री महोदय के जवाब के बाद में इसको वापस लेने का अधिकार है। आपने वह समय और यह अधिकार मुझे एक्सर साइज नहीं करने दिया। मैं अपने इस अमेंडमेंट को वापस लेना चाहता था, सदन की इजाजत चाहता था। आपने उस बात को अनसुनी किया। मुझे बहुत बड़ा खेद है इस बात के लिये, बहुत खेद है मुझे।

विधेयक पर खण्डशः विचार

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड—2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड–2 स्वीकार किया गया।

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे पारित मत करिये, मैं विचार प्रकट करना चाह रहा हूं। थर्ड स्टेज पर अधिकार है कम से कम हमारा. . .

श्री उपाध्यक्ष : आपका कोई संशोधन है क्या, पेश किया क्या आपने? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हां, थर्ड स्टेज है यह। दो मिनट बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कहां है? नहीं, आप संशोधन बताओ ना, पेश किया तो। (व्यवधान) कोई संशोधन ही नहीं है, किस पर बोलेंगे?

श्री सांवर लाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी जो कुछ भावना है इस सम्बन्ध में संशोधन बताना चाहता हूं. . (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तृतीय वाचन में सबके लिये आप्शन है कि वह बोल सकता है। (व्यवधान) संशोधन पूरे हो जाने के बाद थर्ड वाचन पर..(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो तीसरा वाचन, थर्ड रीडिंग बाकी है उस पर कह देना।

श्री सांवर लाल : यह थर्ड ही तो है साहब, पारण हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो खण्डशः विचार हो रहा है, थर्ड रीडिंग बाकी है अभी।

खण्ड–3, श्री भंवरलाल शर्मा, संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह संशोधन दिया है और मैंने पहले मंत्री महोदय से बात कही थी कि इस प्रकार जो चयन होगा उससे जो चुनी हुई संस्थाएं हैं उनकी संख्या कम होगी और इस प्रकार के जो एक्स-ओफिशिओ मैम्बर होंगे उनकी संख्या ज्यादा होगी तो क्या ये जो संस्थाएं हैं उनके चलाने में दिक्कत नहीं आएगी, इनके कामकाज में दिक्कत नहीं आएगी? इस पर आपने विचार किया है क्या? यदि किया है तो समझाएं कि यह दिक्कत आने वाले नहीं है। दूसरा, मैंने संशोधन यह दिया है कि जो अध्यक्ष. . .

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट, यह जो आप कह रहे हैं एप्रिहेंशन, यह एप्रिहेंशन उस एक्ट के अन्दर प्रोविजन है वह कांटेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। केवल मात्र पंचायत समिति के चुने हुए सदस्य हैं वे ही चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसलिये हम इनको मैम्बर बना लें तो भी ये इसमें कांटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो आपका जो संशोधन है उसकी कोई रेलेवेंसी ही नहीं है। I am sorry to say, But जो आपने प्रपोज किया है, आलरेडी उस एक्ट के अन्दर यह प्रोविजन है जो इसको आप टेक-केयर करते हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, वह कहीं स्पष्ट नहीं है। यदि वह आप मुझे समझा दें तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप देख लो ना एक बार।

श्री सी. पी. जोशी : लिखा हुआ है इसमें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कानून की बात है इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है और संशोधन मैं ला रहा हूं वह इस एक में है तो कोई दिक्कत है इसमें। यह कानून में कोई कमी नहीं रह जाए इसलिये मैंने निवेदन किया है आपको। मेरा संशोधन क्या है, एक सैकण्ड मेरा संशोधन सुन लें पहले।

श्री सी. पी. जोशी : नहीं, वैसे तो आपने जो प्रपोज किया है वह इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस पंचायत एक्ट में यह प्रोविजन है। आपने यह प्रोविजन जोड़ा है. . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी. . . (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, उनका संशोधन सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे देना।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष : सुना दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने जो दिया है ना इसमें, इसमें खण्ड–3 के (घ) में यह लिखा है, "जिला परिषद क्षेत्र के भीतर आने वाले समस्त पंचायत समिति के अध्यक्ष" यह यहां तक लिखकर छोड़ दिया। इसके आगे मैंने जोड़ा है, "प्रमुख या उप प्रमुख के निर्वाचन और हटाये जाने का अधिकार नहीं होगा और न ही इन पदों के लिये प्रत्याशी हो सकेंगे" यह इसमें मैंने जोड़ा है। (व्यवधान) I repeat it.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, let him finish.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : I repeat it. आपने इसमें लिखा है, "जिला परिषद क्षेत्र के भीतर आने वाली समस्त पंचायत समिति के अध्यक्ष," इतना कहकर छोड़ दिया आपने। मैंने आगे इसमें जोड़ा है, "वे प्रमुख या उप प्रमुख के निर्वाचन और हटाये जाने का अधिकार उनको नहीं होगा और न ही वे इन पदों के लिये प्रत्याशी होंगे।"

यदि इस कानून में यह लिखा हुआ हो तो मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन अगर है या नहीं है तो It should be more clear. इतना ही कह रहा हूं, मैं आपको।

श्री सी. पी. जोशी : मैं यही कह रहा हूं आपको। जैसे मैं 13–कम्पोजिशन आफ ए पंचायत पढ़ रहा हूं।

(16.00 बजे)

"(1) A Panchayat Samiti shall consist of –

(a) directly elected memebers from as many territorial constituencies as are determined under sub-section (2); and

(b) all members of the Legislative Assembly of the State representing constituencies which comprise wholly or partly the Panchayat Samiti area:

Provided that the members referred to in clause (b) shall have a right to vote in all meetings of the Panchayat Samiti

(श्री सी. पी. जोशी)

except those for election and removal of the Pradhan or Up-pradhan."

इसके साथ इसको जोड़ दिया है इसलिए आप जो कह रहे हो, उसमें कसींडर हो गया। इसी के साथ, "बी" के साथ में जोड़ दिया है जो हमने एड किया है, उसमें "बी" और "सी" लिख दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जहां आपने जोड़ा है न, वहां आपने "अध्यक्ष" करके छोड़ दिया है। आप पढ़ें इसको। "अध्यक्ष" करके छोड़ दिया। उसको आगे मैंने इसको स्पष्ट किया है कि ऐसे जो लोग चुनकर आएंगे या जो नामिनेशन से जाएंगे उनको न तो उसको प्रधान को हटाने व चुनने का अधिकार होगा, न प्रमुख को और न वे उस चुनाव में भाग ले सकेंगे। यदि आपके कानून में ये बात कहीं आ गयी है तो मुझे बतायें।

श्री सी. पी. जोशी : यह तो कानून में लिखा हुआ है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा प्रावधान नहीं आया है अभी।

श्री सी. पी. जोशी : नहीं, यह इसी में एड किया है। वह जो एम.एल.ए. का "बी" लिखा है, उसी के साथ में "ए" किया है और "बी" एंड "सी" कर दिया उसमें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह क्लियर, प्रधान थोड़े ही बनाये हैं, आप... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : यह जो क्लाज. .

श्री अमराराम (धोद) : केवल एम.एल.ए. के लिए लिखा हुआ है।

श्री सी. पी. जोशी : यह जो क्लाज है, उसी के साथ सरपंच और प्रधान को जोड़ने के लिए लिख दिया, उसमें. . . (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : प्रधान तो मैम्बर था ही नहीं। प्रधान तो मैम्बर अब बना रहे हो आप।

श्री सी. पी. जोशी : जो हमने अमेंडमेंट किया है, उसमें "बी" के साथ में अमेंडमेंट किया है (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्रीजी, मेरा निवेदन है कि. . (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : "बी" के लिए, "बी" के बाद "सी" लिखा है और "बी" और "सी" के साथ दोनों लिंक कर दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, मेरी कोई जिद नहीं है इसमें। मेरी कोई जिद नहीं है। मैं आप कहते हो कि यही कानून में है आलरेडी तो उसको स्पष्ट करने के लिए मेरा यह संशोधन है। अब केवल यह मैंने दिया है इसलिए नहीं मानना, यह आपकी मर्जी की बात है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अब आप इसमें कहते हैं. . (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बता दें इसमें आप।

श्री सी. पी. जोशी : आप खुद वकील हैं। आप खुद कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि 13 और 14 में जो क्लाज "बी" लिखा हुआ है। उस "बी" के साथ में "सी" जोड़ा है। "बी" 13 के साथ तो सरपंच जोड़ा है और 14 के साथ में प्रधान जोड़ा है और दोनों के साथ में प्रोवाइडेड "बी" एण्ड "सी" लिख दिया है। दो चीजें इंकारपोरेट हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें नहीं है यह।

श्री सी. पी. जोशी : किसमें नहीं है? आप पढ़ें इसको। है। आप पढ़िये इसमें। इसमें कैसे नहीं है, आप पढ़िये। आप बताइये। पढ़िये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब यह कोई बहुत जिद का विषय नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : आप नहीं तो मैं पढ़ रहा हूं। इसमें देखिये। आप पढ़िये इसको, लिख रखा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदय, एक बात सुन लें। मैंने यह जो अमेंडमेंट दिया है वह अगर एक्ट में आलरेडी आता है तो मुझे आपत्ति नहीं है। आप मेरी बात सुनिये। मेरी सलाह यह होगी कि आप कानूनी सलाह ले लीजिए और यदि मेरी बात ठीक लगती है तो जोड़ लीजिए।

श्री सी. पी. जोशी : You want to put me in the dock as if we are laymen. It said, it is mentioned. फोर्थ आप पढ़िये। 13 का फोर्थ पढ़िये।

श्री भंवरलाल शर्मा : खैर, मैं समझता हूं कि... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : इस अमेंडमेंट का 13, आप इस आर्ट में परफेक्ट हैं, यह डिमोंस्टेट करने के लिए कि मिनिस्टर में अक्ल नहीं है इसलिए उसे राय लेकर बता दूं मैं। मैंने खुद ने एलएलबी. की डिग्री कर रखी है I am thorough about this.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : I withdraw my advice.

श्री सी. पी. जोशी : I am thorough about this.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, आपको इनकाम्पीटेंट बताने के लिए मैंने सलाह की बात नहीं कही है।

श्री सी. पी. जोशी : Because you were मैं कह रहा हूं, फोर्थ पढ़िये, इसमें क्या लिखा है।

"(iv) in the proviso, for the expression, 'clause (b)' the expression 'clauses (b) and (c)' shall be substituted." "बी" के लिए एड किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं आपको. . .

श्री सी. पी. जोशी : "बी" के साथ "सी" जोड़ दिया है। "सी" जोड़ने का मतलब, जो "बी" के लिए जो डिस्क्वालिफिकेशन वोट नहीं डालने की, रिमोल्ड करने की है, वह "सी" के साथ भी लागू है। क्या कंफ्यूजन है इसमें?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदय, यदि आपने मेरी सलाह को यह माना है कि मैं आपको अण्डर-एस्टीमेट करता हूं तो I withdraw my advice.

श्री सी. पी. जोशी : You are a senior member.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, मैंने इसलिए नहीं कहा है यह।

श्री सी. पी. जोशी : You are a very senior Advocate. But you want to test our knowledge as if we are laymen. एक तो आपके प्रभारी मंत्री को ज्ञान नहीं है. . .

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : It was a sincere advice.

सी. पी. जोशी : बिना बजट के एडवरटाइजमेंट निकाल दिया। एक तो मंत्री मण्डल के सदस्य आपके (व्यवधान) . . .

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, मैंने यह नहीं कहा आपको।

श्री सी. पी. जोशी : आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, यह आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, आरोप कहां लगा रहा हूं मैं? कमाल है।

श्री सी. पी. जोशी : आप कष्ट करके पढ़ने का समय निकालिए। राठौड़ साहब, और टाइम निकालते हों दूसरे कार्मों में, पढ़ा करें तो ठीक रहे, थोड़ा सा। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : It is my sincere advice.

श्री सी. पी. जोशी : इसमें क्या तकलीफ है। हम कह रहे हैं कि आप इन्सिस्ट कर रहे हैं, क्या देखें? इसमें कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, माननीय सदस्य, बहुत सिम्पल बात है।

श्री सी. पी. जोशी : किस बात का आर्ग्यूमेंट?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय मंत्रीजी।

श्री सी. पी. जोशी : गुलाब चन्दजी कटारिया साहब, मैं यही बात कह रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है तो आप बारबार क्यों इस पर कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं इसमें इनकारपोरेटेड है। आप कह रहे हैं कि इनकारपोरेटेड नहीं है, यही तो फर्क है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं कि जुड़ जाए।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकार कह रही है, आलरेडी है।

श्री उपाध्यक्ष : वह खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि इनकारपोरेटेड है, जुड़ेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : आलरेडी है इसलिए कोई इश्यू नहीं है यह। कह रहे हैं। आपकी बात को मान रहे हैं वह।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्लियर है ही नहीं यह।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात को मान रहे हैं न वह। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मानते हैं तो अच्छी बात है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड तीन में जो संशोधन श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड तीन स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड तीन स्वीकार किया गया।

खण्ड-चार, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-चार स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-चार स्वीकार किया गया।

खण्ड-एक अधिनियमन सूत्र, नाम आदि कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-एक, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-एक, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री सी. पी. जोशी प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री सी. पी. जोशी (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 के विधेयक संख्या–17) को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतन लाल ताम्बी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पंचायती राज पर काफी विचार-विमर्श वर्तमान स्थितियों पर चर्चा हुई। समय को देखते हुए मैं तीन-चार बातें खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं। ग्राम सभा पंचायती राज का मुख्य आधार बनना चाहिएं। जब तक ग्राम सभा मजबूत नहीं होगी तब तक पंचायतराज के जो आज के हमारे हालात हैं, उस पर ठीक ढंग से पकड़ नहीं हो सकती। वर्तमान में ग्राम सभाओं का जो आयोजन होता है, यह दिल्ली से गलती हो रही है कि एक साथ ग्राम-सभाएं आयोजित की जाएं। पचास ग्राम-सभाएं कहीं, चालीस ग्राम सभाएं एक हल्के में होती हैं। अलग-अलग ढंग के कर्मचारी पहुंचते हैं और वास्तव में यह ग्राम-सभाएं पूरी तौर से आयोजित नहीं होती हैं। मेरा यह निवेदन है कि चार ग्राम सभाएं हों, चार ग्राम-सभाओं का पूरा पखवाड़ा रखा जाना चाहिए। जैसे दो अक्टूबर को ग्राम सभा होनी है तो दो अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में ग्राम सभाएं उस इलाके में हों। विधायक को भी उसमें जाने का है। अब एक विधायक 50 ग्राम-सभाओं में कैसे पहुंचे, एक दिन में तो इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बनाये और उसमें निर्णय इस

(श्री रतन लाल ताम्बी)

प्रकार से होने चाहिए कि पंचायत का सारे काम-काज का लेखा-जोखा, उसके जितने मस्टर-रोल चुकाये गये हैं, बिल चुकाये गये हैं, वे सब जनता को सुनाये जाने चाहिए। पर आज तक यह होता नहीं है। इसलिए ग्राम-सभाओं के प्रति, पंचायत राज के प्रति जनता में जितनी अनास्था पैदा हो रही है, उससे विश्वास पैदा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है।

दूसरा मैं निवेदन करना चाह रहा हूं। मंत्री महोदय, मैं सरपंच भी रहा, प्रधान भी रहा, उस जमाने में अंकेक्षण का एक महत्व था, आडिट का बड़ा महत्व था, आज के दिन आडिट बिलकुल महत्वहीन हो गया है और एक तरह से मैनेजेबल आडिट होने लग गये। जिस प्रकार से पंचायती-राज में आजकल सौदेबाजी नीचे से होती आ रही है, मस्टर-रोल वगैरह भरना, मनमाने ढंग से बिल भरना, गुणवत्ता की दृष्टि से कामों की स्थिति बहुत खराब है। कहीं पर कई स्कूलें, पुलियाएं बनती हैं, अगले वर्ष या उसी वर्ष वे धराशायी हो जाती हैं, ऐसे उदाहरण भी हमारे पास मौजूद हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अंकेक्षण की जो मशीनरी है, वह सशक्त प्रभावी और इस ढंग से होनी चाहिए कि किसी तरह से वह मैनेज नहीं हो और सही स्थिति सामने आये। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।

ग्राम पंचायतों का, पंचायत समितियों का काम-काज बहुत बढ़ा है। कल बहुत चर्चा हुई। मेरा यह निवेदन है कि ग्राम पंचायत समिति जब तक ठीक प्रकार से संचालित नहीं होगी, नीचे की सारी व्यवस्थाएं ठीक प्रकार से संचालित नहीं हो सकती। आर.ए.एस. के अधिकारी वाली जो बात है, पहले पिछली गवर्नमेंट ने विकास सेवा के नाम से बात की, हम यह कह कर रहे हैं, हम वह कर रहे हैं, वह तो हुआ नहीं। मेरा यह मानना है कि दस, बारह, पन्द्रह साल पहले यह व्यवस्था थी कि पचास प्रतिशत बी.डी.ओ. होते थे, वे आर.ए.एस. होते थे। हर जिले में दो तरह की पंचायत समितियां हैं, जनसंख्या के आधार पर, पंचायतों की संख्या के आधार पर, बजट व्यवस्था के आधार पर। तो मेरा यह निवेदन है कि आगे-पीछे राज्य सरकार को यह निर्णय करने के लिए सोचना जरूरी है कि पचास प्रतिशत बी.डी.ओ. आर.ए.एस. हों। और इसका एक्जीक्यूशन जल्दी करें। एक ओर योजनाएं बढ़ गयीं, फण्ड्स बढ़ गये, काम इतना बढ़ गया और उसके बाद जिस प्रकार के हाथों में यह करोड़ों रुपयों का बजट है, उसको आये दिन हम फील्ड में देख रहे हैं, कितना उपयोग होता है, कैसी योजनाएं चल रही हैं इसलिए इस कार्यक्रम को हमको तेजी से हाथ में लेने के लिए इच्छा शक्ति बनाने की आवश्यकता है।

अभी कहीं चर्चा हो रही थी पंचायत समिति और जिला मैम्बर्स को अधिकार की। मेरा यह निवेदन है कि यह अधिकार संस्थाओं को दिया जाना चाहिए। व्यक्ति को अधिकार देने की बात बिलकुल बेकार है। संस्थाएं मजबूत बनें इसके लिए अलग-अलग ढंग से सुझाव के लिए मैं, मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्यप्रदेश के पंचायती-राज को

(श्री रतन लाल ताम्बी)

काफी स्टडी करने की आवश्यकता है। वहां जिस तरह का इम्प्रूवमेंट पंचायत-राज में हुआ, लोगों की आस्था बढ़ी, उसके मुकाबले राजस्थान में बहुत अन्तर है। मेरा यह निवेदन है कि आप दस, पन्द्रह, बीस लोगों की एक कमेटी बनाकर मध्य प्रदेश या दो, तीन स्टेट आप और उचित समझें, साथ जोड़कर वहां भेजें और उनके आधार पर जो पंचायती-राज में हम बार-बार अमेंडमेंट करने का सोचते रहते हैं, इसके बजाए एक बार पूरी व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कैसे हो सकता है और उस व्यवस्था के आधार पर ग्रामों का समग्र विकास, योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन और जनता में कैसे आस्था पैदा हो, इस दिशा में राजस्थान को सोचने की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सीधा आरोप लगाना चाहता हूं, जिन्होंने पिछली बार पंचायतों के पुनर्गठन के नाम पर विसंगतियां कीं और जिस प्रकार का राजनीतिकरण किया, अलग-अलग आप देखें जिले में कई प्रकार की स्थितियां मिलेंगी। इसलिए उन्होंने जो कुछ आधार दिये, अमुक जनसंख्या पंचायत में बनेगी, उसके विपरीत यह काम हुआ है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है राजस्थान की जनता की भावनाओं के आधार पर, हमारे जो विधायक यहां बैठे हैं, लगभग सभी की भावना है कि पुनर्गठन की प्रक्रिया आपने शुरू करने का एक ऐलान किया और उसका राजस्थान की जनता ने स्वागत किया, उसके आधार पर जिलों में काफी विशद् चर्चा हुई, एतराज मांगे गये, उसके आधार पर जिला कलक्टरों ने आपको भेज दिये और मैं समझता हूं यदि आपके मन में इच्छा शक्ति हो, इतना बड़ा कदम उठाने का आपने फैसला किया तो निश्चित रूप से अक्टूबर और नवम्बर में यह सारी प्रक्रियाएं पूरी हो सकती हैं। दिसम्बर में, उसके आगे प्रक्रिया चुनाव की दिशा में हो सकती है और जनवरी और फरवरी के अंदर यह चुनाव निश्चित हो सकते हैं। समय पर चुनाव कराना बहुत आवश्यक है और इस सम्बन्ध में सारी प्रक्रिया पूरी हो। मैं चाहूंगा कि राजस्थान में इतनी बड़ी विसंगति की पिछली सरकार ने राजनैतिक आधार पर पंचायतों का जो पुनर्गठन किया है उसमें जहां-जहां पर प्रस्ताव आए हैं, कई जगह प्रस्ताव भी नहीं आये, कई जगह आवश्यकता नहीं है पर जहां आवश्यकता है, जहां प्रस्ताव आये उस आधार पर पुनर्गठन की प्रक्रिया को आप पूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। जो कदम आपने बढ़ाया है वह स्वागत-योग्य है, उस दिशा में आपका ध्यान जाएगा।

एक बात मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, अभी कल की चर्चा में और आज की भी चर्चा में आया है, भारतीय जनता पार्टी का कंसेप्ट पंचायत राज नहीं रहा। राजस्थान में 1959 में पंचायत राज को हमारे आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहन लालजी सुखाड़िया ने जिस इच्छा, भावना के साथ स्थापित किया उसकी सारे

(श्री रतन लाल ताम्बी)

देश ने प्रशंसा की। उस पंचायत राज में पिछले 10 सालों में जिस प्रकार बार-बार अमेंडमेंट करके, कई प्रकार से उस पर अंकुश लगाकर उसकी जो एक आत्मनिर्भरता थी, लोगों में एक भावना थी आपने उसको समाप्त किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि पंचायत राज को मजबूत किया जाए। इन 9-10 वर्षों में पंचायत राज को भ्रष्टाचार का पर्याय बना दिया गया। आप पिछले 8-10 वर्षों में जितना भ्रष्टाचार इस पंचायत राज में देखेंगे, कामों की गुणवत्ता को आप देखेंगे, जो बिल्डिंगें बनती हैं, जो एनीकट बनते हैं, दो साल बाद जाकर देखिये, टूटे-फूटे मिलेंगे। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि भ्रष्टाचार पर कैसे अंकुश लगे इस बारे में आपके कुछ विचार भी आये थे कुछ दिनों पहले कि आपने उसमें जवाबदेही निर्धारित करने की बात कही है, यदि आपने वास्तव में भ्रष्टाचार करने वालों पर जवाबदेही निर्धारित कर दी, आपने उनको जिम्मेदार ठहराकर वसूली शुरू कर दी तो एक भय पैदा होगा वरना आज आप इतना करोड़ों रुपया गांवों के विकास के लिये दे रहे हैं, वह भ्रष्टाचार की नालियों में बह जाएगा। गरीबों के नाम पर उसमें कौन क्या करते हैं इसकी कोई बड़ी जांच की जाए तो आपके सामने बड़े-बड़े तथ्य आएंगे, पिछले कई सालों के मामले लम्बित हैं, अधिकारी वर्ग भी उसमें कई जगह मिला हुआ है, वह टालमटोल करके उसको निबटाकर कार्यवाहियों को इधर-उधर करके लम्बित करते हैं या लीपापोती कर देते हैं, इसलिए इसकी निष्पक्ष एजेन्सी के माध्यम से जांच करायी जानी चाहिए। गुणवत्ता की जांच हो सके, भवनों का पुनर्मूल्यांकन हो सके तो बहुत सारे मामले आपके सामने आएंगे। इस दृष्टि से मैंने कुछ आपको मोटे-मोटे सुझाव दिये हैं।

राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं के बारे में कुछ लोग अभी आलोचना कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं, गांव की ढाणी, छोटे-छोटे गांवों के गरीब लोगों ने इसको सराहा है और उन्होंने मिलकर एक अध्यापक का चयन किया। उसमें न भाजपा देखी न कांग्रेस देखी। मेरे इलाके में ही 20 आदमी भाजपा के आये होंगे। हमने इसका विरोध नहीं किया। जो ग्राम सभा ने फैसला कर दिया वह ठीक है और उसके आधार पर गांवों में कई बेरोजगारों को रोजगार मिला और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं 40 से 60 बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे वह पहली बार स्कूलों में जाने लगे हैं। इसलिए राजनैतिक आधार पर, इतनी संकीर्ण भावनाओं के आधार पर नहीं सोचा जाना चाहिये और, मैं सोचता हूं, एक अच्छा काम हुआ है उसकी सराहना करने में हमको और आपको सबको मिलकर उसको मजबूती से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राजस्थान में यह राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला एक ऐतिहासिक निर्णय है इस सरकार का। एक नया इतिहास इस सरकार ने बनाया है जिसकी क्रान्तिकारी भूमिका को गांव के लोग आज भी स्वीकार करते हैं। इस बात को आपको और हमको मानना चाहिये। कोई

(श्री रतन लाल ताम्बी)

सीमित राजनैतिक आधार पर हर चीज की आलोचना कर दें यह उपयुक्त नहीं होगा।

मंत्री महोदय मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पुनर्गठन की बात मैंने कही। इसके साथ प्रत्येक पंचायत को सचिव और प्रत्येक पंचायत को अगर सचिव देने में देर हो तो दो पंचायत एक सचिव वाली बात हो सकती है। कई पंचायतें पुनर्गठन के बाद छोटी-छोटी हो गयीं। कहीं आपके तीन पर लग रहे हैं, कहीं चार पर लग रहे हैं, इस बात को आप देखें। आपको सचिवों पर भी जवाबदेही तय करनी चाहिये। भ्रष्टाचार, घोटालों की उसके ऊपर की जवाबदेही के बारे में आप कुछ गंभीरता से सोचें। अन्य राज्यों में किस प्रकार पैसे का उपयोग होता है और दुरूपयोग होता है उसको रोकने की क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके आधार पर राजस्थान के पंचायत राज को फिर से मजबूत करने का श्रेय आपको लेने की आवश्यकता है। पंचायतों के प्रति जनता में आस्था फिर से पैदा हो, पंचायत राज का स्वरूप अच्छा बने और पंचायत राज को एक अच्छे स्वस्थ वातावरण में राजस्थान में पुनः स्थापित किया जाए इसके लिये आपको काफी कड़े निर्णय भी लेने पड़ेंगे। आज इस समय बहुत सारे संसाधन पंचायतों में मौजूद हैं, उन संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो रहा है। उदाहरण के

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

तौर पर तालाबों से सिंचाई हो रही है, पेटा काश्त हो रही है, पान, बबूल को नीलाम किया जा रहा है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। लाखों रुपया प्रतिवर्ष जेबों में चला जाता है कुछ लोगों के। वह पैसा जमा नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिये जहाजपुर पंचायत समिति का आप परीक्षण करवा लें। गांवों में पिलाई हुई। पिलाई की वहां वसूली हुई है उसके बाद वह कहते हैं अकाल है। यूं कहकर जेबों में रह जाता है पैसा और खजाने में जमा नहीं होता। इसलिए तालाबों का संधारण नहीं होता है। जितना पैसा वसूल हो उससे तालाबों का संधारण ठीक प्रकार से हो ताकि पंचायत राज में संसाधन भी अच्छे मौजूद मिलें, सिंचाई बढ़े, उत्पादन बढ़े।

इन्हीं शब्दों के साथ मैंने चन्द सुझाव दिये हैं उस पर आप गंभीरता से चिन्तन करेंगे। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं सी. पी. जोशी जी जब से पंचायत राज मंत्री बने हैं, एक उत्साही व्यक्तित्व के रूप में काम करने का प्रयास किया है। हम सबको मिलकर इनके कामों को और आगे बढ़ाने में सहयोग देने की आवश्यकता है। पंचायत राज आम लोगों से जुड़ा हुआ है। जब तक पंचायत राज राजस्थान में मजबूत नहीं होगा, गांव गरीब रहेंगे और किसान, मजदूर की माली हालत ठीक नहीं हो सकेगी। इसके प्रशासनिक सुधार की बहुत आवश्यकता है। आज भूमि विक्रय में घोटाले होते हैं, अतिक्रमण होते हैं उसको रोकने के लिये भी कानूनी प्रक्रिया में मजबूती से व्यवस्था की जानी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सांवर लाल जी।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज अधिनियम में संशोधन के संबंध में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और माननीय मंत्री महोदय ने काफी बातें इस संबंध में बतायीं। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था हिन्दुस्तान में लागू हुई उसके पहले राजा-महाराजाओं का राज था, अंग्रेजों का राज था। उस जमाने में कानून अपने हिसाब से बना करते थे। वह जनता के हित के हिसाब से कानून नहीं बना करते थे। जब हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था लागू हुई तब लोगों को हमने यह दिलासा दिलाने का प्रयास किया कि हम राज आपकी भावनाओं के हिसाब से करें। कोई भी कानून-कायदा बनाएंगे तो जन भावना के हिसाब से होगा। कानून जनता के लिये होगा, जनता कानून के लिये नहीं होगी। और अगर किसी सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था लागू करने की कोशिश की कि हमने जो कर दिया वह फाइनल है तो उसको मौके पर जनता ने रिजल्ट देने का प्रयास भी किया है। देश आजाद होने के बाद में एकछत्र राज था दिल्ली से लगाकर बिहार के वार्ड मैम्बर तक एक ही पार्टी के हुआ करते थे और आज हालात ये हैं कि दिल्ली में सरकार किसकी है, दिल्ली के पास में हरियाणा है, उसमें किसकी है, राजस्थान में किसकी है, आगे किसकी सरकार आएगी। यहां पर जनभावना के हिसाब से कानून नहीं बनाएगे, काम नहीं होंगे तो अपने को यह दंभ नहीं भरना चाहिये कि आज अगर हम बहुमत में आ गये तो मेरे से ज्यादा कोई विद्वान नहीं। मैं जैसे कहूंगा वैसे करोगे तो उसका रिजल्ट भी जल्दी भुगतना पड़ेगा। माननीय मंत्री महोदय, 1980 में राजीव गांधी प्रधान मंत्री थे। उस जमाने में कांग्रेस पार्टी के पास इतना बहुमत था कि अकेली पार्टी संविधान में संशोधन कर सकती थी।

श्री उपाध्यक्ष : 1980 में राजीव गांधी नहीं थे। इंदिरा गांधी थीं।

श्री सावंर लाल : सारी, 1984 में थे। 1980 में भी बहुमत था और 1984 में तो इतना बहुमत था कि अकेली कांग्रेस पार्टी संविधान संशोधन करवा सकती थी और उसके बाद में हालात आज यह हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का राज, जो 6-7 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी की संरकार वापस बनेगी। (व्यवधान) अब सुनने की क्षमता रखो। दिल्ली का राज तो हमारे पास आने वाला है, + + + से तो कुछ होना नहीं। तीन फेज के तो वोट पड़ चुके और चोथे में पड़ने वाले हैं। आपकी भावना हमने बड़ी आसानी से सुनी (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये, माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : और कुछ कहना होगा तो माननीय मंत्री महोदय आपसे ज्यादा विद्वान हैं।

मेरा निवेदन यह है कि यह जो संशोधन लाया गया है, अध्यक्ष, प्रधान, जिला परिषद की समिति का मैम्बर बनेगा,

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सांवर लाल)

सरपंच पंचायत समिति का बनेगा, मेरा निवेदन पहला तो माननीय मंत्री महोदय से यह है कि मंत्री महोदय, विधान सभा कानून पास करती है उस कानून को केवल पास करना ही हमारी औपचारिकता है या आप उसको लागू करवाने के भी प्रयास करते हैं। कोई अतिक्रमण करता है और आपकी जानकारी में आता है उसके बाद उस अधिकारी या कर्मचारी को दण्डित करने के लिये भी कुछ करते हैं या केवल इसलिए नहीं करते कि यह हमारे कहने से काम करता है इसलिए उसको सजा नहीं पारितोषिक देंगे? तो फिर इस एक्ट को पास करवाना राजस्थान की जनता के साथ मेरे ख्याल से अच्छा व्यवहार नहीं है एक राज का, जो डेमोक्रेटिक कण्ट्री में है। जवाबदेह सरकार है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है, वह फिर आपका नारा कहां गया? मैंने एक सवाल पूछा था जिसका आपने बढ़िया जवाब दिया, इसके लिए मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं मैंने पूछा, क्या पंचायत राज अधिनियम, 1994 का उल्लंघन, अतिक्रमण पंचायत राज मंत्री, शासन सचिव, निदेशक या अन्य अधिकारी/कर्मचारी कर आदेश जारी कर सकते हैं? आपने लिखा जी नहीं। दूसरा, क्या ऐसे आदेश जारी किये गये वैद्य हैं? आपने लिखा, नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय, जिस विकास अधिकारी की आप तारीफ कर रहे हो, आप जांचें करवाओ, कुछ भी करवाओ, काम हमने बहुत किये और आजकल जनता में भी यही चर्चा है कि यह कांग्रेस सरकार वाले काम तो करते नहीं, जांचों ही जांचों में लगे हुए हैं, जांचों के अलावा आठ महीने में आपने कुछ किया भी नहीं। और जांचों में आप क्या पाओगे? सिविल लाइंस की तरह बिल्डिंगें खड़ी हैं गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में। आपके राज में क्या था, थोड़ी तुलना करके देख लीजिये। आप जांचें करवाओ पर उस अधिकारी ने, जिसने पंचायत राज एक्ट की धारा 33 का उल्लंघन करके बिना प्रधान से चर्चा करके, बिना स्टेंडिंग कमेटी की राय के, बिना जिला-स्थापना समिति की राय के अपने स्तर पर ट्रांसफर कर दिये..(व्यवधान) धमकी दी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बात तीसरी दफे कह रहे हो इस हाउस में दो दिन में।

श्री सांवर लाल : वह हो-हल्ले में हुई है, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मैं तसल्ली से मेरी बात बता रहा हूं।

मंत्री महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो विकास अधिकारी वहां पंचायत समिति में बैठा रहता है, आपकी प्रशासन की स्थायी समिति की बैठक होती है उसमें नहीं आता है कि पंचायत समिति, प्रशासन कुछ नहीं है, पंचायत समिति की बैठक कुछ नहीं है, मैं विकास अधिकारी हूं, अपने कमरे में बैठ कर चाय पीता रहता है, किसी को भेजता कि नहीं भेजता, जन प्रतिनिधि देखते रहते हैं, बी.डी.ओ. ज्यादा पावरफुल है, अगर इस तरह पंचायत राज को मजबूत करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यही आप जनता में मैसेज दे दीजिये

(श्री सांवर लाल)

कि हम वहीं पर पंचायत समितियों को मजबूत करेंगे जहां पर कांग्रेस के प्रधान होंगे, जहां पर कांग्रेस के विधायक होंगे तो जनता भी आपकी भावना समझ सके। आपके पास कम से कम यह मैटर एक महीने से आया हुआ है, आपने इसमें किया क्या? आपने आज जवाब दिया कि मेरी जानकारी में नहीं आया। अगर आपकी जानकारी में नहीं आया, इतने सक्षम मंत्री हैं, सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे हैं उसके बावजूद भी विभाग से यह पत्र आपके पास नहीं आता है तो यह आप खुद सोच लीजिये कि अधिकारी आप तक बात क्यों नहीं पहुंचाते हैं। फिर आपकी कितनी पकड़ होगी, जनता में भी यह बात पहुंच जायेगी।

आपने कहा कि राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं हमने खोलीं, नामांकन बढ़ गये। इधर नामांकन बढ़ गये उधर प्राइमरी स्कूलों के नामांकन घट गये। थोड़ा उस पर भी आप विचार कर लीजिये। आप कह रहे हैं पंचायतों को कि यह नौकरी देंगी। पंचायतें कहां से पैसा लायेंगी। सरपंच तो रो रहे हैं कि यह पैसा सरकार नहीं देगी तो हम कहां से देंगे। दो-दो महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। तनख्वाह क्या दे रहे हो आप मानदेय दे रहे हो, वह भी नहीं दिया जा रहा है।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : दे रहे हैं उनको, चिंता मत करो।

श्री सांवर लाल : 40 रुपये। मेरे को नहीं जनता को चिंता है इसलिए मैं चिंता कर रहा हूं। यह गांव की जनता से सम्बन्धित है। 40 रुपये में बेगारी आप रख रहे हो और उनको समय पर पेमेंट नहीं करवा पा रहे हो। आपके बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। बार-बार यह कह देते हो कि भारत सरकार पैसा नहीं दे रही है। माथे मांग रहे हो क्या भारत सरकार के? एक हजार दस करोड़ रुपया लिया पहले एडवांस में।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : हमारा हक ले रहे हैं, माथे नहीं मांग रहे हैं। भीख का कटोरा नहीं है, हक है यह तो। भीख नहीं मांग रहे।

श्री सांवर लाल : और क्या है तो? बार-बार स्टेटमेंट जारी कर देते हो भारत सरकार नहीं दे रही। किस हैड में नहीं दे रही भारत सरकार? एक हजार दस करोड़ रुपया एडवांस दिया भारत सरकार ने, जब मांगा है जब..(व्यवधान) एहसान किया बहुत बड़ा।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप लोग इसमें समझते ही क्या हो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का विचार है कि छोटी-छोटी पंचायतें बनायें और मेरे ख्याल से आपने यह भी कहा है कि चुनाव से पहले पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है। एक तरफ वित्तीय व्यवस्था हमारे पास नहीं है, आज जो मौजूदा पंचायतें हैं उनमें ग्राम सेवकों की व्यवस्था नहीं है और वित्त विभाग कुछ मदद करने की स्थिति में नहीं है, रिसोर्सेज डवलप करना, फाइनेंशल

(श्री सांवर लाल)

मैनेजमेंट करना मेरे ख्याल से आपकी पूरी कैबिनेट के बूते में नहीं है, समझ में नहीं है, ऐसी हालत में आप नयी-नयी पंचायतें केवल राजनीतिक आधार पर बना कर और जनता पर ख्वाहमख्वाह में एक बीमारी थोपेंगे तो यह कतई जस्टिफाई नहीं होगी। आपने कहा था, एक पखवाड़े में ग्राम सेवकों की नियुक्ति का आश्वासन दिया, आपने धरना उठवाया, अब आप कह रहे हो...

श्री सी. पी. जोशी : अखबार वाले जो मन में लिखें, मैंनें क्या कहा? आप मुझे कोट करें, अखबार को कोट कर रहे हैं।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, आपको ही कोट कर रहा हूं। अखबार में छपा, आप बोलते ही अखबार छापता है फटाफट।

श्री सी. पी. जोशी : बहुत अच्छा है।

श्री सांवर लाल : क्योंकि जब हम मंत्री थे तो बड़े- बड़े अक्षरों में छापते थे।

श्री सी. पी. जोशी : मुझे शौक नहीं है अखबार का मैंने आज दिन तक कोई प्रेस कांफ्रेंस नहीं की है। मुझे इस तरह का शौक नहीं है।

श्री सांवर लाल : आप बड़े विद्वान हैं तो आपकी मंशा पता चलती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, यह आपका आश्वासन था।

मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अमेंडमेंट तो करवाने जा रहे हैं इसके बाद उसके क्या कंसीक्वेंसेज होंगे, यह आप नहीं देख रहे हैं और आप क्या शक्तियां दे रहे हैं, यह भी नहीं देख रहे हैं। आपने आते ही कहा था, हम ग्रामीण विकास अभिकरण का अध्यक्ष जिला प्रमुख को बनायेंगे।

कई माननीय सदस्य : बनाया है।

श्री सांवर लाल : जैसे आप विधायक हो, ट्रांसफर करवा लो इसके अलावा आपके पास कोई पावर नहीं है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अध्यक्ष के पास आपने पावर क्या दिया? जो अध्यक्ष के पावर थे सारे सेक्रेटरी को ट्रांसफर कर दिये। तो आप करना क्या चाह रहे हैं?

आपने कहा हम 10 लाख से 25 लाख करेंगे। बड़ी तालियां पीटीं सत्तापक्ष ने, हमारे 25 लाख का फंड हो गया। आज तक एक पैसा रिलीज किया है तो हम को बता दो। (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : हो गया।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय सदस्य, इससे बड़ी इग्नोरेंस तो कोई हो ही नहीं सकती है।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, मेरी बात तो सुनिये आप। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपको कोई जानकारी ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री सांवर लाल : आप हो क्या मिनस्टर? (व्यवधान) उपाध्यक्ष मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी को चुनौती देता हूं, अगर अजमेर जिले में एम.एल.ए. फंड का एक भी काम सैंक्शन हुआ हो।

श्री उपाध्यक्ष : सैंक्शन तो हो ही नहीं सकता था।

श्री सांवर लाल : क्यों नहीं हुआ वहां पर? केवल बातें कहने के लिए कह दो।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : इलैक्शन कमीशन की रोक थी, आप किस को दोष दे रहे हो? आपको पता ही नहीं है।

श्री सांवर लाल : ऐसा है यह बहानेबाजी छोड़िये। देखिये, चुनाव संहिता तो बहुत बाद में लागू हुई है। अपनी कमजोरियां छिपाना मत सीखो। यह कमजोरियां छिपा कर जनता में क्या मैसेज देना चाहते हो?

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : कमजोरी नहीं छिपा रहे हैं।

श्री सांवर लाल : कब हुआ था यहां पर विधान सभा का सत्र?

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आपने जो बबूल बोया था उसको काट जरूर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल : विधान सभा का सत्र कब हुआ था और चुनाव की घोषणा कब हुई? इतने महीने के बाद में आपके यहां सैंक्शन हुआ है तो बता दीजिये मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी कमजोरी बता रहे हो, आपने कोई प्रस्ताव दिया हो 25 लाख का और कलेक्टर ने स्वीकृत नहीं किया हो तो बताओ।

श्री सांवर लाल : नहीं किया, मैं यही निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें दिया होगा, जब यह आचार संहिता लागू हो गयी उसके बाद दिया नहीं तो..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं हुआ। हमने दे रखा है।

श्री सांवर लाल : नहीं हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, यही निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, आचार संहिता तो एक महीने से है, एम.एल.ए. बनें तो आठ महीने हो गये, कितनी स्वीकृति निकली है?

श्री सांवर लाल : आज तक एक भी काम जो हमने दिया, सैंक्शन नहीं हुआ। मंत्री महोदय, आपने एक कमेटी और बनाई है एम.एल.ए. फंड सैंक्शन करने के लिए, इस कमेटी का भी गठन नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से आप दिखवा लीजिये।

श्री सी. पी. जोशी : एम.एल.ए. फंड के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गयी है।

श्री सांवर लाल : अब आप बता रहे हो, हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आप दिखवा लेना।

श्री सी. पी. जोशी : एम.एल.ए. फंड के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गयी है, एम.एल.ए. जो रिकमंड करेंगे वह यों की यों लागू किया जाएगा। कोई कह रहा है, गलत कह रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न बात साफ।

श्री सांवर लाल : आप यह चीज भी देख लेना। मंत्री महोदय, कल हम सदन की मेज पर रख देंगे कमेटी का प्रारूप।

(श्री सांवर लाल)

आपने दिया है, आज तो हम लाये ही नहीं हैं, कल लाकर सदन की मेज पर रख दूंगा। आप जो बोल रहे हैं, बिलकुल उचित नहीं बोल रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अब सरपंच को पंचायत समिति का सदस्य, प्रधान को जिला परिषद का सदस्य बना रहे हैं। अब आज की जो पंचायत राज व्यवस्था है उसमें पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के सदस्य के बारे में मंत्री महोदय ने कोई चिंता नहीं की, यह एक चिंता का विषय है। आज दो-दो, तीन-तीन पंचायतों के ऊपर पंचायत समिति का मैम्बर रहता है, जिला परिषद का मैम्बर दस-दस पंचायतों से चुनकर आता है, उनके बारे में तो आपने कोई विचार नहीं किया। यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। अगली बार आपको चुनाव लड़ने वाले नहीं मिलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप।

श्री सांवर लाल : मंत्री महोदय, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी कोई सुझाव आते हैं उस पर विचार कीजिये। आप विद्वान हैं पर विद्वता और बढ़ेगी अगर लोगों के सुझावों पर ध्यान देंगे तो।

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत राज मंत्रीजी पधार रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आ रहे हैं। नोट हो रहा है, आप बोलो।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : राज्य मंत्री बैठे हैं।

श्री रामस्वरूप : मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : वह जानते हैं आप क्या बोलोगे इस विषय पर इसलिए चले गये।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे समय दिया, सबसे पहले इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो यह संशोधन इसके अन्दर किया गया है, जिसमें हमारी पंचायतों के सरपंच हैं उनको मैम्बर बनाने के बारे में या पंयाचत समिति के सदस्य हैं, ज़िला परिषद की बैठकों में बैठने की जो कार्यवाही की जा रही है इसके बारे में माननीय सदस्यों ने बहुत सी बुराइयां की हैं। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी आज विपक्ष में बैठे हुए हैं उन्होंने ज्यादा इस बात की बुराई की है। मैं तो उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब सत्ता पक्ष में थे, आप राजस्थान की वित्तीय स्थिति का जो ढप्पा बैठाकर गये हैं, इसका मूल कारण क्या है? कौन इसके लिए जिम्मेदार है? 23 हजार करोड़ रुपये का आज घाटा जो आप हमको देकर गये हैं, यह कौन देकर गया है? ये लोग जानते थे कि हमारे कारनामे कितने खराब हैं। हमने कितने बुरे कर्म किये हैं। हमारी सरकार तो अच्छी है इसलिए ये सब लोग ढप्पा बैठाकर गये हैं लेकिन इस बात की परवाह नहीं। राजस्थान के माननीय गहलोत साहब जबसे विराजे हैं इस बात की परवाह नहीं करते हुए

(श्री रामस्वरूप)

राजस्थान का भार संभाला है और हमारा यह मंत्रिमण्डल जिसमें एक से एक विद्वान बैठे हुए हैं, एक से एक हस्तियां बैठी हुई हैं, उन्होंने इन कठिन परिस्थितियों के अन्दर राजस्थान को संभाला है।

माननीय पंचायत राज मंत्रीजी ने जो संशोधन रखा है निवेदन यह करना चाहता हूं। यह वास्तव में सही है आपका रखना लेकिन इसके साथ-साथ मेरे कुछ सुझाव भी हैं। मेरा यह निवेदन है कि पंचायती राज को राजस्थान में जवाहर लाल नेहरू ने लागू किया था और एक बहुत बड़ी क्रांति राजस्थान के अन्दर लाये थे। इस पंचायती राज का नौ साल के अन्दर भारतीय जनता पार्टी ने ढप्पा बैठा दिया है। इस प्रकिया को आपको बदलना पड़ेगा। उसका एक कारण है।

कई माननीय सदस्य : "ढप्पा" नहीं, "भट्टा" बोलो।

श्री रामस्वरूप : भट्टा बैठा दिया। यूं रख लो साहब। इसके अन्दर भी संशोधन कर लो। इनको "भट्टा" अच्छा लगता है। मेरा तो विनम्र निवेदन है कि पंचायत समितियों के अन्दर आज यह वास्तव में सही स्थिति है। आज यह हालत हो गयी है कि पंचायत समिति का जो सदस्य है और पंचायत समिति का जो सरपंच है उन दोनों में चैक की लड़ाई होती है। मैं आपके सामने सत्य कह रहा हूं, बनावटी बात नहीं कह रहा हूं। आज वहां पर अगर कोई लड़ाई है तो एक ही लड़ाई चल रही है कि चैक के ऊपर दस्तखत किसके होंगे। सदस्य हमेशा यही शिकायत करते रहते हैं। सदस्य बना दिया लेकिन कोई पावर नहीं दी। वे केवल यही पावर चाहते हैं कि हमारे भी दस्तखत हों इसके ऊपर। अब अकेला चैक और कौन कौन के दस्तखत का भार वह संभालेगा? इसलिए सबसे बड़ा अन्याय अगर हुआ है तो पंचायती राज में हुआ है। मैं वह बात कह रहा हूं जो आपके दिल में भी है। एक ही बात हुई है। माननीय सदस्य, पंचायत समिति और वहां का सरपंच दोनों में हमेशा तकरार चलती रहती है। सरपंच कोई कार्य कराता है तो सदस्य उसकी शिकायत करते रहते हैं और एक ही काम उनके पास रह गया है इसलिए इसके कारण से विकास रूक रहा है। इसलिए जो यह सदस्य की व्यवस्था की है, इस व्यवस्था से बड़ी भारी दिक्कतें पंचायती राज में आ रही हैं। मेरा तो विनम्र निवेदन है कि इसमें भी कुछ संशोधन करवाया जाए और यह जो सदस्यीय व्यवस्था है उसको हटाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जगमाल सिहंजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतने शानदार विचार आ रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई नोट नहीं कर रहा है। एक वरिष्ठ सदस्य इतने शानदार विचार दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजें।

श्री रामस्वरूप : मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं बढ़िया सुझाव दे रहा हूं जो सबके दिल में हैं और जो हकीकत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार की तरफ से कोई नोट ही नहीं कर रहा है।

श्री रामस्वरूप : अगर आप भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो आपको कुछ व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेंगी। यह बात सत्य है। माननीय मंत्रीजी पधार चुके हैं, मैं सत्य कहता हूं, भ्रष्टाचार जो पंचायत समितियों में नौ सालों में इन्होंने बढ़ाया है उसका मूल कारण यह है कि एक सदस्य बना दिया और एक सरपंच बना दिया, दोनों चाहते हैं कि चैक पर हमारे दस्तखत हों और विकास कार्य ये लोग रूकवाते हैं आपस में लड़कर। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यह जो सदस्यीय व्यवस्था है इस व्यवस्था का कोई उपाय किया जाए।

दूसरा मेरा निवेदन है कि आपने जो विधायकों के लिए 25 लाख रुपये दिये हैं, पहले दस लाख रुपये थे, आज ये विरोधी पुकार रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, हमने दस लाख के पच्चीस लाख रुपये कर दिये, आपको तो साधुवाद देना चाहिए हमारे मंत्रीजी को जिन्होंने 25 लाख रुपये कर दिये और आज 25 लाख रुपये के कार्य हम विधायकों के द्वारा गांवों के अन्दर हो रहे हैं जिसका हमको कितना श्रेय मिल रहा है। हमारी सरकार की जय-जयकार हो रही है और हमारे मंत्रियों की जय-जयकार हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें भी संशोधन करवाना चाहते हो क्या आप? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : 25 लाख रुपया आपने हमको दिये। मैंने तो खुद ने अब तक 15 लाख रुपये के कार्य तो करवा दिये और मात्र दस लाख रुपये के कार्य और बचे हैं जिनको भी मैं करवा दूंगा। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि पैसा ही नहीं गया। माननीय सदस्य को अपने अधिकारों का ही पता नहीं है, पैसे का भी पता नहीं है। हमारा पैसा वहां पहुंच चुका है। इसलिये मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि आप हिम्मत रखिए, कलेक्टर से मिलिए और जिला प्रमुख से मिलिए, आपका काम तुरन्त होगा। जाते ही आपके काम को करेगें। हमारी सरकार है, कोई ढिलाई नहीं बरती जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप : मैं आखिरी बात कह रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : आपने दो मिनट के लिए कहा था।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी अभी पधारे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कहेंगे तब नहीं बैठेंगे ये।

श्री रामस्वरूप : तीसरा, मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि आपने जो राजीव गांधी पाठशालाएं खोली हैं, मैं इस बात के लिए, माननीय मंत्रीजी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आप एक दिन में वह क्रांतिकारी कदम लाये हो। सारे राजस्थान में इस बात की भी तारीफ हो रही है। सारे बेरोजगार आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपने जो एक वायदा किया था कि हम रोजगार देंगे, उसकी ओर उसने जो क्रांतिकारी कदम बढ़ाया है एक दिन में 12

(श्री रामस्वरूप)

हजार स्कूल्स खोलकर, आपने हजारों बच्चों को जो रोजगार दिया है इससे इनके दिल दुःखी हो गये हैं। ये दुःखी हो रहे हैं +++ यह पुकार रहे हैं, +++ इनकी आत्मा रो रही है। लोक सभा में इनका सफाया होने जा रहा है। इनको पता है कि छह तारीख को हमारा सफाया हो रहा है इसलिए इनको दुःख है इस बात का, इसलिए आपकी बुराई करते हैं। आप इनकी कतई परवाह मत करना। आप कदम पर कदम बढ़ाते हुए चले जाओ, हम आपके साथ हैं। जोशीजी, आप कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। यह राजस्थान की जनता आपके साथ है। आप जिस प्रकार से कदम बढ़ा रह हैं, आपने जिस प्रकार से सारी जनता को अपने विश्वास में लिया है, आपने हमारा मुंह सब जगह बोलने के लिये खोल दिया है। जहां जाते हैं उधर ही हम तारीफ करते हैं। इसके लिए जगह बता दी। ये तो इसलिए दुःखी हैं +++ कि इसके टाइम में, ये कटारियाजी बैठे हैं, इन्होंने तुगलकी योजनाओं से भट्टा बैठा दिया है। ये रोजाना योजनाएं बदलते थे। कभी इन्होंने ड्रेस को बदल दिया है +++... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ये पंचायत में संशोधन नहीं होगा ये कहने से।

श्री रामस्वरूप : ऐसे-ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाये थे उसी का परिणाम आज ये भोग रहे हैं, जो इधर बैठे हैं, मात्र 30 के ऊपर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री रामस्वरूप : मात्र 30 ही रह गये हैं अब तो। घट गये +++ बिलकुल (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिए।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने +++ शब्द का प्रयोग दो बार किया है। यह असंसदीय है इसको बाहर किया जाए।

श्री रामस्वरूप : +++ शब्द गलत है क्या?

श्री हीरासिंह चौहान : Two times, you repeated. Why did you repeat? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : +++ (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : Who said we are +++? Have you not spoken that word?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री जगमाल सिहंजी।

श्री हीरासिंह चौहान : Please control him.

श्री रामस्वरूप : मैंने क्या गलत कहा +++ (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूप जी, विराजिये।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, +++ शब्द को एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान) असंसदीय शब्द है इसको एक्सपंज किया जाए। (व्यवधान)

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामस्वरूप : मैं अच्छा बोल रहा हूं इसलिए इनको दुःख हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री रामस्वरूप : ठीक है मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आपको दुःख क्यों हो रहा है? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : शालीनता से बोलिए। अशालीनता कोई नहीं सुनेगा।

श्री रामस्वरूप : हमारे उपाध्यक्षजी की कृपा से बोल रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, समाप्त कीजिए। पाइंट आफ आर्डर।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, असंसदीय शब्द को कार्यवाही से निकाला जाए। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : मैं आपके कहने से नहीं रूकूंगा। आप धमकी देकर रोकना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामस्वरूपजी।

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इनके कहने से नहीं रूकूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मेरे निवेदन से बैठिए आप।

श्री रामस्वरूप : मैं तो अन्त में यही कहूंगा कि आप जो यह बिल पेश करने जा रहे हो, इसमें कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, मेरा तो यही निवेदन है, लेकिन जो कुछ बातें हैं उन पर आप संशोधन करेंगे। धन्यवाद।

श्री हरिसिंह (महुआ) : हां, धन्यवाद हो गया। बैठ जाओ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रामस्वरूपजी, प्लीज बैठिए आप। माननीय जगमाल सिंह जी।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : माननीय रामस्वरूपजी, + + + (व्यवधान)

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के 73वें संशोधन की मंशा थी, देश में त्रि-स्तरीय पंचायत व्यवस्था को लागू करना। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पंचायत राज मंत्री जो संशोधन लाये हैं, बहुत छोटा आप संशोधन लाये। जब 73वां संविधान संशोधन आप कह रहे हैं अडाप्ट किया, संविधान में संशोधन हुआ तब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तब भी राजस्थान में पंचायत राज में त्रि-स्तरीय व्यवस्था लागू थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद्, जैसाकि झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने पहले कहा, फर्क क्या था जो इन्होंने संशोधन किया? जो इकाइयां गठित करने या इलेक्ट करने का जो सिस्टम अपनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वह तो सही कदम उठाया, उनकी कोई पकड़ ग्रामीण एरिया में नहीं थी इसलिए इन्होंने जो पंच, सरपंच, प्रधान और जिला प्रमुख चुनते थे उस प्रोसिजर को छोटा कर दिया कि गिने चुने व्यक्ति राजस्थान में चुने जाएं और हमारा आधार नहीं हो तो खरीदकर,

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

बार्गेनिंग करके हम अपने जिला प्रमुख और प्रधान पंचायत समितियों में बैठा सकें लेकिन, जोशीजी, आपने यह संशोधन रखकर मेरे ख्याल से पूरे पंचायती राज का आपरेशन नहीं किया है। (व्यवधान) लालटेन जलेगी, धीरे-धीरे जलेगी। तो मेरा निवेदन यह है कि जो पहले से आपका राजस्थान में पंचायत राज सिस्टम चला आ रहा था, जिसमें पंच और सरपंच प्रधान को चुनते थे और उसको हटाने का काम भी वही लोग करते थे ओर जिला प्रमुख को चुनने का काम पंच, सरपंच और प्रधान करते थे और उसको हटाने का काम भी वही करते थे, तो पुराने सिस्टम को आप ले क्यों नहीं आये। इसलिये मैंने पहले जैसा कहा है कि इनके सामने तो मजबूरी थी कि ग्रामीणों में कोई इनका जनाधार नहीं था, शहरी पार्टी थी, बनियों की पार्टी थी, तराजू वालों की और बट्टों की पार्टी थी, आपकी पार्टी तो राजस्थान में कम से कम ग्रामीण जनाधार की पार्टी है तो आप पुराने सिस्टम पर कम्पलीट तरीके से क्यों नहीं आ जाएं ताकि प्रधान को चुनने के लिए 200-300 आदमियों की सहभागिता बने और एक जिला प्रमुख को चुनने के लिए कम से कम 150-200 आदमियों की सहभागिता बने। मेरी एक तो राय आपसे यह है कि पहले वाला सिस्टम जो कांग्रेस ने 1968 में जो अडाप्ट किया था उसमें बुराई क्या थी।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, बी.जे.पी. सदन में एक नारा उठा रही है बार बार इन दो-तीन दिन में कि पंचायत राज मंत्री ने यह घोषणा कर दी और वित्त मंत्री ने यह घोषणा कर दी और ग्राम सेवक का चयन नहीं किया गया। मैं यह कहता हूं कि प्रेक्टिकली गांव से आने वाला हर एम.एल.ए. यह बात जानता है, विधायक यह बात जानता है कि पंचायतों की मीटिंग कानूनन 15 दिन में एक बार होगी और कई पंचायतों में अमुमन यह प्रेक्टिस देखने में आयी है कि तीन-तीन महीने तक कोई मीटिंग नहीं होती और कोई इन्तकाल आ जाता है तो मीटिंग हो जाती है या प्रोसिजर, खानापूर्ति करने के लिए होती है। मैं तो आपको यह राय दे रहा हूं कि राजस्थान जिस संकट के दौर से गुजर रहा है, इसमें आप सरप्लस जितनी पोस्टें हैं, आप नयी भर्ती की बात तो छोड़ दीजिए, ग्राम सेवक जो रिटायर हो जाएं उनके पद आप समाप्त कीजिये और एक ग्राम सेवक को कम से कम पांच पंचायतें दे दीजिये क्योंकि महीने में दो काम आते हैं और काम करते कौनसा हैं। जब उनकी मर्जी आये, सरपंच की कुछ चलती नहीं, उसकी मीटिंग बुला लें और इन्तकाल पास करने का काम केवल काम या एम.बी. भरने का।

तीसरी मेरी सलाह है, आपने एक बयान से कार्यवाही बंद कर दी, केवल बयानबाजी से, प्रधानमंत्री ने राजस्थान सरकार से एक लिस्ट मांगी कि आपने अपने सात-आठ महीने के राज में कितने सरपंचों के खिलाफ कार्यवाही की, इसी से डर गये, इसका मतलब हुआ कि भ्रष्टाचार को इनके डर से आप भी अनदेखा कर देंगे, माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, पिछली बार मैंने एक

(श्री जगमाल सिंह यादव)

सवाल लगाया था आठ-दस सरपंचों के खिलाफ, उसकी जांच पहले से चल रही थी, जांच आ गयी, आपने क्या कार्यवाही की, केवल इसलिए कि प्रधान मंत्री ने आपसे लिस्ट मांग ली और यह राजस्थान की सरकार डर गयी, इसलिए कहता हूं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम आप मजबूती से करें जिस मजबूती से आपकी सोच है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने हमको पाबंद कर दिया कि एम.एल.ए. कोटे का जो पैसा होगा वह पंचायत राज ही खर्च करेगा। क्यों करेगा? अगर हमको सड़क बनवानी है और आपके पास कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है तो हम आपके सरपंच और सैक्रेटरी से सड़क बनवा लेंगे। तारकोल की सड़क बनवा लेंगे, मिट्टी की सड़क बनवा लेंगे। आपने यह कहा था पंचायत रात में यह आदेश तुरन्त प्रभाव से जारी करें कि जो विधायक चाहता है वह पी.डब्ल्यू.डी. से कराये कृषि विपणन बोर्ड से कराये जहां टेक्निकल स्टाफ उपलब्ध है। आपने अगर सड़क बनायी, ग्रेवल सड़क बना दी, आपने देख लिया, आप जांच करवा लीजिये इनके जमाने में जितनी ग्रेवल सड़क बनी है, आप तो एक ही मुद्दे पर भ्रष्टाचार की जांच करवा लो कि पंचायत राज में जितनी ग्रेवल रोड बनी है उसमें मेरे ख्याल से जहां जहां मैंने देखा है, चार आने पैसा नहीं लगा, ज्यादातर बारह आना सरपंचों के पेट में गया और यह पालिटिकल हुआ। मैं कम से कम अपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप विधायक कोटे का जो पैसा है, विधायक की इच्छा पर छोड़ दें कि किस सरकारी एजेन्सी से, विधायक चाहे तो पी.डब्ल्यू.डी. से कराये और चाहे कृषि उपज मण्डी से करायें।

एक माननीय सदस्य : प्राइवेट भी करवा सकते हैं।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, प्राइवेट नहीं। जब गवर्नमेंट के पास स्टाफ है टेक्निकल, ब्रिज कार्पोरेशन है, पी.डब्ल्यू.डी. है, कृषि विपणन बोर्ड में टेक्निकल स्टाफ बैठा है तो पंचायत और सरपंचों को हम पैसा क्यों दें जिनको टेक्निकली कोई ज्ञान नहीं है। तीसरी बात मैं...

श्री रामसिंह विश्नोई : सारे सरपंच करप्ट नहीं होते हैं। आपको यह गलतफहमी है। सारे सरपंच करप्ट नहीं हैं, आपको यह गलतफहमी नहीं होनी चाहिए।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं अपने आपको सुधार लेता हूं, मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी। अगर मेरी जुबान से निकल गया, स्लिप हो गया तो मैं अपने आपको करक्ट कर लेता हूं।

श्री रामसिंह विश्नोई : इसलिए कोई कमिटमेंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ विश्वास करना पड़ेगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने, विश्नोई साहब, यह बात स्वीकार की। मेरी मंशा ऐसी कोई बात कहने की नहीं थी। मेरी जुबान से स्लिप हो गया। तो मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, करेक्ट करता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुआ) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची समाप्त होने तक यानि छह विधेयक पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन का समय कार्य सूची समाप्त होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन की अनुमति से कार्य सूची समाप्त होने तक समय बढ़ाया गया।

विधेयक का पारण

श्री जगमाल सिंह यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में बजट सत्र में मैंने एक बात रखी थी। अशोक जी, आपके एम.एल.ए. नये है, आप जो जिला प्रमुख को अधिकार देने जा रहे हो, ना तो आपने कुछ अधिकार दिया है, लेकिन डी.आर.डी.ए. के चेयरमैन का पद जो आपने जिला प्रमुख को दिया है, अगर जल्दी करा लिया तो ठीक है नहीं तो आपके एम.एल.ए. ही बगावत कर देंगे। आज स्थिति वही आ रही है, मिला भी नहीं जिला प्रमुख को कुछ बेचारे को ख्वार कर दिया ओर हालत यह है कि ब्यूरोक्रेट्स इतने स्वाभिमानी और अहंकारी हैं कि अगर आप जिला प्रमुख से अपने काम की सिफारिश करने चले गये और डी.आर.डी.ए. के कलेक्टर को, जो एक्जीक्यूटीव डायरेक्टर का रूप उसको दे दिया, अगर पता लगा कि फलां एम.एल.ए. उसके काम कराने गया है तो काम रूक और जाएगा। यह तो सचिवालय में देख लीजिये आप। इसलिए मैंने कहा था, आपने कोई यह मजबूत काम नहीं किया। मेरी राय यह है कि जिला प्रमुख जो आपका चुना हुआ प्रतिनिधि है, राजस्थान में और भविष्य में पंचायत चुनाव हुए तो मैं उम्मीद करूं कि ज्यादातर आपके जिला प्रमुख आयेंगे, उनको ख्वार करने का काम मत करो। जो अमेंडमेंट आपने किया है, कलेक्टर के माथे काली हांडी फूटने दो, उन जिला प्रमुखों को काहे को ख्वार कराते हो, उनके पास है नहीं कुछ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैं दूसरा सवाल आपसे पंचायत राज मंत्रीजी, यह पूछना चाहता हूं कि आपने डी-लिमिटेशन की घोषणा की, डी-लिमिटेशन के प्रस्ताव मांग लिये, तहसीलदारों ने कलेक्टर को भेज दिये और कलेक्टर ने शायद आपके राजस्थान के पंचायत राज विभाग को भेज दिये, अगर आप चुनाव कराने जा रहे हो तो इसके मामले में भी आप दो बात रखें, सदन को विश्वास में लें कि इस डी-लिमिटेशन का क्या करने जा रहे हो। या तो आप घोषणा करें कि डी-लिमिटेशन हो ही नहीं रहा, जो इन्होंने किया था 1992-93 में वह फाइनल है या फिर आप यह चुनाव समय पर नहीं करा पाओगे। मेरी ऐसी राय है यह भी हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, एक ही मिनट में समाप्त करता हूं।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

पंचायत राज मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में ऐसे केसेज बहुत से हुए हैं कि राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में आपने ट्रेनिंग तो दिलवा दी किसी को और नियुक्ति देने का काम आया तो बहुत सी पंचायत लेबल पर सरपंचों ने, सैक्रेटरीज ने पैसे लेकर नियुक्ति दिला दी दूसरे को जो ट्रेण्ड नहीं है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे मामले राजस्थान में कितने हुए हैं कि ट्रेनिंग तो पंचायत के प्रस्ताव से दिलवा दी आपने किसी को और आज इन स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में, प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापन कार्य कर रहे हैं दूसरे लोग..(व्यवधान) तो इस परतो आप विचार कर लीजिए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया कि मैं जहाजपुर से आने वाले, भिनाय से आने वाले, टोडाभीम से आने वाले, तिजारा से आने वाले माननीय सदस्यों ने जो विचार अभिव्यक्त किये हैं उनके विचारों को जब भी हम एप्रोप्रियेट अमेंटमेंट लायेंगे उसमें ध्यान रखेंगे। आज का अमेंडमेंट तो लिमिटेड अमेंडमेंट है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह प्रस्ताव जो हम लाये हैं, उसको पारित किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 1999 को पारित किया गया।

राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) विधेयक, 1999 श्री सी.पी.जोशी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) विधेयक, 1999

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) विधेयक (1999 का विधेयक संख्या-19) को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्षजी, इस विधेयक के सम्बन्ध में मैंने अपना अमेंडमेंट का नोटिस दिया है। मैं यह अपना अमेंडमेंट पेश करूं उससे पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। यह जरूरी नहीं है कि सभी अमेंडमेंट जो पेश किये जाएं वह स्वीकार हों। अमेंडमेंट के माध्यम से माननीय सदस्य अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं उनमें बहुत-सी बातें ऐसी हो सकती हैं जिनका सरकार नोटिस ले और आगे समय पर कभी भी उनका समावेश करने की चेष्टा करें। जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जो सुझाव आये हैं, आगे के समय में उन पर

(श्री शिवनाथ सिंह)

गौर करेंगे। मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सत्ताधारी पार्टी का सदस्य होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार के सामने अपनी बात रखें लेकिन जो अमेंडमेंट हम पेश करें उनको वापस लें, वोट के लिए नहीं रखें, यह संसदीय परम्परा हमेशा से रहती आई है और आसन से हम यह अपेक्षा करते हैं कि जो माननीय सदस्य चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे विपक्ष के हों, अपने संशोधन प्रस्ताव वापस लेना चाहें, उनको वापस लेने का अवसर दिया जाए। मैं इसको रिकार्ड पर इसलिए लाना चाहता हूं, पिछला विधेयक जो पास किया है, मैंने बार-बार यहां से चाहा कि आसन मेरी तरफ देखे, मेरी बात सुने और मुझे अपना संशोधन वापस लेने की इजाजत मिल जाए, वह मुझे मिली नहीं और रिकार्ड पर यह गया कि मैंने अपना संशोधन पेश किया और वह वोट डाउन हो गया। मुझे पीड़ा इस बात की है, उपाध्यक्षजी। इसलिए आसन से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार का व्यवहार आगे हमारे साथ में नहीं हो।

उपाध्यक्षजी, मैं अपना संशोधन इस बिल के सम्बन्ध में पेश कर रहा हूं। जनमत जानने के लिए इसको परिचालित किया जाए, यह मेरा संशोधन है। यह मैं इसलिए पेश कर रहा हूं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है, ट्राइब्स एरिया जो हमारे प्रान्त में है उसकी विशेष परिस्थितियां हैं, विशेष समस्याएं हैं। विकास के काम उन क्षेत्रों में विशेष रूप से होने चाहिए। उनके रीति-रिवाज हैं, सामाजिक परम्पराएं हैं उनको कायम रखा जाए इस उद्देश्य से यह बिल लाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इस बिल में इस प्रकार के कई प्रावधान हैं, मैं बहुत संक्षेप में 2-3 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, इस प्रकार के कई प्रावधान बतायेंगे कि किन कारणों से यह प्रावधान रखे गये हैं। उन्हीं पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्षजी, इस बिल में एक प्रावधान यह रखा गया है कि शिड्यूल्ड एरिया घोषित होगा, नगरपालिका क्षेत्रों को उससे अलग रखा जाएगा। एस.टी. एरिया है उसमें नगरपालिका क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में, पंचायत क्षेत्र में भी लोग बसते हैं उनकी समस्याएं भी एक हैं इसलिए इस नगरपालिका क्षेत्र को किस उद्देश्य से इन प्रावधानों से अलग रखा गया हैं यह मेरी समझ में नहीं आया। इसी तरह से कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं, जो आज भी मौजूद हैं, उनके सम्बन्ध में यहां बिल में प्रावधान करना मैं आवश्यक नहीं समझता। आपने प्रावधान इस बिल के माध्यम से किया है कि उस क्षेत्र की जो ग्राम सभा होगी, पंचायत होगी ग्राम सभा अपने प्रस्ताव देगी, पंचायत के माध्यम से वह आगे चलेंगे। आज भी हमारे पंचायती राज एक्ट में यह प्रावधान है कि ग्राम के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए सभी प्रस्ताव ग्राम सभा के माध्यम से ही देते हैं। आज यह प्रावधान हमारे एक्ट में मौजूद है इसलिए इसमें अलग से प्रावधान रखने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं।

(श्री शिवनाथ सिंह)

इसी प्रकार से, माननीय उपाध्यक्षजी, कुछ कन्ट्रोवर्शल बातें इसमें रखी गई है। उस क्षेत्र में विकास के लिए यदि कोई कार्य हो, योजना हो, ग्राम सभा से उसकी राय ली जाएगी। राय तो ली जाएगी, राय के बाद में सरकार यदि उस कार्य को करना चाहती है, ग्राम सभा की राय उसमें नहीं आती है, दोनों में विरोधाभास होता है उस वक्त निर्णय क्या होगा? सरकार की जो मंशा है, सरकार जो काम वहां करना चाहती है ग्राम सभा उसको उचित नहीं

(16.55 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

मानती है। तो यदि सरकार यह चाहे कि वास्तव में इस ट्राइब्स एरिया के लोगों की मंशा की कद्र की जाए तो स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। ग्राम सभा की मंशा प्रिवेल करेगी, यह इसमें नहीं हे। माइनर मिनरल्स का, और कामों का भी इसमें प्रावधान है। सब जगह आपने लिख तो यह दिया कि ग्राम सभा की कन्सेन्ट से, ग्राम सभा की राय लेकर के काम किया जाएगा लेकिन उसमें भी रूल्स बनाने के पावर्स आपने लिये है, किन कंडीशन्स में, किस प्रकार से सरकार अपनी नीति को, अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित कर सकती है वह अपने रूल्स में प्रोवाइड करेंगे। रूल्स में प्रोवाइड करेंगे तो उस एक्ट के प्रावधान का क्या मकसद रहेगा? इसलिए ये ऐसी बातें हैं जिन पर, माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय सदन को विश्वास में लें, विश्वास दिलायें, अपनी बात स्पष्ट करें। जहां कन्ट्रोवर्सी होगी, एक दूसरे के खिलाफ निर्णय होंगे, उन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार के पास क्या मंशा है उसको रखें।

इसी तरह से, सभापतिजी, एक प्रावधान बड़ा अजीब रखा गया है। ट्राइब्स एरिया के अन्दर शराब बिक्री नहीं हो, ग्राम सभा इसका प्रावधान करेगी, इन्तजाम करेगी, रोकेगी। यह तो एक अजीब सी स्थिति लाकर पैदा कर देगी। सरकार के पास एक्साइज डिपार्टमेंट है, जरूरी नहीं है कि इस-इस जगह शराब की बिक्री के लिए खोलें, इस-इस जगह शराब के ठेके खोले। सरकार स्पष्टत: यदि उन क्षेत्रों को शराब की बीमारी से बचाना चाहती है तो उनको एक्सक्लूड कर सकती है कि उन एरिया में शराब के ठेके नहीं दिये जाएंगे, शराब की बिक्री की इजाजत नहीं दी जाएंगी। ग्राम सभा बेचारी को कहां लाकर आपने बीच में डाल दिया। आप तो ठेका दे दोगे, वहां नीलामी हो जाएगी दुकानों की और ग्राम सभा से आप कहेंगे, आप इसका नियन्त्रण करो। क्या दुविधाजनक स्थिति में आपने उनको लाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह से और भी जो उनका पारम्परागत रहन-सहन, आचार-विचार, उनके झगड़े, आपसी विवाद सलटाने का पारम्परिक तरीका है इसके सम्बन्ध में आप प्रावधान कर रहे हो? सभापतिजी, हम सब जानते हैं कि सामाजिक रीति-रिवाज हैं, कभी भी किसी भी सरकार ने किसी भी जमाने में कानून से इनको नियन्त्रित नहीं किया है और जहां-जहां कानून से इन बातों को

(श्री शिवनाथ सिंह)

नियंत्रित करने की चेष्टा की गई है वहीं विद्रोह हुआ, विग्रह हुआ है। वहां उनका जो कल्चर है, परम्परागत उनके आचार-विचार हैं, जिनको रखना चाहते हैं उनको कानून की परिधि से आप अलग रखें और उनके लिए छोड़ दो कि वह किस तरह से निपटना चाहते हैं। आपने प्रावधान कर दिया। आपस में झगड़े होंगे, वह ग्राम सभा सलटा देगी। ग्राम सभा नहीं सलटा पायेगी फिर क्या रिजल्ट आएगा। कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, माननीय सभापतिजी, मैं आपकी भी मंशा जनाता हूं, अधिक समय नहीं लेते हुए मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बिल है यह और ट्राइब एरिया को प्रोटक्शन मिले, वहां का विकास हो, वहां के लोगों का एक तरह का रहने का ढंग है वह कायम रहे, इस प्रकार का एक

(17.00 बजे)

प्रभाव डालने वाला यह बिल है, इसमें जितना हो सके अधिक संशोधन करने की चेष्टा की जाए और दुविधाजनक प्रावधान जो मैंने इंगित किये हैं उनके बारे में सरकार की स्पष्ट क्या धारणा है वह दी जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन प्रस्ताव पेश करता हूं और यह निवेदन करना चाहूंगा, मौका आए तो मुझे विदड्रा करने का अवसर दिया जाए।

श्री सभापति : माननीय रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, मैंने जो संशोधन प्रस्ताव जनमत जानने हेतु आपको दिया था, मैं इसको प्रेषित नहीं करना चाहता हूं, मुझे इसकी अनुमति दी जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद।श्री हरजीरामजी बुरड़क साहब—(अनुपस्थिति), श्री राजेन्द्रजी राठौड़ साहब।

कई माननीय सदस्य : साहब?

श्री सभापति : बोल दिया मैंने गलती से। आगे नहीं लगाऊंगा। आप ऐसा इंगित कर रहे हैं तो सही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्र की विषम परिस्थितियां, वहां की परम्पराएं, वहां के रीति-रिवाज अक्षुण्ण रहे, इस उद्देश्य को लेकर जो केन्द्र सरकार द्वारा पंचायत उपबंध अनुसूचित विस्तार अधिनियम, 1996 लाया गया था, इसको अडोप्ट करने का काम नहीं किया। सभापति महोदय, यह अध्यादेश के रूप में 26 जून से प्रदेश में लागू हो गया और आज सदन के सामने विचारार्थ आया है इसलिये मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। संविधान के आर्टिकल 244 में अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का प्रावधान है, कौन-कौनसे क्षेत्र में जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति के कितनी संख्या में लोग होने चाहिये, क्या वहां की स्थिति होनी चाहिये, उस पर शिड्यूल 5 के अन्दर उल्लेख किया गया है।

सभापति महोदय, इस विधेयक की धारा-3 ख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक ग्राम सभा जनता की परम्पराओं, रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पहचान, सामुदायिक स्रोत और विवाद को सुलझाने के लिये रूढ़िगत तरीकों को सुरक्षित और अक्षुण्ण रखने के लिये सक्षम होगी। इसका अर्थ यह है कि उस जनजाति क्षेत्र में जो भी फैसले होंगे, विवाद होंगे, वह वहां उनकी परम्पराएं, रूढ़ियों के अनुसार निपटाये जाएंगे। सभापति महोदय, आप तो परिचित हैं, क्योंकि आप उस क्षेत्र के नजदीक रहते हैं, वहां मृत्यु भोज की रूढ़ि है, वहां नुक्ता और नाता की रूढ़ि भी है, वहां बाल विवाह भी है और वहां कई बार गांव के अन्दर छोटे-मोटे किसी भी कारण से बैठकर जाति से बाहर करने की रूढ़ियां भी हैं। मैं समझता हूं कि हम इस अधिनियम को लाकर, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने का संकल्प हम लोगों को करना चाहिये, उनको मुख्य धारा से दूर करने का काम हम कर रहे हैं।

इसके अलावा धारा-3 च के अन्दर मंत्री महोदय एक संशोधन लेकर आये हैं, या अडाप्ट कर रहे हैं कि राज्य सरकार ऐसे अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का नाम निर्देशित कर सकेगी जिनका किसी पंचायत समिति में, जिला परिषद् में कोई प्रतिनिधि हो। मैं समझता हूं कि उचित यह रहता कि जिस तरह से नगरपालिकाओं में हम को-ओप्ट करते हैं, जिला परिषद् और उस पंचायत समिति को आप अधिकृत कर दें कि अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति अगर उसमें सदस्य नहीं है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह आप्शन के द्वारा उनको ले लें। अब सरकार नाम निर्देशित करेगी, मैं समझता हूं कि यह प्रावधान अगर इसमें नहीं रहे तो ज्यादा अच्छी चीज है।

इसके अलावा निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई भी परियोजना, किसी भी तरह का कार्यक्रम अगर सरकार लागू करती है जनजाति क्षेत्र में तो उसका अनुमोदन भी वहां ग्राम सभाओं से करना पड़ेगा। किसी भी परियोजना, मान लो, कोई सिंचाई परियोजना आयी और उसमें भूमि का अधिग्रहण करने की बात है या भूमि का मुआवजा देने की बात है, इसका अनुमोदन ग्राम सभा में हो। सभापति महोदय, आप गांव के रहने वाले हैं, आप जानते हैं कि आज ग्राम सभाओं का स्वरूप क्या है। हम यहां बैठकर किसी तरह की बात कर लें परन्तु पंचायत राज के वह पंच परमेश्वर होंगे और वह इन सारी चीजों को देखते हुए अच्छे मन से इस पंचायत राज को चलायेंगे, ऐसी परिकल्पना बातों की रह गयी। इसलिये मैं समझता हूं कि प्रेक्टिकल रूप से इसको हम अमलीजामा नहीं पहना पायेंगे।

इसी विधेयक की धारा-3 घ के अन्दर यह लिखा है कि वहां खनिज़ अगर किसी व्यक्ति को करना है, कोई ख़निज के सम्बन्ध में अनुमति या खनन पट्टा मंजूर तभी किया जाएगा जब ग्राम सभा इसकी स्वीकृति देगी। अब इस पूरे जनजाति क्षेत्र में बड़ी संख्या में खनन का कार्य आज हो रहा है और खनन का कार्य उस जनजाति

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

क्षेत्र के निवासी भी कर रहे हैं और बाहर के लोग भी कर रहे हैं, मेजर माइंस के और मिनरल माइंस के, परन्तु इसका फैसला ग्राम सभा करे, अनुज्ञा-पत्र देने का काम भी ग्राम सभा करे, यह प्रायोगिक रूप से, मैं समझता हूं, संभव नहीं होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि निश्चित तौर से इसको अडाप्ट करना तो हमारी संवैधानिक मजबूरी है, हमारा दायित्व है परन्तु इसको अडाप्ट करने से पहले हमें इसके प्रावधानों पर विचार करना चाहिये।

इसके खण्ड-3 क सब क्लॉज 5 में लिखा है कि अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को उधार पर धन देने पर नियंत्रण करने की शक्ति होगी। अब गांव के अन्दर किस व्यक्ति से कौन कितना उधार ले, उस धन लेने के ऊपर भी नियंत्रण होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इस विधेयक को पारित करने से पहले इसमें जो प्रावधान हैं उन प्रावधानों पर गंभीरता से विचार-विमर्श होना आवश्यक है। इसमें कोई शक नहीं कि जनजाति क्षेत्र की विशिष्ट परिस्थितयां हैं, वहां की परम्पराएं हैं, वहां की रूढ़ियां हैं, वहां कि रीति-रिवाज हैं, इस पूरे मामले के अन्दर हमें इसमें कोई विरोध में नहीं हैं परन्तु फिर भी क्या हम आज इस विधेयक को पारित करने के पश्चात् क्या इसको लागू कर पायेंगे, इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिये, मात्र कागजों में, मंत्री महोदय, खोकर नहीं रह जाएं, इसको जिस मंशा से आप लागू करना चाहते हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : धन्यवाद।श्री रामनारायण विश्नोई। (अनुपस्थित) श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): सभापति महोदय, यह हमारे लिये एक तरह से पाबन्दी है कि केन्द्र ने तो 96 में ही इसको पास कर दिया, इसको हमें अपने क्षेत्र में लागू करना है और वह लागू करना ही है। लेकिन यह बहुत ही ऐसा कानून बनेगा जो सिर्फ ट्राइबल क्षेत्र में कई प्रकार की नयी बातों को पैदा करेगा और इसलिये इसके हर पहलू पर बहुत गहराई से विचार करना है। मैं सोचता हूं कि हमारी जो जनजाति सलाहकार समिति है स्टेट की जिसमें सभी प्रकार के लोग रहते हैं, कितना अच्छा होता कि यहां लेने के पूर्व उस कमेटी में इस पर एक विस्तृत चर्चा होती और उन सब लोगों का सहायोग ले करके इसके सारे जो प्रोविजो हम डालना चाहते हैं, उन पर एक-एक के बारे में अगर हम विश्लेषण करते तो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण इस चीज को बना सकते। लेकिन न तो हमने सलाहकार समिति का गठन किया, न उन लोगों के विचार उसमें जानने की कोशिश की। आप और मैं यहां बैठ करके उस क्षेत्र की पेचीदगी को नहीं जान सकते। उस क्षेत्र में रहने वाला जो ट्राइब्स हैं, या जो हमारे वहां से आने वाले प्रतिनिधि हैं, वह ही वहां की वस्तुस्थिति को ज्यादा अच्छी प्रकार से जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस सारे को

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बनाने में इसकी कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं की और न वह सलाहकार समिति का गठन हुआ, न उसके सामने इन सब बातों पर विस्तृत चर्चा हुई, जो एक आवश्यक था। मैं सोचता हूं कि इसके बारे में विचार जरूर करना चाहिये ताकि हम इसको और पुख्ता और अच्छा बना सकें।

फिर इसमें जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा की जो अहमियत है वह सबसे बड़ी है। अब इस ग्राम सभा में इतने महत्वपूर्ण कामों को उस क्षेत्र का नागरिक कर सकेगा, कि नहीं कर सकेगा, उसकी इतनी क्षमता है कि नहीं, उसको इसके बारे में सुझाव देने के लिए, उस गांव की क्या स्थिति है, इसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है। हमने अधिकार तो बहुत दे दिये लेकिन अधिकार का उपयोग करने वाला व्यक्ति उस अधिकार को ठीक प्रकार से नीचे तक पहुंचा सकेगा, उसका जनता को ठीक प्रकार से लाभ होगा कि नहीं होगा, इस विषय में भी सोचना आवश्यक है। इसमें शिड्यूल्ड एरिया में लगभग सारे पावर्स हमने यहां की पंचायत को और पंचायत में भी ग्राम सभा को दे दिये हैं। उसके बारे में हमें जरूर विस्तृत विचार करना चाहिये कि हम इसको ठीक प्रकार से उनसे लागू करा सकें।

एक समस्या जो उस क्षेत्र में आयेगी वह यह है कि शिड्यूल्ड एरिया में ऐसे भी गांव हैं जहां 80 परसेंट ट्राइब्स नहीं हैं, लेकिन वह एरिया शिड्यूल्ड एरिया में आता है, अब वहां की जनता, या वहां के लोगों के बारे में हमने जो इसमें प्रोविजो डाला है कि उसमें चेयर पर्सन जो होगा वह ट्राइब ही होगा। कोई हर्जा नहीं, उसमें हमने यह डाला कि काम से कम वहां जितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे उसके 50 परसेंट प्रतिनिधि वह भी चुने जाएंगे। अब एक और उस ट्राइबल क्षेत्र में जो नान ट्राइब रहता है यह कहीं 55 परसेंट है, कहीं 65 परसेंट है, जहां 55 से 65 परसेन्ट है वहां तो ठीक है लेकिन जैसे आपने नगरपालिका को इस सीमा से बाहर निकाला, मैं सोचता हूं कि इस बारे में भी हमको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए कि जहां 80 परसेन्ट पापुलेशन ट्राइब्स की नहीं है यद्यपि वह शिड्यूल्ड एरिया के अंतर्गत तो आता है उस गांव के लिए हमको किस प्रकार का विचार करना है। अगर यह विचार हमने नहीं किया तो निश्चित रूप से वहां के जो वासी हैं उनके मन में एक असंतोष पैदा होगा। उनको लगेगा कि इस तरह से हमको तो यहां रहने का भी हक नहीं है, हमको तो यहां जीने का भी हक नहीं है। यह असंतोष नहीं आये इसको कम से कम कैसे किया जा सकता है और इसको किस ढंग से करें कि इसमें जो हमारा मंतव्य है वह भी निकल जाए और इसमें उन लोगों के साथ भी हम इस प्रकार से करें, मैं सोचता हूं कि बहुत कुछ विषय हैं। जैसे माइन्स एरिया है, माइन्स के बारे में कौन तो यह तय करेगा कि यहां क्या चीज है, क्या चीज नहीं है। क्या ग्राम सभा का इतना आई.क्यू. या इतना टेक्निकल नॉलेज होगा कि जो इस बारे में तय कर सके कि इसमें किसे दिया

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जाए या नहीं दिया जाए। बहुत लिटिगेशन होंगे वहां पर आपस में। मतलब कुछ विषय ऐसे हैं, मैं सोचता हूं कि जो विकास की दृष्टि से आवश्यक चीजें हैं उनके अधिकार उनके पास में रहें तो समझ में आ सकता है लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे सारा क्षेत्र और सारा राजस्थान प्रभावित होता है। विशेषकर हमारा जो ट्राइब्स का क्षेत्र है, मैं सोचता हूं कि अधिकांश खनिज का जो क्षेत्र है वह सारा का सारा ट्राइब्ल एरिया में है, उन्हीं पहाड़ियों में है और उसके लिये एक चीज को स्वीकृत कराने के लिए अगर कोई खुशामद, किसी से अर्ज करनी पड़ेगी तो जो ज्यादा खुशामद करेगा वह तो उसका हक पा लेगा लेकिन जिस नियम के आधार पर, जिस विकास के आधार पर हम उस क्षेत्र को खनिज की दृष्टि से डवलप करना चाहते हैं उस दृष्टि में टेक्निकल ना-हाऊ, वह जानता है कि नहीं जानता है, क्योंकि उसने ग्राम सभा में कांटेक्ट किया और अपना काम करा लिया, यदि उसके कारण से होगा, उस क्षेत्र में यह समस्या आने वाली है।

इसी प्रकार से हर छोटी-छोटी बात को हमने उसमें दिया है। मैं सोचता हूं कि जो केन्द्र की मंशा है उसको हमें ध्यान में रखना है। इस कानून में जो शायद डिले इतना हुआ है उसके पीछे कारण यही है, कुछ क्षेत्र तो हिन्दुस्तान में ऐसे हैं जहां कि 90 परसेन्ट ट्राइब्स हैं, वह 90 परसेन्ट ट्राइब्स जहां हैं उनको ध्यान में रखकर हमने यह सारी बातें बनायी लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो उस शिड्यूल्ड एरिया में तो जरूर आ गये लेकिन वहां की पापुलेशन 45 परसेन्ट भी ट्राइब्स की नहीं है, उन क्षेत्रों को इसके साथ किस तरह से रखा जाए इस बारे में जरूर सोचा जाए। इसलिए इस विषय का गहनतम चिंतन करने की दृष्टि से, इस विषय के एक्सपर्ट लोगों को और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बिठाकर के इसके बारे में चर्चा करने की दृष्टि से मैंने इसे जनमत जानने के लिये भेजने हेतु अपनी मंशा रखी है।

श्री सभापति : माननीय श्री विजयेन्द्र पाल सिंह—(अनुपस्थित), श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का यहां निवेदन कर रहा हूं क्योंकि इस विधेयक में संशोधन करने से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जैसा मेरे पूर्व माननीय सदस्य ने निवेदन किया है कि वहां खनिज की परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए, यह भी वहां ग्राम सभा तय करेगी और उनके रीति-रिवाज जो पुराने चले आ रहे हैं, चाहे वह रूढ़िवादी हों, जिनको कई बार वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक तरीकों से गलत साबित कर दिया है, यदि उनको भी करने की छूट देंगे तो मैं समझता हूं कि कई विवाद ऐसे पैदा हो जाएंगे जो हम सब मिलकर भी नहीं सुलझा सकेंगे।

कई बार आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं तो ऐसी परम्पराओं का उल्लेख होता है कि

(श्री मदन दिलावर)

बलि भी दी जाती है, चाहे फिर बकरे की बलि दी जाती हो, चाहे आदमी की बलि दी जाती हो। पुरानी परम्पराओं की जो बातें कर रहे हैं, मैं अनादिकाल की बात कर रहा हूं, जब परम्पराओं की बात आ रही हो तो यह नहीं होगा पर ऐसा हो सकता है। ऐसी कई रूढ़ियां हैं, जैसे बाल विवाह करना। क्या हम परम्परा के नाम पर या उनकी परम्परा को सुरक्षित रखने के नाम पर बाल विवाह की छूट दे सकते हैं? नाता प्रथा है, इस नाता प्रथा में जीवित व्यक्ति की पत्नी को दूसरा लेकर के भाग जाता है, यह भी एक परम्परा है, क्या हम इस परम्परा को छूट दे देंगे? यदि हमने इसका कानूनी अधिकार दे दिया तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आदिवासी क्षेत्रों में कई विवाद पैदा हो जायेंगे और जो ताकतवर होगा वह उसका उपयोग करेगा। किसी की पत्नी को कोई लेकर भाग जाएगा। क्या हमें इन परम्पराओं को इस आधार पर छूट देनी चाहिए।

सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर बहुत गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। वैसे तो केन्द्र सरकार ने इसको हमें भेजा है कि हम इसको लागू करें, यह हमारी मजबूरी समझें या कुछ भी समझें, फिर भी इस पर जितना हमारा अधिकार क्षेत्र है उसके आधार पर हम पुनर्विचार कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि हम इसे एक माह के लिए जनमत जानने के लिए भेजें तो ठीक रहेगा।

श्री सभापति : डा. किरोड़ी लालजी—(अनुपस्थित) माननीय श्री भंवरलालजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सभापति महोदय, मैंने इसमें कुछ संशोधन दिये हैं, जब संशोधन का नम्बर आएगा तो मैं अपनी बात कह दूंगा।

श्री शिवनाथ सिंह : आप ट्राइब्स एरिया के नहीं हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप काहे के हो फिर? हम आपके साथ हैं। अब वह ट्राइब्स हैं या क्या हैं, छोड़िये इस बात को लेकिन इस बार तो बहुत धन्यवाद आपका। सभापति महोदय, मेरा जब अमेंडमेंट आएगा तब बोल लूंगा इसलिए अभी मैं नहीं बोलूंगा। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सांवर लाल जी—(अनुपस्थित), माननीय मंत्री जी बोलेंगे। खेतसिंहजी साहब तो खूब बोले हुए हैं..(व्यवधान) अब इनको विश्राम करने दीजिये। खूब बोले हुए हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : सभापति महोदय, उनके भी विचार आने चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : राठौड़ साहब, जो जनजाति क्षेत्रों में होता है उसी तरह की रूढ़ियां और परम्पराएं शेरगढ़ में आपने कायम कर रखी हैं। (व्यवधान) आप आज भी लोगों के कोड़े लगाते हो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : हम जवाब देंगे आपकी बात का। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शेरगढ़ में इन रूढ़ियों के हिसाब से आप आज भी विवाद निपटाते हो, बेगार आप लेते हो।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, माननीय मंत्रीजी।

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : सभापति महोदय, मुझे प्रसंन्ता होती अगर इस बिल पर ज्यादा चर्चा होती क्योंकि इस बिल का संबंध आदिवासी इलाके से है। 1996 में भारत सरकार ने अमेंडमेंट कर दिया और 1996 के बाद यह प्रोविजन किया गया है कि एक साल के अंदर इसमें नियम और कानून में परिवर्तन हमने यदि नहीं किये, जो-जो इसमें प्रोविजन रखे हैं इस आधार पर, तो भारत सरकार ने जो अमेंडमेंट किया 1996 में वह एज इट लागू हो जाएगा।

अच्छा होता जो सरकार उस समय 1996 में थी वह न बातों पर चिंतन करती, मनन करती और इन सब चीजों के बारे में सोचती जिनके बारे में आगे जाकर उसके रीपरकशन होने के बारे में आज हम एप्रिहेंशन कर रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद हमने सबसे पहले ट्राइबल एरिया डवलपमेंट, जो हमारा उदयपुर में इंस्टीट्यूट है वहां पर सेमीनार की और आदिवासी इलाकों के सरपंच, प्रधान और एम.एल.एज. को हमने बुलवाया। उसमें लोगों ने भाग लिया और उस इलाके में जो हमारे विश्वविद्यालय के दूसरे प्राध्यापक हैं, एन.जी.ओ. हैं, उन सबको बुलाकर हमने डिस्कशन किया। उसके बाद मैं व्यक्तिगत तौर पर हमारे विरोधी दल के नेता और राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत के निवास पर गया और मैंने कहा कि आपका लम्बा अनुभव है और यह अमेंडमेंट ऐसा है कि जिसका संबंध आने वाले समय से है इसलिए हम राजस्थान में एक नेशनल लेवल की सेमीनार करना चाहते हैं जिसमें आप पधारें और आप चीफ गेस्ट रहें। इस बात की मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि उन्होंने हामी भरी, स्वीकृति दी कि मैं इसमें आऊंगा। हमने जो हिन्दुस्तान के सबसे बड़े आदमी पंचायती राज से जुड़े हुए हैं, चाहे वह मणिशंकरजी अय्यर हों, चाहे दिलीप सिंहजी भूरिया हों, चाहे सोशल साइन्स इंस्टीटयूट में काम करने वाले मैथ्यू हों, चाहे उड़ीसा और अलग-अलग जगह के पार्टिसिपेन्ट्स हों उन सबकी सेमीनार जयपुर में की और यह मेरा दुर्भाग्य है कि जिस सेमीनार में भैरोंसिंहजी शेखावत जैसे व्यक्ति को हमने आमंत्रित किया और चीफ गेस्ट बनाया, जिनके अनुभवों का लाभ लेकर हम यह सब चीजें करना चाहते थे, परिस्थितियां क्या हुईं मैं नहीं जानता लेकिन वह उसमें नहीं आ पाये।

मैं खुद भी इस बात का हामी हूं कि भारत के संविधान में संशोधन करने के बाद हम जो विधायक हैं उनकी भूमिका लिमिटेड है। विद इन दैट कान्स्ट्रेन्ट, जो संविधान में उन्होंने प्रोविजन कर दिये हैं उसके अंतर्गत ही हमें अपने स्टेट के नियम और कानून बदलने की आवश्यकता है। इसमें यह प्रोविजन है एक साल का 1997 में अमेंडमेंट होना चाहिए, वह हमने किया नहीं। उस अमेंडमेंट में, हमारे तत्कालीन पंचायती राज मंत्रीजी को भारत सरकार ने कमेटी का मैम्बर बनाया, हम यह अपेक्षा

(श्री सी. पी. जोशी)

कर रहे थे कि पंचायती राज के हमारे तत्कालीन सरकार के मंत्री, राजस्थान के हितों को भारत सरकार के सामने रखेंगे और उसके आधार पर सब परिवर्तन होंगे। लेकिन वह सब चीजें बदल गई और आज यह निभाने की जिम्मेदारी, हमें कहते हुए गर्व है, हम इस बात के लिए कमिटेड हैं कि आदिवासी इलाकों में, जिस तरीके से संविधान में परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन करने का सौभाग्य हमें मिला है और हमारे नौजवान मुख्य मंत्री को मिला है। इसलिए हमने अर्लियेस्ट इन सारी चीजों पर चिंतन और मनन करने के बाद यह अमेंडमेंट आज प्रपोज किया है और जो एप्रिहेंशन हमारे विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों ने किया है, रूढ़ि, ट्रेडिशन, नाता प्रथा, मैं समझता हूं कि एक्ट को पढ़ा ही नहीं उन्होंने। इसमें यह लिखा है, "Notwithstanding anything contained under part IX of the Constitution, the Legislature of the State shall not make any law; "Shall not make any law. जो लॉ बन गए, उसके सम्बन्ध में नहीं कहा है, अब जो कानून बनाएंगे, उन कानूनों में यह-यह चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए एप्रिहेंशन, जैसा हम बातें कर रहे हैं, यह हमारी मंशा उस गरीब और आदिवासी के प्रति नहीं है इसलिए बातें कर रहे हैं। हमारी मंशा उस गरीब आदिवासी के प्रति है इसलिए हम यह कह रहे हैं कि इस कानून में प्रोविजो है, उस स्टेट गवर्नमेंट को जो नियम और कानून बदलने थे, उसका लाभ हमने उठाया। महाराष्ट्र में क्या परिवर्तन किया, उड़ीसा में क्या परिवर्तन किया, मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन किया? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चल रही थी, मध्य प्रदेश में सरकार हमारी चल रही है, उड़ीसा में हमारी सरकार चल रही है तो सारे स्टेट्स ने जो अमेंडमेंट कर दिया है, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन सब अमेंडमेंट के आधार पर राजस्थान के हित में क्या हो सकता है, इस सब को ध्यान में रखकर हम यह अमेंडमेंट इसके साथ में लाए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सेण्ट्रल एक्ट के जो प्रोविजो हैं, जो रिक्वायरमेंट हैं, उनको ध्यान में रखकर और राजस्थान स्टेट के हित को ध्यान में रखकर चाहे माइन्स के सम्बन्ध में हो, चाहे प्राहिविशन की पालिसी के संबंध में हो चाहे लैण्ड एक्वीजिशन के सम्बन्ध में हो, चाहे और किसी सम्बन्ध में हो, उन सब प्रोविजो को ध्यान में रखकर उन आदिवासी इलाकों के लोग अपने आप उस लेवल तक आ जाए कि वह स्वयं ग्राम सभा में बैठकर स्वायत्त यूनिट के नाम पर अपने निर्णय ले सकें, इसको ध्यान में रखकर हम यह प्रस्ताव लाए हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज जो इसके साथ जुड़ी हुई है, अभी तक हमने पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् की परिकल्पना की है, इस एक्ट के अंदर पहली बार चौथी परिकल्पना की है ग्राम सभा की। ग्राम सभा में भी हमने एक्ट 1994 का, जिसको रेफर कर रहे

(श्री सी. पी. जोशी)

हैं उसमें ग्राम पंचायत को ग्राम सभा कहा है, यहां पर विलेज को ग्राम सभा कहा है, यह एक अंतर किया है। अभी तक एक ग्राम पंचायत में पांच विलेज, छह विलेज होते हैं, उन छह विलेज की एक ग्राम सभा हम कर रहे थे 1994 के एक्ट के अंदर लेकिन इस 1996 के एक्ट के अंदर उस ग्राम पंचायत में यदि पांच विलेज हैं, छह विलेज हैं तो हर विलेज की ग्राम सभा इंडिपेंडेंट होगी, यह इसमें एक मोटा अंतर है। इस अंतर को समझने की आवश्यकता है। इसलिए राजस्थान सरकार की यह मंशा है, क्योंकि इसमें विलेज को डिफाइन कर रखा है—"A village shall ordinarily consist of habitations or a group of habitations or a hamlet or a group of hamlets comprising of community and managing its affairs in accordance with the traditions and customs," उस दक्षिणी राजस्थान के इलाके से मैं भी आता हूं और बड़ी सादड़ी के माननीय सदस्य भी आते हैं, हमें मालूम है कि वहां रेवेन्यू विलेज और हेमलेट, दोनों अलग-अलग स्थितियां हैं। लोग फले में रहते हैं, बागलों में रहते हैं और रेवेन्यू विलेज एक ही डिक्लेयर किया हुआ है। इसलिए राज्य सरकार ने यह अधिकार लिया है कि ट्राइबल इलाके के अंदर, जो पंचायत की वार्ड सभा है, वह वार्ड सभा विलेज को कोटरमेज करे। वह वहां पर ग्राम सभा कहलाएगी, यह मोटा अंतर है, जो हम कर रहे हैं, इसमें। इस बार भारत सरकार ने विलेज को ग्राम सभा कहा है, हम वहां पर कर रहे हैं कि जो वार्ड है पंचायत का, उस वार्ड में हेमलेट भी आता है, फलां भी आता है, हो सकता है कि एक विलेज में दो वार्ड भी आते हों, हरेक वार्ड की ग्राम सभा अलग-अलग होगी। जब हम ग्राम सभा की कल्पना करते हैं तो उसमें उसके पांच-पचास से लगाकर सौ घरों की बस्ती में एक वार्ड कम्प्लीट हो जाता है, उसको अधिकार देना चाहते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का, उसको अधिकार देना चाहते हैं प्लान की मानीटरिंग करने का। इसमें तीन-चार स्टेप अलग कर रखे हैं। ग्राम सभा का क्या अधिकार होगा? ग्राम सभा को अधिकार राज्य सरकार बिलकुल फर्मली मानती है, पंचायत में जो प्रस्ताव पास होते हैं, पंचायत को जो काम करना है, उसको जो सरपंच एक्जीक्यूट करते हैं, उनको एक्जीक्यूट करने में सरकार ने डाइरेक्शन दिए हैं कि एक वार्ड में जब तक एक काम पूरा न हो जाए, तब तक सरपंच एक वार्ड में चार-चार, पांच-पांच काम नहीं करवा सकेगा, यह डाइरेक्शन हमने दिए हैं, इसलिए उस वार्ड में जो काम हो रहा है, जिसको हम वार्ड सभा और ग्राम सभा कह रहे हैं, मानीटरिंग का काम ग्राम सभा को देंगे। ग्राम सभा उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देगी, उसके आधार पर हम कार्यवाही करवाएंगे, नियम-कानून में परिवर्तन कर रहे हैं। यदि एक वार्ड में 25 हजार रुपये की एक फेयर वेदर रोड बननी थी और उसके लिए 25 हजार रुपए स्वीकृत हुए और 25

(श्री सी. पी. जोशी)

हजार की जगह वहां काम नहीं हुआ तो बी.डी.ओ. को वहां के वार्ड के लोग एप्लीकेशन देंगे, एक महीने के अंदर बी.डी.ओ. उसकी ग्राम सभा, जो वार्ड सभा है, को बुलाएगा, वहां यदि ग्राम सभा में कह दिया गया कि यह काम नहीं हुआ तो वह सरपंच साहब उस ग्राम सभा के निर्णय के आधार पर सस्पैण्ड हो जाएंगे, ऐसे नियम और कानून में परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमने नियम और कानून बना रखे हैं, वह नियम और कानून यह बना रखे हैं पांच साल, दस साल, पन्द्रह साल बाद भी किसी का भ्रष्टाचार पकड़ में आया, हम उसकी कार्यवाही करें, सब पी.ई., भेजे, डी.ई. भेजें, और उसके बाद खाली अधिकार है, वह लिखा है कि उसको परिनिर्णय लेखबद्ध किया जाता है कि भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे। नये पंचायत एक्ट में वह सीट रिजर्व हो जाती हैं। तो यह सारे रूल और रेगूलेशन आउट डेटेड हो गए हैं, इसलिए हम ग्राम सभा को उस लेवल पर यह अधिकार देना चाहते हैं कि ग्राम सभा यदि कहती है कि सरपंच ने वहां पर 20 हजार का काम नहीं करवाया है तो कोई दूसरी सुनवाई नहीं है, सबसे पहले उसका सस्पेंशन हो जाएगा और उसके बाद उसको अधिकार देंगे कि वह कलक्टर के यहां अप्लाई करे और अप्लाई करने के बाद अपने आपको वापस ग्राम सभा के बीच में आकर के, ठीक स्थिति बनी है तो उस आदमी को हमारे राजस्थान सरकार के सचिवालय में जाकर चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी और इमीजिएटली समरी सोशल ऑडिट का कंसेप्ट है, उसको लागू करने का काम हम ग्राम सभा को देना चाहते हैं। इसलिए हम विलेज को डिफाइन करना चाहते हैं वार्ड सभा के रूप में। यह भी हमारी मंशा है कि जो माइनिंग का प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस देना है. . . (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (अटरू) : . . . तब भी सस्पैण्ड कर देंगे आप?

श्री सी. पी. जोशी : बिलकुल, वह जमाने गए। ग्राम सभा से बड़ा कौन होगा?

श्री मदन दिलावर : पैसा तो आप देंगे नहीं और सरपंच को सस्पैण्ड कर देंगे?

श्री सी. पी. जोशी : आप किस दुनिया में रह रहे हैं? मैंने कहा है कि 20 हजार की स्वीकृति मिल गई,... (व्यवधान) आप सुनेंगे ही नहीं और मन में आए जो बोलेंगे।

श्री मदन दिलावर : अभी तो एम.एल.ए. कोटे का पैसा ही नहीं दिया और एक-एक वार्ड में काम करवा रहे हैं, ऐसी असत्य बात क्यों कर रहे हैं? 10-10 काम एक-एक गांव में लिए गए हैं, प्रस्ताव मंगवा लिए हैं, दो-दो दफा मंगवा लिए हैं।

श्री सभापति : दिलावरजी, यह विषय ही दूसरा है। माननीय दिलावरजी, बिराजें।

श्री सी. पी. जोशी : आप सुन रहे हैं?

श्री मदन दिलावर : एम.एल.ए. कोटे का पैसा ही नहीं है, वहां भी पैसा नहीं है; ट्राइबल में भी पैसा नहीं दिया है।

श्री सभापति : सब्जेक्ट ही दूसरा चल रहा है।

श्री सी. पी. जोशी : अच्छा आज पैसा नहीं है, माननीय सदस्य, यह अटरू की कोई समस्या नहीं है, आप नहीं समझना चाहते। मैं यह कह रहा हूं कि जब पैसा उपलब्ध है। आज पैसा उपलब्ध नहीं है, क्या तर्क है? मैं कह रहा हूं कि जब पैसा उपलब्ध है, ग्राम सभा ने फैसला किया कि 25 हजार रुपए एक वार्ड में काम करवाने हैं, पंचायत के पास पैसा है, पैसा वार्ड पंच खर्च कर रहा है, उसके बाद यह काम करें, बोलो क्या तकलीफ है? अब आप उसको नहीं समझना चाहते हैं। इस चीज को उससे लिंक करना चाहते हैं।

इस आदिवासी इलाके में, मुझे कहते हुए तकलीफ है, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवदेन करना चाहता हूं कि इग्नोरेंस, जानकारी नहीं होने के कारण, आज जितना फंडिंग हम कर रहे हैं, पंचायती राज के माध्यम से कर रहे हैं, उसका सदुपयोग ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, चाहे व्यक्ति के लाभ की स्कीम हो, चाहे वह इन्दिरा आवास योजना हो, चाहे वह आई.आर. डी.पी. हो, चाहे कुएं खोदने की योजना हो। जिन व्यक्तियों को बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको बेनिफिट मिले, उस आदमी को सरकारी कर्मचारी के साथ कनाइवेंस करके, फैसला करना पड़ता है इसलिए हम ग्राम सभा में जब गांव का आदमी खड़ा होकर यह कहे कि अमुक आदमी ठीक नहीं, गलत चयन हुआ है, उसके आधार पर हम यह फैसला नहीं करेंगे तो प्रभावशाली ढग से हम उस पर अंकुश नहीं लगा सकेंगे। इसलिए खास तौर से कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट में ग्राम सभा का यह प्रोविजन किया है जो कि हमारे पंचायत राज एक्ट में नहीं था, उस ग्राम सभा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमने नियम और कानून बनाए हैं।

जहां तक माइनिंग लीज प्राहिविशिन की समस्या है, इसमें दूसरे जो प्रोविजो किए गए हैं, जैसे-जैसे पंचायत लेवल पर काम होंगे, पंचायतों को हम अधिकार देंगे। पंचायत समितियों के काम होंगे, पंचायत समितियों को कहेंगे, जिला परिषद् के काम होंगे तो जिला परिषद् को कहेंगे। इसका मतलब कि एप्रोप्रिएट लेवल पर आईडेंटीफाई कर रहे हैं, पंचायत को यह-यह काम करने का निर्णय करने का अधिकार है, अमुक-अमुक काम करने का अधिकार है, निर्णय लेने का अधिकार है। जैसे उदाहरण देना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूल खोलना है तो प्राइमरी स्कूल खोलने का अधिकार पंचायत की रिकमण्डेशन के आधार पर होगा, यह काम जिला परिषद् के अधिकार में नहीं होगा लेकिन यदि मिडल स्कूल खोलने का काम करना है, यदि सब सेण्टर खोलने का काम करना है तो इसको एप्रोप्रिएट लेवल पर, सब सेण्टर खोलना है तो पंचायत समिति होगी और यदि रेफरल अस्पताल खोलना है, सैकण्डरी स्कूल खोलनी है तो यह काम होगा जिला परिषद् के लेवल पर। इस तरह से हम लिस्ट बना रहे हैं कि पर कौन-कौनसे काम किस-किस लेवल पर दिए जा सकते हैं। ग्राम सभा को कौन-कौनसे काम दिए जा सकते हैं पंचायत समिति को कौनसे काम दिए जा

(श्री सी. पी. जोशी)

सकते हैं और जिला परिषद् को कौन-कौनसे काम दिए जा सकते हैं। यह इस एक्ट की मंशा है कि एप्रोप्रिएट लेवल पर उन कामों को आईडेंटीफाई करवाकर पंचायत के सशक्त माध्यम से हम इस काम को पूरा कर सकें। यह इस एक्ट की मंशा में इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चिंता आपने अभिव्यक्त की है, उन चिंताओं के सम्बन्ध में हम भी सजग हैं, हमारा पूरा प्रयत्न रहेगा कि इन चिंताओं को ध्यान में रख कर हम किस तरह से एक एक्ट को प्रभावशाली ढंग से लागू कर सकें।

एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो एप्रिहेंशन बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है कि उस इलाके में सब जगह 80 प्रतिशत आदिवासी पापूलेशन नहीं है और जो नोन आदिवासी लोग रहते हैं, उनके मन में पंचायत राज के सम्बन्ध में एप्रिहेंशन कि यह प्रभावशाली ढंग से लागू हो क्योंकि इसमें चेयर पर्सन की सारी पोस्टें, पंचायतों, के सरपंच, प्रधान और प्रमुख, सारेके सारे एस.टी. के लिए रिजर्व हैं, यह इसमें मेजर अमेंडमेंट है इसलिए जो नोन ट्राइब्ल के आदमी हैं वे इफेक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकें। इसके लिए हमने यह व्यवस्था की है, पंचायतों के सरपंच, पंचायत समितियों के प्रधान, जिला परिषद् के प्रमुख, इंडिपेंडेंट फैसले लेने के बनिस्पत इन जगहों की जो स्टेंडिंग कमेटीज हैं, पहले चुनाव होने के बाद मेन्डेटरी यह प्रोविजन कर रहे हैं कि सबसे पहले एप्रोप्रिएट लेवल पर स्टेंडिंग कमेटी के चुनाव करवाने पड़ेंगे और स्टेंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन होंगे, स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन और वहां के सरपंच या स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन व प्रधान, स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन व प्रमुख, ये आदमी मिलकर उसका निर्णय करेंगे जिससे दूसरे जो नॉन ट्राइबल के आदमी हैं स्टेंडिंग कमेटी के चेयरमैन बनकर इसमें प्रभावशाली भागीदारी कर सकें और उनके मन में यह नहीं रहे कि हमने कुछ काम नहीं किया। हमारे विधायकों ने यह बात भी पाइंट आउट की है इसलिए मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि जो स्वर्ण लोग उस इलाके में रहते हैं, प्रभावशाली ढंग से पंचायत राज में उनके भाग लेने के लिए यह नियम और व्यवस्था करने का पूरा काम करेंगे ताकि उनके मन में भी यह नहीं रहे कि हमें चेयर पर्सन का काम डिप्राइव कर दिया है और यह काम नहीं किया। किसी न किसी स्टेज पर, लोकतंत्र में एक राजा भी यह नहीं मानता था कि लोकतंत्र में वोट देने के आधार पर अनपढ़ आदमी और गांव का गंवार आदमी वोट देगा और लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा। 50 साल में वह काम भी हो गया है। तो 50 साल में आदिवासी इलाके में भी चेयर पर्सन आदिवासी बनकर अपने गांव का विकास करेगा, अपने इलाके का विकास करेगा ऐसी हमारी मंशा है और हम उसमें विश्वास करते हैं और मुझे विश्वास है कि इस अवधारणा को हम पूरा कर पाएंगे। इसलिए जिन माननीय सदस्यों ने जनमत के लिए कहा है मैं उनसे निवेदन

(श्री सी. पी. जोशी)

करूंगा कि वे अपना जनमत का प्रस्ताव वापस लें। जिन माननीय सदस्यों ने प्रवर समिति के लिए कहा उन माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि इस राजस्थान के आदिवासी इलाके को महत्व देने के लिए आप भी उसको वापस लें और हम यूनानिमस इस प्रस्ताव को पास करें जिससे आदिवासी इलाके के लोगों को लग सके कि राजस्थान के लोग किसी भी पार्टी के हों, सब मिल-जुलकर जो संविधान की एक आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए इसको लागू कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी इस भावना को समझेंगे और सभी पार्टियों के व्यक्ति इसमें आगे बढ़कर इसको यूनानिमस पास कराने के लिए अपना प्रस्ताव रखेंगे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री शिवनाथ सिंहजी, और अन्य माननीय सदस्यों द्वारा जनमत जानने हेतु परिचालित करने का जो संशोधन प्रस्तुत किया है. . .

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिए सभापतिजी। इसका प्रश्न आप दूसरे तरीके से रखेंगे। जिनका प्रस्ताव है, जिनके नाम हैं, मैंने प्रेस नहीं किया, कुछ माननीय सदस्यों ने प्रेस नहीं किया, तो जिन्होंने प्रेस नहीं किया उनका उस प्रस्ताव से कोई संबंध नहीं रहा। इसलिए आप उन्हीं माननीय सदस्यों का जिक्र करेंगे कि इन-इन माननीय सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखा है उसके बारे में हाउस की क्या राय है। औरों को इसमें शामिल नहीं करेंगे।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमित प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

संशोधन वापस लेने की अनुमति दी गई।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने प्रेस नहीं किया।

श्री सभापति : श्री राजेन्द्र राठौड़, माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री मदन दिलावर, क्या आप इस संशोधन को वापस ले रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं ले रहे हैं।

श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा) : आप आदिवासियों के विरोधी हैं क्या? आदिवासियों के हित में जो कानून बनाया जा रहा है उसके आप विरोधी हैं क्या?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) विधेयक, 1999 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया। खण्डशः विचार।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड–2

कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड—2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड—2 स्वीकार किया गया।

खण्ड–3

श्री भंवरलाल शर्मा संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय सभापति महोदय, मैंने यह संशोधन दिया है खण्ड—3(ख) में,

"प्रत्येक ग्राम सभा जनता की परम्पराओं और रूढ़ियों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक स्रोतों और विवाद सुलझाने के रूढ़िगत तरीके को सुरक्षित और परिरक्षित रखने में सक्षम होंगी।"

मैंने इसमें "रूढ़ि" शब्द को विलोपित करने को कहा है। "रूढ़ि" शब्द आप हटा दें तो आपका मंतव्य है, "परम्परा" इसमें लिखा हुआ भी है, "रूढ़ि" का मतलब जैसा अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि रूढ़ि का मतलब जितने भी आदिवासी इलाके में रहते हैं, वहां रूढ़ि की परिभाषा से कहीं पर नाता है, मंदिर प्रवेश, जाति से बाहर करना, बाल-विवाह, नुक्ता, बंधक रखना, बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा आदि-आदि। ये रूढ़िवादियां हैं। रूढ़ि कहीं आपने डिफाइन नहीं की। मेरा आपसे निवेदन है कि "रूढ़ि" शब्द को हटा दीजिए, बाकी इसमें आपका परपज पूरा हो जाएगा। एक छोटा सा संशोधन है।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : रूढ़ि और परम्परा दोनों एक ही हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर दोनों ही क्यों रखी हैं। दोनों एक ही हैं तो दोनों शब्द क्यों लाए? अगर दोनों का एक ही मतलब है तो दोनों शब्द रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो परम्परा शब्द के साथ और भी शब्द आ सकते है। रूढ़ि और परम्परा एक ही अर्थ रखते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : परम्परा का मतलब है ट्रेडिशन और रूढ़ि का मतलब है कंजरवेटिव।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा कोई बहुत आग्रह नहीं है, मैं इसके विरोध में नहीं हूं लेकिन यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है। रूढ़ि शब्द इसमें हटा दें, क्योंकि इससे कोई अर्थ बदलता नहीं है। आपका परपज पूरा हो जाता है। (व्यवधान) रखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप रखिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। (व्यवधान) इसमें (ङ) में है—

"प्रत्येक पंचायती राज संस्था के अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानों का आरक्षण, उस पंचायती राज संस्था में ऐसे समुदाय की जनसंख्या के अनुपात में होगा जिसके लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम 13) की धारा 15 और 16 के अधीन आरक्षण दिया जाना

(श्री भंवरलाल शर्मा)

ईप्सित है, परन्तु अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण कुल स्थानों के आधे से कम नहीं होगा।

फिर ज्यादा से ज्यादा कितना होगा या तो यह तय करिये। आपने मिनिमम लिमिट तो तय कर दी। तो यही इच्छा है कि कम से कम 51 पर्सेन्ट हो, अगर यह मंशा है तो ठीक है फिर आगे भी तय करना चाहिए कि अधिक से अधिक कितना होगा? एक तरफ तो आपने लिमिट बांध दी, दूसरी तरफ बांधी नहीं। यह बता दिया जाए कि इसमें क्या करना है? फिर इसमें (च) है—

"राज्य सरकार, ऐसी अनुसूचित जाति जनजातियों के व्यक्तियों का नाम-निर्देशन कर सकेगी जिनका किसी पंचायत समिति में या किसी जिला परिषद् में कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो।"

इसमें मेरा निवेदन यह है कि यह सब चुनी हुई संस्थाएं हैं। जो चुनी हुई संस्थाएं हैं उसमे सरकार क्यों नाम-निर्देशन करना चाहती है? अगर कहीं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं आए तो जो समिति बनी हुई है उसको सहवरण का अधिकार दे दिया जाए कि वो जितने सदस्य होंगे उनका सहवरण कर लेगी, जैसा पहले नगरपालिकाओं में व और संस्थाओं में इस प्रकार का अधिकार था। तो सरकार इसको क्या लाना चाहती है? आप उनको प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं तो उन्हीं पर छोड़ दीजिए, वे को-ऑप्ट कर लेंगे।

फिर आगे आपने कहा उनकी संख्या भी ज्यादा होगी। तो सरकार जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं उनमें क्यों दखल करना चाहती है? (व्यवधान) सरकार कभी किसी की, कभी किसी की आएगी, फिर आप बोलोगे, प्रजातंत्र में आप क्यों सरकार का दखल करना चाहते हैं। सहवरण वे लोग कर लेंगे, इसमें मेरा यह सुझाव है। (व्यवधान) आप पढ़ लें, जोशीजी। फिर उसमें पोलिटिक्स आएगी। हमारा सुझाव है, आप मानें या न मानें। आप मनमानी करोगे मुझे यह मालूम है। फिर नामीनेशन में मनमानी करोगे। "परन्तु ऐसा नाम-निर्देशन उस पंचायती राज संस्था में निर्वाचित किये जाने वाले कुछ सदस्यों..." आप पढ़े इसको। इसमें "कुछ" टाइप की गलती से रह गया यह "कुल" होना चाहिए। यह पेज 3 पर हिन्दी वाले में है। परन्तु है आपका परन्तु ऐसा नाम-निर्देशन उस पंचायती राज संस्था में निर्वाचित किये जाने वाले कुछ सदस्यों के दशमांश से अधिक नहीं होगा।" मेरे ख्याल से यह कुल होगा। यह रह गया। यह भी मानें तो मानें, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। यह भी करेक्शन की बातें बता रहा हूं मेरे यह तीन संशोधन हैं। मेरा ऐसा विचार है कि इन चुनी हुई संस्थाओं में सरकार का दखल न हो, वे ही लोग उसका सहवरण कर लें, बढ़ा लें जितना बढ़ाना हो।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी उत्तर देंगे।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, मैं तो खाली माननीय सदस्य से, जो हमारे

(श्री सी. पी. जोशी)

सबसे वरिष्ठ नेता हैं, एक बात पूछना चाहता हूं, हमको मिजोरम, नागालैण्ड के कंटेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है, हम नामीनेशन जो कर रहे हैं, जैसे आज हमारे धरियावद, गोगुन्दा, झाड़ोल पंचायत समिति में सबसे पिछड़े हुए कथोड़िया हैं, आदिवासी के अंदर, वो कथोड़िया यदि चुनाव में जीतकर नहीं आ सके उनको नामीनेट करने का अधिकार सरकार ले रही है। आप उसमें सजेशन दे रहे हैं कोआप्शन का। कोआप्शन का सोच-समझकर अधिकार नहीं दे रहे हैं, जिससे कोआप्टेड करने में कथोड़िया की कम्युनिटी का जो इफेक्टिव या उनके कुनबे का कोई आदमी उसको नामीनेट करें बनिस्बत कि एक नीचे वाले आदमी को नामीनेट करके उसकी कोआप्शन के नाम पर लेकर उसके जो इफेक्टिव पार्टिसिपेन्ट हैं उसको रोक लें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : I agree with you. ऐसा कहिये, सहवरण होगा। सहवरणों में कोई रह जाता है तो आप नामीनेट कर दीजिये।

श्री सी. पी. जोशी : मैं समझ रहा हूं, आप इसको उस स्पीरिट में नहीं ले रहे हैं, यह जो अमेंडमेंट हुआ है उस अमेंडमेंट के पीछे प्रिडोमिनेंटली जो आदिवासी की कल्चर है, आदिवासी में एक दूसरे के प्रति झगड़े जिस तरह के हैं उसमें इलेक्शन ही एक प्रोसेस हो, यह ठीक नहीं है। उसमें कुछ कुनबे ऐसे हैं जिनमें कुनबे का जो मुखिया है वह प्रभावशाली ढंग से इफेक्टिव काम कर सकता है, वह इलेक्शन प्रोसेस से नहीं आ सकता है। इसलिये सोच-समझकर नामीनेशन का प्रोविजन इसलिए किया है कि जिससे प्रभावशाली आदमी उसका प्रतिनिधित्व दे सके। मैं आपसे निवेदन करूंगा आपने जो हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया उसके लिए धन्यवाद। बाकी आपने जो प्रस्ताव रखे हैं उसमें कोई प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं।

रूढ़ि का मतलब यह नहीं है, रूढ़ि से हम संबंध रखे कस्टम से। आप उसका रूढ़ि से मतलब लगाना चाहते हैं यह। यहां पर रूढ़ि का मतलब कस्टम से है। रूढ़ि का मतलब यह नहीं है कि वो नाते करता है और यह करता है वह नहीं है। यहां रूढ़ि का इंगलिश का जो वर्ड है "कस्टम" उसकी हिन्दी "रूढ़ि" है। इसलिये आप उस परपज से इसको लें। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो प्रस्ताव रखे हैं सदन के सामने, इसको रिजेक्ट किया जाए, अपारित किया जाए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : अगर नामीनेशन की जगह सहवरण आप कर सकते हो तो क्या दिक्कत है?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड तीन में जो संशोधन श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड तीन स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 3 स्वीकार किया गया।

खण्ड 4 व 5, कोई संशोधन नहीं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 व 5 स्वीकार किये जाएं ?

(स्वीकृत)

खण्ड 4 व 5 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये। जोशी साहब।

विधेयक का पारण

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या-19) को पारित किया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) विधेयक, 1999 पारित किया गया।

राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1999, माननीय श्री खेतसिंहजी साहब।

विधेयक पर विचार

राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : सभापति महोदय, इसके प्रभारी मंत्री तो बुलाकीदासजी कल्ला हैं लेकिन वे दिल्ली पधार गये, मैंने अध्यक्ष महोदय से अनुमति प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं यह पेश कर रहा हूं।

सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को (1999 का विधेयक संख्या—20) को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह, है कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्ड 2 व 3 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जाएं।

(स्वीकृत)

खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये गये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहता हूं, क्लाज(1) में यह जो आप लाये हो संशोधन, इसमें और जो पहले था उसमें क्या अंतर है यह समझा

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दो। यह अमेंडमेंट क्यों लाये हो आप? उसमें भी 200 रुपये हैं और इसमें भी 200 रुपये हैं तो फिर आप यह क्यों लाये हो? दोनों में ही 200 हैं।

श्री सभापति : जब पारित करने की स्टेज आए तब आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक ही बात है।

श्री सभापति : It is not proper stage.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप उत्तर दे देना।

श्री सभापति : There must be a stage. थर्ड वाचन पर आ जाएगा, अभी बुला रहा हूं जस्ट आपको।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री जी विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या—20) को पारित किया जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, यह बताइये कि जो क्लाज़(1) अमेंडमेंट लाये हैं आप इसमें भी 200 रुपये हैं और आलरेडी 200 रुपये मिलते हैं फर्नीचर के, तो यह लाये क्यों? यह बता दीजिये खाली। अमेंडमेंट नहीं है मेरा, क्लेरीफिकेशन चाहिये। आप बताइये लाये क्यों, यह तो बताना पड़ेगा ना परपज क्या है इसका।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, आम तौर पर ऐसे बिल्स पर कभी डिस्कशन हुआ नहीं है और लाना तो आवश्यक था लेकिन डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं थी फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम लाये क्यों हैं। हमारे खुद की पार्टी के वरिष्ठ माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है, हकीकत यह थी कि कुछ मिनिस्टर्स को हम बंगले अलाट नहीं कर पाए, वो चाहते थे कि हमको बंगले मिलें।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं-नहीं, उसका उत्तर मैं नहीं चाहता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तीनों जवाब दे दूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पहले आप इसका बता दीजिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, आपको बता देंगे। क्यों आपसे मैं डरता हूं क्या, पहले मैं अपनी बात कहूंगा। आप मेरी बात सुनिये, सुनने के बाद. . .

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : डरते तो आपसे हैं। मेरा पहले वाला है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : प्लीज, आप बिराजिये।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, निवेदन यह था कि जैसे विपक्ष के नेता महोदय को इतना बड़ा बंगला अलाट किया हुआ है, अगर इस प्रकार से हमारे कई मंत्रियों को हम बंगला अलाट करने की कोशिश करें और अगर किराया लें तो लाख रुपये प्रतिमाह में भी हमको बंगला नहीं मिल सकता। इसलिए जिन मंत्रियों को हम बंगला नहीं दे सके उन मंत्रियों के लिए यह प्रोविजन किया है कि उनको हम 10 हजार रुपये दे देंगे और वे चाहे तो किराये का मकान लें और चाहे तो अपने मकान में ही रहे। लेकिन क्योंकि उनका हक था और हक के अनुसार हमको बंगला देना चाहिए था और हमारे पास में बंगला अवेलेबल नहीं था लिहाजा यह प्रोविजन हमको डालना पड़ा है।

दूसरा प्रोविजन यह है कि अगर मंत्री अपने स्वयं के घर ही रहते हैं और उनको राज्य सरकार को वे कहते हैं तो हम अलाटमेंट करने को तैयार थे लेकिन उन्होंने कहा कि हम अलाटमेंट भी नहीं लेना चाहते हैं, हम अपने घर पर ही रहना चाहते हैं तो मेहरबानी आपकी, हम उनको तीन हजार रुपये देंगे। जिनको अलाट नहीं कर सकते उनके हैं 10 हजार और जिनको हम अलाट कर सकते थे लेकिन उन्होंने नहीं लिया और उन्होंने कहा कि हम घर पर ही रहना चाहते हैं तो उनको तीन हजार रुपये देंगे जो विधायकों को भी मिलते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, जैसे भंवरलाल जी शर्मा भी इसी प्रकार से घर में ही रहते थे।

तीसरा, यह है कि अगर आप फर्नीचर सरकारी नहीं लेते हैं तो आपको 200 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दिया जाएगा, मंत्री को।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह तो पहले से ही है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : पहले से है तो अब क्या दिक्कत है इसमें ?

श्री सभापति : कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, मुझे इस पर बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं बहुत दुःखी मन से इस बात को बोल रहा हूं, इस बात के लिए कि आप इसको आर्डिनेंस के द्वारा लाये हो। मतलब आपको किसी आदमी को दो हजार, तीन हजार, पांच हजार रुपये देना पड़े और देने की मंशा आपकी है तो उसको आर्डिनेंस के थ्रू लाना पड़े इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान के लिए और कुछ नहीं हो सकता। क्या आप चार महीने भी नहीं रूक सकते थे ? सदन आ जाता तब आप इसको पास करा लेते। मतलब आर्डिनेंस जारी कराना राज्यपाल से इस छोटे से अमाउंट के लिए, एक आदमी के, दो आदमी के लिए, चार आदमी के लिए, क्या राजस्थान का इतना घटिया स्तर हो गया कि दो हजार और चार हजार के लिए राज्यपाल से आर्डिनेंस जारी करावें और उसके आधार पर लेंगे। इतनी घटिया स्तर की बात है। यह रैगूलर सत्र आ रहा था, आप इस सत्र में लेकर के आ जाते, इसमें क्या था। (व्यवधान)

श्री महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक) : आप गरिमा की बात कर रहे हैं। (व्यवधान) आज तक राजस्थान के इतिहास में ऐसा कैबिनेट मंत्री नहीं हुआ कि चीफ सैक्रेटरी मुख्य अतिथि हो किसी कार्यक्रम का और कैबिनेट मंत्री उसकी अध्यक्षता करें। आप गरिमा की बात कर रहे हैं, आपको तो. . .

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यह सोचता हूं कि शायद यह पहली बार हुआ होगा कि किसी को भी केवल 200-400 रुपये देने के लिए आर्डिनेंस के थ्रू हमको इस सदन में आना पड़े। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता।

श्री सभापति : माननीय जगमाल सिंह। आर्डर प्लीज।

श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का तो विरोध नहीं कर रहा हूं लेकिन आपकी याददाश्त ताजा करना चाहता हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, पिछले बजट में जब माननीय सदस्यों के वेतन और भत्ते बढ़ाने की बात आई तो आपने भी वित्त मंत्रीजी के सामने, मुख्य मंत्रीजी तो दिल्ली विराज रहे थे, आपने और हाउस कमेटी के चेयरमैन ने वित्त मंत्रीजी से परमीशन लेनी चाही थी। आपके जो वेतन भत्ते बढ़े वह तो बढ़े एक अप्रेल से और एरियर भी मिला जबकि माननीय सदस्यों का जो वेतन और भत्ता बढ़ा वह आपने 7 मई से बढ़ाया। क्यों नहीं एरियर देते? आप +++ रोज की, यह राजस्थान की आर्थिक हालत है, आज मुख्य मंत्रीजी भी कह रहे थे कि राजस्थान पर आर्थिक संकट है। इस आर्थिक संकट में आपके मंत्री जिनके पास बहुत सारी सुविधा है, यह सुविधा तो छोड़ देते। क्या मुंह दिखाओगे आप राजस्थान की जनता को? फिर हाउस में जब मैम्बर की बात आती है, एम.एल.एज. की बात आती है और जब बात कहते हैं कि एम.एल.एज. के पास काम की अधिकता है उनको पी.ए. दिया जाए, उनको टाइप मशीन दी जाए तब तो +++ आज वित्त मंत्री ने एरियर क्यों ले लिया? एक अप्रेल से अपना वेतन क्यों उठाया? एक अप्रेल से एरियर क्यों लिया? और अगर वही बिल उसी दिन पास हुआ बजट में तो 200 के 200 माननीय सदस्यों को भी एरियर मिलना चाहिए था। आप सदन में दुभांत कर रहे हो। इस तरह की बात कर रहे हैं कि जैसे माननीय सदस्य तो कीड़े-मकोड़े हों, उनकी आवश्यकता नहीं हो और मंत्रियों को आवश्यकता हो और उसको आर्डिनेंस के द्वारा आप लागू करें। इससे ज्यादा +++ बात कोई नहीं हो सकती।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कोई जबाव नहीं।

श्री जगमाल सिंह यादव : सभापति महोदय, आप भी +++ और इतने ही नैतिकतावादी अगर आपके वित्त मंत्री हैं तो वित्त मंत्री ने अपना एरियर क्यों उठाया। कह देता कि सारा सदन उठा ले, मैं छोड़ता हूं। इस राजस्थान का वित्त मंत्री हूं, राजस्थान संकट में है इसलिए बढ़ा हुआ

+ + + अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री जगमाल सिंह यादव)

वेतन और भत्ता मैं नहीं लेना चाहता। अगर इतने ही आदर्शवादी होते तो।

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय सभापति महोदय, जैसे मंत्रीजी ने बताया कि जिन मंत्रियों के पास फर्नीचर अपना है उनको 200 रुपये महीने दिया जाएगा। मैं पूछती हूं कि जिन विधायकों को फर्नीचर नहीं मिला उनके लिए क्या सोचा है, इसका भी जवाब दें।

श्री जगमाल सिंह यादव : माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, आज भी राजस्थान में कम से कम 50 विधायक ऐसे हैं जो बार-बार पी.डब्ल्यू.डी. के दफ्तर में चक्कर लगाते हैं। मैं खुद पीड़ित हूं। आज तक 5 पैसे का सामान नहीं दिया और कहते हैं तो कहते हैं कि राजस्थान राज्य वित्तीय संकट में चल रहा है। हमारा अधिकार नहीं है? आपने 50 हजार का या 60 हजार रुपये का फर्नीचर रखने की इजाजत दी है और आज एक साल से आप किसी को नहीं दे पाये। आपके कितने मंत्री ऐसे हैं जिनकी फर्नीचर की डिमांड थी और वह पूरी नहीं हुई? तो आप दो बात करते हैं। यह सदन है और ये मंत्री भी सदन के सदस्य हैं। वैसे ही सदस्य हैं जैसे हम सब सदस्य हैं। इसलिए चिन्ता करो तो मंत्रियों की ही नहीं, सब की करो। यह सदन आपका प्रोटेक्शन चाहता है। पूरे सदन के संसदीय कार्य मंत्री आप हो इसलिए आपको दोनों पक्षों को देखना होगा।

श्री सभापति : क्या आप कुछ उत्तर देना चाहेंगे?

श्री खेतसिंह राठौड़ : सभापति महोदय, एम.एल.एज. के फर्नीचर के बारे में जो आपने अभी फरमाया है उस पर निश्चित तौर पर विचार करके एक महीने में यह प्रयत्न किया जाएगा कि जिनके पास फर्नीचर पूरा नहीं पहुंचा है उनको पूरा फर्नीचर पहुंचे और इसके अलावा और कोई असुविधा रह गयी हो तो उसको भी दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जाएगा।

श्री जगमाल सिंह यादव : मैंने तो एक सवाल उठाया था। सभापति महोदय, आप ऐसे नहीं टाल दोगे और ऐसे टाला भी नहीं जाएगा। यह सवाल किया, संसदीय कार्य मंत्रीजी, सुनिये, बजट का जब सत्र था तो अन्तिम दिन बिल आया था और आपको मालूम होगा कि एक ही दिन में वह बिल पास हुआ बिना बहस, विवाद के। आपने, मंत्रियों ने तो एरियर क्यों ले लिया, आपने तो उस बिल में यह प्रावधान क्यों कर लिया कि एक अप्रेल से मंत्रियों को भुगतान मिलेगा और माननीय सदस्यों के लिए यह क्यों कर दिया कि जब गवर्नर के दस्तखत हो जाएंगे तो उस दिन से बढ़ा हुआ वेतन, भत्ता मिलेगा।

श्री सभापति : माननीय जगमाल सिंह जी, विराजें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय जगमाल सिंहजी, ऐसे इश्यू को क्यों इतना आप कह रहे हैं। प्रेस वाले बैठे हैं और कुछ लिखेंगे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर कोई गलती है तो उसको सुधार लेंगे।

श्री सभापति : आप कुछ कहेंगे दिग्विजय सिंहजी।

श्री दिग्विजय सिंह : एक मिनट। सभापति महोदय, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि आप बहुत संवेदनशील हैं और उदार भी हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंत्री बनने से पहले हर आदमी विधायक बनता है और विधायक बनने के बाद आप मंत्री की शपथ लेते हो। तो आप मंत्री बनने के बाद विधायक को क्यों भूल जाते हो? इसलिए जिस प्रकार से, आपका लागू किया है उस हिसाब से एम.एल.एज. का भी लागू करिये।

श्री सभापति : आप कुछ कह रहे हैं क्या? बोलिये। पारित तो मैं करा रहा हूं, और कुछ कहना है क्या?

श्री खेतसिंह राठौड़ : इस पर तो अब क्या कहना है। जो आपने फरमाया है. . .

श्री सभापति : आप तो सुविधा का ध्यान रखेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़ : सुविधाओं का ध्यान रखेंगे और जो बात हाउस में आयी है उस पर वापस विचार भी करेंगे।

श्री सभापति : ठीक बात है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान मंत्री वेतन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया गया। राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1999। श्रीमती कमला, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1999

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या-21) को विचारार्थ लिया जाए।

श्री सभापति : विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव। माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव राजस्थान टीनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, 1999 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

सभापति महोदय, इस बिल का मकसद बहुत सीमित है और हमारे ट्राइब एरिया के एक सहरिया जाति है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यह बिल लाया गया

(18.00 बजे)

है। माननीय सभापति महोदय, 1955 में राजस्थान टीनेंसी एक्ट पास हुआ उसके बाद समय-समय पर उसमें संशोधन होते रहे। शिड्यूल कास्ट की, शिड्यूल ट्राइब्स की जमीन दूसरे लोगों को नहीं जाए, अमेंडमेंट आया। आज यह अमेंडमेंट भी इसी लाइन में है। सभापतिजी, यह जो अमेंडमेंट आये आज के परिप्रेक्ष्य में, उनसे

(श्री शिवनाथ सिंह)

पीड़ा हो रही है। एस.सी. के लोग, एस.सी. के भाई, जो शहरी आबादी के पास में बसते हैं, बड़े-बड़े मेट्रोपोलिटन सिटीज के पास में बसे हुए हैं, जिनकी काश्त की जमीन है, उन भाइयों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है उन जमीनों का और यह जो लैण्ड माफिया है, सोसायटीज हैं, वह उन जमीनों को लेकर फायदा उठाती हैं। यह हमारे माननीय सदस्य सब जानते हैं कि एस.सी. की तरफ से बहुत बड़ी मांग आई कि इस प्रकार की छूट हमको मिलनी चाहिए कि जहां बड़े-बड़े शहर हैं, आबादी है, म्यूनिसिपल टाउन्स हैं, उनमें हमको हमारी जमीन की कीमत पूरी नहीं मिलती है। ट्राइब की तरफ से भी है। यह जो बिल आप ला रहे हैं, इसमें इन प्रावधानों को भी देखा जाना चाहिए कि कहीं हमारे इस प्रकार के प्रावधान डालने से उन लोगों, जिनको आप प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा है। इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टीनेंसी एक्ट बनने के बाद में अनेक अमेंडमेंट हो गये। जिस वक्त वह बिल बना था, वह आब्सीलीट हो चुका है। उसके बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो आज सार्थक नहीं रहे, निरर्थक हो गये हैं लेकिन विभिन्न सरकारों कि तरफ से उस एक्ट का अपटूडेट करने के लिए सारगर्भित तरह से सोचा नहीं गया और अच्छे कदम उठाये नहीं गये। टीनेंसी एक्ट में अमेंडमेंट करने के लिए और इसको नये सिरे से बनाने के लिए पिछली विधान सभा के समय बिल लाया गया था, सलेक्ट कमेटी में गया और सलेक्ट कमेटी ने बहुत मेहनत करके उस बिल को अपना एक रूप दिया। माननीय सभापति महोदय, मुझे खेद है कि उस वक्त की सरकार उस टीनेंसी बिल को और लैण्ड रेवेन्यू बिल को, जो दोनों ही सलेक्ट कमेटी के मार्फत से आगे आ सके थे, लाने से कतराई और नहीं लाना चाहती थी। आज भी यह दुर्भाग्य हमारे साथ में हो रहा है कि इस टीनेंसी बिल में बहुत से ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों के लिए कष्टदायक बन रहे हैं, बहुत पीड़ादायक बन रहे हैं और उसमें संशोधन होना चाहिए लेकिन यह सरकार भी उस पुरानी सरकार की लाइन पर चल रही है और आज भी टीनेंसी बिल जो नया कानून बनना चाहिये, उस को दबाये बैठी है। मैं आग्रह करना चाहूंगा सरकार से और माननीय मंत्री महोदया से कि जो बिल तैयार हो चुके हैं, वह सदन में लाया जाए। पिछली बार बजट सैशन में मांग की गई थी कि वह दोनों बिल, टीनेंसी बिल और लैण्ड रेवेन्यू बिल सदन के सामने लाये जाएं और राजस्थान के काश्तकारों को जो पीड़ा हो रही है, कठिनाई हो रही है, उनको दूर किया जाए। लेकिन वह नहीं हुआ। आज भी हम यह अपेक्षा करते थे कि इस सैशन में कम से कम उन दोनों बिलों को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वह भी नहीं हो रहा है इसलिए मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार इस मामले में सोचे, सचेत हो और काश्तकारों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए राजस्थान के काश्तकारों की पीड़ा को खतम करने के लिए जो दोनों बिल पैंडिंग हैं, वह लायें। इस प्रकार के जो छोटे-छोटे संशोधन आज लाये गये हैं, इस प्रकार के छोटे-छोटे संशोधन लाने से कोई मकसद

(श्री शिवनाथ सिंह)

हल नहीं होने वाला है। इसलिए सामूहिक तौर पर, समूचे रूप में इस टीनेंसी एक्ट को नया रूप दिया जाए और इस प्रकार जो छोटे-छोटे संशोधन हैं, यह परम्परा छोड़कर पूरे टीनेंसी एक्ट को नये सिरे से नया रूप दिया जाए, यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : धन्यवाद। माननीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया, बोलेंगे आप?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, राजस्थान टीनेंसी एक्ट के सैक्शन (42) के अन्दर पहले से प्रावधान है कि जनजाति की भूमि का उसी जाति का कोई व्यक्ति खरीद सकता है, दूसरे किसी व्यक्ति को विक्रय नहीं कर सकते। इसमें सहरिया जाति को इन्होंने जोड़ा है, निश्चित रूप से यह स्वागत योग्य है परन्तु मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि अगर राजस्थान के अन्दर सबसे ज्यादा संशोधन किसी कानून में हुए हैं तो टीनेंसी एक्ट और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में हुए हैं। माननीय सदस्य जो गुढ़ा से आते हैं, इन्होंने जो बात रखी उससे सहमति व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि अब बहुत बड़ी महती आवश्यकता है और, मंत्री महोदया, जब आप इधर विराजती थीं, आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, दर्जनों बार इस बात को कहा कि पूरा टीनेंसी एक्ट और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट री-राइट होना चाहिए। मैं समझता हूं कि अब वह समय आ गया है क्योंकि ये रोज संशोधन जो होते हैं, उन संशोधनों की जानकारी जिस लेवल पर, गांव के लेवल पर उस सहरिया को मिले, इस चीज की जानकारी गांव के व्यक्ति को मिल जाए कि मेरे हितों को किस प्रकार सुरक्षित किया गया है, यह जानकारी मिल नहीं पाती है। आज उस टीनेंसी एक्ट को आप उठाकर देखें, उसमें जितने संशोधन हुए हैं, मैं समझता हूं कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति भी उसमें से कोई चीज खोजकर निकालना चाहे तो वह भी नहीं निकाल पाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि आप जो बिल लेकर आए हैं, यह तो स्वागत योग्य है, यह री-राइट पूरा हो, इस चीज की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है।

श्री सभापति : माननीय देवीसिंहजी भाटी—(अनुपस्थित), डा. किरोड़ी लालजी मीणा—(अनुपस्थित), माननीय श्री रघुवीर सिंहजी (कोटपुतली)—(अनुपस्थित), माननीय श्री ज्ञानदेवजी आहूजा—(अनुपस्थित), माननीय श्री भंवरलालजी शर्मा—(हवामहल) वापस लेना चाहेंगे?

प्रश्न यह है कि माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी और श्री राजेन्द्र जी राठौड़ सदस्य विधान सभा ने अपने संशोधन. . .

श्री शिवनाथ सिंह : मंत्री महोदय को जवाब तो देने दीजिये।

श्री सभापति : हां, जबाव दे दें।

श्रीमती कमला (सिंचाई मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव के सन्दर्भ में दो मुद्दे खास तौर से माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी ने उठाये हैं।

(18.07 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्रीमती कमला)

एक तो यह है कि एस.सी. और एस.टी. की जमीनें हैं, जो कि शहरों के या कोई इम्पार्टेन्ट प्लेसेज के नजदीक हैं उनमें इनकी जो पाबन्दी लगी हुई है, उसके कारण से जितने ऊंचे दामों पर वह जमीन बेची जा सकती है, उनको वह कीमत नहीं मिलती है इसलिए इस तरह की पाबन्दी है, उसको लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। यह मुद्दा बहुत समय से चल रहा था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और पिछले समय में भी मैं जब रेवेन्यू मिनिस्टर थी और यह मुद्दा आया था तो मैंने उन सभी माननीय सदस्यों के साथ जो एस.सी., एस.टी. के थे, चर्चा की थी और चाहा था कि अगर उनकी स्वीकृति हो तो हम यह पाबन्दी उनके लिए हटा दें लेकिन उसके ऊपर उनकी सहमति नहीं थी इसलिए उसके ऊपर विचार नहीं किया गया। अभी मैंने 24 तारीख को सभी उन माननीय सदस्यों की एक बैठक रखी है दो बजे ऊपर मेरे चैम्बर में कि इस मुद्दे पर विचार किया जाए कि वे इस बात को उपयुक्त समझते हैं क्या या इसकी आवश्यकता है क्या या उससे उनको लाभ होगा क्या कि जो पाबन्दी लगी हुई है, उसको हम हटा दें। तो जैसी माननीय सदस्यों की, जन प्रतिनिधियों की राय होगी, उसके मुताबिक सरकार अपना निर्णय लेगी।

दूसरा जो मुद्दा आपने कहा कि टीनेंसी एक्ट और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बहुत समय से री-राइट होने के लिए विचार चल रहा है और आमूलचूल उसमें जरूरत के मुताबिक व्यावहारिक दृष्टिकोण से परिवर्तन किये जाने चाहिए। यह भी सबको मालूम है कि पूर्व में प्रवर समिति ने दरअसल में बहुत मेहनत करके और जगह-जगह जाकर के, रेवेन्यू बोर्ड में भी चर्चा करके, इसके काफी क्लाजेज के ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डालकर इसको तैयार किया और वह दोनों बिल तैयार होकर, जब हमने सरकार संभाली तो हमारे सामने आये। मैं माननीय सदस्यों की सूचनार्थ यह निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले 6-7 महीनों के अन्दर एक कमेटी जिसमें जनप्रतिनिधि भी हैं, माननीय मंत्री महोदय भी हैं और अधिकारीगण भी हैं, काफी मीटिंग हमने लेकर के क्लाजवाइज उसकी चर्चा करके, टीनेंसी एक्ट पर करीब-करीब हमने पूरी चर्चा कर ली है, कुछ क्लाजेज बाकी रहे हैं और उन क्लाजेज के चर्चा में आने के बाद में टेनेन्सी एक्ट के ऊपर हम जल्दी ही तैयारी कर सकेंगे। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन भी करना चाहती हूं चूंकि उसका क्लाजवाइज थोरो डिस्कशन हो चुका है, एक सिर्फ मंदिर की जमीन का जो मुद्दा है वह बाकी है उसको भी हम अगली बैठक में करेंगे तो आप माननीय सदस्यों को बाकी किसी भी क्लाज के बाबत में कुछ और भी अपने विचार देने हों, टीनेंसी एक्ट को जो हम पुनर्विचार करके और उसको हम री-राइट करेंगे, उसमें आपको और कोई योगदान सम्भव हो तो आप देने की कृपा करें बाकी टीनेंसी एक्ट की हमने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। जहां तक लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का मामला है वह इसके बाद में हम टेक अप करेंगे और अगले 5-6 महीनों के अन्दर उसको भी हम नये सिरे से तैयार करने की चेष्टा में है। इसलिए

(श्रीमती कमला)

आपने यह जो बर्डिक्ट दिया है कि यह सरकार भी उसको लेकर सोयी हुई है और ये भी कोई ध्यान नहीं दे रही है, ऐसी स्थिति नहीं हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगी कि माननीय सदस्य अपना जनमत जानने का जो प्रस्ताव है उसको वापस लें और विचारार्थ लिये जाने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाए? लेना चाहते हैं क्या?

श्री शिवनाथ सिंह : जी वापस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : (स्वीकृत) ।

संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय आप भी वापस ले लें। प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार - खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया। प्रभारी मंत्रीजी।

विधेयक का पारण

श्रीमती कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या-21) को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान अभिधृति (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया गया। राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1999 श्री शांति कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक पर विचार

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन विधेयक, 1999)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या-22) को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव पेश नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव। श्री रामनारायण चौधरी—(अनुपस्थित) श्री हरजीराम बुरड़क—(अनुपस्थित), श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल लाया गया है, यह राजस्थान के अन्दर जो बड़े भवन निर्माता हैं और भू माफिया हैं उनको प्रश्रय देने के लिए लाया गया है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 173 में पहले से प्रावधान है कि राज्य सरकार अगर चाहे तो किसी भी भूमि का लैण्ड यूज चैंज कर सकती है परन्तु 173-क की उप धारा-3 का जो संशोधन मंत्री महोदय लेकर आये हैं, आपने, मंत्री महोदय, बहाना तो लोकहित का बनाया है परन्तु इसके पीछे भावना क्या है और इसके पीछे किसका हित होगा यह किसी से छिपा हुआ नहीं है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इसमें कह दिया कि कोई आवासीय भूमि होगी उसको वाणिज्यिक में चैंज कर देंगे। कोई वाणिज्यिक भूमि होगी उसको आप रिहायशी में कर देंगे। सिनेमा भवन की भूमि होगी उसको भी आप चैंज कर देंगे। आपने इसमें औद्योगिक भूमि का भी जिक्र किया है। अब उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से यहां इंडस्ट्रियल एरिया प्रत्येक बड़े शहर में है। रियायती दर पर भू-खण्ड प्राप्त कर लिया और भू-खण्ड प्राप्त कर लेने के बाद आपने धारा 173-क (3) में जो संशोधन लेकर आये है उसके तहत उसको लैण्ड यूज चैंज कर दिया, मैं समझता हूं कि यह चीज किसी भी तरह उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस संशोधन के आने के पश्चात् कोई विद्यालय की भूमि हो, किसी ने आज चिकित्सालय के लिए भूमि आवंटित करवायी हो, विद्यालय के लिए भूमि आवंटित करवायी हो और कई जगहों पर बड़े शहरों के आस-पास पर्यावरण के नाम पर लोगों ने नर्सरीज हेतु भूमि आवंटित करवायी है, छोटे-छोटे फार्म हाउस के नाम पर जयपुर के आस-पास चले जाएं आप, उनको सरकार ने इसलिए जमीन आवंटित की थी कि यहां पर्यावरण की दृष्टि से इन चीज का उपयोग था परन्तु आज इस अधिनियम के पास होने के पश्चात् वह सारी भूमि आप वाणिज्यिक रूप में बदल देंगे या रिहायशी रूप में बदल देंगे। मैं समझता हूं कि इसमें किसी तरह का लाभ, आप लोकहित में लेकर आये हों यह मेरी समझ से बाहर है। इस अधिनियम की धारा 173-क (4) में जो लोग भूमि का लैण्ड यूज चैंज कराने से पहले ही उसका उपयोग दूसरी जगह करने लग गये, जिस तरह से आज कोई जमीन है वह आपसे ली उन्होंने रिहायशी परपंज के लिए और वहां सिनेमा हॉल बना दिया या अपना कामर्शियल कॉम्प्लैक्स बना दिया, आप उससे भी थोड़ी बहुत शास्ति लेकर उसको भी रेगूलराइज कर रहे हैं। आपने इसमें कोई दर का उल्लेख भी नहीं किया कि किस दर पर आप उनसे राशि वसूल करेंगे। मैं समझता हूं कि अगर यह कानून पास हो गया तो यह लोकहित में नहीं, चंद उन लोगों के हित में हो जाएगा जो चाहे सरकारी भूमि हो या किसी विद्यालय या चिकित्सालय की भूमि हो, किसी नर्सरी की

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

या उद्यान की भूमि हो उस भूमि को आवंटित कराते वक्त तो दूसरा उपयोग जोड़ दिया और उसके पश्चात् उस भूमि का लैण्ड यूज चैंज करा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपने, मंत्री महोदय, इस संशोधन को, इस विधेयक को पास करा लिया तो आपकी आज जो उजली छवि है वह उजली छवि नहीं बचेगी। आपकी मंशा क्या है? अगर इसका आपने अच्छी तरह अध्ययन किया हो और मैं समझता हूं कि जिस तरह की आपकी आदत है, आपने निश्चित तौर पर इसका अध्ययन किया होगा पर आपने इसके उन पहलुओं को नहीं छुआ जिन पहलुओं को छूना चाहिए। इस तरह से यह एक तरह का, मंत्री महोदय, आपके साथ षड्यंत्र हुआ है। इसको अगर आपने पास कर दिया तो आपके दामन पर ऐसे छींटे पड़ेंगे जो आपसे पोंछे नहीं जाएंगें। आपने स्पेसिफाई नहीं किया, आप इसमें विद्यालय की जमीन को चैंज कर देंगें, आप उद्यान की जमीन को चैंज कर देंगे, आप नर्सरी की जमीन को चैंज कर देंगे। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि यह कानून इस तरह का कानून है कि जो चंद लोगों को लाभ देने के लिए लाया जा रहा है। मंत्री महोदय, आप सही आदमी हैं, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और खड़े होकर कह दो कि इस कानून को आप सदन में नहीं रख रहे हैं और इस कानून को आप वापस ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख इस बात का है कि राठौड़ साहब बहुत कुछ कानून की भी जानकारी रखते हैं, पढ़ते-लिखते भी हैं लेकिन पढ़ाने वालों ने इनको यह चीज बिलकुल उलटी पढ़ा दी। बात क्या थी और आपका भाषण पता नहीं किसने क्या तैयार करवा दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या मतलब आपका तैयार करवा दिया? मतलब? देखिये, मंत्री महोदय, आप और हम कहां तैयार होते हैं लोगों को मालूम है इसलिए यह अन्दर ही रखें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं कि आप रात को गलत जगह पर फंस गये, जहां जाते थे वहां तो गये नहीं और गलत जगह फंस गये।

श्री रामस्वरूप : उस जगह का स्पष्ट करें कौन सी जगह थी रात्रि को।

एक माननीय सदस्य : वह इन दोनों के बीच में रहने दो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्यूनिस्पिल एक्ट के 173 ए का यह अमेंडमेंट इसलिए लाया गया है कि जो भूमि नगरपालिका के द्वारा या सरकार के किसी भी विभाग द्वारा, जे.डी.ए. द्वारा चाहे, यू.आइ.टी. द्वारा जिस शर्त पर बेची जाती थी यह आवासीय जमीन है, आवासीय जमीन करके या कामर्शियल लैण्ड करके उसको बेची जाती थी तो उसका लैण्ड यूज चैंज करने के लिए अगर कोई आदमी जाता था तो उसको परिवर्तन शुल्क देना पड़ता था लेकिन 1974 के

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

रूल्स बनने के पहले राजा-महाराजाओं के जमाने में भी और सन् 1947 के बाद 1974 तक भी जितनी भी जमीनें बेची गई वे चाहें राजा-महाराजाओं के द्वारा बेची गई या राजस्थान सरकार या भारत सरकार के किसी भी विभाग के द्वारा बेची गई वें जमीनें बगैर शर्त के बेची गई उन पर कोई शर्त नहीं हुआ करती थी कि यह आवासीय हैं या यह कामर्शियल है या यह औद्योगिक है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मैं आपको टोकूंगा, आप...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी अर्ज सुन लीजिये। आप जब बोले मैं कभी बीच में नहीं बोला, राठौड़ साहब।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट सुन लीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप मेरा नम्र निवेदन सुन लीजिये फिर कोई बात हो तो मैं आपको जरूर सुनूंगा। तो ऐसी बेशर्त जमीनों पर...

श्री राजेन्द्र पारीक : पुराने मामले जो हुए हैं उनकी जांच करवाइये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जांच की कोई बात ही नहीं है। ऐसी जमीन पर जिनके बेचान पर कोई शर्त ही नहीं होती थी, जब कभी कोई मान लीजिये मकान बना हुआ है, कोई पुराना पुश्तैनी मकान बना हुआ है किसी भी आदमी का और वह आज तोड़कर उसको कामर्शियल बना लेता है तो हाई कोर्ट के ऐसे फैसले हो गये कि हम उसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रेजीडेंशियल कॉलोनी में जो कामर्शियल कॉम्प्लेक्स वह बना रहा था मकान तोड़ कर, वह बनने दिया जाएगा। और नतीजा इसका यह हुआ कि जिस संबंधित नगरपालिका ने उन पर जब कन्वर्जन का शुल्क लगाया, सम्परिवर्तन शुल्क का नोटिस दिया तो नोटिस देने पर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया और वह अपनी आय से वंचित रह गई। मेरा अर्ज करना यह है कि यह सिर्फ उन जमीनों पर लागू होगा जहां पर कि जो बगैर शर्त जमीनें बेची गई थीं, जहां पर या तो प्लाट खाली पड़े हुए थे या हवेलियां बनी हुई थी, मकान बने हुए थे और आज वह कामर्शियल काम्प्लेक्सेज बनते जा रहे हैं और हाई कोर्ट के निर्णय से वह बचते जा रहे हैं। तो दो बातों के लिए यह संशोधन लाया गया है। पहली बात तो यह है कि सौंदर्यीकरण में बाधा पहुंच रही थी, रिहायशी कालोनियों में कामर्शियल काम्प्लेक्सेज खड़े हो रहे थे और संबंधित निकाय उनका कुछ नहीं कर पा रही थी और न कुछ पैसा उनको मिल पा रहा था। दूसरी बात यह है कि वो लोग जिनका जिक्र आपने किया था कि यह भू-माफियाओं को प्रोटेक्शन है, यह भू-माफिया ही इससे सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे थे और नगरपालिका की आमदनी पर चोट पहुंच रही थी, उनको कुछ नहीं मिल रहा था। मेरा निवेदन यह है कि आपने जिस बात को लेकर यह शंका जाहिर की है कि साहब, इसमें भू-माफियाओं को कभी हो नहीं पायेगा। एक तो नगरपालिका की आय बढ़ेगी, दूसरे कानून की पालना होगी और सौंदर्यीकरण की जो बात है और रेजीडेंशियल कालोनियों में

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

जिस तरीके का यह अपवाद फैलता जा रहा है कामर्शियल काम्प्लेक्सेज का, वह रूकेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जिन शहरों में मास्टर प्लान लागू हुआ, उन शहरों में तो यह तय कर दिया गया कि यह क्षेत्र रिहायशी है, यह क्षेत्र इण्डस्ट्रियल है, यह क्षेत्र कामर्शियल है पर जिन शहरों में मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ जनसंख्या की दृष्टि से, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, उसमें इस अधिनियम के कौन से उपबंध लागू होंगे। जिनमें मास्टर प्लान लागू नहीं है, जनसंख्या की दृष्टि से प्लान लागू हैं राजस्थान के अन्दर दस लाख या पांच लाख जो भी है, जहां मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान के अंदर तो अलग-अलग चीज आई है, ग्रीन बेल्ट आई है, जहां मास्टर प्लान नहीं है, जो छोटी सिटीज हैं उनमें क्या होगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या होगा, उनमें संबंधित निकाय अपने हिसाब से फैसला करेगी। जो उसका स्कीम एरिया है, स्कीम एरिया के अनुसार काम करेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप या तो कोई आर्डर से, या इसमें यह स्पष्ट कर दें कि संबंधित निकाय, जहां मास्टर प्लान लागू नहीं है, अपने विवेक से फैसला करेगी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जहां पर मास्टर प्लान लागू है, मास्टर प्लान के अनुसार लैण्ड यूज काम में लिया जाएगा और जहां पर मास्टर प्लान लागू नहीं है वहां पर संबंधित निकाय अपने हिसाब से फैसला करती है, कोई बात नहीं। दूसरी अर्ज यह है कि यह एप्रिहेंशन आपके दिमाग में अगर कोई हो कि साहब, लैण्ड यूज चेंज कर रहे हैं, लैण्ड यूज चेंज करने का प्रोविजन हर जगह है, बिलकुल हर जगह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पहले से है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अगर राज्य सरकार उचित समझेगी कि किसी लैण्ड का लैण्ड यूज चेंज करने की एप्लीकेशन जो आई है वह वाजिब है उसको निश्चित तौर पर परमिशन दी जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि स्पेसिफिक परपज के लिए जो भूमि आवंटित की गई, स्पेसिफिक परपज के लिए जमीन आवंटित हुई जिसमें चेरिटेबल परपज भी है, विद्यालय है, चिकित्सालय है या पर्यावरण की दृष्टि से जयपुर के आस-पास छोटे-छोटे फार्म अलाट किये हैं लोगों को, या मुर्गी पालन की दृष्टि से मुर्गी फार्म अलाट किये हैं, क्या इसकी परिधि में वह आ जायेंगे?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : सब कुछ आयेंगे। जिस पर्टीकूलर परपज के लिए वो लैण्ड अलाट की गई है, चाहे वह चेरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को टोकन अमाउंट पर ही लैण्ड अलाट की गई है और चाहे आक्शन से दी गई है, किसी को भी दी गई है, यदि वह लैण्ड यूज चेंज करता है तो सारा इस परव्यू में आयेगा, वह लैण्ड यूज चेंज करता है तो सारा कन्वर्जन शुल्क उसको जमा करवाना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लैण्ड यूज चेंज होगा या कन्वर्जन शुल्क जमा करवाकर लैण्ड यूज चेंज कर लेगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : नहीं-नहीं, सम्परिवर्तन के लिए उसको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, वह मंजूर होगी, उसके बाद में शुल्क जमा करना पड़ेगा, तब जाकर के लैण्ड यूज चेंज होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह फायदा ले जाएगा। वह तो उस परिधि में आ गया।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उस परिधि में तो आ गया वह। आज सम्परिवर्तन शुल्क देने के लिए लोग तैयार हैं। आज लैण्ड यूज चेंज करने के लिए छोटी-छोटी फोरेस्टरी के नाम पर जिन्होंने प्लाट लिए हैं या इण्डस्ट्री के अन्दर इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट के नाम पर प्लाट लिए हैं वह सारे लैण्ड यूज चेंज कर लेंगे और लैण्ड यूज चेंज करके पैसा जमा करा देंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह आज जो 173- (व्यवधान) - मेरी अर्ज सुनिये, साहब। आज जो 173-ए विद्यमान है उसके तहत यही हो रहा है जो आप कह रहे हैं। यह जो संशोधन मैं ला रहा हूं, इस संशोधन से ही रूकावट आयेगी। आज तो उन पर कोई रोक ही नहीं है और हाई कोर्ट के फैसले भी उनके पक्ष में चले गये हैं, इसी से रूकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1999 को प्रवर समिति के निर्दिष्ट किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डश : विचार

खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड- 2 स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड- 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन, सूत्र, नामादि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किया गया। श्री शांतिकुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शांतिकुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, मेरा एक सुझाव है इसमें, क्लाज 7 जो है उसमें आपने लिखा है- "Charges under this section shall be the first charge on the interest of the person liable to pay..." तो फर्स्ट परसन तो वह है जिसकी जमीन थी और धीरे-धीरे बदलते-बदलते आज मालिक कौन है या आज कब्जा किसी का है, यह चार्ज तो उस पर कैसे लगेगा, जिसने पहले बेच दी। तो मेरा सुझाव यह है कि जो बेनिफिसियरी है, जो उसको अब एन्जाय कर रहा है आज, यह पेमेंट उसको देना चाहिए, वह पे करे उसको।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपका सुझाव उपयुक्त है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगपालिका (संशोधन) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय मंत्री महोदय ने जो चीज स्वीकार की है तो उसको इसमें जोड़ते हुए...

श्री उपाध्यक्ष : वह रिकार्ड पर आ गया न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं-नहीं, वह नहीं। वह आयेगा साहब, आन रिकार्ड आयेगा। ऐसे थोड़े ही आयेगा। यथा संशोधित होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, संशोधन की स्टेज तो निकल गई है। यह तो आप थर्ड रीडिंग पर बोल रहे हैं, तो संशोधन है ही नहीं, संशोधन कहां से होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दिया हुआ है मेरा, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है।

श्री उपाध्यक्ष : Please try to understand. संशोधन की स्टेज तो समाप्त हो गई, यह तो विचारार्थ लिया गया है जिस पर आप बोले हैं, मंत्रीजी ने एग्री कर लिया, रिकार्ड पर आ गया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं-नहीं, आपको नाम बोलना चाहिए मेरा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी अर्ज सुनें, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन है ही नहीं आपका।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपको नाम बोलना चाहिए मेरा इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : काहे को बोलना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : जो मैंने दिया है अमेंडमेंट इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : कहां है अमेंडमेंट आपका? (व्यवधान) थर्ड रीडिंग पर आप बोल रहे हैं। थर्ड रीडिंग पर आपको अलाउ किया है बोलने के लिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधी मंत्री) : तो उस वक्त में आप बोले क्यों नहीं? आप पुराने मंत्री हैं, इतने विधायक रहे हैं, आपको उसी वक्त कहना चाहिए, मेरा अमेंडमेंट है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सुनिये मेरी बात। अच्छा मान लीजिए, मैं नहीं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बोला... (व्यवधान) एक सैकण्ड, मान लो मैं नहीं बोला और यह अगर उस वक्त...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं आप, माननीय सदस्य।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरी बात तो सुनिये आप। मान लो मैं नहीं बोला, लेकिन यह उपयोगी है, आवश्यक है, आवश्यक है तो इसमे जोड़ने की कहां आपत्ति हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : तो स्वीकार कर लिया न उन्होंने।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अब मेरी सुन लें, साहब, आप। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें अमेंडमेंट लाने की जरूरत ही नहीं है, आपने उसको कुछ अलग से पढ़ लिया। प्रथम पक्ष भी वही है जो आवेदक है। आप प्रथम पक्ष को यह समझ रहे हैं कि शुरू में जिसने बिल्डिंग बनाई थी। वह नहीं है उसका अर्थ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, यही है इसका अर्थ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसका अर्थ यह है कि आज की तारीख में अगर, मान लीजिये, बेचते-बेचते वह सातवें आदमी के पास पहुंच गई और सातवां आदमी उसका भू-परिवर्तन, लैण्डयूज चेंज करवाना चाहता है तो आवेदक वही कहलायेगा, प्रथम पक्ष भी वही कहलायेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फर्स्ट लिखा हुआ है इसमें पहले ही।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, फर्स्ट वही माना जाएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह आपके ऊपर है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हां, फर्स्ट आवेदक ही माना जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1999 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1999 को पारित किया गया।
राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1999.

श्री प्रद्युमन सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1999

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजकीय उपक्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1999 (1999 का विधेयक संख्या-23) को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंहजी। श्री रामनारायण चौधरी। श्री हरजीरामजी, श्री मदन दिलावर। श्री राजेन्द्र राठौड़।

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहायता उपक्रम (संशोधन) विधेयक जो माननीय मंत्री महोदय लेकर आये हैं, मैं समझता हूं कि यह संशोधन मजदूरों के हितों पर कुठाराघात होगा। इस संशोधन के माध्यम से, माननीय उपाध्यक्षजी, राज्य सरकार की यह मंशा झलकती है कि जिन उपक्रमों को राजस्थान सहायता उपक्रम घोषित किया जाए, जिस तरह जयपुर मैटल है या दूसरे हैं उनके अन्दर जो मजदूर हैं वह मजदूर इस अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) में जो संशोधन लाये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ कर सुना रहा हूं - किसी भी औद्योगिक उपक्रम के बारे में उप-धारा (1) के अधीन किसी अधिसूचना के जारी किये जाने और प्रकाशित किये जाने का प्रभाव यह नहीं होगा कि उस औद्योगिक उपक्रम के कर्मचारी को सरकारी कर्मचारी माना जाए। जब तक उन्हें इस औद्योगिक उपक्रम के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने के लिए उक्त अधिसूचना के पश्चात् जारी किये गये राज्य सरकार के किसी विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्टतः लिखित रूप में नियुक्त नहीं कर दिया जाए।

मतलब अगर कोई उपक्रम सहायता उपक्रम हो गया, इसका अर्थ, उपाध्यक्ष महोदय, कि वह पहले सिक यूनिट होगी उसके बाद सरकार किसी तरह सहयेाग देकर उस यूनिट को चलायेगी। पहले किसी निजी क्षेत्र में है तो निजी क्षेत्र पर से मालिकाना हक इसलिए हट जाएगा कि 18 (क) का नोटिस उसको मिल गया है। अब वहां पर जो मजदूर हैं सरकार यह चाहती है कि उस मजदूर की मजदूरी की लायबिलिटी सरकार पर नहीं आये। मजदूर जाएगा कहां? और इसके पीछे सरकार की मंशा जयपुर मैटल्स इलेक्ट्रानिक के मजदूरों की छंटनी करने की है। मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, आप उसके लिये ही यह लेकर आ रहे हैं। और तो और आपने इसकी धारा चार के अंदर मजदूरों को इसके लिये भी पाबंद कर दिया। मैं पढ़कर सुना रहा हूं :—

"परन्तु इस अधिनियम के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना का उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट औद्योगिक उपक्रम के कर्मकारों की मजदूरी के संदाय से संबंधित किसी भी विधि, विधिक कार्यवाहियों, करार,, समझौते, अधिनिर्णय, स्थायी आदेश या ऐसी ही बात के संबंध में कोई भी प्रभाव नहीं होगा।"

मैं समझता हूं कि आपकी मंशा साफ है कि आप मजदूरों के हितों पर कुठाराघात करना चाहते हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण विश्नोई, श्री हीरासिंह चौहान, श्री किरोड़ी लाल, श्री विजेयन्द्रपाल सिंह, श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री भंवरलाल जी शर्मा। (प्रभारी मंत्री)।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजकीय उपक्रम मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आशंका जाहिर की है कि यह मजदूरों के हितों पर कुठाराघात के लिये संशोधन लाया गया है, यह बात

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सत्य नहीं है बल्कि इसके उल्टा है। मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये यह संशोधन लाया गया है। ओरीजिनल बिल इस प्रकार का है अगर किसी भी अंडरटेकिंग को, किसी भी यूनिट को हम रिलीफ अंडरटेकिंग डिक्लेयर करते हैं तो उसके तहत इस बात की सम्भावना थी और है कि मजदूर किसी भी सक्षम अदालत में अपने वेजेज की प्राप्ति के लिये कोई दावा इत्यादि नहीं कर सकता था। इस अमेंडमेंट के द्वारा, अगर आप देखेंगे, जो इसकी प्रीएम्बल बदला है वो और इसके आब्जेक्ट्स पढ़िये, उस आब्जेक्ट्स में हमने साफ कहा है कि किसी भी अंडरटेकिंग को रिलीफ अंडरटेकिंग डिक्लेयर करेगी राज्य सरकार तो पुराने एक्ट के तहत तो यह था कि वह ड्यूज इत्यादि के लिये, अपने वेजेज के लिये कोई कार्यवाही करने में सक्षम नहीं था लेकिन इस अमेंडमेंट के द्वारा उसके वेजेज की सुरक्षा का हमने इसके अन्दर प्रबन्ध किया है। इसलिए हम यह संशोधन लाये हैं। और आपको एक बात और बता दूं, श्रीमान् आपके मंत्रिमण्डल ही इसको मंजूर करके आये थे और इसको हम अच्छा मानते हुए ही इस सदन में लाये हैं। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई अच्छी चीज आपके द्वारा स्वीकार की गयी थी तो हम उसको बिना बात रिजेक्ट करते। इसका मूल उद्देश्य यह है। अगर आप गौर से पढ़ेंगे, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, तो इसके पीछे जो भावना आप व्यक्त कर रहे हैं कि जयपुर मेटल्स के लिये हम यह लाये हैं, इस बात में कोई दम नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। इतनी बात इस बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1999 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1999 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

(खण्ड 2 से 4 कोई संशोधन नहीं)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : कहां है संशोधन?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तीन और चार दोनों में है। माननीय मंत्री महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आप थर्ड रीडिंग में बोल लें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, फिर आप कहोगे, बोलने दीजिए न, क्या दिक्कत है? अभी भी बोल सकता हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन है नहीं आपका। अभी कैसे बोल सकते हो?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपकी इजाजत से।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इजाजत दे नहीं रहा हूं। आप विराजो, आपको बोलने देंगे। संशोधन नहीं है आपका।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : संशोधन है, साहब। सर्क्यूलेट हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास है, हमारे पास नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सर्क्यूलेट किया है, मेरे पास कैसे आ गया?

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने देंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं इस पर दो ही लाइन बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : संशोधन नहीं है, किस पर बोलोगे आप?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष : यहां नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : I have given it. यह सर्क्यूलेट हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलना है तो बोलने का मौका दिया जाएगा। संशोधन आपका अस्वीकार हो गया, संशोधन आपका आया ही नहीं। आप थर्ड रीडिंग में बोल लेना। संशोधन तो आपका पेश होगा तभी बोलोगे, ऐसे कैसे बोलोगे?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): नहीं, फिर आप कहोगे कि अब तो पास हो गया अब काहे के लिये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, कुछ नहीं कहेंगे, आपको बुलायेंगे। आप विराजो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): पहले भी ऐसा ही किया है। केवल बोलने के लिये ही नहीं बोलना है मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप तो हमें ज्ञान देने के लिये बोल रहे हैं इसलिए तो बुला रहे हैं हम।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बोलने भी नहीं दोगे क्या?

श्री उपाध्यक्ष : बुलायेंगे आपको, मना कहां कर रहे हैं?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): आप मानो चाहे मत मानो, बोलने तो दो।

श्री उपाध्यक्ष : हम मना नहीं कर रहे हैं, आपको बुलायेंगे। एट द राइट टाइम बुलायेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): अमेंडमेंट के लिये बोल रहा हूं, कब बुलायेंगे आप?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको बुलायेंगे, खण्ड 2 से 4 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि कोई संशोधन नहीं। प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नामादि स्वीकार किये गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न् सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1999, (1999 का विधेयक संख्या 23) को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलालजी शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय, कह रहे थे कि जो कर्मचारी अंडर टेकिंग संस्थाओं में काम करेंगे उनके हितों की रक्षा के लिये आप यह कानून लाये हैं। मेरा संशोधन इसमें यह था, "लेकिन ऐसे उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारियों को सेवा से समझौते के आधार पर ही पृथक किया जाएगा।" मैं रिपीट करता हूं, "लेकिन ऐसे उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारियों को सेवा से समझौते के आधार पर ही पृथक किया जाएगा।" यह आपकी मंशा के हिसाब से है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपने यह कह दिया ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : और आगे कहता हूं। धारा में आपने लिखा है, आपने कह दिया, उसने कोर्ट से भी निर्णय ले लिया तो आप पर लागू नहीं होगा। अगर उसने वेतन प्राप्ति के लिये कोर्ट से आदेश ले भी लिया और यदि आप उसको अंडरटेक करते हो तो फिर वह आप पर लागू नहीं होगा। यही लिखा है आपने? Am I clear? आपने उसको डी-बार कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपको निवेदन कर दूं, अगर एक मिनट आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री उपाध्यक्ष : Let him finish, उनको समाप्त करने दो आप। वे समाप्त कर लें फिर बोल लेना।

श्री प्रद्युम्न सिंह : साहब, माननीय सदस्य के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसा आपने कहा, इसमें रिट्रेंचमेंट का कहीं प्रोविजन ही नहीं है इस एक्ट के तहत। रिलीफ अंडरटेकिंग डिक्लेयर करने के बाद जो ओरीजिनल एक्ट था उसमें मूल भावना यह थी कि लेबर को उनकी वेजेज के लिये भी रोका जा सकता था। तो लेबर का क्या होगा? दूसरा, जो फाइनेंशल इंस्टीट्यूट, बैंक इत्यादि का रुपया है वह उसको डेफर किया जा सकता है। मूल भावना यह थी कि अंडरटेकिंग बंद नहीं हो और मजदूरों को कंटीन्यूअस मजदूरी मिलती रहे, एम्प्लायमेंट मिलता रहे। इस एक्ट की जो मूल भावना थी वह यह थी कि फैक्ट्री चलती रहे, उपक्रम चलता रहे, जो भी हो प्राइवेट हो, पब्लिक हो और इसके साथ-साथ मजदूर को लगातार मजदूरी मिलती रहे, यह इसकी मूल भावना

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

थी। लेकिन बदकिस्मती से इसका कभी-कभी दुरूपयोग होने की संभावना अधिक रहती थी। इसकी आड़ में जो ओरीजिनल एक्ट है उसके तहत मजदूर की मजदूरी देने के लिये भी मालिक बाध्य नहीं था। उसको ही प्रोटेक्ट करने के लिये हम यह एक्ट लाये और उसके अलावा ओ.पी.सी., ओरिएंटल पावर केबल के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह होल्ड किया चूंकि सरकार ने इसको रिलीफ अंडरटेकिंग डिक्लेयर किया है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि आप एक महीने की तनख्वाह दीजिए। किन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वेजेज देने की बात नहीं की और इसका पीरियड भी बढ़ाया। ओरिएंटल पावर केबल जब से कोटा की बंद पड़ी हुई है। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से इसके रिवाइबल की बात बी.एफ.आई.आर. में गयी है और इसके रिवाइबल की बात चल रही है और भगवान ने चाहा तो मजदूरों ने भी हालांकि सीटू की यूनियन होने के बाद भी उन मजदूरों ने त्याग किया, आपसी समझौते के द्वारा कम्पनी के साथ और आज वह चलने के नजदीक पहुंच गयी है, सारी तैयारी हो रही है, वह चल रही है। तो इससे बचने के लिए इन्होंने कहा कि चूंकि सरकार ने इसको रिलीफ अंडरटेकिंग डिक्लेयर किया है एक तो वेजेज की बात आ गयी, कभी-कभी फैक्ट्री के ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बर्डन भी होता है तो उससे तो प्रोटेक्शन मिल सकता है लेकिन इस एक्ट की आड़ के अन्दर कोई उद्योगपति या कोई उपक्रम के प्रबंधक मजदूर की मजदूरी चुकाने से मना करें उससे प्रोटेक्शन देने के लिए सरकार क्योंकि डिक्लेयर करती है, सरकार के ऊपर बोझ न पड़ें इसलिए इस अमेंडमेंट को लाया गया। यह मूल भावना है। ट्रिचमेंट आदि का तो कहीं अधिकार ही नहीं है, उसको रिट्रेंचमेंट आदि का तो कोई अधिकार ही नहीं है। क्योंकि मजदूर को अधिकार है कि मजदूर अपनी रक्षा के लिए जो रेलेवेंट लेबर लॉज हैं उसके तहत वह उन लेबर कोर्टस् के अन्दर, जो और भी अदालतें हैं उनके पास वह जा सकता है और उसकी ग्रिवान्सेज को , अपने हितों की रक्षा के लिए याचिका दायर करके वहां से अपने फेवर में अवार्ड ले सकता है। यह इसकी मूल भावना है। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, रिट्रेंचमेंट जब कोई प्रश्न ही नहीं है इसके अन्दर...

श्री जगमाल सिंह यादव : यानि सीटू के मामले में, उद्योग मंत्रीजी, आपकी राय अच्छी नहीं है। आपने कहा कि सीटू की यूनियन है तो भी, यही है न?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं तारीफ करता हूं इस बात की।

श्री जगमाल सिंह यादव : नहीं, आपने कहा इवन देन कि सीटू की यूनियन है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, हां।

श्री जगमाल सिंह यादव : सीटू जो यूनियन है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : काफी लड़ाकू यूनियन है सीटू की, अपने हितों की रक्षा के लिए बहुत मजबूती से...

श्री जगमाल सिंह यादव : मतलब यह तो बुरे ही काम करती है, पहली बार अच्छा किया है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहायता उपक्रम विशेष...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकण्ड, मेरी सुन लें साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब क्या रह गया?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह जो आप कह रहे हैं, जो प्रोविजो सैक्शन चार में लगाया आपने - "Provided that a notification issued under this Act shall have no effect in respect of any law, legal proceedings, agreement, settlement, award, standing order or the like relating to the payment of wages to the workmen of the industrial undertaking specified in the said notification." यह तो आपने दीवार कर दिया। यदि किसी ने डिग्री प्राप्त कर ली है, यदि कोई उसको कानूनी अधिकार मिल भी गया है पेमेंट के बारे में तो आपने उसको तो माइनस कर दिया। आप कहते हो कि नहीं, प्रोटेक्ट किया है। वह उसका फैसला ही बेकार हो जाएगा। हरिसिंह जी, आप बताइये इसका अर्थ यही है न?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं-नहीं, यह भावना नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं-नहीं, पारित करने का मतलब नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप एक मिनट बिराजें। ऐसा है, भंवरलाल जी साहब, अगर मैं आपसे निवेदन करूं कि आप उस मंत्रिमण्डल के सदस्य थे, आप क्यों पास करके आये थे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमने गलती की होगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं गलती नहीं की आपने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्री महोदय, हमें आपकी मंशा पर संदेह नहीं है, आप थोड़ा हमें क्लियर कर दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा आप निवेदन सुनो। अगर आप शुरू से देखें, इसके अन्दर हमने यह कहा है कि रिलीफ अण्डरटेकिंग घोषित करने के पश्चात् इसमें कहीं पर भी इस किस्म का प्रावधान नहीं है जिससे जो सुप्रीम कोर्ट से होल्ड किया था, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़कर सुनाता हूं...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें यही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, नहीं, आपको पोजीशन क्लियर हो जावेगी इसके अन्दर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने जो लिखा है उसको पढ़कर सुनाता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप विराजो तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने कुछ इस तरह के फैसले दे दिये कि रिलीफ अण्डरटेकिंग में जहां मजदूरी, वेजेज की बात आ्यी वहां चूंकि सरकार अण्डरटेक कर रही है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : सरकार अण्डरटेक नहीं कर रही है। कहां है इसमें अण्डरटेंकिग की? अगर आपकी फैक्ट्री घाटे में चल रही है, (व्यवधान) नहीं, आप विराजमान रहें। आपकी यूनिट है, अगर आप चला रहे हैं उस यूनिट को और आज उसके अन्दर सौ दो सौ, पांच सौ मजदूर कार्य कर रहे हैं और आपके ऊपर फाइनेंशल लाइबिलिटीज भी है दूसरी फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस, बैंक की, आपको रिलीफ अण्डरटेकिंग डिक्लेयर करने के बाद मजदूर का वेतन आपको कंटीन्युअसली देना पड़ेगा बिना किसी इंटरप्शन के, आपको सिर्फ फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जहां से आपने लोन लिया है, आपको हक होगा उसके अन्दर कि आप बैंक से नेगोशिएट करके इसका रिशिड्यूलमेंट करा लें, डेफर करा लें, वह आपकी कुर्की इत्यादि नहीं निकाल पायेंगे। यह इसकी मूल भावना है, इस एक्ट की, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : देखिये, यह जो आप लेकर आये हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं, यह सन् 1987 में ओ.पी.सी. सुपरवाइजर स्टाफ एसोसिएशन का था, यह सुप्रिम कोर्ट में गया मामला - "Time and again, this matter is coming before this court. At every time, it was argued that a rehabilitation scheme is being worked out. Today also, the same thing has been repeated. The fact, however, remains that nothing has been paid to the workmen from January, 1986 till date. The Government of Rajasthan isued a Notification under Section 3 and 4 of the Rajasthan Relief Undertakings (Special Provisions) Act, 1961. Consequent to this Notification, the right of workman to recover their wages has been denied."

यह सुप्रिम कोर्ट ने होल्ड किया है।

"No suit or other legal proceedings shall be instituted or taken by the workmen. The workmen are in a helpless position. The government ought to have made some arrangements for the payment of their salary.

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

In the circumstançes, we direct the State of Rajasthan to pay workmen one month's salary..." यह पूरे वेजेज नहीं दिलायें। उन्होंने भी एक तरह से एक सद्भावना दिखाते हुए, उनकी तकलीफों को ध्यान में रखते हुए कहा,

"In the circumstances, we direct the State of Rajasthan to pay the workmen one month's salary i.e. April, 1986. Payment to made not later than two weeks from today. The matter shall be listed on 10th of November, 1987."

This is an interim order which was passed by the Supreme Court of India. उसके बाद यह सवाल आया कि कल आप किसी भी यूनिट को रिलीफ अण्डरटेकिंग को कर दें तो वर्कमैन की पोजीशन क्या होगी? वर्कर्स तो वेजेज क्लेम कर नहीं सकता। इसलिए यह अमेंडमेंट आपके सामनें लेकर आये। इसके अन्दर कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है कि वर्कर को नहीं मिलेगा। यह अमेंडमेंट लाने की जरूरत ही नहीं थी। वह तो पुराने एक्ट में ही उसके हितों पर कुठाराघात हो रहा था। यह काहे के लिए हम लेकर आते अमेंडमेंट? यह तो उसके प्रोटेक्शन के लिए लेकर आये हैं। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, आपने जो सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया है न, वह विशेष केस है। उन्होंने सब का नहीं किया कुछ भी। आपने यह कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सुप्रिम कोर्ट लॉ का कंडीडरेशन में नहीं लेता? सुप्रिम कोर्ट ने जो एक्जिस्टिंग लॉ है उसको कंडीडरेशन में लेकर जजमेंट पास किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप पहले बात तो सुन लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो आप यह समझते हो कि अलग केस है, यह नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप सुनिये, बात तो सुनिये। आप जो लाये हो वह दूसरी बात लाये हो। "Provided that a notification issued under this Act shall have no effect in respect of any law, legal poceedings, agreement, settlement, award, standing order..."

यदि किसी मजदूर ने या मजदूर संगठन ने अदालत से कोई निर्णय ले लिया, वह भी आप पर लागू न हो इसलिए लाये हो आप तो। आपने यह तय कर दिया अगर कोई डिक्री हो जाती है, कोई कोर्ट का फैसला हो जाता है और उसको पेमेंट अगर देना पड़ता है तो वह इसके अन्तर्गत कर दिया, चाहे वह आदेश सुप्रीम कोर्ट का ही हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपकी जो धारणा है वह तथ्यों से परे है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : What you have brought here? जो आप लाये हो न, उसकी भावना क्या कह रही है, जो लिखा हुआ है, लिखा हुआ ही तो पढ़ोगे न? आपने उनको दीबार कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह भी इसमें प्रोटेक्ट किया है कि अगर किसी को रिलीफ अण्डरटेकिंग डिक्लेयर कर देते हैं तो वह आदमी आटोमेटिकली स्टेट गवर्नमेंट का नौकर नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट पर लाइबिलिटी नहीं आएगी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, यह है बात।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह है। हां तो यह बात सही है। अगर आप किसी को रिलीफ अण्डरटेकिंग कर देते हैं मजदूरों के हित के अन्दर तो किसी को नहीं कर पायेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अब क्या होगा, जब आपने उसको एक्वायर कर लिया?

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो आलरेडी एक्जिस्टेंग एक्ट है इसके तहत।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं-नहीं, वही बात आ गयी न फिर तो। कर्मचारी के हितों के खिलाफ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह लाइबिलिटी किसकी होगी?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जो उसके प्रबंधक हैं उनकी होगी। जब एक तरह से हम उसके बैंक्स, दूसरी फाइनेंशल इस्टीट्यूशंस से रिलीफ दिलवा रहे हैं तो गवर्नमेंट डबल लाइबिलिटीज कैसे ले लेगी?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : पहले सैक्शन 3 पढ़ लीजिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : कल को बैंक इत्यादि भी मानेंगे कि आपने रिलीफ अण्डरटेकिंग कर दिया है, आप भी इस कर्जे को चुकाइये और यह एक्ट हिन्दुस्तान की अन्य प्रान्तीय सरकारों ने भी बना रखे हैं अपनी इण्डस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने वर्कर्स के हित को प्रोटेक्ट करने के लिए, मूल मकसद है कि कंटीन्युअस एम्प्लायमेंट मिलता रहे लोगों को। कंटीन्युअस एम्प्लायमेंट मिलता रहे इसके लिए तो एक्ट बना था यह।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थिति बहुत स्पष्ट है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं, साहब, इसको पूरा तो कर दूं। सैक्शन 3 है आपका।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह तो डिफाइन हो गये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सरकार अपनी लाइबिलिटी से बचने के लिए लेकर आयी है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बस यह है बात।

श्री अमराराम (धोद) : तो सरकार जब बाकी सब चीजें चुकायेगी तो मजदूरों की मजदूरी नहीं चुकायेगी?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हम कुछ नहीं चुकायेंगे, कोई नहीं चुकायेंगे हम। कहीं चुकाने की बात नहीं है। दूसरी जो फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां से लोन लिया है, दूसरी और कई लाइबिलिटी हैं उसके अन्दर उसको रिलीफ दी है, कहीं उसका बोझ पड़ने से पहला चार्ज उनका लेकर मजदूरों की तनख्वाह बंद नहीं हो जाए, यह फैक्ट्री चलती रहे। इसलिए तो यह एक्ट बना है। यह कहां है इसमें... (व्यवधान) ना-ना, आप कृपया मुझसे मूल एक्ट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, कहीं नहीं है इसके अन्दर कुछ भी।

श्री जगमाल सिंह यादव : यानि आपका मतलब हुआ कि इण्डस्ट्री अगर रूग्ण हो जाती है तो उसको तो फाइनेंशल मदद पहुंचाएंगे किसी न किसी सोर्सेज से, चाहे बैंक से, चाहे आर. एफ. सी. से... (व्यवधान) आप गवर्नमेंट...

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं, हम नहीं पहुंचा रहे हैं, साहब। नहीं-नहीं, मान लीजिए.., (व्यवधान) मैं आपको एक्जाम्पल दे रहा हूं।

श्री जगमाल सिंह यादव : और मजदूर का वेतन चुकाया नहीं हुआ तो गवर्नमेंट पल्ला झाड़ लेगी, यही है ना?

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं-नहीं, यह नहीं। न तो हम किसी फाइनेंशल इंस्टीट्यूट का कर्जा चुका रहे हैं, राज्य सरकार किसी भी तरीके से किसी भी फाइनेंशल इंस्टीट्यूशन को या इंडस्ट्री को ना तो कोई केश सहायता देगी... (व्यवधान) एक बार मेरी बात सुन लीजिए। इस एक्ट के तहत न तो उन्हें कोई सहायता देने जा रहे हैं, न उनका कोई कर्जा चुकाने हम जा रहे हैं। सिर्फ यह है कि यह फैक्ट्री चलती रहे, यह फैक्ट्री कंटीन्यू चलती रहे। पुराने एक्ट में यह प्रावधान था कि सेक्शन 3 व 4 के अन्दर फैक्ट्री चलती रहे तो मजदूर का वेतन भी उसमें रूक जाता था और हम डिक्लेयर करते थे इसको रिलीफ अण्डरटेकिंग, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में होल्ड किया कि आप एक महीने की तन्ख्वाह इनको दीजिए। तो रिलीफ अण्डरटेकिंग हम किसी को डिक्लेयर करते हैं, एक तो हमारे ऊपर बोझ न आ जाए.. (व्यवधान) हां, हां, हमारे वह बोझ नहीं आ जाए और साथ-साथ वर्कर्स के लिये भी मुमानियत थी पुराने एक्ट के अन्दर कि वह किसी दूसरी जो अदालतें थीं, श्रम अदालतें, जिनके तहत वह अपने वेजेज की रिकवरी के लिये कार्यवाही कर सकते थे, उसके ऊपर भी रोक थी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह आपने कर दी रोक।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नहीं-नहीं, रोक नहीं, उसमें पहले ही रोक थी, उससे हमने उसका निकाला है। कंटीन्यू वह बदस्तूर कार्यवाही चालू रख सकेगा अपने वेजेज की रिकवरी के लिये। उसको कहीं मुमानियत नहीं है, यह है इसके अन्दर।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1999 पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहायता उपक्रम (विशेष उपबंध) (संशोधन) विधेयक, 1999 को पारित किया गया।

सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 23 सितम्बर, 1999 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 18.53 बजे, गुरुवार, दिनांक 23 सितम्बर, 1999 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या-18 की प्रति)

Government of Rajasthan
Irrigation Department

No : F. 3(35)AS/I/Cell/81/B/478 dated 28.9.83

From :

Additional Secretary to Govt.
Cum Chief Engineer, Irrigation,
Rajasthan, Jaipur

To :

The Addi. Chief Engineer
Irrigation (HQ) Rajasthan, Jaipur.

Sub : - Estimate for the Repairs, Restoration Modernisation of Gang Canal system & Rajasthan Feeder Sadhuwali Link Scheme.

Ref. : - Your letter No : T/BP/42/111/1098 dt. 10.8.83.

Sir,

I am desired to convey the administrative sanction of the Government to take up repairs, resotration, modernisation of Gang Canal system (including construction of Rajasthan Feeder, Sadhuwali Link channels) for Rs. 87.50 crores (Rs. Eighty Seven Crores and fifty lacs only.

The Expenditure will be chargeable to 533-Capital outlay on Irrigation Navigation Drainage and flood control project (ka) Irrigation Project (Commercial-Plan) Gha-Gah) Modernisation (Plan).

The bears the concurrence of the finance (Exp-III) Department vide their ID No : 1883 dt. 16.9.83.

Yours faithfully,
sd/-
Dy. Secretary & T.A. to
Chief Engineer, Irrigation
Rajasthan, Jaipur

परिशिष्ट—2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जिला बाड़मेर की ढाणियों का पेयजल आपूर्ति हेतु चयन

20. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजीव गांधी पेयजल मिशन योजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिले की कई ढाणियों को चयनित किया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्रवार मय जनसंख्या के चयनित ढाणियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कुछ चयनित ढाणियां जो वास्तविक रूप में लाभान्वित नहीं हैं उन्हें लाभान्वित दर्शाया गया है?

(3) क्या यह सही है कि कुछ ढाणियां चयनित होने के योग्य हैं और चयनित नहीं हो पाई हैं?

(4) क्या सरकार इनका पुनः सर्वेक्षण कराकर उक्त ढाणियों को चयनित कर लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सूची परिशिष्ट— "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। राजीव गांधी पेयजल मिशन भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिन ढाणियों के 1.6 किलोमीटर में पेयजल उपलब्ध है उन्हें असमस्याग्रस्त मानते हुए लाभान्वित माना गया।

(3) जी, हां।

(4) जी हां। सर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है। सर्वेक्षण के पश्चात् सूची राजीव गांधी मिशन को चयन स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जावेगी। तत्पश्चात् आवश्यक अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला कलक्टर सिरोही द्वारा किये गये स्थानान्तरण

21. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :—

जिला कलक्टर सिरोही ने 1 दिसम्बर, 1998 से 1 सितम्बर, 1999 तक कितने कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानान्तरण किए हैं? उक्त स्थानान्तरण कहां से कहां किए गए? उक्त कर्मचारी/अधिकारी अपने वर्तमान कार्यस्थल पर किस-किस तिथि को पदस्थापित किए गए थे? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला कलक्टर द्वारा 1 सितम्बर, 98 से 1 सितम्बर, 99 तक 77 अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किए हैं। स्थानान्तरित अधिकारियों/कर्मचारियों की वांछित सूचना परिशिष्ट 'अ', 'ब', 'स', 'द',

(श्री राजस्व मंत्री)

'य' एवं 'र' पर संलग्न सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र नगर के विद्यालयों का क्रमोन्नयन

22. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में इस वर्ष कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने के निर्धारित मानदण्डों का पालन किया गया है? यदि हां, तो कौन-कौन से मानदण्डों का?

(3) क्या विद्यालय क्रमोन्नत किये जाने में भेदभाव किया गया है?

(4) विधान सभा क्षेत्र नगर के कौन-कौनसे विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं?

उत्तर

(1) प्रदेश में इस वर्ष 267 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में एवं 141 माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है। क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। गांव की जनसंख्या अंतिम कक्षा की छात्र संख्या, फीडर विद्यालयों, की संख्या, उपलब्ध वित्तीय प्रावधान, क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकता, विद्यालय अनुपात एवं गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं।

(3) जी नहीं।

(4) विधान सभा क्षेत्र नगर में विद्यालय गुणावगुण के आधार पर क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम बिड़ोली (सीकर) के मंदिर का मूर्ति चोरी प्रकरण

23. श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बिड़ोली तहसील सीकर के श्री रघुनाथजी महाराज के मन्दिर के मूर्तियां जो अतिप्राचीन थी माह जुलाई, 1999 में चोरी हो गई?

(2) क्या यह भी सही है कि यह मूर्तियां सैंकड़ों वर्ष पुरानी थी और पुरातत्व महत्व की थी जिसके कारण केवल मूर्ति की ही चोरी की गई और छत्र को चोर नहीं ले गये?

(3) क्या यह सही है कि मन्दिर के पुजारी द्वारा तत्काल पुलिस में रिपोर्ट की गई और पुलिस द्वारा तफतीश की गई?

(4) क्या यह भी सही है कि पुलिस द्वारा अभी तक कोई कारगर कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके फलस्वरूप चोर को पकड़ा नहीं जा सका है?

(5) क्या यह सही है कि पुलिस द्वारा गांव के एक व्यक्ति को पकड़ा गया था

और बाद में छोड़ दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(6) क्या सरकार उक्त पुरातत्व महत्व की मूर्ति को बरामद करने और चोरों को पकड़ने के लिए कोई ठोस कारगर कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां।

(4) जी, नहीं। इसके संबंध में तत्काल थाना सीकर सदर पर अभि. सं. 137/99 अन्तर्गत धारा 457, 380 भा. दं. सं. पंजीबद्ध कर तत्काल अनुसंधान प्रारम्भ कर मूर्तियां बरामद करने एवं अभियुक्तों का पता लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही की, मूर्तियों व अभियुक्तों की तलाश हेतु संदिग्ध व्यक्तियों, से पूछताछ की गई। कार्य प्रणाली शाखा से मूर्ति चोरी के प्रकरणों में पूर्व में संलिप्त रहे अपराधियों के नाम ज्ञात कर गहन पूछताछ की गई, मुखबिर लगाये जाकर मूर्तियों एवं अभियुक्तों के बारे में खुफिया तौर पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया परन्तु अथक प्रयासों के बावजूद भी अभियुक्तों व मूर्तियों का कोई पता नहीं चल सका है। पतारसी के सतत् प्रयास जारी हैं।

(5) जी नहीं। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान ग्राम बिड़ोली के व अन्य गांव के कई संदिग्ध व्यक्तियों को बुलाकर पूछताछ की गई। ग्राम बिड़ोली के लोगों द्वारा उसी गांव के श्री गोपाल सोनी पुत्र भागीरथ मल उम्र 25 वर्ष व डालूराम शर्मा पुत्र घासीराम पुत्र 40 वर्ष पर शक जाहिर करने पर इन दोनों व्यक्तियों को थाने पर बुलाकर इनसे गहन पूछताछ की गई परन्तु इनका अपराध में शामिल होना नहीं पाया गया।

(6) चोरी गई मूर्तियों को बरामद करने व अभियुक्तों को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस द्वारा भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। प्रकरण का अनुसंधान पुलिस निरीक्षक स्तर के अनुसंधान अधिकारी द्वारा जारी है और मूर्ति चोरों का पता लगाने के हर सम्भव प्रयास अनुसंधान अधिकारी द्वारा किये जा रहे हैं।

सुन्दरपुरा ब्रांच (जमवारामगढ़) नहर पर अतिक्रमण

24. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जमवारामगढ़ (जयपुर) बांध से जुड़वां सुन्दरपुरा ब्रांच की नहर की रेवेन्यू रेकार्ड के अनुसार 4 गट्ठा चौड़ाई है? यदि हां, तो इस नहर की जमीन पर ग्राम खींवास के पास किस-किस ने कितनी-कितनी भूमि पर कब्जा कर रखा है? राजस्व रेकार्ड के अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सिंचाई विभाग द्वारा उक्त नहर पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों? अब कब तक उक्त अतिक्रमणों को हटा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जमवारामगढ़ बांध से जुड़वां सुन्दरपुरा ब्रांच की नहर की रेवेन्यू रिकार्ड के अनुसार चौड़ाई ग्राम गोठ की पट्टी की तरफ छः गटठा, बीच में 8 गट्ठा व ग्राम गुढ़ावास नेवर की तरफ 10 गट्ठे के करीब है। इस नहर की जमीन ख. नं. 130 गै. मु. नहर रकबा 11 बी. 15 बिस्वा में से लगभग 3 बिस्वा भूमि पर संवत् 2055 में केदार, बनवारी, पिंसरान बद्री जाति हरियाणा ब्राह्मण ने खाम घर, छप्पर, रेवड़ा डालकर अतिक्रमण किया है।

(2) सिंचाई विभाग ने सुन्दरपुरा ब्रांच नहर पर विभिन्न स्थलों पर हुये अतिक्रमणों को हटाने एवं अतिक्रमणियों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिये अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड जयपुर द्वारा दिनांक 31-8-98 को उपखण्ड अधिकारी, आमेर एवं तहसीलदार, जमवारामगढ़ को अनुरोध किया था। ग्राम खींवास के उक्त अतिक्रमण के विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार, जमवारामगढ़ द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91(3) के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 28-1-99 को अतिक्रमी को शास्ती से दण्डित कर बेदखली के आदेश कर दिए हैं।

पूर्व बेलदार का पेन्शन प्रकरण

25. श्री रामसिंह कस्वां (सादुलपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वित्त (व्यय–3) विभाग के पत्र क्रमांक प. 1(2)वित्त/व्यय–3/95 दिनांक 16-6-96 एवं वित्त (राजस्व अनुभाग) के पत्र क्रमांक प. 4(33)वित्त/राजस्व/84 दिनांक 25-8-98 के द्वारा श्री गोविन्दराम शर्मा, भूतपूर्व बेलदार, अधिशासी अभियन्ता, कार्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, रतनगढ़ एवं मुख्य अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग राजस्थान, जयपुर एवं निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान, जयपुर को पेंशन दिलाने के आदेश दिये थे?

(2) क्या यह भी सही है कि बीमा विभाग द्वारा उक्त दोनों पत्रों की अनदेखी कर गरीब श्रमिक के साथ अन्याय किया है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

(3) क्या सरकार अब उक्त प्रकरण का निस्तारण कर उक्त श्रमिक को पेंशन दिलवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वित्त व्यय–3 विभाग के पत्र दिनांक 16-6-96 द्वारा मुख्य अभियन्ता एवं वित्त विभाग (राजस्व) अनुभाग के पत्र क्रमांक प. 4(33) वित्त/राजस्व/84 दिनांक 25-8-98 के द्वारा श्री गोविन्द राम शर्मा, भूतपूर्व बेलदार, अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग के प्रकरण में कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 5(11) कार्मिक/क–2/80 दिनांक 18-6-92 के अन्तर्गत पुनर्विचार कर पेन्शन के सन्दर्भ में कार्यवाही करने के निदेश दिये गये थे।

(2) यह सही नहीं है, बीमा विभाग द्वारा राज्य सरकार के निर्देश प्राप्त करने के सन्दर्भ में कार्यवाही की गई है। उक्त दोनों पत्रों के अन्तर्गत कार्मिक–2 विभाग के परिपत्र संख्या प. 5(11) कार्मिक/क–2/80 दिनांक 18-6-92 के अन्तर्गत पुनर्विचार कर पेन्शन दिलाये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। कार्मिक क–2 विभाग का परिपत्र दिनांक 18-6-92 की कार्यरत्त स्थाई कार्य प्रभारित कर्मचारियों के सन्दर्भ में लागू था। चूंकि श्री गोविन्द राम शर्मा, बेलदार 30-11-89 को ही सेवानिवृत्त हो चुके थे तथा वे 18-6-92 तक उन्हें स्थाई किये जाने के आदेश भी जारी नहीं किये गये थे। अतः उन्हें पेन्शन देय नहीं होने के कारण पेन्शन के सन्दर्भ में कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13-7-94 में भी यह स्पष्ट निर्देश दिये गये कि जो प्रकरण पूर्व में निस्तारित कर दिये गये हैं, उन्हें पुनः नहीं खोला जाय। चूंकि श्री गोविन्दराम शर्मा, बेलदार को स्वयं के अंशदान एवं राजकीय अंशदान की राशि का भुगतान 3/92 में कर दिया गया था। अतः उनका मामला पुनर्विचार की श्रेणी में नहीं आता है।

(3) जैसा कि उक्त पैरा संख्या–2 में स्पष्ट है कि कर्मचारी को अंशदायी प्रावधायी निधि के निजी अंशदान एवं राजकीय अंशदान का भुगतान कर दिये जाने, सेवानिवृत्ति तक स्थाई घोषित नहीं करने एवं 18-6-92 को कर्मचारी के सेवा में नहीं होने के कारण कर्मचारी को पेन्शन देय नहीं है तथा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 13-7-94 के द्वारा भी कर्मचारी का प्रकरण पुनः नहीं खोला जा सकता है।

ग्राम भामोद (जमवारामगढ़) में पेयजल व्यवस्था

26. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के ग्राम भामोद में सरकार की ओर से पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की हुई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त गांव की जनसंख्या को ध्यान में रखकर गांव में पीने के पानी की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम हैण्डपम्प योजना से लाभान्वित है।

(2) जी हां। वर्तमान में ग्राम में 10 हैण्ड पम्प चालू हैं। इसके अतिरिक्त इस ग्राम हेतु एक पम्प एवं टैंक योजना राशि 9.45 लाख की स्वीकृत की गई है, जिसे इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

ग्राम रोटू एवं घाटीयाद (नागौर) के कटाणी मार्ग पर सड़क निर्माण

27. श्री अशोक तंवर (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि तहसील जायल जिला नागौर के ग्राम रोटू व घाटीयाद के मध्य कटाणी रास्ता है? यदि हां, तो कब से? नक्शा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग पर मार्च, अप्रेल, 1999 में सड़क बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क निर्माण में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा नाईण्डा तालाब के पास बाधा उत्पन्न की गई थी? क्या उनके विरूद्ध तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा मुकंदमा दर्ज करवा कर सड़क कार्य को चालू रखा गया था?

(4) क्या यह भी सही है कि वर्तमान उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा यह आदेश देकर कि यह मार्ग कटाणी नहीं है, सड़क बन्द करवादी गई थी? क्या उक्त अधिकारी के उक्त निर्णय से असामाजिक तत्वों के हौंसले बढ़ गये व सड़क बन्द हो गई? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त निर्णय वर्तमान उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा किस नियम के तहत लिया गया? क्या इस प्रकार गलत आदेश देने पर राज्य सरकार द्वारा उक्त उपखण्ड अधिकारी के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) अब उक्त अधिकारी के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी?

उत्तर

(1) न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी, जोधपुर के प्रकरण संख्या 20/63 सरपंच ग्राम पंचायत रोटू बनाम तहसीलदार जायल व अन्य कुल 36 निर्णय दिनांक 30-11-64 के अनुसार ग्राम दूगोली के खसरा नम्बर 36, 35, 38, 39, 26, 27, 428, 429, 423, 356, 359, 311, 310, 308, 307 में से एक गट्ठा चौड़ाई का रास्ता नक्शे एवं रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये गये थे मगर एक गट्ठा चौड़ाई में रास्ता का प्लोट नहीं बनने यानि लम्बाई में एक गट्ठा (6.6 फीट) का कोई माप नहीं होने से नक्शा संवत् 2003 में रास्ते को डोटेड लाईन से दर्शाया जाकर नक्शे में इस आशय का अंकन किया गया है, मगर उक्त खसरों के मूल रकबे में से रास्ते के रकबे की कमी नहीं की गई है तथा नक्शा सन् 1959 डोटेड लाईन तरमीम द्वारा बना हुआ है, नक्शा संवत् 2003 परिशिष्ट–1 व नक्शा सन् 1959 परिशिष्ट–2 संलग्न हैं।

(2) जिला कलेक्टर (सहायता) नागौर ने आदेश दिनांक 20-11-98 के द्वारा अकाल राहत कार्य संवत् 2055 में अभिकरण पंचायत समिति जायल के माध्यम से ग्राम रोटू से छाटियाद ग्रेवल सड़क मय अमलाई रिटेनिंग बाल 7 किलोमीटर की स्वीकृति जारी की गई थी। तत्पश्चात् कलेक्टर सहायता नागौर ने आदेश दिनांक 11-12-98 द्वारा उक्त कार्य अभिकरण पंचायत समिति जायल के स्थान पर अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. विभाग नागौर किया गया।

(राजस्व मंत्री)

(3) अधिशासी अभियन्ता सा. नि. वि. नागौर के द्वारा सड़क निर्माण में बंशीलाल पुत्र मल्लाराम, रणजीतराम पुत्र प्रहलादराम एवं बंशीलाल पुत्र मल्ला पुत्र मोती निवासीगण रोटू द्वारा कठिनाई उत्पन्न करने की बात ध्यान में लाने पर जिला कलेक्टर (सहायता) नागौर ने उपखण्ड अधिकारी, नागौर को सड़क निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करने देने बाबत तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दि. 19-4-99 को दिये। उपखण्ड अधिकारी, नागौर के दिनांक 29-4-99 को एस. एच. ओ. जायल को निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु लिखा। उक्त तीनों काश्तकारों का मौके पर विरोध होने से अधिशाषी अभियन्ता सा. नि. वि. नागौर द्वारा किमी. 2/865 से 3/480 तक कुल 615 मीटर में निर्माण कार्य नहीं करवाया गया।

(4) वर्तमान उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा सड़क निर्माण कार्य को बन्द करवाने के आदेश नहीं दिये हैं।

(5) वर्तमान उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा सड़क निर्माण कार्य बन्द करवाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।

(6) चूंकि उपखण्ड अधिकारी, नागौर द्वारा सड़क निर्माण कार्य बंद करवाने का कोई आदेश पारित नहीं किया है। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

(नक्शा विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-28

(स्थगित)

डीग शहर की पेयजल समस्या का समाधान

29. श्री अरूण सिंह (डीग) : क्या जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि डीग शहर में पेयजल की कमी को दूर करने के लिये सरकार द्वारा कोई आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डीग शहर में पेयजल वितरण व्यवस्था के सुधार के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? क्या नई पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। डीग शहर की पेयजल की कमी को दूर करने के लिए विभाग ने सन् 98-99 एवं 99-2000 में क्रमशः 16.09 लाख एवं 1.60 लाख के कार्य स्वीकृत किये गये जिसके अन्तर्गत 3 ट्यूब वैल 4350 मीटर पाइप लाईन व 8 हैण्ड पम्प का निर्माण किया गया। आगामी दीर्घ अवधि वर्ष 2016 के लिए स्वीकृत किये गये चम्बल प्रोजेक्ट चरण प्रथम, अनुमानित लागत 166.5 करोड़ रुपये की दिनांक 21-6-99 को जारी स्वीकृति में डीग कस्बे की मांग को भी सम्मिलित किया गया है।

(2) उपरोक्तानुसार। जी नहीं। पर्याप्त क्षमता के जल स्रोत की उपलब्धता के बाद ही योजना के पुनर्गठन पर विचार संभव होगा।

ग्राम जालणियासर (नागौर) में निर्मित टैंक से जलापूर्ति

30. श्री मोहनलाल बारूपाल (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जालणियासर, तहसील जायल, जिला नागौर में अनुसूचित जाति (मेघवालों) के मौहल्ले में सरकार द्वारा पानी का टैंक बनाया हुआ है? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या यह भी सही है कि इस मौहल्ले में इस टैंक से कभी पानी सप्लाई नहीं किया गया? अब उक्त मौहल्ले के लिये बने इस टैंक को पानी की लाइन से जोड़कर कब तक पानी सप्लाई कर दिया जायेगा और अब तक इसके लाइन से जोड़कर पानी नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे हैं? उक्त कमी के लिये दोषी कर्मचारी/अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जी नहीं। विभाग द्वारा ग्राम जालणियासर तहसील जायल की अनुसूचित जाति (मेघवालों) के मौहल्ले में टैंक का निर्माण नहीं करवाया गया है। परन्तु जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा मौहल्ले में पानी का 4000 गैलन क्षमता का जलाशय बनाया हुआ है।

(2) इस विभाग द्वारा अनुसूचित जाति (मेघवालों) के मौहल्ले से 250 मीटर की दूरी पर टैंक 80000 लीटर का निर्माण करवाकर पिछले कई वर्षों से नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। अभिकरण द्वारा बने टैंक का प्रयोग में लाने की कार्यवाही उनसे धनराशि प्राप्त होने व भूतल जलाशय की तकनीकी जांच के पश्चात् संभव होगी।

आभानेरी-झाझीरामपुरा (दौसा) पर्यटन स्थल का विकास

31. श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में आभानेरी एवं झाझीरामपुरा पर्यटन स्थल हैं? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इनके विकास हेतु क्या योजना बनाई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में आभानेरी व झाझीरामपुरा को पर्यटन स्थल के रूप में और अधिक विकसित करने के लिए विभाग द्वारा गत महीनों में सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र हेतु क्या योजना प्रस्तावित की गई है?

(3) उक्त पर्यटन स्थल का विकास सर्वे के आधार पर कितने समय में करा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) आभानेरी एवं झाझीरामपुरा पुरातत्व और विशेषकर स्थानीय पर्यटन महत्व के स्थल हैं तथापि गत कुछ वर्षों से आभानेरी स्थल पर अन्य पर्यटकों की आवाजाही में वृद्धि हुई है। विभाग द्वारा आभानेरी को प्रचार प्रसार योजना में शामिल किया है। उक्त स्थल का आकर्षक रंगीन पोस्टर तैयार किया जाकर वितरित भी किया है। आभानेरी को विभागीय पर्यटन साहित्य जैसे फोल्डर, बुकलेट एवं विभागीय पत्रिका अतिथि में जयपुर में एक्सकर्सन के रूप में

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

सम्मिलित कर प्रचारित किया जा रहा है। विभाग की ओर से आभानेरी में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये गये हैं।

(2) जी हां। आभानेरी के विकास हेतु पर्यटन विभाग द्वारा उक्त स्थल के प्रचार-प्रसार के अतिरिक्त अभी कोई योजना वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

(3) विभागीय आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उक्त स्थलों के विकास कार्य वर्तमान में प्रस्तावित नहीं है।

जिला बाड़मेर के ग्रामों की दोषपूर्ण पेयजल योजना

32. **श्री अमीन खान** (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस साउथ गिराब सालारिया योजना के ग्रामसालारिया — हिन्दीया —शरेकांतला —रावतकाता— पांधीकापार—सजमकापार— लधेकापार (बाड़मेर) में गत तीन माह से पानी नहीं जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि गिराब खडीन योजना के ग्राम बनवा—पांजोला— खारचा—सवाड़ा—भाचभर में चार माह से पानी नहीं जा रहा है?

(3) क्या यह सही है कि गत एक माह से तहसील मुख्यालय के ग्राम रामसर में भी पानी नहीं जा रहा है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनाओं के ग्रामों में पानी नहीं जाने के मुख्य कारण अभियन्ता/लेबर की कमी है? यदि हां, तो इसकी पूर्ति कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना करीम का पार बाड़मेर (मूलतः साउथ गिराब सालारिया) में 49 ग्राम एवं 27 ढाणियां जुड़ी हुई हैं, जिसमें से 42 गांव व 27 ढाणियों में पेयजल वितरण नियमित है केवल मात्र अंतिम छोर के ग्राम हिंडिया, शेरेकातला, रावत का पार पांघी का पार एवं लधे का पार में पेयजल वितरण अनियमित रहा है एवं ग्राम सालारिया एवं सज्जन का पार में पेयजल वितरण नहीं हुआ है। ग्रीष्मकाल में इन दोनों गांवों में टैंकरों से पेयजल परिवहन करवाया गया है।

(2) क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना गिराब खडीन से वर्तमान में 23 गांव एवं 59 ढाणियां जुड़ी हुई हैं इनमें से 19 ग्राम एवं 59 ढाणियों में पेयजल वितरण नियमित है। केवल मात्र अंतिम छोर के गांव बनवा, खारची एवं सुवाड़ा में माह अगस्त में पेयजल आपूर्ति अनियमित रही है। अंतिम छोर से गांव भाचभर में पूर्ववर्ती गांवों में पेयजल के अधिक उपभोग के कारण आपूर्ति शून्य है एवं ग्रीष्मकाल में टैंकरों से पेयजल परिवहन करवाया गया है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। वर्ष 1994 के उपरान्त नई भरती बन्द होने के कारण संधारण की वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

जिला जैसलमेर में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की क्षतिग्रस्त वितरिकायें/माइनर

33. **श्री गोवर्द्धन कल्ला** (जैसलमेर) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला जैसलमेर में इस वर्ष अतिवृष्टि से इन्दिरा गांधी नहर की वितरिकाओं तथा माइनरों में कहां-कहां क्षति हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नहर निर्माण में सही जगह पर एक्वाडेक्ट का निर्माण नहीं कराया गया?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में वर्षा से प्रतिवर्ष होने वाली क्षति को रोकने हेतु कोई कारगर योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले में इस वर्ष हुई अतिवृष्टि से वितरिकाओं एवं माइनरों की हुई क्षति का विवरण परिशिष्ट "अ" पर दर्शाया गया है।

(2) जी नहीं। जैसलमेर जिला का वार्षिक वर्षा का औसत लगभग 150 एम.एम. है। इतनी कम वर्षा एवं विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बरसाती नाले की स्थिति जी.टी. शीटों पर केवल दो स्थानों पर स्थिति दर्शाई गई थी। इनमें से सागरमल गोपा शाखा की बुर्जी 241.500 पर साईफन एक्वाडक्ट का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा गडरा रोड उप-शाखा की बुर्जी 16 के कार्य को शीर्घ ही सम्पादित करवाया जाना है।

(3) जी हां। जैसलमेर जिले की वार्षिक वर्षा औसत लगभग 150 एम.एम. है. जिसके विरूद्ध वर्ष 1998 में एक ही दिन में लगभग 180 एम.एम. एवं वर्ष 1999 में भी लगभग 240 एम.एम. वर्षा हुई। जिसके कारण वितरिकाओं एवं माइनरों पर कई स्थानों पर क्षति हुई। इस अप्रत्याशित रूप से हुई वर्षा को दृष्टिगत रखते हुए सागरमल गोपा शाखा के तीन स्थानों पर एवं गडरा रोड उप शाखा पर एक स्थान पर अतिरिक्त साइफन एक्वाडक्ट का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

अतिवृष्टि में इन्दिरा गांधी नहर की वितरिकाओं तथा माईनर में हुई क्षति का विवरण

S.No.	Branch/System	Length of Damages In Ft.
1	2	3
1.	SMG Br. RD 90 to 95	3040'
2.	Shaheed Birbal Br. at RD 41(60) & RD 50.000(65)	125'
	DISTRIBUTION SYSTEM	
1.	JJN Disty.	105'
2.	Meghna Mr.	84'
3.	Ditch Mr. 'B'	13'
4.	Bahlan Mr.	1005'
5.	Bathewala Mr.	100'
6.	Digha Mr.	150'
7.	Masurla Mr.	70'
8.	Pathewala Mr.	300'
9.	Padewala Mr.	100'
10.	Hathwala Mr.	23'
11.	Madan Disty.	40'
12.	MI Mr.	55'
13.	Karod Mr.	115'
14.	Mohangarh Disty.	1138'
15.	Ralwala Mr.	00'
16.	Ditch Mr. 'H'	900'
17.	Danwar Mr.	85'
18.	Dewa Mr.	420'
19.	Sarkhla Mr.	670'
20.	Sultana Mr.	245'
21.	Sultana Disty.	600'
22.	Tuli Disty.	90'
23.	Shiv Disty.	210'
24.	Mawori Mr.	90'

1	2	3
25.	Malka Tibba Mr.	20'
26.	Pali Disty.	50'
27.	Pali Mr.	40'
28.	Bahlan Disty.	125'
29.	SMGS RD. 270-314	210'
30.	Tibrewala Mr.	40'
31.	Tuli Mr.	40'
32.	Cacheli Talai Mr.	20'
33.	Kapuria Tibba Mr.	25'
34.	Binijewala Mr.	55'
35.	Pakha Mr.	35'
36.	Lambi Mr.	40'
37.	Navatala Mr.	180'
38.	Navatala Sub Mr.	90'
39.	Gamaewala Mr.	280'
40.	Experimental Lining RD 45.303	50'
41.	Gadra Road Sub. Branch	165'
42.	Dattatry Mr.	29'
43.	Rinmal Mr.	65'
44.	Asutar Mr.	390'

ग्राम पारलू (बाड़मेर) का ओवर हैड टैंक प्रकरण

34. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पारलू (बाड़मेर) में पुराना ओवर हैड टैंक गिरा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त पुराने ओवर हैड टैंक के स्थान पर नया टैंक स्वीकृत किया जा चुका है? यदि हां, तो नया टैंक बनकर कब तक तैयार हो जाएगा?

उत्तर

(1) जी, नहीं। टैंक गिराने हेतु स्वीकृति के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(2) जी, नहीं।

परिशिष्ट–'क'

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-37 की सूची)

वर्ष 1999-2000 में विधानसभा क्षेत्र डेगाना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की सूची की

क्रम सं.	योजना का नाम	प्रशा. स्वीकृत क्रमांक/दिनांक	राशि	प्रस्तावित कार्य	प्रगति
1.	राईकों की ढाणी (आलनियावास)	अमुअ/58 13.4.99	0.50	1 नग हैण्डपम्प	चालू कर दिया गया।
2.	शमशानघाट (आलनियावास)	अमुअ/59 13.4.99	0.50	1 नग हैण्डपम्प	" "
3.	बन्जारों की ढाणी (बाडी घाटी)	अमुअ/60 13.4.99	0.70	1 नग हैण्डपम्प	कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं।
4.	आसन (राताडुण्डा)	अमुअ/61 13.4.99	0.50	1 नग हैण्डपम्प	चालू कर दिया गया।
5.	डेरी बेरा की ढाणी (ढाणीपुरा)	अमुअ/62 13.4.99	0.50	1 नग हैण्डपम्प	" "
6.	रावतों की ढाणी (देवगढ़)	अमुअ/63 13.4.99	0.70	1 नग हैण्डपम्प	" "
7.	चोयलों की ढाणी (भैंरूदा)	अमुअ/64 13.4.99	0.50	1 नग हैण्डपम्प	" "
8.	जग जी की ढाणी (हरसोर)	अमुअ/65 13.4.99	0.50	1 नग हैण्डपम्प	" "
9.	मावों कुम्हारों की ढाणी (धावला)	अमुअ/66 13.4.99	0.50	1 नग हैण्डपम्प	" "
10.	राइकों की ढाणी (डोडिपाना)	अमुअ/67 13.4.99	0.50	1 नग हैण्डपम्प	" "
11.	खातिरों का बास (पिपलियां)	अमुअ/68 13.4.99	0.50	1 नग हैण्डपम्प	" "
12.	राइकों की ढाणी (भैंरूदा)	अमुअ/72 13.4.99	0.50	1 नग हैण्डपम्प	" "
13.	सिपाईयों का मौहल्ला (हरसोर)	अमुअ/73 13.4.99	0.50	1 नग हैण्डपम्प	" "
14.	इटारा खवाली की ढाणी (धावंला)	अमुअ/74 13.4.99	0.70	1 नग हैण्डपम्प	कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं।
15.	घासलों की ढाणी (भैंरूदा)	अमुअ/78 13.4.99	1.98	एक भूतल जलाशय पाईप लाईन 1800मी.	जलाशय की निविदां आमंत्रित की जा चुकी है पाईप्स की मांग भिजवादी गई है।
16.	कुम्हारों की ढाणी (ईडवा)	अमुअ/213 22.6.99	1.97	एक भूतल जलाशय पाईप लाईन 175मी.	" "

परिशिष्ट–"क"

परिशिष्ट—4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-40 की सूचियां)

क्रम सं.	भूखण्ड संख्या	नाम क्रेता/ आवंटी
1.	77	श्री श्याम मोहन पुत्र श्री हंसराज
2.	84	श्री मोहनलाल पुत्र श्री धन्नाराम
3.	87	श्री हुकमचन्द पुत्र श्री प्रभुदयाल
4.	89	श्री बलराम पुत्र श्री जोतराम
5.	90	श्री सुरजीत कुमार पुत्र श्री टेकचंद
6.	92	श्री गुरबचन सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह
7.	94	श्री रामनारायण पुत्र श्री हंसराज
8.	97	श्री राधाकृष्ण पुत्र श्री जसराम
9.	99	श्री बचनसिंह पुत्र श्री बिशनसिंह
10.	100	श्री बनवारी लाल पुत्र श्री श्योदान मल
11.	101	श्री नाजरसिंह पुत्र श्री प्रधानसिंह
12.	102	श्री गुरदयाल सिंह पुत्र श्री नाजरसिंह
13.	103	श्री टेकचन्द पुत्र श्री बालकिशन
14.	104	श्री शिवभगवान पुत्र श्री चन्द्रपूल
15.	106	श्री जयकृष्ण पुत्र श्री रामचन्द
16.	111	श्री दुर्गाशंकर पुत्र श्री सोहनलाल
17.	112	श्री पुरखाराम पुत्र श्री कुशलाराम
18.	113	श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री पूर्ण सिंह

नोट—क्रम संख्या 11, 17 एवं 19 द्वारा पक्के मकानात बनाकर रिहायश कर ली गई है, शेष को विवाद के कारण कब्जा नहीं दिया गया है।

परिशिष्ट–"ख"

क्रम सं.	नाम कब्जाधारी	साईज (वर्गफुट में)
1.	हनुमान मंदिर	27×30
2.	श्री अभय रतन पुत्र श्री छगन लाल अरोड़ा	27.3×56.6"
3.	श्री जसवन्त राय पुत्र श्री राजाराम मिढा	29.3×60
4.	श्री कमलापति पुत्र श्री रामानन्द	29×66
5.	श्री रतिराम पुत्र श्री हरिसिंह कुम्हार	29×60
6.	श्री डा. रायबल्लभ महेश्वरी	29×64
7.	श्री डा. महावीर सिंह वर्मा	29×64
8.	श्रीमती रजनी पत्नि श्री जितेन्द्रकुमार	29×65
9.	श्रीमती कृष्णा पत्नि श्री कश्मीरी लाल	29×65
10.	श्रीमती माया देवी पत्नि श्री भूराराम	29×58
11.	श्री खेमराज शर्मा	29×68
12.	श्री मुंशीराम पुत्र श्री मुखराम गुप्ता	29×58
13.	श्री डा. कृष्णागेंदर पत्नि श्री फूलचन्द डा. विजेन्द्र कुमार पुत्र श्री गजदीप	58×58
14.	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नि श्री लालचन्द	45×58
15.	श्रीमती बिमला देवी पत्नि श्री बनारसी	34×76
16.	श्रीमती जड़िया देवी पत्नि डा. जयदेव	29×58
17.	डा. सुभाष गुप्ता	29×58
18.	श्री मुंशीराम पुत्र श्री मुखराम गुप्ता	29×58
19.	श्री मखनसिंह पुत्र भागसिंह	30×70
20.	श्री विनोद कुमारी पत्नि श्री पवन कुमार	40×45
21.	श्री श्यामलाल पंडित	70×90
22.	श्री मोहनलाल पुत्र श्री जगनराम	24×45
23.	श्री बलबीर पुत्र श्री जगनराम	24×45
24.	श्री सूरजभान पुत्र श्री जगनराम	24×45
25.	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री हरफूलराम	24×45
26.	श्री रूड़ाराम पुत्र श्री लाधूराम	24×45
27.	श्री लालचन्द पुत्र श्री इतवारी लाल	20×30
28.	श्री किशोरी राय खत्री	30×60
29.	श्रीमती सोनी देवी पत्नि श्री श्रीराम	24×45

क्रम सं.	नाम कब्जाधारी	साईज (वर्गफुट में)
30.	श्रीमती मनजीत कोर पत्नि श्री जग्गासिंह	72×45
31.	श्री जरन्त सिंह पुत्र श्री सोहनसिंह	$\frac{80+50}{2} \times 50$
32.	श्री शिशपाल सिंह यादव	$\frac{50+40}{2} \times \frac{50+20}{2}$
33.	श्री रामलाल शर्मा	30×50
34.	श्री मुलखराज धुध व बंशीराम गुप्ता	30×50
35.	श्री वेद वेदान्त अध्यात्म मंडल वानिश विज्ञान निकेतन	240×55
36.	श्री विजय कुमार चढढा	30×50
37.	श्री मक्खन सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह	40×70
38.	श्री प्रीमत सिंह पुत्र श्री बचन सिंह	120×130
39.	श्रीमती स्वर्ण देवी पत्नि श्री सूरजप्रकाश	20×43
40.	श्री शिवदान मिस्त्री पुत्र श्री ठाकुर दास नानक राम पुत्र श्री श्यामन दास सिंधी	24×20
41.	श्री रामचन्द पुत्र श्री लछमन दास सिंधी	24×22
42.	श्री गोपीराम पुत्र श्री हरद्वारी लाल	60×60
	श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री आदूराम	
43.	श्री रामचन्द पुत्र श्री हरद्वारी लाल	30×60
44.	श्री रामलाल साहू	30×60
45.	श्री पूनमचन्द माली	30×60
46.	श्री गोपीराम पुत्र श्री हरद्वारी लाल	32×59
47.	श्री कैलाश पत्नि श्री देशराज	30×64
48.	श्रीमती जया पत्नि श्री पुरूषोत्तम शर्मा	30×64

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न-42 संख्या की प्रति)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

राजस्व अपील संख्या 220/94

केदार नारायण पुत्र बदरी नारायण शर्मा निवासी खींवास,
तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़ रेस्पाडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार, जमवारामगढ़ दिनांक 27-4-94

उपस्थित :

1. श्री राधेश्याम पारीक, अधिवक्ता, अपीलांट की ओर से
2. श्री दिलीप कुमार पारीक, राजकीय अभिभाषक, रेस्पा. की ओर से

निर्णय दिनांक 26-7-95

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, जमवारामगढ़ के निर्णय दिनांक 27-4-94 से अपीलांट केदारनारायण द्वारा ग्राम खेमावास स्थित आ. ख. नं. 71 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा गं. मु. तलाई के 5 बिस्वा रकबे पर आटें की चक्की एवं आरा मशीन लगाकर सम्वत् 2050 में अवैध रूप से अतिक्रमण करने पर अपीलांट को उक्त आराजी से बेदखल करने लगान 0.25 की 50 गुनी राशि रु. 13/– शास्ती के रूप मे कायम कर वसूल करने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश दिये गये। उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 1-9-94 को प्रस्तुत की गई।

अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली संख्या 1691/93 उनवानी सरकार बनाम केदार तलब की गई तथा रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। रेस्पाडेन्ट की ओर से श्री दिलीप कुमार पारीक राजकीय अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर बहस उभय पक्ष अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट के दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार जमवारामगढ़ विधि विधान

एवं पत्रावली तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व न तो अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया है और यदि कोई नोटिस जारी भी किया है तो विधिवत तामील नहीं कराई गई है। नोटिस पर बिना तामील कराये उसकी अनुपस्थिति दर्ज की जाकर एक पक्षीय निर्णय पारित किया है, जो नियम विरूद्ध है। अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया और न ही साक्ष्य सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि विवादित आराजी पर अपीलांट का सम्वत् 2050 का नया अतिक्रमण नहीं है बल्कि वह उक्त आराजी पर वर्ष 1981 से बराबर काबिज चला आ रहा है, उसको पूर्व में बेदखल भी नहीं किया है। उक्त विवादित आराजी पर अपीलांट की आरा मशीन एवं चक्की लगी हुई है, बिजली का कनेक्शन ले रखा है तथा नियमन की कार्यवाही भी विचाराधीन है। अपीलांट को इससे पूर्व न तो उक्त आराजी से बेदखल किया है और न ही उसके द्वारा पुनः अतिचार किया है बल्कि वह 1981 से बराबर काबिज चला आ रहा है तथा अन्य व्यक्ति भी उक्त आराजी पर काबिज है। बिना नोटिस दिये बिना सुनवाई किये सिविल कारावास की सजा से पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट द्वारा अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) जयपुर के निर्णय अनुसार नियमन की कार्यवाही हेतु रु. 2500/- भी जमा कराये जा चुके हैं। अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) जयपुर के द्वारा रिमाण्ड की गई पत्रावली पर निर्णय पारित न कर नये सिरे से निर्णय पारित किया है जो अवैधानिक है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय पारित करने का ईल्म 29-8-94 को पुलिस द्वारा होने पर दिनांक 30-8-94 को अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु तहसील में आवेदन प्रस्तुत किया तथा दिनांक 31-8-94 नकल मिलने पर अपील दिनांक 1-9-94 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई। अतः अपील जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद मानते हुये स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय न्यायोचित है। अपीलांट स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उसका उक्त आराजी पर कब्जा है, जिसकी पुष्टि राजस्व रिकार्ड से भी होती है। अतिक्रमित भूमि राजकीय भूमि है तथा अपीलांट अतिक्रमी की हैसीयत से काबिज है। विवादित आराजी गैर मुमकिन तलाई की भूमि है जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा होता है। ग्रामवासियों व मवेशियों के उपयोग उपभोग में यह भूमि काम आती है। सार्वजनिक उपयोग की भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता है और न ही आवंटन किया जा सकता है। यदि अपीलांट के पक्ष में नियमन की कार्यवाही भी विचाराधीन है तो वह बेदखली की कार्यवाही से भिन्न है, जिसे 1927 आर.आर.डी. 222 में भी प्रतिपादित किया है कि बेदखली की कार्यवाही नियमन की कार्यवाही से प्रभावित नहीं होगी।

बहस जारी रखते हुये आगे कहा कि अपीलांट का यह कथन सही नहीं है कि उसको अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नहीं थी, बल्कि अपीलांट स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17-12-93 व 12-1-94 को उपस्थित आया है। अपीलांट को नोटिस जारी किया है जिस पर उसके स्वयं के भाई बनवारीलाल शर्मा की तामील है। अपीलांट ने न्यायालय के नोटिस की परवाह नहीं करते हुये अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने राजकीय अभिभाषक की इस दलील का खण्डन किया कि नोटिस जारी किया गया है उस पर वह न्यायालय के समक्ष 17-12-93 एवं 12-1-94 को उपस्थित आया है, जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित ही नहीं हुआ है और न ही जारी नोटिस पर समुचित तामील कराई गई है। दिनांक 17-12-93 की उपस्थिति के नोटिस पर बनवारीलाल को अपीलांट का पुत्र बताया है जबकि दिनांक 12-1-94 के उपस्थिति पत्र पर बनवारी लाल को भाई होना तामील कुनिन्दा ने अंकित किया है, जबकि वह अवयस्क है। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट में भिन्नता है तथा हैल्फिया रिपोर्ट भी दर्ज नहीं है। अपीलांट अपील अंदर मियाद मानी जाकर स्वीकार की जाये।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट का अवैध रूप से ग्राम खीमावास स्थित आ. ख. नं. 71 गै. मु. तलाई के 5 बिस्वा भाग पर अतिक्रमण रहा है, जिसकी रिपोर्ट पटवारी द्वारा करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17-12-93 को उपस्थिति हेतु नोटिस भी अपीलांट को जारी किया गया है, जिस पर अपीलांट की स्वयं की तामील नहीं है, हालांकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17-12-93 को उपस्थित भी आया है। इसके पश्चात उपस्थित नहीं आने पर पुनः नोटिस दिनांक 12-1-94 की उपस्थिति हेतु जारी किया गया, उस पर भी नोटिस की तामील अपीलांट की नहीं होकर बनवारी लाल की है। बनवारीलाल शर्मा को तामील कुनिन्दा ने 17-12-93 की उपस्थिति के नोटिस पर अपीलांट का पुत्र होना अंकित किया है तथा 12-1-94 की उपस्थिति हेतु जारी नोटिस पर अपीलांट का भाई होना तामीली रिपोर्ट पर अंकित किया है, जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट को जारी नोटिस की समुचित तामील न होते हुये भी अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित किया है जो उचित प्रतीत नहीं होता है। निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट अतिचारी को विधिवत नोटिस जारी किया जाकर, वाद समुचित तामील सुनवाई साक्ष्य, सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने का पर्याप्त समय देकर कार्यवाही की जानी चाहिये थी, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा यदि कोई प्रकरण पूर्व में रिमाण्ड किया है तो उस पर भी विधिवत पहले निर्णय करना चाहिये था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय

न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दलील से अपील अंदर मियाद मानी जाना भी उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अंदर मियाद मानते हुये अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, जमवारामगढ़ का निर्णय दिनांक 27-4-94 निरस्त करते हुये पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलांट को सुनवाई साक्ष्य सबूत दस्तावेज प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाये तथा स्वयं द्वारा मौके का निरीक्षण किया जाकर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होने हेतु दिनांक 16-8-95 नियत की जाकर निर्देश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय को पत्रावली मय निर्णय प्रति नियत दिनांक 16-8-95 से पूर्व भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26-7-95 को लिखाया जाकर, मुद्रित व हस्ताक्षरित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्य प्रतिलिपि
अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

(सी. आर. चौधरी)
अति. कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

परिशिष्ट–'क'

परिशिष्ट–6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-43 की सूची)

खसरा नं. मय क्षेत्रफल		खातेदार	नये खसरा नं. सं. 2055 में		खातेदारी	वि. वि.
34	2.05	भूरा वल्द बालू जाट	139	0.03	श्री ओंकारनाथ पुत्र धन्नानाथ जोगी	नां. सं. 21 जरिये बेचान दिनांक 23-9-69
			140	0.54		
36	9-15	नानगा पुत्र मुन्ना जाट	145	0.03	कल्याणसहाय जगदीश पि. गोपाल ब्राह्मण	
			155	1.13	रामेश्वर/चौथूराम, जगदीश/नारायण, ग्यारसा, हरनाथ भैरूराम रामकिशन नानूराम पि. नानगराम जाट	
			156	0.11	रामेश्वर पुत्र चौथूराम मीणा	विरासत
			154	1.20	जगदीश/नारायण ग्यारसा हरनाथ भैरूराम रामकिशन नानूराम पि. नानगराम जाट	
35	0.02	भैरूबक्श	155/281	0.02	जगदीश/नारायण ग्यारसा हरनाथ भैरूराम रामकिशन नानूराम पि. नानगराम जाट	
58	3-14	चौथीया पुत्र दुल्ला मीणा	183	0.01	पु. नारायण बेवा चोथराम रामेश्वर प्रसाद पुत्र चोथूराम 1/2 रामेश्वरपुत्र चोथू हि.1/2 जाति मीणा	विरासत
			184	0.88		
			185	0.03		
76	7-13	चौथीया पुत्र दुल्ला मीणा	130	1.41	पु. नारायण बेवा चोथराम रामेश्वर प्रसाद पुत्र चोथूराम मीणा	
			218	0.52		
112	0-06	छोट्या वल्द पेमा व बाल्या वल्द नोला बलाई	254	0.12	श्री कालूराम पुत्र बालूराम बलाई सा. देह	विरासत नं. सं. 7 दिनांक सं. 8-1-68
			253	0.22.	श्री कालूराम पुत्र बालूराम बलाई सा. देह	

परिशिष्ट—7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-49 की प्रति)

MINIMUM WAGES ACT, 1948

Fixing of minimum rates of wages : (1) The appropriate Government shall, in the manner hereinafter provided : –

(a) fix the minimum rates of wages payable to employees employed in an employment specified in Part I or Part II of the Schedule and in an employment added to either Part by notification under Section 27;

Provided that the appropriate Government may, in respect of employees employed in an employment specified in Part II of the Schedule, instead of fixing minimum rates of wages under this clause for the whole State, fix such rates for a part of the State or for any specified class or classes of such employment in the whole State or part thereof;

(b) review at such intervals as it may think fit, such intervals not exceeding five years, the minimum rates of wages so fixed and revised the minimum rates if necessary;

Provided that where for any reason the appropriate Government has not reviewed the minimum rates of wages fixed by it in respect of any scheduled employment within any interval of five years, nothing contained in this clause shall be deemed to prevent it from reviewing the minimum rates after the expiry of the said period of five years and revising them, if necessary, and until they are so revised the minimum rates in force immediately before the expiry of the said period of five years shall continue in force.

(1–A) Notwithstanding anything contained in sub-section(1), the appropriate Government may refrain from fixing minimum rates of wages in respect of any scheduled employment in which there are in the whole State less than one thousand employees engaged in such employment, but if at any time ( ) the appropriate Government comes to a finding after such inquiry as it may make or cause to be made in this behalf that the number of employees in any scheduled employment in respect of which it has refrained from fixing minimum rates of wages had risen to one thousand or more, it shall fix minimum rates of wages payable to emplyees in such employment (as soon as may be after such finding).

(2) The appropriate Government may fix : –

(a) a minimum rate of wages for time work (hereinafter referred to as 'a minimum time rate');

(b) a minimum rate of wages for piece work (hereinafter referred to as 'a minimum piece rate');

(c) a minimum rate of remuneration to apply in the case of employees employed on piece work for the purpose of securing to such employees a minimum rate of wages on a time work basis (hereinafter referred to as 'a guaranteed time rate');

(d) a minimum rate (whether a time rate or a piece rate) to apply in substitution for the minimum rate which would otherwise be applicable, in respect of overtime work done by employees (hereinafter referred to as 'Overtime rate').

धारा—5 : 5. Procedure for fixing and revising minimum wages : – (1) In fixing minimum rates of wages in respect of any scheduled employment for the first time under this Act or in revising minimum rates of wages so fixed, the appropriate Government shall either :

(a) appoint as many committees and sub-committees as it considers necessary to hold enquiries and advise it in respect of such fixation or revision; as the case may be, or

(b) by notification in the official Gazette, publish its proposals for the information of persons likely to be affected thereby and specify a date, not less than two months from the date of the notification, on which the proposals will be taken into consideration.

(2) After considering the advice of the committee or committees appointed under clause (a) of sub-section (1), or as the case may be all representations received by it before the date specified in the notification under clause (b) of that sub-section, the appropriate Government shall, by notifications in the official Gazette, fix, or, as the case may be, revised the minimum rates of wages in respect of each scheduled employment, and unless such notification otherwise provides, it shall come into force on the expiry of three months from the date of its issue :

Provided that where the appropriate Govt. proposes to revise the minimum rate of wages by the mode specified in clause (b) of sub-section (1), the appropriate Government shall consult the Advisory Board also.

परिशिष्ट–'क'

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-53 का विवरण)

रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	नाम विद्यालय	प्राचार्य	प्र/अ	व्याख्याता	वरि. अध्या.	अध्यापक	कब से रिक्त है।
1.	रा.बा.उ.मा. वि., फूड	01	–	03	01	–	2/98, 4/97, 3/98, 7/98, 7/98
2.	रा.सी.मा.वि., लोसल	–	–	03	–	–	3/97, 2/98, 7/98
3.	रा.सी.मा.वि., धोद	–	–	01	–	–	6/98
4.	रा.सी.मा.वि., बानूडा	–	01	–	–	–	4/98
5.	रा.सी.मा.वि., सांगलिया	–	01	–	01	–	4/98, 3/98
6.	रा.सी.मा.वि., सिगरावट	–	01	–	–	01	4/98, 4/98
7.	रा.सी.मा.वि., बोठडा का तकेलान	–	01	–	–	–	2/97
8.	रा.सी.मा.वि., मण्डावरा	–	01	–	01	–	12/97, 4/98
9.	रा.सी.मा.वि., मोरडुगा	–	01	–	–	–	10/98
10.	रा.सी.मा.वि., माडोता	–	01	–	02	–	5/98, 4/98, 4/99
11.	रा.सी.मा.वि., सावलोदा पुरोहितान	–	–	–	02	02	4/98, 4/98, 2/99, 5/99
12.	रा.सी.मा.वि., बलथाना	–	–	–	01	–	3/98
13.	रा.सी.मा.वि., चुडोली खाकोली	–	–	–	01	01	10/98, 6/99
	योग	01	07	07	09	04	

परिशिष्ट–9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-59 की सूचियां)

परिशिष्ट–"क"

वर्ष 1999-2000 में दिनांक 15-9-99 तक स्वीकृत किये गये नवीन आयुर्वेदिक व यूनानी औषधालयों की सूची

क्र.सं.	नाम स्थान	जिला	चिकित्सा पद्धति
1.	मेवडा	नागौर	यूनानी
2.	डीडवाना	"	"
3.	रताउ	"	आयुर्वेद
4.	रामनगरिया	जयपुर	यूनानी
5.	नया जालूपुरा,	"	"
	शास्त्रीनगर, जयपुर	"	"
6.	शील की डूंगरी	जयपुर	यूनानी
7.	गैटोर	"	"
8.	गोहन्दी	"	आयुर्वेद
9.	दूढी आमलोदा	"	आयुर्वेद
10.	जोधपुरा	"	"
11.	केलवा	जैसलमेर	यूनानी
12.	भागू का गांव	"	"
13.	चेन्दलाई	टोंक	"
14.	चिरोज	"	आयुर्वेद
15.	गेगल	अजमेर	यूनानी
16.	पिपरोली	"	आयुर्वेद
17.	नारेली	"	"
18.	मेहरूकलां	"	"
19.	किशनगढ़ वास	अलवर	यूनानी
20.	झारेडा	"	आयुर्वेद

क्र.सं.	नाम स्थान	जिला	चिकित्सा पद्धति
21.	बकरामंडी	जोधपुर	यूनानी
22.	कलाऊं	"	आयुर्वेद
23.	केरला नाडा	"	"
24.	खारिया-खरिया	"	"
25.	महुआ	दौसा	यूनानी
26.	सांकरवाड़ा	"	आयुर्वेद
27.	दौसा खुर्द पंचकुईया	"	"
28.	पूंजासर	बाड़मेर	यूनानी
29.	बान्ड	"	आयुर्वेद
30.	डेरिया	"	"
31.	एण्डवा	सवाईमाधोपुर	"
32.	ढेलाणा	उदयपुर	"
33.	सेमटाल	"	"
34.	धरडू की ढाणी	झुंझूनूं	"
35.	बड की ढाणी	"	"
36.	खलासी	"	"
37.	श्योपुरा/टांकों का वास	"	"
38.	कांकरिया	"	"
39.	खंदवाडा	बांसवाडा	आयुर्वेद
40.	सोडलपुरा	"	"
41.	रोसावा	सीकर	"
42.	गीलों की ढाणी	"	"
43.	मांजीपुरा	"	"
44.	मोधूनगर	हनुमानगढ़	"
45.	बाघसरा पूर्वी	चूरू	"

क्र.सं.	नाम स्थान	जिला	चिकित्सा पद्धति
46.	कल्याणसर नया	चूरू	आयुर्वेद
47.	असलखेडी	"	"
48.	झाणेका	बीकानेर	"
49.	बीकाजी की टेपरी के पास	"	"
50.	पीढी	भरतपुर	"
51.	दौलतपुरा	करौली	"
52.	हिसनिया	भीलवाड़ा	"
53.	रूपालिया	भीलवाड़ा	"
54.	बन्नू की ढाणी	जालौर	"
55.	पीपलोद	झालावाड़	"

परिशिष्ट–"ख"

क्र.सं.	नाम स्थान	जिला	चिकित्सा पद्धति
1.	मेवडा	डेगाना	नागौर यूनानी
2.	डीडवाना	डीडवाना	नागौर यूनानी
3.	रसाउ	लाडनूं	नागौर आयुर्वेद